VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2024

अगस्त 2023 – मई 2024

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

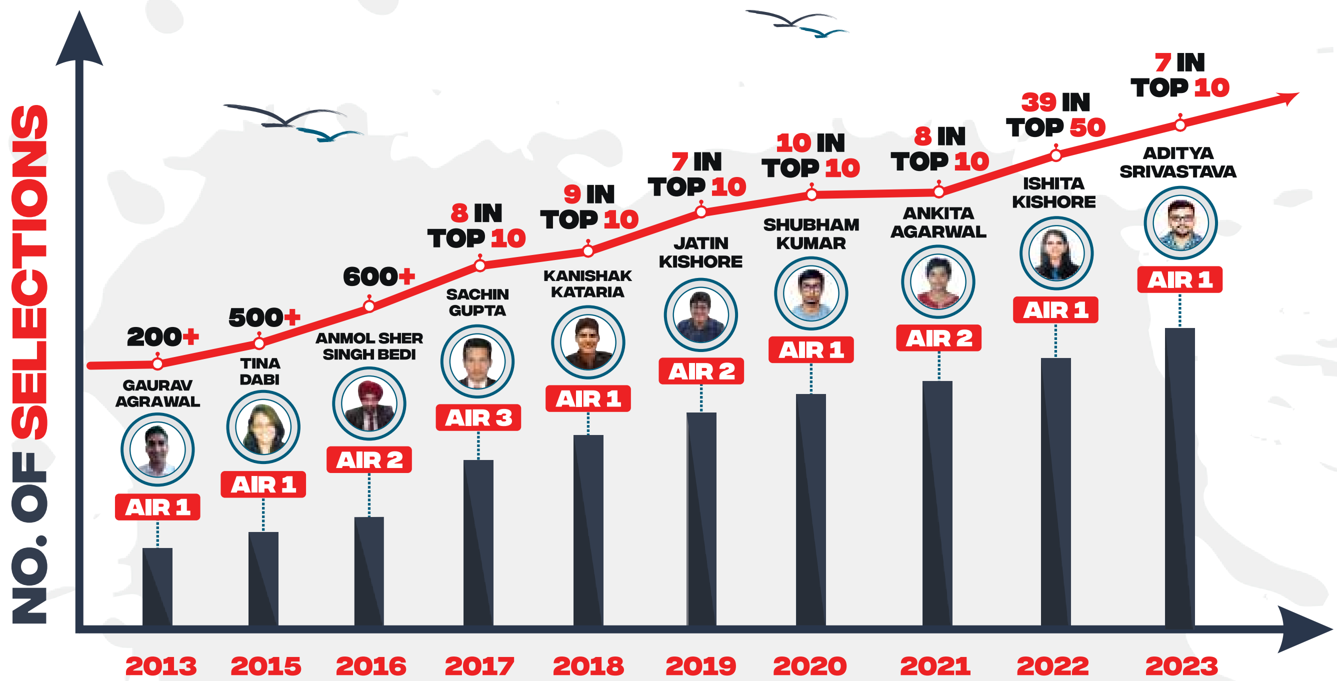

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 12 JULY	BENGALURU: 12 & 18 JULY	BHOPAL: 18 JULY	CHANDIGARH: 18 JULY	
HYDERABAD: 24 JULY	JAIPUR: 30 JULY	JODHPUR: 11 JULY	LUCKNOW: 17 JULY	PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 18 जुलाई, 1 PM	BHOPAL: 23 जुलाई	LUCKNOW: 18 जुलाई	JAIPUR: 25 जुलाई	JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय-सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण (Snapshot of the Indian Economy) 4
2. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (Employment, Labour, and Skill Development) 6
2.1. रोजगार 6
2.1.1. अनौपचारिक रोजगार और कम-वेतन वाले कार्य 7
2.2. श्रम 9
2.3. कौशल विकास 11
3. संवृद्धि और विकास (Growth and Development) 13
3.1. आर्थिक संकेतक 13
3.1.1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान 13
3.1.2. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 14
3.1.3. घरेलू यानी परिवारों की बचत और ऋण 16
3.1.4. घरेलू उपभोग व्यय 17
3.2. मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 18
3.3. शहरी निर्धनता 20
3.4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 21
3.5. वित्तीय समावेशन 23
3.5.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन 24
3.6. भारत में शहरी नियोजन 26
3.6.1. स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन 27
3.6.2. शहरी अवसंरचना विकास निधि 28
3.7. आवासन 30
3.7.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) 31
3.8. भूमि सुधार 32
3.8.1. भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण 33
4. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) 35
4.1. सरकारी वित्त 35
4.1.1. राज्य वित्त 36
4.2. राजकोषीय घाटा 38
4.3. वस्तु एवं सेवा कर 39
4.4. प्रत्यक्ष कराधान 40
4.4.1. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते 41
4.4.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर 42
4.5. गैर-कर राजस्व 43
4.5.1. विनिवेश 43
4.5.2. सरकारी प्रतिभूतियां 44
4.5.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण 46
4.6. पूंजीगत व्यय 48
4.7. भारत में विनिमय दर प्रबंधन 49
4.8. मौद्रिक नीति 51
4.8.1. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन 52
5. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Banking, Payment Systems and Financial Markets) 54
5.1. बैंकिंग 54
5.1.1. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन 55
5.1.2. बेसल III एंडगेम 56
5.2. परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन 58
5.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, 2016} 59
5.3. भुगतान प्रणाली 61
5.3.1. सीमा-पार भुगतान 62
5.4. पूंजी बाजार 64
5.4.1. सोशल स्टॉक एक्सचेंज 65
5.5. क्रिप्टोकरेंसी 67
5.5.1. क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन 68
6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 70
6.1. निर्यात क्षेत्रक 70
6.2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 72
6.3. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं 73
6.4. वैश्विक आर्थिक डिकप्लिंग 75
6.5. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 77
6.6. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 79
6.6.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा 80
6.6.2. मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता 81
6.6.3. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस 82

6.7. विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण ____ 83
6.8. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ____ 84
7. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) ____ 87
7.1. कृषिगत ऋण ____ 87
7.1.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) ____ 88
7.2. कृषि का मशीनीकरण ____ 90
7.3. कृषि विपणन ____ 92
7.3.1. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली ____ 93
7.4. उर्वरक क्षेत्रक ____ 95
7.5. किसानों को वित्तीय सहायता ____ 96
7.5.1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ____ 97
7.6. संबद्ध क्षेत्रक ____ 99
7.6.1.अंतर्देशीय मात्स्यिकी ____ 100
7.7. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक ____ 102
7.8. कृषि निर्यात ____ 104
7.9. कृषि अनुसंधान ____ 106
7.9.1. कृषि विज्ञान केंद्र ____ 107
7.9.2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ____ 108
7.9.3. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान ____ 109
7.10. कृषि का डिजिटलीकरण ____ 110
8. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (Industry and Industrial Policy) ____ 112
8.1. औद्योगिक नीति ____ 113
8.1.1. भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद ____ 113
8.1.2. भारत में औद्योगिक गलियारा विकास ____ 114
8.2. उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन ____ 116
8.3. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ____ 118
9. सेवा क्षेत्रक (Services) ____ 120
9.1. ई-कॉमर्स क्षेत्रक ____ 120
9.2. दूरसंचार क्षेत्रक ____ 122
9.2.1. भारतनेट ____ 123
9.3. पर्यटन क्षेत्रक ____ 125
9.3.1. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन ____ 126
9.4. बीमा क्षेत्रक ____ 128
9.5. भारत में गेमिंग उद्योग ____ 129
10. अवसंरचना (Infrastructure) ____ 131
10.1. पी.एम. गति शक्ति ____ 131
10.1.1. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक ____ 132
10.2. पब्लिक गुड्स ____ 134
10.3. सड़क मार्ग ____ 136
10.3.1. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ____ 137
10.4. भारतीय रेलवे ____ 138
10.4.1. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना ____ 139
10.4.2. समर्पित माल ढुलाई गलियारा ____ 140
10.5. पत्तन क्षेत्रक ____ 142
10.5.1. मैरीटाइम अमृतकाल विज़न 2047 ____ 143
10.5.2. ब्लू इकोनॉमी 2.0 ____ 144
10.5.3. अंतर्देशीय जलमार्ग ____ 145
10.6. नागरिक उड्डयन ____ 148
11. खनन एवं विद्युत क्षेत्रक (Mining and Energy) ____ 150
11.1. खान और खनिज ____ 150
11.2. कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक ____ 152
11.3. विद्युत क्षेत्रक ____ 154
11.3.1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ____ 155
12. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship) ____ 157
12.1. भारत में नवाचार ____ 157
12.1.1. पेटेंट ____ 158
12.2. भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम ____ 160
12.2.1. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स ____ 161
13. अर्थव्यवस्था- विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2023 (सिलेबस के अनुसार) {Economy Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)} ____ 163
14. परिशिष्ट (Appendix) ____ 174

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

Mains 365 अर्थव्यवस्था: प्रमुख विशेषताएं

संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव: प्रत्येक टॉपिक को संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव रूप से प्रस्तुत करने के लिए, स्पष्ट तरीके से विभिन्न आयामों, मुख्य आंकड़ों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है।

करेंट और स्टेटिक टॉपिक्स का एकीकरण: "टॉपिक: एक नज़र में" वाले सेक्शन में नवीनतम डेटा, उदाहरण और हालिया घटनाक्रमों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स: इन्हें टॉपिक्स को तेजी से रिवाइज करने तथा उन्हें याद रखने में आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वैल्यू एडिशन: "टॉपिक: एक नज़र में" वाले सेक्शन में में विभिन्न आयामों के साथ प्रस्तुत डेटा और उदाहरण अलग-अलग पॉइंट्स को शामिल कर उत्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विगत वर्षों के प्रश्न: बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर विगत वर्षों के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

परिशिष्ट मुख्य आंकड़ों एवं तथ्यों को संक्षेप में समझने हेतु परिशिष्ट को शामिल किया गया है।

वीकली फोकस: प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण (Snapshot of the Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में

प्रमुख आर्थिक संकेतक

राष्ट्रीय GDP
2023-24 में चालू कीमतों पर **293.9 लाख करोड़ रुपये** जबकि वास्तविक GDP (स्थिर मूल्यों पर) 172.90 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

विदेशी व्यापार
भारत ने 2023-24 में **778 बिलियन यू.एस. डॉलर** का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया और 2023-24 में कुल आयात घटकर 853.8 बिलियन यू.एस. डॉलर रह गया।

बेरोजगारी
बेरोजगारी दर 2021-22 में 4.1% थी, जो घटकर **2022-23 में 3.2%** हो गई।

ऋण
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक **ऋण-GDP अनुपात 81.6%** अनुमानित है।

गरीबी
2015-16 में 25% गरीबी थी, जो घटकर 2019-21 में 15% हो गई और इस अवधि के दौरान लगभग 135 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकल गए।

वित्त वर्ष 2023-24 में नॉमिनल GVA में अलग-अलग सेक्टर की हिस्सेदारी

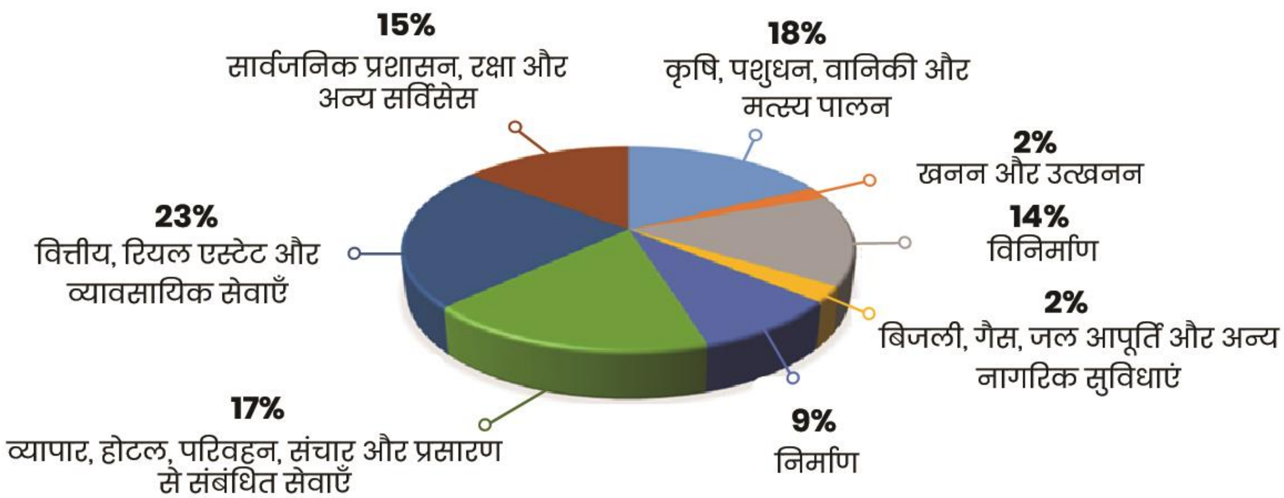

मुख्य लक्ष्य

- **सरकार ने 2047 तक विकसित देश** बनने का लक्ष्य रखा है।
- भारत ने **2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर** और **2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर** की GDP के साथ **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य** रखा है।
- विदेश व्यापार नीति-2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को बढ़ाकर **2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** करना है।
- सरकार का लक्ष्य **प्रति व्यक्ति आय** को लगभग 2,500 डॉलर से बढ़ाकर **4,418 डॉलर** करना है।
- सरकार का लक्ष्य **2025-26 तक राजकोषीय घाटे के स्तर को GDP के 4.5% से नीचे** लाना है।

प्रमुख पहलें

- **पी.एम. गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम** आदि के माध्यम से अवसंरचना का विकास।
- **उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया** आदि के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा।
- **नई विदेश व्यापार नीति-2023,** FTA, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के रूप में जिलों आदि के जरिए निर्यात को बढ़ावा।
- डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए **डिजिटल इंडिया,** जिससे ई-गवर्नेंस में सहायता मिल रही है और डिजिटल साक्षरता का प्रसार भी हो रहा है।
- सरकारी देनदारियों को कम करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए **राजकोषीय समेकन।**
- विभिन्न योजनाओं के माध्यम से **रोजगार सृजन और कौशल विकास।**

प्रमुख बाधाएं

- **भारी मात्रा में ऋण और ब्याज का बोझ** बना हुआ है।
- भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- भू-आर्थिक व्यवधान में वृद्धि और अति-वैश्वीकरण के कमजोर पड़ने से व्यापार एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वैश्विक रोजगार का 40% हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्रक में, जो भारत के लिए विकास का एक चालक है।
- उद्योग के लिए प्रतिभाशाली और उचित रूप से कुशल कार्यबल की कमी।
- अन्य चुनौतियों में डिजिटल विभाजन, अवसंरचना की कमी और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं शामिल हैं।

आगे की राह

- बेहतर रूप से तैयार राजकोषीय नीति सरकार के बढ़े हुए कर्ज और ब्याज के बोझ को कम करेगी।
- अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिए और निजी क्षेत्रक को अवसंरचना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- मुद्रास्फीति के जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता में सुधार करना होगा।
- वैश्विक आघातों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए निर्यात बास्केट में विविधता लानी चाहिए और कमोडिटी संबंधी निर्भरता को कम करना चाहिए।
- कम टैक्स रेट के साथ कर प्रणाली को सुव्यवस्थित, टैरिफ संरचना का गहन मूल्यांकन और उसका युक्तिकरण करना चाहिए।
- विशेषज्ञता और मूल्य संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना होगा।
- विनिर्माण क्षेत्रक पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना।

2. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (Employment, Labour, and Skill Development)

2.1. रोजगार (Employment)

भारत में बेरोजगारी: एक नज़र में

भारत में बेरोजगारी की स्थिति	
कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 3.1% थी (PLFS 2023)। इसमें शहरी बेरोजगारी दर (5.2%) ग्रामीण बेरोजगारी दर (2.4%) थी।	**महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर** 41% थी (PLFS 2023)।
ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **हर तीन बेरोजगार व्यक्तियों में एक युवा शामिल है।**	भारत में **महिलाओं** के लिए **औसत से कम रोजगार अनुपात** है (विश्व बैंक की "साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेजिलिएंस" रिपोर्ट)।

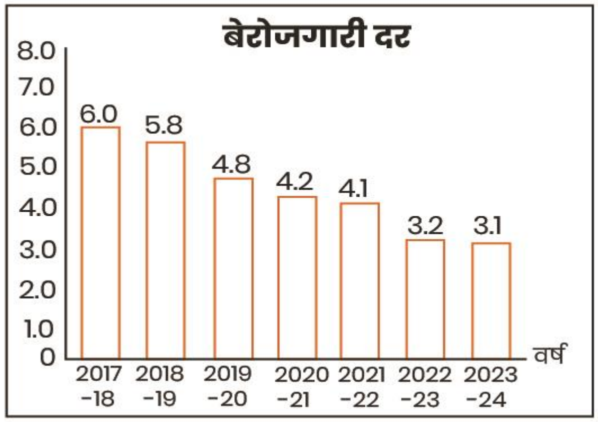

भारत में बेरोजगारी के कारण

- **उच्च जनसंख्या वृद्धि** और **जनसांख्यिकीय लाभांश का उचित उपयोग नहीं** करना।
- ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार, **उच्चतर शिक्षा** में उपलब्धि का स्तर **निम्न** बना हुआ है और शैक्षिक गुणवत्ता भी चिंता का विषय है।
- केवल **4.7% भारतीय कार्यबल** ने ही कोई **औपचारिक कौशल प्रशिक्षण** प्राप्त किया है।
  - **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम** ने अपने एक अध्ययन में पाया कि **29.82 करोड़ कर्मियों को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत कौशल (अपस्किलिंग) विकास की आवश्यकता** है।
- **भारत में विनिर्माण कार्यों में पूंजी की जरूरत बढ़** गई है और इनमें बहुत सारे कार्यों को करने के लिए **ऑटोमेशन** की मदद ली जा रही है। ऑटोमेशन से लागत में कमी आती है तथा दक्षता और संवृद्धि भी बढ़ती है, लेकिन ये **रोजगार भी कम कर रहे हैं।**
- **कुछ उद्योगों में रोजगार की मौसमी प्रकृति:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि (मौसमी रोजगार) और सहायक क्षेत्रकों में लगा हुआ था।
- **कैजुअल और अनौपचारिक श्रम** का प्रतिशत बहुत अधिक (~ 92%) है। ऐसे श्रमिकों का वेतन भी कम है।
  - अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्रक का हिस्सा सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) का 50% से अधिक है।

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में उठाए गए कदम

- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY):** नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** जमानत मुक्त (कोलेटरल फ्री) ऋण के लिए।
  - **राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (RUVP),** पी.एम. स्वनिधि (PM SVANidhi) के लाभार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण।
- **पी.एम. विश्वकर्मा योजना:** कारीगरों और शिल्पकारों को हर स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** इसके तहत नीति व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है।
- **दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)**
- **अन्य महत्वपूर्ण पहलें हैं:** मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और रोजगार मेले का आयोजन, आदि।

आगे की राह

- **रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विकास को अधिक श्रम-केंद्रित बनाना:**
  - कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रकों में उत्पादक रोजगार बढ़ाना देना।
  - MSMEs को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - कृषि उत्पादकता में सुधार करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- **रियों की गुणवत्ता में सुधार करना:**
  - स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश करना।
  - प्रवासियों, महिलाओं और गरीब घरों के श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी शहरी नीति अपनाने की आवश्यकता है।
- **कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना:**
  - **युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार रोजगार योग्य बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए** और इसे **शिक्षा प्रणाली** में शामिल करना चाहिए।
    - सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों में **कौशल प्रशिक्षण में व्यापक असमानताओं** को दूर करने की आवश्यकता है।
- **श्रम बाजार की असमानताओं को समाप्त करना:**
  - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन को खत्म करना।
  - श्रम कानूनों और विनियमों को उदार बनाने से रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर औपचारिक क्षेत्रक में।
- **महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि करना:**
  - पारिश्रमिक सब्सिडी या कर लाभ जैसे मौद्रिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।
  - लड़कों और लड़कियों की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर को कम करना चाहिए।
  - वित्त और अन्य इनपुट्स यानी साधनों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना चाहिए।

2.1.1. अनौपचारिक रोजगार और कम-वेतन वाले कार्य (Informal Employment and Low-Paying Work)

सुर्ख़ियों में क्यों?

OECD द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली सुभेद्यताओं से संबंधित जोखिम का असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- दुनिया की अधिकांश कामकाजी आबादी अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करती है।
- अनौपचारिक क्षेत्रक के श्रमिकों को गरीबी और आजीविका से जुड़े उच्च जोखिमों तथा सामाजिक सुरक्षा जाल के अभाव का सामना करना पड़ता है।
  - इसके चलते अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिक और उनके परिवार विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं।
- जिन घरों में परिवार के सभी सदस्य अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, वहां बच्चों को कार्यस्थल पर अपने माता-पिता द्वारा सामना की जाने वाली सुभेद्यताओं को भी झेलना पड़ता है।
  - **विकासशील देशों में 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 60% बच्चे तथा अफ्रीकी देशों में 80% से अधिक बच्चे पूर्णतः अनौपचारिक श्रम करने वाले परिवारों के हैं।**
- **माता-पिता और परिवार के सदस्यों के बीच आय संबंधी असमानताएं बच्चों के जीवन में प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक असमानताओं को जन्म देती हैं।**
- मिश्रित और पूर्णतः औपचारिक श्रम करने वाले परिवारों की तुलना में अनौपचारिक श्रम करने वाले परिवारों को 'शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण न मिलने का स्तर (**N**ot in **E**ducation, **E**mployment or **T**raining/ **NEET**) अधिक होता है।
  - यहां NEET कोई शिक्षा या पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले बेरोजगार व्यक्ति को संदर्भित करता है।

शुरू से ही बच्चों को सुभेद्य बनाने के लिए जिम्मेदार चार कारक

- **अनौपचारिक रोजगार** से संबंधित प्रत्यक्ष जोखिम
- पूरी तरह से अ**नौपचारिक या मिश्रित श्रम करने वाले परिवारों के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति** औपचारिक श्रम करने वाले परिवार के बच्चों से कम होती है
- **बच्चों की शिक्षा** के लिए कम वित्तीय संसाधन और माता-पिता द्वारा कम समय दे पाना
- स्कूल के बाद **काम पर जाने में लगने वाला अधिक समय**

© Vision IAS

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

- **निचले स्तर के कर्मचारी और उनके बच्चे पर दोहरे बोझ को कम करना**
    - **कौशल विकास पहल:** इसके लिए लक्षित नियोक्ता-प्रायोजित प्रशिक्षण और सार्वजनिक कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।
    - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए सुलभ, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निवेश करना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की समाप्ति के बाद रोजगार मिलना आसान हो सके।
    - **सामाजिक सुरक्षा उपाय:** निचले स्तर पर और अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारियों को गैर-अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए।
    - **कम-वेतन वाली नौकरियों के लिए मान्यता:** कुछ कर्मचारी कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों में काम करेंगे ही। ऐसे में, उनके दोहरे बोझ को कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दोहरे बोझ में निम्न मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, दोनों शामिल हैं।
        - इसे कम करने के लिए अग्रलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: पारिश्रमिक नीतियां, प्रभावी न्यूनतम मजदूरी और वेतन को लेकर सौदेबाजी करने की शक्ति।
- **कुशल कामगार: औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना**
    - **मानक औपचारिकता नीतियां:** अनौपचारिक क्षेत्रक के कुशल कामगारों को मानक औपचारीकरण नीतियों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
    - **पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना:** उच्च स्तरीय अनौपचारिक श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा और कर नियमों के तहत पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए
    - **नियम कानून का पालन:** उच्च स्तरीय कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा और कर नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

2.2. श्रम (Labour)

श्रम कानून सुधार: एक नज़र में

श्रम कानून (Labour laws) वस्तुतः कानूनों, प्रशासनिक फैसलों और पूर्व निर्णयों का ही एक रूप हैं जो कामकाजी लोगों और उनके संगठनों के कानूनी अधिकारों एवं प्रतिबंधों के विनियमन में मदद करते हैं।

भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा पारित **4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन फिलहाल रुका हुआ है।**

4 श्रम संहिता

- वेतन संहिता, 2019
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

भारत के श्रम कानूनों में सुधार और इनके संहिताकरण की आवश्यकता क्यों?

- श्रम कानून प्रकृति में **अत्यधिक जटिल** और अस्पष्ट हैं। **इनकी संख्या भी बहुत अधिक** है।
- मामलों से संबंधित निर्णयों के रेफरल, निपटान और क्रियान्वयन में देरी के कारण **कानूनों का खराब प्रवर्तन।**
- उच्च प्रशासनिक बोझ और सुगम निकासी विकल्प के अभाव के साथ **फर्मों का अवरुद्ध विकास।**
- ये कानून अप्रत्यक्ष रूप से अधिक **पूंजी प्रधान उद्योगों को बढ़ावा** दे रहे हैं।
- एक संस्थान के भीतर **बड़ी संख्या में यूनियन की मौजूदगी** श्रमिकों की **सामूहिक सौदेबाजी संबंधी अधिकारों** को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- श्रमिकों के **अपर्याप्त कवरेज से अन्य सामाजिक मुद्दों (जैसे- गरीबी) को बढ़ावा** मिलता है।

इन मुद्दों पर श्रम संहिताओं के संभावित प्रभाव

- **श्रमिकों और संस्थानों की बहुत सारी श्रेणियों को इसके दायरे के अधीन लाया** गया है।
- राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जैसे प्रावधानों के चलते **यह सभी के लिए समयबद्ध न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है।**
- 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कंपनी बंद करने, छंटनी या कर्मचारी कम करने से पहले सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये विकल्प केवल 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ही उपलब्ध था।
- वेब-आधारित निरीक्षणों तथा कुछ मामलों में अपराधों के शमन द्वारा **श्रम प्रशासन में सुधार** कर सकती है।
- यह ठेकेदारों की जिम्मेदारियों को बढ़ाकर **अनुबंधित मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने** में मदद कर सकती है।
- यह 51% सदस्यता वाले **नेगोशिएशन यूनियंस को मान्यता** दिलाने में मदद कर सकती है।
- **'वन लेबर रिटर्न, वन लाइसेंस और वन रजिस्ट्रेशन'** नीति के साथ उद्यमियों के लिए प्रक्रिया को आसान बना सकती है।

© Vision IAS

नई समेकित संहिता के विरुद्ध मुद्दे और चिंताएं

- **सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी बहुत कम** है। इससे **श्रम के सस्ता होने की प्रक्रिया को बढ़ावा** मिल सकता है।
- कुछ मामलों में **सरकार को अनावश्यक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त** है।
- **कानून के अति-प्रत्यायोजन (Over-delegation)** से कुछ कानूनों की विधायी जांच की उपेक्षा हो सकती है।
- इन संहिताओं से **छूट प्रदान करने की व्यापक विवेकाधिकार शक्ति** केंद्र और राज्य सरकार के पास है।
- गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों की परिभाषाओं में अस्पष्टता।
- सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा जैसी कुछ संहिता सभी श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं।
- अन्य उभरती चुनौतियों जैसे **"क्राउड-वर्क" या "ऑन-डिमांड वर्क"** जैसे नए प्रकार के कार्यबल से निपटना।

आगे की राह

- राष्ट्रीय श्रम आयोग (NCL-2002) ने **लघु स्तर की इकाइयों के लिए एक अलग कानून की सिफारिश** की थी।
- NCL ने सभी श्रम मामलों के लिए एकीकृत न्यायिक प्रणाली के रूप में एक व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस एकीकृत न्यायिक प्रणाली में श्रम अदालतों, लोक अदालतों और श्रम संबंधी आयोगों (LRCs) को शामिल करने की बात की गई थी।
- NCL द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि **असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को ट्रेड यूनियन के निर्माण में सक्षम बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया जा सकता** है।
- श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020) द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए** सुरक्षा संहिता को एक ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ILO (2016) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कुल कार्यबल में स्थायी अवधि और अस्थायी अनुबंधित श्रमिकों के प्रतिबंधित उपयोग से उनके अति-शोषण को रोका जा सकता है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2025: 14 JULY
हिन्दी माध्यम 2025: 14 जुलाई

2.3. कौशल विकास (Skill Development)

कौशल विकास: एक नज़र में

कौशल विकास की स्थिति

- यू.एस.ए. के 52% और साउथ कोरिया के 96% के मुकाबले **भारत में केवल 5% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है।**
- भारत **वर्ष 2018 से वर्ष 2055 तक चलने वाले 37 वर्षीय जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में प्रवेश** कर गया है।
- **भारत कौशल रिपोर्ट, 2023** के अनुसार शिक्षित लोगों की **नियोजनीयता दर 50.3%** है। यह अभी भी कम है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ने नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट** को उजागर किया है।

प्रमुख लक्ष्य

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) के तहत **400 मिलियन** भारतीयों को प्रशिक्षित करना।
- PMKVY के तहत **बाजार की मांग,** उद्योग की आवश्यकता, सेवा व नए युग की रोजगार भूमिकाओं के संबंध में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
- 2021-25 के मध्य स्किल इंपेक्ट बॉण्ड के माध्यम से **50,000 युवाओं** को कौशल प्रदान करना।
- भारत को विश्व की **'कौशल राजधानी'** बनाना।
- भारत के कार्यबल में **औपचारिक रूप से कुशल** श्रमिकों के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर कम-से-कम 15% तक करना।
- लिंग, स्थान, संगठित/ असंगठित आदि के आधार पर मौजूद विभाजन को कम करते हुए **समावेशिता** सुनिश्चित करना।

योजना/ नीतियां/ पहलें

- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) और कौशल भारत मिशन।**
- **पी.एम. कौशल विकास योजना (PMKVY), पी.एम. युवा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आदि।**
  - **प्रोजेक्ट ऑन रिकॉग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL)-** PMKVY का एक घटक।
- **संकल्प (SANKALP) अर्थात् आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता तथा स्ट्राइव (STRIVE) अर्थात् औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण।**
- स्मार्ट (SMART) अर्थात् **कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन पोर्टल।**
- निपुण (NIPUN) अर्थात् 'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल' परियोजना के तहत **निर्माण क्षेत्रक से जुड़े 1,00,000 श्रमिकों का कौशल बढ़ाना।**
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत **कैप्टिव रोजगार** (इन-हाउस प्रशिक्षण और प्लेसमेंट) पद्धति को अपनाना।
- **भारत स्किल्स फोरम** ITI के प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और उद्योग के लिए एक डिजिटल ज्ञान-साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया है।

© Vision IAS

सीमाएं

- **आकलन और प्रमाणन प्रणाली की बहुलता।**
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का **अविकसित और खराब गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा।**
- **कौशल विकास योजनाओं में महिलाओं की सीमित भागीदारी।**
- **छात्रों के लिए उचित करियर से संबंधित मार्गदर्शन का अभाव।**
- **कौशल के बारे में लोगों की सीमित धारणा** और औपचारिक अकादमिक प्रणाली में इसे कम प्राथमिकता देना।
- कौशल और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच **सीमित गतिशीलता।**

आगे की राह

- **उद्योग-अकादमिक साझेदारी** निर्मित करने के लिए एक परिवेश विकसित करना।
- कौशल संबंधी आवश्यकताओं का ठीक से पता लगाना, ताकि क्षेत्रक-वार और भौगोलिक दृष्टि से मांग-संचालित कौशल विकास परिवेश तैयार किया जा सके।
- शिक्षा की **मुख्यधारा में कौशल विकास को शामिल करना।** इसके लिए कौशल को अकादमिक शिक्षा के बराबर और ITIs में प्रवेश लेने हेतु पात्र बनाने वाली एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- **प्रमाणन का मानकीकरण करना।**
- कौशल विकास के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों जैसे CSR, CAMPA, MPLAD निधि, मनरेगा आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्रक** को कौशल विकास कार्यों में भाग लेने के लिए **प्रोत्साहित करना** चाहिए, क्योंकि उनके पास आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता होती है।

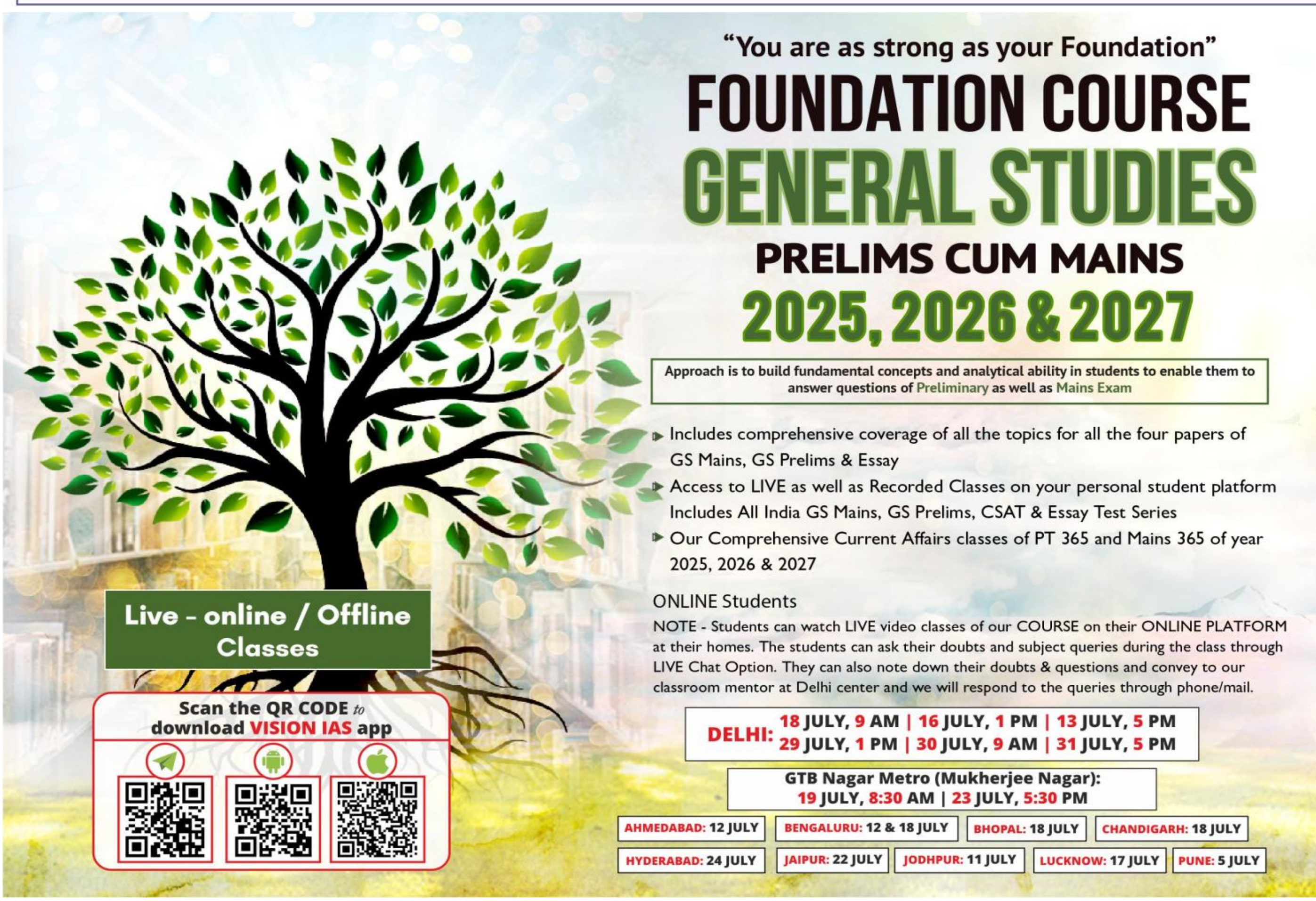

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

3. संवृद्धि और विकास (Growth and Development)

3.1. आर्थिक संकेतक (Economic Indicators)

3.1.1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान {Gross Domestic Product (GDP) Estimation in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने अप्रैल-जून 2023 के GDP डेटा की सटीकता पर चल रहे वाद-विवाद पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अप्रैल-जून 2023-24 के लिए भारत के आधिकारिक GDP आंकड़ों की गणना **आय या उत्पादन** विधि का उपयोग करके की गई है। इसके अनुसार, भारत की वास्तविक **GDP अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत की दर** से बढ़ी है। यह आंकड़ा पिछली चार तिमाहियों में सर्वाधिक है।
  - इसका एक बड़ा कारण **सेवा क्षेत्रक में दोहरे अंक की वृद्धि दर** रही है। गौरतलब है कि **सकल मूल्यवर्धन (GVA)[1] में सेवा क्षेत्रक की हिस्सेदारी 56% है।**
- आलोचकों के अनुसार, GDP के ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं, क्योंकि ये **GDP संवृद्धि दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सटीक रूप से प्रदर्शित** नहीं करते हैं।

GDP की गणना की विधियां

सामान्यतः किसी देश की GDP की गणना निम्नलिखित तीन विधियों से की जाती है:

- **उत्पादन या 'मूल्य-वर्धित' विधि (Production or 'Value-added' Approach):** इस विधि में उत्पादन के **प्रत्येक चरण में हुए "मूल्य-वर्धन" को जोड़ा** जाता है।
- **आय विधि (Income approach):** इस विधि के अंतर्गत **उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय** का मापन किया जाता है।
- **व्यय विधि (Expenditure approach):** इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर **वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय** का मापन किया जाता है।

आदर्श रूप से, **उपर्युक्त तीनों विधियों में संवृद्धि दर समान होनी** चाहिए। हालांकि, **डेटा के संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता** के कारण, इन तीनों विधियों में अक्सर **अंतर** आ जाता है। अंतिम गणना करते समय इस अंतर का ध्यान रखना होता है। यह भिन्नता अक्सर **सांख्यिकीय विसंगति** के कारण होती है।

भारत में GDP गणना की मौजूदा विधियां

- **आय विधि:** भारत सरकार आर्थिक संवृद्धि की गणना के लिए वर्षों से **आय विधि का उपयोग** कर रही है।
- **रियल और नॉमिनल GDP:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)[2] **स्थिर कीमतों** और **चालू कीमतों** के आधार पर प्रत्येक तीन माह में **सकल मूल्य वर्धन (GVA)** की गणना करता है। रियल GDP की गणना के लिए स्थिर कीमतों (आधार वर्ष: 2011-12) और नॉमिनल GDP की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है।

GDP गणना की वर्तमान पद्धति में चुनौतियां

- **डेटा की सटीकता:** GDP की गणना उपलब्ध डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों के पुराने डेटा आर्थिक गतिविधियों की गलत तस्वीर पेश करते हैं।
  - इसके अलावा, भारत में GDP संवृद्धि दर की घोषणा करने का चक्र तीन साल तक चलता है। प्रभावी रूप से, एक वित्तीय वर्ष का **सटीक डेटा तीन साल के अंतराल के बाद** आता है।

[1] Gross Value Added

[2] Ministry of Statistics and Programme Implementation

© Vision IAS

- **असंगठित क्षेत्रक का लेखांकन:** वर्तमान में, GDP गणना पद्धति के अंतर्गत संगठित क्षेत्रक के डेटा का उपयोग असंगठित क्षेत्रक हेतु प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है।
- **GDP गणना करते समय कुछ गतिविधियों को बाहर रखना (Exclusion):** मौजूदा समय में सभी उत्पादक गतिविधियों को GDP में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए- अवैतनिक कार्य (जैसे- घर में या स्वयंसेवकों द्वारा किया गया कार्य) और कालाबाजारी संबंधी गतिविधियां GDP में शामिल नहीं हैं।

विकास (Development) के मापन के लिए GDP एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है?

- **GDP संवृद्धि दर के आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं:** GDP संवृद्धि दर किसी देश के समग्र जीवन स्तर या कल्याण की तस्वीर पेश नहीं करती है। **शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारिवारिक जुड़ाव** सहित **कई प्रमुख कारकों की गणना GDP के जरिए नहीं की जाती** है **क्योंकि इनका आर्थिक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं है।**
- **सामाजिक क्षति का समावेश: सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना:** यदि किसी कारण से सामाज को क्षति पहुँचती है और उससे कोई आर्थिक गतिविधि होती है, तो इसे भी GDP की गणना में शामिल किया जाता है।
    - उदाहरण के लिए- यदि किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत, चिकित्सा बिल और अंतिम संस्कार आदि में आने वाली लागत के कारण 1 अरब रुपये की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो भी GDP की गणना में ऐसी आर्थिक गतिविधियों को सेवा क्षेत्रक को हुए लाभ में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इससे 1 अरब रुपये का कारोबार (अर्थात् बिक्री) होता है।
- **सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल न करना:** इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा-जोखा शामिल नहीं होता है। उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, अवकाश के लिए समय की अवधि, आदि।

आगे की राह

- **समय-समय पर आधार वर्ष को अपडेट करना:** GDP की सटीकता बनाए रखने के लिए आधार वर्ष को नियमित रूप से अपडेट करना जरूरी है। गौरतलब है कि **वर्तमान समय में आधार वर्ष 2011-12** है, जो कि एक दशक से भी अधिक पुराना हो चुका है।
- **दोहरी अपस्फीति (Double deflation):** GDP की गणना में **दोहरी अपस्फीति** को शामिल करने के लिए उचित कदम उठाया जा सकता है। दोहरी अपस्फीति में प्रासंगिक आउटपुट और इनपुट संबंधी मूल्य सूचकांकों का इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट के लिए मुद्रास्फीति की अलग-अलग गणना की जाती है।
- **सटीक व ठोस डेटा:** समय पर डेटा संग्रह, भंडारण और प्रॉसेसिंग, विशेष रूप से बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों की मदद से **GDP के अनुमान की सटीकता** बढ़ सकती है।
- **उत्पादक गतिविधियों का मापन:** किसी अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक गतिविधियों को GDP आंकड़ों में शामिल किया जा सकता है। इन गतिविधियों में सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन, जैसे- स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक घरेलू कार्य आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

3.1.2. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में **निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की धीमी संवृद्धि** भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **GFCF (यानी निवेश) का विकास:**
    - **भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक,** देश में निवेश GDP के **10% के आसपास** रहा है।
    - यह निवेश 1980 के दशक के GDP के **लगभग 10% से बढ़कर 2007-08 में लगभग 27%** हो गया।
    - हालांकि, **2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई** और यह **2020-21** में GDP के **19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया।**
    - हालांकि, **कुल निवेश मात्रा के मामले में,** भारतीय अर्थव्यवस्था में **GFCF** 2014-15 के 32.78 लाख करोड़ रुपए (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) से बढ़कर **2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान)** हो गया।

- **निजी GFCF में गिरावट के कारण:**
  - ऐतिहासिक रूप से, भारत में, **अधिक उपभोग व्यय के कारण निजी निवेश कम** रहा है।
  - **सरकारी नीति निवेश अनुकूल नहीं होने** और **नीति निर्माण के स्तर पर अनिश्चितता के कारण भी** निजी निवेश कम रहा है। इसका एक उदाहरण है: समय-समय पर कर कानूनों से जुड़े विवादों का उत्पन्न होना।
    - पिछले **दो दशकों में सुधारों की गति** के मंद रहने के कारण भी **निजी निवेश** में गिरावट दर्ज की गई है।

पूंजी निर्माण (CF) और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

- **पूंजी निर्माण (Capital Formation: CF):** संयंत्रों, उपकरण, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया को **पूंजी निर्माण** कहा जाता है।
- **सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF):** यह किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को कहा जाता है। इसमें शामिल हैं-
  - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** भूमि के मूल्य या उपयोग में वृद्धि; संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद; सड़कों का निर्माण; आदि।
  - **कच्चे माल, अर्द्ध-तैयार और तैयार उत्पाद के स्टॉक (CIS) में परिवर्तन:** उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक।
  - **कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी:** जैसे- सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि।

GFCF एक महत्वपूर्ण आर्थिक चर (वेरिएबल) क्यों है?

- **संवृद्धि का गुणक (Growth Multiplier): GFCF और GDP धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित** हैं। GFCF में वृद्धि से GDP में भी वृद्धि होती है।
- **उत्पादकता और जीवन स्तर को बढ़ावा देता है:** GFCF श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करता है, उत्पादन को बढ़ावा देता है और जीवन स्तर में सुधार करता है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है:** GFCF में संवृद्धि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देती है। इससे लंबी अवधि में उत्पादन के साथ-साथ अनुसंधान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **बाजार के विश्वास का संकेतक:** GFCF को भविष्य की **व्यावसायिक गतिविधि, व्यावसायिक विश्वास** और **भविष्य के आर्थिक संवृद्धि पैटर्न** का एक सार्थक संकेतक माना जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **निजी GFCF किसी अर्थव्यवस्था** में निजी क्षेत्रक द्वारा **निवेश करने की इच्छा का एक सामान्य संकेतक** हो सकता है।
- **समग्र उत्पादन को दर्शाता है: GFCF समग्र आर्थिक उत्पादन** का अनुमान लगाने के लिए **एक संकेतक** के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता वास्तव में बाजार में क्या खरीद सकते हैं।

GFCF की संवृद्धि को बाधित करने वाले कारक

- **सुधारों की धीमी गति:** विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण में सुधारों की धीमी गति ने निवेशकों को अर्थव्यवस्था में निवेश करने से हतोत्साहित किया है।
- **भारतीय बैंकों और कई बड़ी कंपनियों की वित्तीय समस्याएं:** इस समस्या की वजह से बाजार में उपलब्ध पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से स्थिर हो जाती है और इस पूंजी का नई परियोजनाओं में फिर से निवेश नहीं हो पाता है।
- **उच्च ब्याज दर पर उधार मिलने की वजह से ऋण की लागत बढ़ जाती है** जिससे ऋण लेन-देन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।
  - ऋण लेने की उच्च लागत से आशय है उच्च ब्याज दरों पर उधार मिलना, जो आगे उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित होती है।

निष्कर्ष

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में निवेश की बड़ी भूमिका होगी। सतत पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, मुद्रास्फीति जैसे अन्य व्यापक आर्थिक कारकों में स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक सुधारों को लागू करना आवश्यक है।

3.1.3. घरेलू यानी परिवारों की बचत और ऋण (Household Savings and Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि **वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता के दृष्टिकोण से घरेलू यानी परिवारों द्वारा लिए गए ऋण पर सूक्ष्म निगरानी** की आवश्यकता है।

घरेलू (हाउसहोल्ड) बचत और ऋण क्या हैं?

- भारत में घरेलू बचत (HS)[3] के **दो मुख्य भाग** होते हैं- निवल वित्तीय बचत (NFS)[4] और भौतिक बचत (PS)[5]।
- **HS-NFS** की गणना सकल वित्तीय बचत (GFS)[6] से वित्तीय देनदारियों (वार्षिक उधार) को घटाने के बाद की जाती है।
    - GFS में मुद्रा, जमा-राशि (बैंक और गैर-बैंक), बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधि, शेयर और डिबेंचर, लघु बचत, आदि शामिल होते हैं।
- **HH-PS** में मुख्य रूप से आवासीय अचल संपत्ति (लगभग दो-तिहाई हिस्सा) और मशीनरी एवं उपकरण शामिल होते हैं।

हाउसहोल्ड बचत और ऋण की स्थिति

- **सकल बचत:** भारत की सकल बचत दर 2022-23 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (GNDI)[7] का 29.7% रही। इसमें परिवार **प्राथमिक बचतकर्ता** थे और कुल बचत में उनका हिस्सा **60.9%** था।
- **बचत घटक:** भौतिक परिसंपत्तियों में **बचत** एक मुख्य एवं बढ़ता हुआ घटक रहा है।
    - परिवार अपनी वित्तीय बचत में विविधता ला रहे हैं तथा गैर-बैंकिंग एवं पूंजी बाजारों में अधिक निवेश कर रहे हैं।
- **निवल वित्तीय बचत:** 2013-22 के दौरान NFS औसत रूप से **8%** था, जो घटकर **2022-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 5.3% हो गया।**
    - NFS में यह गिरावट वित्तीय देनदारियों में तेजी से वृद्धि के कारण हुई, जो 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% से बढ़कर 2022-23 में 5.8% हो गई।
- **परिवार द्वारा ऋण:** भारत में परिवारों द्वारा लिए गए ऋण का बोझ सकल घरेलू उत्पाद के 40.1% के बराबर है। हालांकि, यह प्रतिशत अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
    - हालांकि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में यह प्रतिशत तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- **ऋण-GDP अनुपात:** भारत का हाउसहोल्ड ऋण-GDP अनुपात दुनिया में सबसे कम है। लगभग 6.7% रहा है। मार्च, 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात (DSR)[8] भी 6.7% होने का अनुमान है, जो अपेक्षाकृत कम है।

हाउसहोल्ड बचत का महत्त्व

- **परिवार स्थायी पूंजीगत निर्माण के सबसे बड़े चालक हैं,** जो सकल राष्ट्रीय बचत में 60% से अधिक का योगदान देते हैं।
- घरेलू निवेश का 40% से अधिक हिस्सा परिवारों द्वारा वित्त-पोषित किया जाता है, जिसमें से अधिकांश निवेश अचल सम्पत्ति में किया जाता है।
- यह राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण के प्रमुख साधनों में से एक है।
- इससे आर्थिक संवृद्धि के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो जाती है।

अधिक या उच्च हाउसहोल्ड ऋण के निहितार्थ

- **कम प्रयोज्य आय** के कारण घरेलू क्रय शक्ति में कमी आती है, जिससे उपभोग संबंधी मांग प्रभावित होती है।
- परिवार पर ऋण के उच्च बोझ का स्तर वित्तीय सुभेद्यता तथा भविष्य में मंदी का कारण बन सकता है।

---

[3] Household Savings

[4] Net Financial Savings

[5] Physical Savings

[6] Gross Financial Savings

[7] Gross National Disposable Income

[8] Debt Service Ratio

- यदि किसी परिवार की आय में अचानक कमी आ जाती है, तो वह अपने ऋण का भुगतान करने में चूक कर सकता है। इसके अलावा, यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो परिवारों के लिए अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान करना अधिक कठिन हो जाता है। **हाउसहोल्ड ऋण** से जुड़े इस तरह के जोखिम से मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- परिवार या हाउसहोल्ड को अधिक ऋण देने के चलते खराब ऋण स्तर वाले बैंकों के पास उत्पादक उद्देश्यों के लिए उधार देने के लिए कम धन बचता है।

आगे राह

- आर्थिक संवृद्धि के प्रभाव को समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से वितरित करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- ऐसी नीतियों को लागू करना जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दें, वास्तविक आय में वृद्धि करें और समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करें।
- बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके बचत को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए।
- परिवारों को शिक्षित करना और विवेकपूर्ण तरीके से ऋण लेने की पद्धति को बढ़ावा देना।
- सरकार बेहतर राजकोषीय नीति लागू करके उधार संबंधी अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकती है, जिससे समग्र ब्याज दरें कम हो सकती हैं।

3.1.4. घरेलू उपभोग व्यय (Household Consumption Expenditure: HCES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद **HCES 2022-23** जारी किया है। इससे पहले, उपभोग व्यय सर्वेक्षण **2011-12** में जारी किया गया था।

HCES 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समग्र रुझान (Trend):** औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय **(MPCE)**[9] में **1999-2000 से बढ़ोतरी** जारी है।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये** और **शहरी भारत में 6,459 रुपये** है।
  - **अमीर-गरीब विभाजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5% सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे गरीब 5% व्यक्ति की तुलना में क्रमशः लगभग 8 गुना (ग्रामीण) और 10 गुना (शहरी) अधिक खर्च करते हैं।
- **कृषक परिवारों का MPCE: कृषक परिवारों का उपभोग व्यय** 3,702 रुपये है। ऐसा पहली बार है जब कृषक परिवारों का उपभोग व्यय**,** ग्रामीण औसत (3,773 रुपये) से कम हुआ है।
  - हालांकि, कृषक परिवारों के **MPCE और समग्र ग्रामीण परिवारों के औसत उपभोग व्यय के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों से कम** हो रहा है।
- **वंचित वर्गों के बीच उपभोग व्यय:** ग्रामीण क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजातियों (STs)** का **MPCE सबसे कम है।** ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सबसे कम MPCE **अनुसूचित जातियों (SCs)** का है। इन दोनों वंचित समुदायों का MPCE **ग्रामीण औसत से कम है।**
  - शहरी क्षेत्रों में, **अनुसूचित जातियों** का MPCE सबसे कम है। इसके बाद **अनुसूचित जनजातियों** और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) का स्थान है। शहरी क्षेत्रों में इन तीनों वर्गों का MPCE, शहरी औसत MPCE से कम है।
- **खाद्य पर व्यय:** वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण से शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के परिवारों का **खाद्य पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम** हो रहा है जबकि **गैर-खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय का हिस्सा बढ़ता जा रहा** है।
  - साथ ही, परिवार अब **अनाज और दालों की बजाय उच्च मूल्य वाले व पशु आहार एवं बागवानी उत्पादों पर अधिक खर्च कर रहे हैं।**

HCES 2022-23 की उपयोगिता:

- ये डेटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी स्तर और उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जैसे कई **महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- HCES में **अब 405 मदें शामिल हैं, जबकि 2011-12 में यह संख्या 347** थी। इसमें से कुछ अप्रचलित मदें हटा दी गई हैं।

[9] Monthly Per Capita Consumption Expenditure

© Vision IAS

3.2. मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 {Human Development Report (HDR) 2023-2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम **(UNDP)**[10] ने **मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024** जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड[11]"।**

मानव विकास सूचकांक (HDI) के बारे में

- **HDI क्या है:** यह मानव विकास के लिए एक सांख्यिकीय माप विधि है। इसका उपयोग मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों (Basic dimensions) में किसी देश की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। **ये मूलभूत आयाम हैं:**
  - दीर्घायु और स्वस्थ जीवन (Long and healthy life),
  - ज्ञान (Knowledge), तथा
  - सम्मानजनक जीवन स्तर (Decent standard of living)।
- **महत्त्व:** इसका उपयोग देश की सरकारें अपनी अलग-अलग नीतियों को प्राथमिकता देने में कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए- यदि दो देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)[12] लगभग समान है, तो HDI यह बताने में मदद कर सकता है कि किन वजहों से मानव विकास के मानकों पर उनके प्रदर्शन अलग-अलग हैं।
- **HDI की कमियां: HDI मानव विकास के केवल कुछ पहलुओं के बारे में** ही बताता है। यह **असमानता, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तीकरण जैसे विषयों को शामिल नहीं करता** है।

HDR 2023-2024 में भारत की स्थिति

- **HDI:** भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया। वहीं 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
- **HDI स्कोर:** भारत का स्कोर 2021 के 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया।
  - **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** 2021 के 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई।
  - **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष:** 2021 के 11.9 वर्ष से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए।
  - **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** यह 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गए हैं।
  - **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय:** 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो 6,542 डॉलर से बढ़कर 6,951 डॉलर हो गई।
- **श्रेणी:** भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है।
- **पड़ोसी देशों के साथ तुलना:** भारत की रैंकिंग चीन (75), श्रीलंका (78), मालदीव (87), भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे है।
  - भारत की रैंकिंग म्यांमार (144), नेपाल (146), पाकिस्तान (164) और अफगानिस्तान (182) से बेहतर है।

HDR 2023-2024 में वैश्विक स्थिति

- **मानव विकास सूचकांक (HDI):** वर्ष 2022 में कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई। इनमें **स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर** है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः **नॉर्वे** एवं **आइसलैंड** हैं।
  - **आर्थिक संकेंद्रण:** वस्तुओं के वैश्विक व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से पर तीन या उससे कम देशों का वर्चस्व है।
- **मानव विकास में बढ़ती असमानता:** अमीर और गरीब देशों के बीच **असमानताओं को लगातार कम करने में हुई प्रगति रुक गई है** और **यह असमानता बढ़ने लगी** है।

---

[10] United Nations Development Programme

[11] Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarised world

[12] Gross National Income

- **लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति में वृद्धि:** इस विरोधाभास के साथ-साथ शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों में भागीदारी की कमी से **राजनीतिक ध्रुवीकरण व अंतर्मुखी नीतियों को बढ़ावा** मिला है।
  - लोकतांत्रिक विरोधाभास (Democracy Paradox) का अर्थ है कि **देश की आबादी लोकतंत्र के बारे में सकारात्मक विचार रखती है लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेताओं का समर्थन** करती है।

मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक

सूचकांक	भारत का प्रदर्शन
लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index: GII)	2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 2022 में **108वें स्थान पर** पहुंच गया, जबकि 2021 में **122वें स्थान** पर था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)	**2021 में** भारत में **230 मिलियन से अधिक** लोग **बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे** थे।
लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index: GDI)	भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच HDI संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है। **HDI उपलब्धियों के मामले पुरुष, महिलाओं से 10 प्रतिशत बेहतर स्थिति में हैं।**
असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index: IHDI)	IDHI में **भारत की रैंकिंग 140वीं है। रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट** दर्ज की गई है।
ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary pressures- adjusted Human Development Index: PHDI)	**भारत 127वें स्थान पर है। भारत के PHDI और** HDI स्कोर में **3 प्रतिशत का अंतर है।**

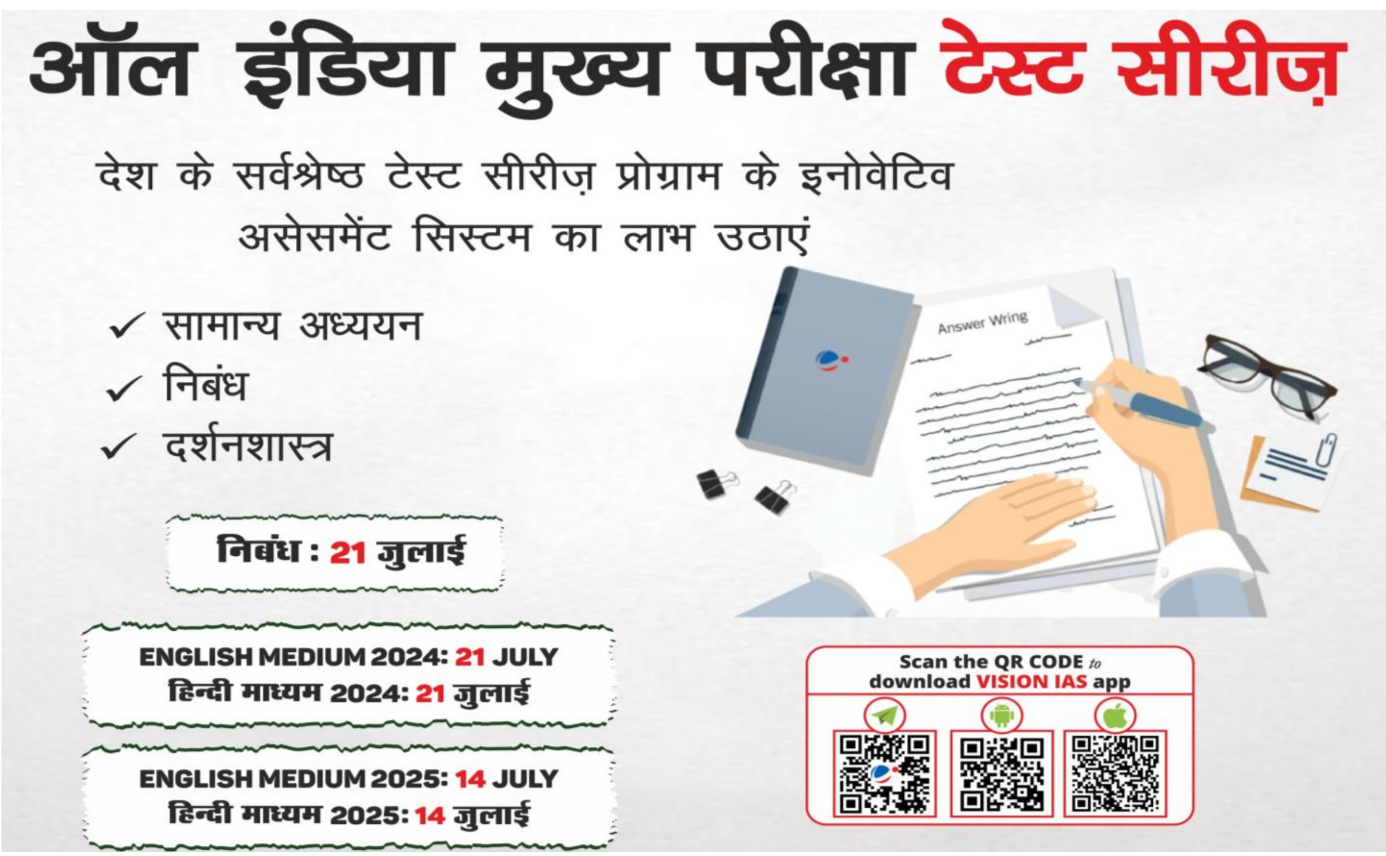

3.3. शहरी निर्धनता (Urban Poverty)

शहरी निर्धनता: एक नज़र में

शहरी निर्धनता विशेष रूप से बड़े-बड़े शहरों में दिखाई देने वाली निर्धनता का एक रूप है। इसके लक्षणों में निम्न आय और रहने की खराब परिस्थितियां; आवश्यक नागरिक सुविधाओं की कमी; जीवन की खराब गुणवत्ता आदि शामिल हैं। इस संदर्भ में सरकार के लक्ष्य हैं:

- समाज के सभी वर्गों को किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए **शहरों का संधारणीय विकास करना।**
- समावेशी विकास के लिए निर्धनता को कम करने हेतु **शहरी निर्धनों को सशक्त बनाना** और उच्च आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करना।
- शहरी विकास से संबंधित मुख्य मुद्दों को हल करते हुए **स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करना।**

वर्तमान स्थिति

- आर्थिक गतिविधि के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बड़े शहरी क्षेत्र **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65% का** योगदान करते हैं।
- **अधिकांश शहरी निर्धन लोग स्वच्छता और आवश्यक अवसंरचना के साथ-साथ किफायती आवास से भी वंचित हैं।**
- **17% शहरी** परिवार (संख्या में 13.75 मिलियन) **मलिन बस्तियों** में रहते हैं {पूर्व आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (जिसे अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम से जाना जाता है) के अनुसार}।
- अमीर और गरीब के बीच **बढ़ती असमानता; वंचित समुदाय अमानवीय दशाओं में रहने के लिए विवश है** जिससे अपराधों में वृद्धि हो रही है।
- **प्रवासी विरोधी भावनाओं में वृद्धि हो रही है,** इससे स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने की मांग को बढ़ावा मिल रहा है।
- पारिवारिक आय में कमी के कारण **बढ़ता आर्थिक संकट और हताशा की स्थिति।**

उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):** इसका उद्देश्य लाभकारी स्वरोजगार और कौशल रोजगार के माध्यम से निर्धनता और सुभेद्यता को कम करना है।
- **प्रधान मंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (PM-SURAJ) पोर्टल:** हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन:** इसका उद्देश्य **स्मार्ट, नागरिक अनुकूल और संधारणीय शहरों का विकास** करना है।
- **अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत):** इसका उद्देश्य परिवारों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करना और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी):** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है।
- **जल जीवन मिशन (शहरी)** और **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** का उद्देश्य क्रमशः सार्वभौमिक पेयजल आपूर्ति एवं सार्वभौमिक स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना है।

मौजूद चुनौतियां

- **निरंतर प्रवास संबंधी दबाव के साथ शहरी पुल फैक्टर** और **ग्रामीण पुश फैक्टर** के कारण वर्ष 2030 तक शहरी आबादी 590 मिलियन से अधिक हो जाएगी।
- **विनिर्माण क्षेत्रक से संबंधित अवसर का पर्याप्त लाभ न उठाने और कौशल संबंधी अवसंरचना की कमी के कारण अवसरों एवं औपचारिक कौशल की कमी की स्थिति।**
- बाजार बंद होने, कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों आदि जैसे महामारी प्रेरित व्यवधानों के साथ **उच्च शहरी मुद्रास्फीति की स्थिति।**
- **निम्न महिला श्रम बल भागीदारी।**
- शहरी स्थानीय निकायों को **शक्तियों, कार्यों और वित्त का सीमित हस्तांतरण।**

आगे की राह

- आर्थिक और सामाजिक नियोजन को अधिक स्थानीयकृत बनाने के लिए **स्थानीय नेतृत्व (जैसे- मेयर) का सशक्तीकरण करना।**
- **अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना,** जिनके कारण आर्थिक अवसरों में कमी आती है, उत्पादकता में गिरावट होती है तथा बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है।
- **कृषि का आधुनिकीकरण करना** और शहरों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए **ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण करना।**
- **बेहतर वित्त पोषण और पेशेवर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी अवसंरचना के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देना।**
- निर्धनता के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए **SHGs और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।**
- **शहरों के लिए नए एजेंडे निर्धारित करना:** शहरीकरण प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से संस्कृति के समावेश के साथ शहरों का पुन: मानवीकरण करना एवं जन-केंद्रित समाज बनाना।

3.4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। DBT के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

DBT के बारे में

- **उद्देश्य:** केंद्र सरकार द्वारा **लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर-फेर की गुंजाइश को समाप्त** करना।
- **शुरुआत:** इसे 2013 में देश के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे 2014 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था।
- **DBT को सक्षम बनाने वाले घटक:**
    - **JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी:** JAM त्रयी की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई है, लक्षित लोगों तक योजना का लाभ पहुंचने लगा है। साथ ही, इससे नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है।
    - **बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) इंफ्रास्ट्रक्चर:** बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर, उनके घर पर ही और पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए।
    - **भुगतान बैंक:** इसके चलते देश के दूर-दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है।
    - **मोबाइल मनी:** पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर **कैशलेस लेन-देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित** करना।

DBT का प्रभाव

- **शीघ्र धन अंतरण:** DBT ने धोखाधड़ी की संभावना को कम करते हुए सुरक्षित रूप से धन और सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया है। साथ ही, सरकार से लाभार्थी को **धन हस्तांतरित करने की लागत** भी कम हो गई है।
    - उल्लेखनीय है कि DBT की सहायता से **पी.एम. आवास योजना** और **LPG पहल योजना** जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिली है।
    - इसने सरकारी अधिकारियों सहित बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
    - लाभार्थी फंड्स पाने के लिए अपने आधार से लिंक बैंक खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सब्सिडी के दोहराव से बचने में मदद मिली है।
- **वित्तीय समावेशन:** इसने लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है।

© Vision IAS

- **बेहतर निगरानी:** सरकार योजनाओं से जुड़े नागरिकों और लाभार्थियों दोनों की एक साथ **निगरानी करने** तथा उन तक पहुंचने में सक्षम बनी है।
- **सशक्त नागरिक:** DBT ने लोगों को सरकार की अन्य ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

DBT के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **लाभार्थियों की पहचान:** उदाहरण के लिए- कथित तौर पर पी.एम.-किसान (PM-KISAN) निधि के तहत पात्रता संबंधी जटिल मानदंडों के कारण, अपात्र लाभार्थियों को भी करोड़ों की धनराशि वितरित कर दी गई थी।
    - पहचान और नामांकन के बाद डेटाबेस प्रबंधन की भी चुनौती है।
- **अनुपालन और परिचालन संबंधी मुद्दे:** आधार से संबंधित त्रुटियां (जैसे कि फिंगरप्रिंट मिसमैच), फील्ड स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों का अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि लेन-देन में विफलता का कारण बनते हैं।
- **कम वित्तीय समावेशन:** अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, अनुसूचित जनजातियों आदि की बैंक खातों तक कम पहुंच होती है, जिसके कारण DBT का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता है।
- **डिजिटल विभाजन और निरक्षरता:** सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों में से केवल 2.7 प्रतिशत के पास कंप्यूटर तक पहुंच और 8.9 प्रतिशत के पास इंटरनेट सुविधाएं हैं **(ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट "भारत असमानता रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड")।**
- **अन्य:** उन लाभार्थियों के लिए **शिकायत निवारण तंत्र** प्रभावी तरीके से कार्य नहीं करता है, जो DBT, डेटा सुरक्षा, निजता के उल्लंघन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।

आगे की राह

- **शिकायत निवारण तंत्र:** प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा एक समुचित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उसका समन्वय करना चाहिए।
- **बेहतर समन्वय और सहभागिता:** सभी हितधारकों, जैसे- मंत्रालय, जिसने योजना शुरू की है; नोडल बैंक और NPCI[13] प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है।
- **महिला एजेंट्स को बढ़ावा देना:** महिला लाभार्थियों तक पहुंच में सुधार के लिए क्षेत्र में महिला एजेंट्स की संख्या बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- भारतनेट (ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित) **जैसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल को बढ़ावा** देना चाहिए।

[13] National Payments Corporation of India/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

3.5. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

वित्तीय समावेशन: एक नज़र में

भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति

- 2020 में प्रति 1 लाख वयस्क आबादी पर **14.7 बैंक शाखाएं थीं।** यह अनुपात जर्मनी, चीन और साउथ अफ्रीका से अधिक है।
- **भारत में 50 करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** खाते हैं। इनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- RBI के **वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक के अनुसार, सभी सेगमेंट्स में वित्तीय समावेशन में वृद्धि** देखने को मिली है।
- हाशिए पर स्थित **50% आबादी के पास संपत्ति का केवल 2% और** आय का मात्र 8% है **(विश्व आसमानता रिपोर्ट, 2022)।**

विज़न

- **वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच:** वहनीय, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों (जहां बैंक की सेवाएं नहीं हैं वहां के लिए बैंकिंग) हेतु।
- वर्तमान में वित्त तक सुलभ पहुंच से वंचित वर्गों के लिए वहनीय लागत पर **ऋण तक बेहतर पहुंच** उपलब्ध कराना।
- **वित्तीय संधारणीयता को बनाए रखना।** ऐसा वित्तीय साक्षरता, नवीन वित्तीय उत्पादों आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाकर किया जा सकता है।
- वित्तीय प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका, रोज़गार अवसरों को बढ़ाकर **महिला सशक्तीकरण।**
- डिजिटल समाधानों, संस्थानों के मध्य प्रभावी समन्वय और उपभोक्ता संरक्षण के लिए **उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग।**

योजनाएं/पहलें

- **वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन,** जिसे **प्रधान मंत्री जनधन योजना** के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना** (PMSBY), **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY)** के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
- **RBI ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024** जारी की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक वयस्क के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- NPCI, UPI और RuPay कार्ड के माध्यम से **डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना।**
- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से गांवों में **बैंकिंग पहुंच प्रदान** करना।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम** के माध्यम से रोजगार और स्टार्टअप्स की सहायता करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों और नियमित गतिविधियों के माध्यम से **वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं** को संचालित करना।

बाधाएं

- निम्न आय वाले परिवारों तथा लघु अनौपचारिक व्यवसायों में **वित्तीय साक्षरता का अभाव।**
- **पारंपरिक बैंकिंग की उच्च संचालन लागत** तथा डिजिटल मॉडल में धोखाधड़ी व अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति।
- उत्पादों व बाज़ार प्रवेश पर **अत्यधिक विनियमन आवश्यकताएं।** साथ ही, नई प्रौद्योगिकियों के प्रति पारंपरिक विनियमित दृष्टिकोण।
- **विस्तृत अनौपचारिक क्षेत्रक की उपस्थिति** तथा नकदी में लेन-देन का बड़े पैमाने पर प्रचलन।

© Vision IAS

आगे की राह

- नियमित स्कूल पाठ्यक्रमों तथा जनसंचार अभियानों में **व्यापक वित्तीय साक्षरता का समावेश** करके नई योजना की शुरुआत करना।
- ऋण, वित्तीय कौशल और उद्यम विकास के माध्यम **वित्तीय सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित** करना।
- परिवारों और अनौपचारिक व्यवसायों के लिए **ऋण योग्यता मूल्यांकन में सुधार** हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- बेहतर प्रोत्साहन से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। साथ ही, अल्पसेवित क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए **भुगतान बैंकों और अन्य मंचों का लाभ उठाना।**
- **साइबर सुरक्षा तंत्र और डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना।**

3.5.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion in Emerging Technologies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ट्राई (TRAI)**[14] ने **"उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन[15]"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन का महत्त्व

- **डिजिटल प्रौद्योगिकियां लोगों के लिए रोजगार के अवसर** प्रदान करती हैं। ये अवसर विशेष रूप से डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रकों में उपलब्ध हैं।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की **फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट-2023** के अनुसार, डेटा विश्लेषकों और वैज्ञानिकों की मांग में 30-35% की वृद्धि होने की संभावना है।
- **डिजिटल समावेशन और ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षा की लागत में कमी** आ सकती है। साथ ही, यह डिजिटल विभाजन को भी कम कर सकती है।
- यह **पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों के बीच मौजूद अंतराल को समाप्त करता** है।
  - इसकी सहायता से दिव्यांग और महिला श्रमिक **अंशकालिक या कम-कुशल रोजगार** से जुड़ी बाधाओं को पार करने में सक्षम बन सकते हैं।

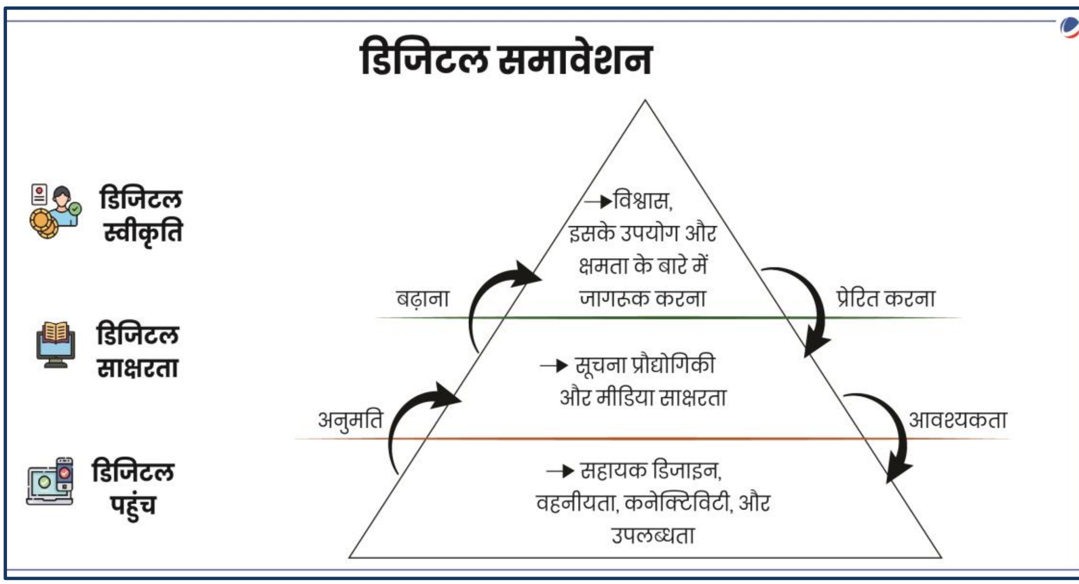

- **स्वास्थ्य देखभाल:** डिजिटल समावेशन स्वास्थ्य देखभाल की **पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार** कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए- महामारी के दौरान **ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म** की सहायता से दस लाख लोगों को **टेली-परामर्श** सेवाएं प्रदान की गई। यह चिकित्सा क्षेत्रक में डिजिटल समावेशन के महत्त्व को रेखांकित करता है।

[14] Telecom Regulatory Authority of India/ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

[15] Digital Inclusion in the Era of Emerging Technologies

- **MSME:** उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रॉसेस ऑटोमेशन आदि को आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर MSMEs की विशिष्ट समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन प्राप्त करने से जुड़ी चुनौतियां

- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में भी तेजी से बदलाव** होता है। साथ ही, उन्हें **अपनाने और उपयोग करने की लागत काफी अधिक** है। यह विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों और वंचित क्षेत्रों में **डिजिटल विभाजन को बढ़ा** सकती है।
  - 2021 में, 49% भारतीय वयस्क पुरुषों की तुलना में केवल 26% महिलाओं के पास स्मार्टफोन थे। इससे लैंगिक असमानता का पता चलता है।
- मोबाइल टावरों के **फाइबराइजेशन की कमी** के कारण इंटरनेट एक्सेस की गुणवत्ता में बाधा आती है। फाइबराइजेशन वस्तुतः ऑप्टिकल फाइबर केबल की सहायता से रेडियो टावरों को एक-दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है।
- भारत में 2022 में, **इंटरनेट युक्त** सबसे सस्ते **स्मार्टफोन की कीमत लोगों की औसत मासिक आय के 35.91 प्रतिशत** के बराबर थी।
- **सीमित डिजिटल साक्षरता:** यह विकसित और विकासशील दोनों बाजारों में डिजिटल समावेशन के लिए एक प्रमुख बाधा है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन के संबंध में की गई पहलें

- **डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए:**
  - **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USFO):** इसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत स्थापित किया गया था। यह सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में **विश्वसनीय एवं सबके लिए सुलभ दूरसंचार नेटवर्क तक किफायती पहुंच** के लिए सहायता प्रदान करता है।
  - **भारतनेट परियोजना:** इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य **देश के सभी ग्राम पंचायतों और गांवों** को ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करके **हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना** है।
  - **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** इसका विज़न निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
    - प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य यूटिलिटी के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे- हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना।
    - मांग आधारित शासन एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    - नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण (डिजिटल साक्षरता) करना।
- **डिजिटल सेवाओं की वहनीयता के लिए:**
  - **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019:** यह स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के **घरेलू विनिर्माण** तथा **निर्यात** को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - **डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs), चिपसेट आदि के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और उसके इस्तेमाल के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ डिजाइन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है।
- **डिजिटल साक्षरता के लिए:**
  - **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान:** इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के **6 करोड़ लोगों** (14-60 वर्ष की आयु) को **प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाना** है।
  - **डिजिटल कौशल कार्यक्रम:** यह **उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 1 करोड़ छात्रों** को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार सहायता देने पर केंद्रित है। इसके लिए उन्हें कौशल, पुनर्कौशल और कौशल अपग्रेडेशन की सुविधा दी जा रही है।

आगे की राह

- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और समाज के सभी वर्गों तक किफायती पहुंच पर भी ध्यान केंद्रित करना** आवश्यक होगा, उदाहरण के लिए- USA का अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम।
- **हाई-स्पीड इंटरनेट संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए** सार्वजनिक और निजी वित्त-पोषण महत्वपूर्ण है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड तक पहुंच में 10 प्रतिशत की वृद्धि से विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की GDP दर में क्रमशः 1.21% और 1.38% की वृद्धि होगी।
- **कर छूट:** इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग को हतोत्साहित करने वाले कुछ विशिष्ट करों (जैसे- आयात शुल्क) और शुल्कों को कम करना आवश्यक है।

© Vision IAS

- **हितधारकों का सहयोग:** सरकार, दूरसंचार उद्योग, बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर-सरकारी संगठनों को नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए। साथ ही, ऐसी रणनीति विकसित करनी चाहिए, जिससे व्यवसाय **डिजिटल समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को सुगमता** से अपना सकें।
  - उदाहरण के लिए- **स्मार्ट नेशन सिंगापुर प्रोग्राम।** इसके तहत डिजिटल सरकार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल समाज **स्मार्ट सिंगापुर के तीन स्तंभों** के रूप में कार्य करेंगे।

3.6. भारत में शहरी नियोजन (Urban Planning in India)

भारत में शहरी योजना: एक नज़र में

शहरी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के केंद्रीय और सुसंगत विचार को विकसित करना है। एक दृष्टिकोण के रूप में यह किसी शहर के सभी आयामों पर विचार करती है, जैसे- आर्थिक विकास, जनसंख्या विविधता और परस्पर सामाजिक क्रिया।

शहर के स्तर पर (सिटी मास्टर प्लान, स्थानीय क्षेत्र के स्तर का नियोजन तथा इमारतों के स्तर पर पहलें इत्यादि)।	**क्षेत्रीय स्तर** (जिला/ महानगरीय विकास योजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र योजनाएं आदि)।	**राष्ट्रीय/राज्य स्तर** (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई दीर्घकालिक योजनाएं)।

शहरी योजना का वर्तमान ढांचा

- **सरकारों की भूमिका:** 7वीं अनुसूची के तहत शहरी नियोजन की शक्ति राज्यों के हाथ में है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार 'परामर्शकारी' भूमिका अदा करती है तथा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- **वैधानिक ढांचा:**
  - **राज्य स्तर पर:** स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, नगर निगम अधिनियम आदि
  - **क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर:** उदाहरण के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957
  - **भूमि, आवासन, अवसंरचना, पर्यावरण आदि से संबंधित अधिनियम:** उदाहरण के लिए- पंजीकरण अधिनियम, 1908, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1968 आदि
- **संस्थागत ढांचा**
  - **संविधान द्वारा निर्मित संस्थान (74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992):** शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और मेट्रोपॉलिटन/ जिला योजना समितियां।
  - **अन्य संस्थाएं:** राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, अर्ध-सरकारी एजेंसियां/ निकाय, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।

भविष्य के शहरी स्थानों के विकास में शहरी योजना की भूमिका

- शहरी आबादी में तीव्र और अनियोजित वृद्धि को समायोजित करना और मलिन बस्तियों, यातायात की भीड़ जैसी **समस्याओं का सामना करना।** भारत में **वर्तमान में 35%** शहरी आबादी मौजूद है, जिसके **2047 तक 53% तक पहुँचने** की उम्मीद है।
- शहरी केंद्रों के वितरण और शहरीकरण की गति के संदर्भ में **अंतर्राज्यीय असमानताओं में कमी लाना।**
- **आपदा के प्रति लचीले शहरों का निर्माण करना।**
- भारत की **आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना और रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने** के लिए प्रभावी शहरी योजना ज़रूरी है। शहरों में **उत्सर्जन को नियंत्रित करके अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ना।
- **भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:** SDG 11, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का नया शहरी एजेंडा और पेरिस
- जलवायु समझौता।

भारत की शहरी-योजना क्षमता में मौजूद समस्याएं

- **संस्थागत मुद्दे:** प्राधिकारियों की बहुलता; प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव, नगरपालिका निकायों के शासन में समस्याएं।
- **योजना प्रक्रिया में समस्याएं:** सहभागितापूर्ण निर्णय निर्माण का अभाव; शहरों और स्थानीय मास्टर प्लान्स की कमी; निजी क्षेत्रक की सीमित सहभागिता, शहरी योजना और शहरी भूमि आंकड़ों में ताल-मेल का अभाव।
- **शहरी भूमि के उपयोग को लेकर समस्याएं:** 'शहरी' क्षेत्रों की पहचान न होना; शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग न होना तथा विकास विनियमों के अवांछित प्रभाव।
- **शहरी नियोजन में लगे मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे:** पर्याप्त संख्या में और तकनीकी रूप से योग्य योजनाकारों की कमी; विशेषज्ञ पेशेवरों की कमी।

आगे की राह: भविष्य के शहरों का निर्माण

- **मौजूदा मास्टर प्लान की तैयारियों में हस्तक्षेप:** दीर्घकालिक प्लानिंग करना, शहरों का परस्पर संबंधित, बेस मैप तैयार करना; शहर के सभी प्रासंगिक उप केंद्रों का मानचित्र तैयार करना तथा स्पष्ट दायित्वों के साथ विशेष प्रस्तावों का विकास और समावेशन करना।
- **मानव संसाधन प्रबंधन:** नियमित क्षमता निर्माण कार्यों में संलग्न होना, टाउन प्लानर्स के रिक्त पदों को जल्दी भरकर शहरी योजना निर्माताओं की कमी को समाप्त करना; टाउन प्लानर्स की नौकरी के विवरणों का मानकीकरण करना आदि।
- **कार्यकारी और विधायी सुधार:** विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्ट आवंटन; टाउन प्लानर्स और अन्य विशेषज्ञों की नौकरियों का विवरण; योजना विनियमों को अपनाना तथा शहर के आर्थिक वृद्धि संचालकों के अनुसार उप-नियम बनाना आदि।
- अनुकूलन बढ़ाने के लिए शहरों का **हेजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट (HRVA)** आयोजित करना।
- **भागीदारी का विस्तार:** 'नागरिक आउटरीच अभियान' आयोजित करना; निजी क्षेत्रक की भूमिका को बढ़ाना।

3.6.1. स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन {Smart Cities Mission (SCM): An Evaluation}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन[16]"** शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट में रेखांकित प्रगति के मुख्य बिंदु

- **वित्तीय प्रगति:** केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2023 तक अपने प्रस्तावित हिस्से में से 86% जारी कर दिया था।
  - **केवल 28 शहरों को राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों से अपने हिस्से का 100% धन प्राप्त हुआ** है।
- **वित्त-पोषण के अतिरिक्त स्रोत:** परियोजना में शामिल **लगभग आधे शहर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत कोई परियोजना शुरू नहीं** कर सकें हैं, वहीं केवल **छह शहर स्मार्ट शहर परियोजनाओं के लिए ऋण के माध्यम से धन जुटाने** में सफल रहे हैं।
- **भौतिक प्रगति:** दिसंबर, 2023 तक स्मार्ट शहरों द्वारा शुरू की गई 7,970 परियोजनाओं में से 6,419 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं।
  - 57 शहरों में कार्य की प्रगति का स्तर 80% से 100% तक है। **मदुरै एकमात्र स्मार्ट शहर** है जिसने **अपनी 100% परियोजनाएं पूरी कर ली** है।

स्मार्ट सिटी मिशन को प्रभावित करने वाली समस्याएं और चुनौतियां

- **परियोजनाओं में बार-बार बदलाव:** शहरों ने शुरुआत में लगभग 5,151 परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनाई थी। हालांकि, आरंभिक योजना में संशोधन और बदलाव के कारण परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 7,970 हो गई हैं।
- **वित्तीय प्रगति का अभाव:** धन अंतरण की गति धीमी रही है क्योंकि कुछ शहरों को उनके लिए निर्धारित फंड के 50% से भी कम राशि प्राप्त हुई है।
- **प्रगति के स्तर पर शहरों के बीच असमानता:** सबसे कम रैंकिंग वाले **20 शहरों की लगभग 47% परियोजनाएं क्रियान्वयन यानी वर्क आर्डर चरण में** ही हैं।
- **क्रॉस-लर्निंग का अभाव:** क्रॉस-लर्निंग के लिए कई प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जैसे कि **सिस्टर सिटीज की अवधारणा।** हालांकि, इनका उपयोग उनकी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं किया गया है।

[16] Smart Cities Mission: An Evaluation

  - उदाहरण के लिए- चेन्नई शहर ने चीन के शहर चोंगकिंग के साथ एक सिस्टर सिटी समझौता किया है।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्पष्ट गवर्निंग संरचना का अभाव:** स्पेशल पर्पज व्हीकल के **मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बार-बार स्थानांतरण** तथा विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश व निश्चित कार्यकाल के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण परियोजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है।
  - कर्मचारियों, क्षमताओं, क्रियान्वयन क्षमताओं और निगरानी तंत्र के अभाव के कारण **अलग-अलग स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का प्रदर्शन खराब रहा** है।
- **अवसंरचना संबंधी जोखिम:** गौरतबल है कि हाल ही में कई भारतीय शहरों में अनेक दुखद घटनाएं घटित हुईं-
  - **मुंबई बिलबोर्ड का ढहना:** मुंबई में अचानक आए तूफान के दौरान एक विशाल बिलबोर्ड ढह गया।
  - **गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में आग:** इसकी जांच में प्रमोटर्स द्वारा कई गंभीर गलतियां सामने आईं, जैसे कि गेम जोन में प्रवेश और निकास, दोनों के लिए एकल एवं संकीर्ण मार्ग था; अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी; अग्निशमन विभागों द्वारा निष्क्रियता, आदि।
  - **तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में अवैध शराब से जुड़ी त्रासदी:** देश भर में अवैध शराब से जुड़ी त्रासदियों को रोकने में स्थानीय प्रशासन की असमर्थता अब एक स्थापित तथ्य है।

सिफारिशें/ आगे की राह

- **ग्रीनफील्ड शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान:** MoHUA को योजना निर्माण का नेतृत्व करना चाहिए तथा स्मार्ट सिटी के मूल तत्वों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विशेषज्ञता प्रदान करनी चाहिए।
- **रचनात्मक पुनर्विकास:** नवीन तंत्रों के उपयोग के माध्यम से शहरी पुनरुद्धार (किसी भवन को नए उपयोग के लिए पुनः तैयार करना) की संधारणीय प्रक्रिया अपनाना।
- **समावेशी डिजाइन और संवेदनशीलता:** सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं को डिजाइन करने, लागू करने एवं देख-रेख करने वालों को दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए।
- मंत्रालय को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई अलग-अलग परियोजनाओं का **थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराना चाहिए** और उसके बाद मिशन के अगले चरण को शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
  - अगले चरण में, राजधानी शहरों और पर्यटन स्थल वाले शहरों से 50 से 100 किलोमीटर के बीच स्थित और पहले से कवर नहीं किए गए **टियर 2 वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**
- **संपूर्ण शहर के लिए परियोजनाएं बनाना:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन को पूरे शहर की परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें शहर का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में **प्रौद्योगिकी-आधारित सॉल्यूशन्स को अपनाने एवं उन्हें लागू करने पर** जोर देना चाहिए।
  - वर्तमान में, **पूरे शहर को कवर करने वाली परियोजनाएं 76 स्मार्ट शहरों में कुल परियोजनाओं का 50 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं हैं।**
- **शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना:** छोटे शहरों में **शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने** तथा **नवाचारी वित्त-पोषण तंत्र** (जैसे- म्युनिसिपल बॉण्ड, पूल्ड फाइनेंस तंत्र आदि) का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
- इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट (ISCAC) जैसे **इंसेंटिव्स/ प्रोत्साहन** प्रदान करना।

3.6.2. शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund: UIDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने 10,000 करोड़ के परिव्यय से **शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF)** का संचालन शुरू कर दिया है।

शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के बारे में

- **उद्देश्य:** अवसंरचना के निर्माण के लिए **वित्त-पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके** राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को आगे बढ़ाना।
  - ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) की तर्ज पर स्थापित।
- **कवरेज (जनगणना 2011 के अनुसार शहरों की जनसंख्या):**
  - **459 टियर 2 शहर** (जनसंख्या 1 लाख से 9,99,999 के बीच)
  - **580 टियर 3 शहर** (जनसंख्या 50,000 से 99,999 के बीच)
- **अनुमति प्राप्त गतिविधियां: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** के मिशनों एवं कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
  - **सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता** जैसी बुनियादी सेवाओं तथा **प्रभाव-उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता** दी जाएगी।

टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए UIDF की आवश्यकता/ प्रासंगिकता

- टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास से महानगरों में होने वाले पलायन पर रोक लगेगी।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत की 40% शहरी आबादी** टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहती है। इसके बहुत तेज गति से बढ़ने का अनुमान है।
- अधिकांश टियर 2 और 3 शहरों की निधियों तक पहुंच का अभाव है।
- इन शहरों की नगरपालिका प्राधिकरणों में अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन और प्रबंधन करने की क्षमता का अभाव है।
- अन्य मुद्दे- जैसे कि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कठिनाइयां तथा शहरी नियोजन का खराब या अपर्याप्त स्तर।

निष्कर्ष

UIDF भारत में शहरीकरण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए, सभी हितधारकों को इसके कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

3.7. आवासन (Housing)

आवासन: एक नज़र में

भारत में आवासन की वर्तमान स्थिति

- **जून, 2024** में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास** उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई।
- PMAY (U) के तहत करीब 1 **करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 75 लाख घर बन चुके हैं।**
- जून, 2024 तक PMAY (R) के तहत **करीब 2 करोड़ घरों** को मंजूरी दी गई है और **2.62 करोड़ घर बन कर तैयार हो चुके हैं।**
- **लगभग 4.12 लाख ऐसे घर (NCR में 44%)** हैं, जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पूरा नहीं हो रहे हैं।

मुख्य उद्देश्य

- **11 मिलियन शहरी और 20 मिलियन ग्रामीण आवासों** का निर्माण करके **'सभी के लिए आवास'** के लक्ष्य को हासिल करना।
- प्रत्येक परिवार के पास **एक पक्का घर होना चाहिए। ये घर पानी के कनेक्शन, शौचालय और 24x7 बिजली** की सुविधाओं से युक्त होंगे। इसके साथ ही, **भौतिक और सामाजिक अवसंरचना** तक भी पहुंच होगी।
- **झुग्गी वासियों और शहरी गरीबों की आवासीय ज़रूरतों** को पूरा करना।
- शहरी प्रवासी/ गरीबों के लिए **ईज ऑफ़ लिविंग।**

नीति/ योजनाएं/ पहलें

- ऋण सब्सिडी, झुग्गियों के पुनर्विकास, किफायती आवास आदि के लिए **प्रधान मंत्री आवास योजना।** ईज ऑफ़ लिविंग के लिए **किफायती किराया आवास परिसर** (ARHCs)।
- **किफायती आवास क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा तथा किफायती किराया निधि (AHF) और प्राथमिक क्षेत्रक ऋण (PSL) के तहत परियोजना के वित्त-पोषण में रियायत।**
- नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC- India)।**
- **निर्माण कर्मियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए DAY-NULM** के तहत **'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास** को बढ़ावा देने हेतु **राष्ट्रीय पहल' (निपुण/NIPUN)।**

बाधाएं

- **औपचारिक** वित्तीय संस्थानों से **वित्तपोषण** तक पहुंच का अभाव।
- म्युनिसिपल न्यायिक क्षेत्र के तहत शहरी क्षेत्रों के बड़े हिस्सों में लंबी अवधि तक चलने वाली बहु-स्तरीय **अनुमोदन प्रणाली।**
- शहरी क्षेत्रों की किफायती आवास योजनाओं में **निजी क्षेत्रक की सीमित भागीदारी। पारंपरिक निर्माण पद्धतियों का अत्यधिक उपयोग** होता है, जिसमें पहले से तैयार या निर्मित सामग्री का सीमित उपयोग होता है। इससे पूरी प्रक्रिया में देरी होती है।
- किफायती आवासन परियोजना के लिए **लैंड बैंक्स** तक सीमित पहुंच।
- **प्रशिक्षित निर्माण राज मिस्त्रियों** का अभाव।

आगे की राह

- **वित्त-पोषण: किफायती आवासन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **संस्थागत वित्त और वैकल्पिक वित्तपोषण** तक पहुंच में सुधार करना। निजी क्षेत्रक की सहभागिता को इनोवेटिव मॉडल्स (उदाहरण के लिए, स्विस चैलेंज) द्वारा प्रोत्साहित करना।
  - **अफोर्डेबल और मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) फंड** के लिए विशेष विंडो का उपयोग करके **रुकी हुई परियोजनाओं का वित्त-पोषण करना।**
- **नीति/नियम:** आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाना। उदाहरण के लिए, **RERA के तहत पंजीकरण को अनिवार्य बनाना।**
- **मानव संसाधन:** ULBs की क्षमता का निर्माण; कौशल विकास और रोजगार पारितंत्र को आवासन क्षेत्रक के साथ जोड़ना।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** संधारणीय, पर्यावरण अनुकूल और आपदा रोधी घरों का निर्माण करने के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना। अन्य क्षेत्रकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना। (उदाहरण के लिए, स्टील और सीमेंट)

3.7.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Urban)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि PMAY(U) के तहत बनने वाले घरों को तब तक पूरा हुआ नहीं माना जाए, जब तक उनमें बुनियादी सुविधाएं (जैसे- शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली और रसोई) उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

"प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी" से जुड़ी चिंताएं/ समस्याएं

- **आवास निर्माण में देरी:** उदाहरण के लिए- मेघालय में 4,554 घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, जुलाई 2024 तक केवल 1,631 घर ही पूरे होने की संभावना है।
- **बनाए गए घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** दिसंबर, 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते लगभग 5.62 लाख आवास इसके लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके।
- **वित्त की कमी:** मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.2 लाख रुपये प्रति आवास तथा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1.3 लाख रुपये प्रति आवास की वित्तीय सहायता दी जाती है। **नया घर बनाने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं** है।
- **इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) घटक के तहत कम संख्या में घरों के निर्माण को मंजूरी** दी गई। 14.35 लाख घरों की मांग की तुलना में केवल 4.33 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी।
- **भ्रष्टाचार:** मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में **धन की अनियमितता, लाभार्थियों के चयन में भ्रष्टाचार,** घरों के निर्माण के लिए खराब गुणवत्ता वाली ईंटों और अन्य निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं।

आगे की राह

- **आउटपुट के बजाय आउटकम पर ध्यान केंद्रित करना:** इस तरह की व्यवस्था **"साझेदारी में किफायती आवास" (AHP)**[17] परियोजनाओं के तहत निर्मित आवासों को **जल्दी से सौंपने के मामले में भी** करने की आवश्यकता है।
- **निगरानी:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को PMAY-शहरी के तहत परियोजनाओं की देखरेख, समीक्षा और निगरानी के लिए शहरी विकास पर **जिला स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति (District Level Advisory and Monitoring Committee: DLAMC) गठित करने का निर्देश** दिया गया है।
- **सोशल ऑडिट:** निधि जारी करने और परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए PMAY-U के तहत लंबित/ चालू परियोजनाओं का जल्द-से-जल्द सोशल ऑडिट करने की आवश्यकता है।
- **गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना:** सरकार को एक **थर्ड-पार्टी गुणवत्ता मूल्यांकन टीम** का गठन करना चाहिए। यह टीम:
  - AHP एवं ISSR घटकों के तहत बनाए गए घरों की गुणवत्ता की परीक्षा करेगी,

[17] Affordable Housing in Partnership

© Vision IAS

- जिन लाभार्थियों के लिए आवास बनाए जाने हैं उनकी पहचान आवास निर्माण से पहले की जानी चाहिए।
    - परियोजना की शुरुआत से ही **लाभार्थियों को हितधारकों के रूप में शामिल करना चाहिए** और उनके किसी सुझाव का स्वागत किया जाना चाहिए तथा योजना का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे लाभार्थियों की शिकायत का पहले ही समाधान हो जाएगा।

3.8. भूमि सुधार (Land Reforms)

भूमि सुधार: एक नज़र में

- 2010-11 में **कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर** था।
- **भूमि का 10% से अधिक हिस्सा गैर-कृषि उपयोग** में है।
- **कुल भौगोलिक क्षेत्र** के **25% हिस्से** पर वन हैं।

मुख्य उद्देश्य

- **लैंड लीजिंग** को सरल और वैधानिक बनाना।
- किसानों के **छोटे प्लॉट्स को एकत्रित करना,** ताकि दक्षता और समता को बढ़ाया जा सके।
- एक **डिजिटल और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली** का निर्माण करना, जो सभी राज्यों में सुलभ हो।
- **वन भूमि के प्रबंधन** में दक्षता बढ़ाना।
- **अपशिष्ट और बंजर भूमि** को उपयोगी बनाना।
- **संपत्ति अधिकारों,** खासकर वन भूमि पर समुदायों के अधिकारों को मजबूत बनाना।

बाधाएं

- **प्रतिबंधात्मक कृषि किरायेदारी कानूनों** (Agricultural Tenancy Laws) के कारण कई समस्याएं आती हैं, जैसे- पट्टे की शर्तें तथा अनौपचारिक किराएदारी की बहुलता।
- **भूमि का छोटा आकार** 'इकोनॉमी ऑफ स्केल' को हतोत्साहित करते हैं।
- खराब उत्पादकता और वन **भूमि के क्षेत्रफल में कमी** आना।
- **कनक्लूसिव टाइटलिंग और रिकॉर्ड्स का अभाव।**

योजनाएं

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme)
- SVAMITVA (सर्वे ऑफ विलेजेज़ एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम)

आगे की राह

- राज्य **'मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, 2016'** पर विचार कर सकते हैं।
- **भूमि संग्रहीकरण** के माध्यम से भूमि के छोटे प्लॉट्स को एकत्रित करना, **ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।**
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) आदि को लागू करके **वन भूमि के प्रबंधन के संबंध में प्रभाविता को बढ़ाना।**
- **भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों का आधुनिकीकरण** और उन्हें अपडेट करना।
- **अपशिष्ट भूमि के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को आरंभ** करना।
- शहरी विकास के वित्त-पोषण के लिए **भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग।**

3.8.1. भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण (Land Record Modernization)

भारत में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण: एक नज़र में

भारत में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति

- भारत में लगभग **95.09% गांवों में भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) के डिजिटलीकरण का कार्य** पूरा कर लिया गया है।
- **70% भू-संपत्ति मानचित्रों (Cadastral maps) के डिजिटलीकरण** का कार्य पूरा हो चुका है।
- 2010-11 में **कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर** था।
- **भूमि का <10% हिस्सा गैर-कृषि उपयोगों** के लिए है।

भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों?

- मौजूदा प्रकल्पित भू-स्वामित्व (Presumptive Titles) प्रणाली की बजाए **निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली को अपनाना** (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स)।
- इससे भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली में **पारदर्शिता** बढ़ेगी तथा **भूमि से संबंधित विवाद की संभावना में भी कमी** आएगी।
- इससे **पंजीकरण और रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स के लिए भूमि अभिलेखों के मानकीकरण** में मदद मिलेगी।
- इससे दस्तावेज पंजीकरण संबंधी **प्रक्रिया और उसमें लगने वाले समय में कमी** आएगी।
- ऋण सुविधा के लिए ई-लिंकेज के रूप में स्पष्ट भूमि अधिकार **संस्थागत ऋण आदि तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।**

योजनाएं/ पहलें

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):**
  - **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) या भू आधार (DILRMP के अधीन इसे 26 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है)**
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS):** इसे 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।
- **'स्वामित्व' अर्थात् गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas: SVAMITVA) योजना।**
  - **भू-नक्शा:** यह डिजिटल भू-संपत्ति मानचित्रण के लिए एक साधन है।
- **सर्वोत्तम प्रथाएं:**
  - कर्नाटक का **भूमि-कावेरी (BHOOMI – KAVERI) कार्यक्रम** तथा आंध्र प्रदेश की **मी सेवा (Mee-Seva)।**
  - नीति आयोग द्वारा भूमि अभिलेख प्रबंधन हेतु **ब्लॉकचेन प्रणाली (प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट)** का उपयोग इत्यादि।

बाधाएं

- डिजिटल रिकॉर्ड को पुराने दस्तावेजों से प्राप्त अविश्वसनीय या खराब डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। इन
- दस्तावेजों में शामिल गांवों का कभी सर्वेक्षण नहीं किया जाता और इनसे संबंधित सही नक्शों का भी अभाव होता है। इसके अलावा, आधुनिक तकनीकों पर आधारित कोई हालिया सर्वेक्षण कार्य भी नहीं किया गया है।
- **विभिन्न राज्यों के बीच डेटा मानकीकरण का अभाव।**
- भू-राजस्व, भूमि का सर्वेक्षण और पंजीकरण, भूमि की देख-रेख आदि से संबंधित कार्य करने वाली अलग-अलग नोडल एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों के डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से **व्यक्तिगत डेटा की चोरी और साइबर हमलों के खतरे की संभावना** बनी रहती है।
- डिजिटल भूमि रिकॉर्ड में दुर्भावनापूर्ण हेर-फेर संबंधी कोई भी मामला सिस्टम के प्रति भू-स्वामियों के विश्वास को कम कर सकता है।

आगे की राह

- **सरकारी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उपयुक्त कौशल प्रदान** किया जाना चाहिए।
- भूमि अभिलेख डेटा को सुरक्षित तरीके से भंडारित करने और भू-स्वामियों का विश्वास बनाए रखने के लिए **उचित सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया और लागू किया जाना चाहिए।**
- नक्शों और भूमि अभिलेखों पर भूमि का सही विवरण दर्ज करने के लिए नई तकनीकों, जैसे- ब्लॉकचेन, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आदि का उपयोग करके **भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण करना चाहिए।**
- राज्य स्तर पर समर्पित डेटा सेंटर, हाई स्पीड प्रोसेसर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आदि की स्थापना करके **राज्यों की क्षमता का निर्माण करना चाहिए।**
- भूमि पंजीकरण से संबंधित डिजिटल प्रक्रियाओं और एप्लीकेशन्स के संबंध में **जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए।**
- भूमि अभिलेख तैयार करने, उनका रख-रखाव करने और उन्हें अपडेट करने के लिए **एक-समान मानकों का निर्माण** करना चाहिए।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

निबंध : 21 जुलाई

ENGLISH MEDIUM 2024: 21 JULY
हिन्दी माध्यम 2024: 21 जुलाई

ENGLISH MEDIUM 2025: 14 JULY
हिन्दी माध्यम 2025: 14 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

4. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

4.1. सरकारी वित्त (Government Financing)

सरकारी वित्त: एक नज़र में

भारत में सरकारी वित्त की वर्तमान स्थिति

वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.6%	**वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात 81.6%**
मार्च, 2023 के अंत में राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 27.5%	नियंत्रण से बाहर होने वाले कर्ज से बचने के लिए **वित्त वर्ष 2025 तक 60% ऋण-GDP अनुपात (केंद्र सरकार का 40% और राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 20%)**

बजट 2023-2024 की सप्तऋषि नामक 7 प्राथमिकताएं

- वित्तीय क्षेत्रक
- समावेशी विकास
- अंतिम छोर तक पहुंचना
- अवसंरचना एवं निवेश
- क्षमता का दोहन करना
- हरित संवृद्धि
- युवा शक्ति

मुख्य उद्देश्य

- **स्थिर और संधारणीय विकास को बढ़ावा** देने के लिए उपयुक्त **राजकोषीय नीति** का उपयोग करना।
- देश में **पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली** सुनिश्चित करना।
- समय के साथ **देश के ऋणों का अधिक न्यायसंगत और प्रबंधन-योग्य वितरण करना।**
- लंबे समय में **भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता का लक्ष्य रखना और वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को GDP के 4.5% से नीचे लाना।**

योजनाएं/ पहलें

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003;** 2019 में संशोधन।
- राज्यों द्वारा अपनाया गया **राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (Fiscal Responsibility Legislation: FRL)।**
- **राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)** का गठन।
- RBI द्वारा राज्यों और संघ के लिए अर्थोपाय अग्रिम (WMA) की व्यवस्था में विनियामकीय बदलाव लाकर इसका प्रबंधन।

सीमाएं

- वित्तीय संसाधनों के वितरण में **लंबवत असंतुलन** (केंद्र और राज्यों के बीच) और **क्षैतिज असंतुलन** (राज्यों के भीतर)।
- **कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनावों ने उच्च मुद्रास्फीति एवं सब्सिडी के बोझ** को बढ़ा दिया है।
- **निम्न कर-GDP अनुपात** FRBM के उद्देश्य को विफल करता है।
- **विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार, लीकेज और नि:शुल्क रसद आदि** का मुद्दा।
- महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण **राज्य के राजस्व में कमी।**

 © Vision IAS

आगे की राह

- **निजी निवेशकों** तथा बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण के लिए समर्पित संस्थानों **द्वारा वित्त-पोषण।**
- FRBM अधिनियम के अनुसार **राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों का अनुपालन।**
- आउटकम-आधारित बजटिंग, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से **वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना।**
- राज्य और नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि के लिए **वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण।**
- डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके **सार्वजनिक वित्त को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना। इसका उद्देश्य** सार्वजनिक वित्त की प्रशासनिक लागत को कम करना होना चाहिए।
- आर्थिक विकास के साथ राजस्व संग्रह को संतुलित करने के लिए **कर प्रणाली में सुधार करना।**
- **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** को अपनाना और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- सरकारी व्यय को अधिक इष्टतम बनाने के लिए GST परिषद की तर्ज पर एक व्यय परिषद (Expenditure Council) बनाई जा सकती है।

4.1.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **'राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन[18]'** शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम है **'भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता[19]'।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन (Prudent Fiscal Management): 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)** की तुलना में राज्यों के **'सकल राजकोषीय घाटा' अनुपात[20] में गिरावट** आई है। यह अनुपात **2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8%** हो गया। इस गिरावट की मुख्य वजहें हैं- राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व संग्रह में वृद्धि।
- **पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि (Increased Capital Outlay):** बजटीय अनुमान के अनुसार, 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में **42.6% की वृद्धि** होगी। यह GDP के 2.9 प्रतिशत के बराबर है।
- **राज्यों की कुल बकाया देनदारियां (ऋण, ब्याज भुगतान) (States' Total Outstanding Liabilities):** राज्यों का **ऋण-GDP अनुपात** मार्च 2023 के अंत तक **कम होकर 27.5%** रह गया। **मार्च 2021 के अंत में यह 31%** था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इस कमी में मुख्य भूमिका निभाई है।
- **निवल बाजार उधारी (Net Market Borrowings):** निवल बाजार उधारी पर राज्यों की निर्भरता पहले काफी बढ़ गई थी। यह 2019-20 में GFD[21] का 90 प्रतिशत थी जो घटकर 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार **GFD का 76%** रह गई है।
  - केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि किए जाने से **राज्यों की निवल बाजार उधारी पर निर्भरता में कमी** आयी है।
- **प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure):** इसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं। इसके **GDP के 4.5%** पर रहने का अनुमान है।

राज्य-वित्त से संबंधित चिंताएं

- **गैर-कर राजस्व संग्रह का कम होना:** भारत में पिछले 10 वर्षों से GDP की तुलना में **गैर-कर राजस्व संग्रह का अनुपात** लगभग 1 प्रतिशत रहा है। **सिंगापुर, मिस्र, ईरान जैसे देशों** में यह अनुपात 10% या उससे अधिक है।
- **विकास संबंधी व्यय में कमी**: शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, शहरी विकास, कृषि व संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन में कमी की गई है।

[18] State Finances: A Study of Budget of 2023-24

[19] Revenue Dynamics and Fiscal Capacity of Indian States

[20] GFD-GDP ratio

[21] Gross Fiscal Deficit/ सकल राजकोषीय घाटा

- **पुरानी पेंशन योजना (OPS):** रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कई राज्य सरकारें मौजूदा NPS[22] को छोड़कर OPS को फिर से अपना रही हैं। इससे राज्यों पर **वित्तीय बोझ बढ़ेगा** तथा विकास को बढ़ावा देने वाले **पूंजीगत व्यय करने की उनकी क्षमता में कमी** आएगी।
    - यदि सभी राज्य सरकारें NPS को छोड़कर OPS को अपनाती हैं तो उन सबका सामूहिक **राजकोषीय बोझ NPS के मुकाबले 4.5 गुना** तक बढ़ सकता है।
- **बजटेतर उधार का बढ़ना:**
    - बजटेतर (Off-Budget) उधार से आशय **उन उधारियों से है, जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है,** भले ही **उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग** किया जाता हो।

सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे कारण

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार** करना।
- संविधान के **अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना।**
    - इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण हैं जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- **केंद्रीय अनुदान में देरी** या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से **बचना।**
- **बजटेतर उधार के तरीके:** राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस्ड (गारंटी प्राप्त) बॉण्ड, घरेलू/ विदेशी बाजार से उधार लेना आदि।

राज्य वित्त में सुधार हेतु सुझाव

- **गैर-कर राजस्व में वृद्धि: यह वृद्धि निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है:**
    - बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर **उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाकर,**
    - खनन, एसेट्स मुद्रीकरण आदि पर **रॉयल्टी और प्रीमियम** बढ़ाकर।
- **अवैध खनन के कारण राजस्व को होने वाले नुकसान को कम करना :** अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर रोक लगाने के लिए GIS[23] और ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- **प्रदर्शन के आधार पर धन अंतरण (फंड ट्रांसफर):** वित्त आयोग को ऐसे राज्यों को फंड ट्रांसफर बढ़ाने की सिफारिश करनी चाहिए जो आर्थिक सुधार करते हैं, विकास संबंधी योजनाओं में अधिक व्यय करते हैं और राजकोष को मजबूत रखते हैं। ये उपाय केंद्र से राज्यों को अधिक फंड ट्रांसफर के लिए शर्तें हो सकती हैं। इससे राज्यों में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- **दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए धन-अंतरण को सुव्यवस्थित करना:** सरकार के वित्तीय संसाधनों के प्रभावी तरीके से उपयोग करने और भुगतान संबंधी दायित्वों के समय पर पूरा करने के लिए दक्ष बैंकिंग व्यवस्था और नकदी प्रबंधन व्यवस्थाएं आवश्यक हैं।
- **एन. के. सिंह समिति की सिफारिशें:** केंद्र और राज्यों का संयुक्त **"ऋण-GDP अनुपात"** 2023 तक कम करके 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इसमें **केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20% की सीमा** निर्धारित थी।

[22] National Pension System/ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

[23] Geographic Information Systems/ भौगोलिक सूचना प्रणाली

4.2. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

राजकोषीय घाटा: एक नज़र में

किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अपने **राजस्व (आय) से अधिक व्यय करना राजकोषीय घाटा** कहलाता है।

सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियां)	प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

स्थिति और उद्देश्य

- महामारी के साल, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 9.2%** के स्तर पर पहुंच गया था।
- वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कम होकर GDP के 5.6% के स्तर पर आ गया।
- सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के स्तर को GDP के 4.5% तक लाना है।
- राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (GFD), जो महामारी से प्रभावित वर्ष में बढ़कर GDP का 4.1% हो गया था, वित्त वर्ष 22 में घटकर 2.8% हो गया।

राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अनुकूल कारक

- पूंजीगत व्यय और सकल कर संग्रह में वृद्धि पर जोर।
- वित्त वर्ष 23 में 16.61 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह।
- वित्त वर्ष 23 में सकल GST संग्रह में 22% की वृद्धि।
- कोविड जनित संकट के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से अर्थव्यवस्था में बढ़ता लचीलापन।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ विलय से खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बिल में कमी।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उच्चतर लाभांश से वित्त वर्ष 23 के लिए विनिवेश जनित राजस्व में कमी की भरपाई।
- RBI द्वारा सरकार को उच्चतर लाभांश का हस्तांतरण।

भारत में राजकोषीय घाटा प्रबंधन

- सरकार के संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे में ऐतिहासिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पारित किया गया था।
  - FRBM का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को संधारणीय स्तर पर बनाए रखते हुए सार्वजनिक ऋण को व्यावहारिक सीमा के दायरे में रखना है। इससे सरकार को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।
- राजकोषीय घाटे में धीरे-धीरे गिरावट सरकार द्वारा परिकल्पित फिस्कल ग्लाइड पथ के अनुरूप है।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में, केंद्र सरकार ने GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्रक के सुधारों के लिए होगा।
- अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाजार उधारी (Internal market borrowing) के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है और बाहरी उधारी कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है।

4.3. वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax: GST)

वस्तु एवं सेवा कर (GST): एक नज़र में

GST एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है।

GST की संरचना

- GST प्रणाली **दोहरी संरचना** का अनुसरण करती है, जिसमें **केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST)** शामिल हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से लगाए जाते हैं। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय आपूर्ति और आयात पर **एकीकृत GST (IGST)** भी लगाया जाता है।
- GST के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को **5%, 12%, 18% और 28% के अलग-अलग कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है।** कुछ **आवश्यक वस्तुओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है।**
- संविधान के **अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद** की स्थापना की गई है, जो GST के अलग-अलग पहलुओं पर निर्णय लेती है।

GST की आवश्यकता क्यों?

- **एकल राष्ट्रीय बाजार** की स्थापना करने के लिए।
- **जटिल कराधान** प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए।
- **टैक्स कैस्केडिंग** जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए।
- **कराधान प्रणाली को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने** की आवश्यकता को देखते हुए।
- **ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस** और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए।
- **राजस्व दक्षता** को बढ़ाने और कर संग्रहण की लागत को कम करने के लिए।

GST का प्रभाव

- कराधान के मुद्दों पर केंद्र और राज्य के मध्य विचार-विमर्श से **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा मिला है।
- **कर के बोझ में कमी** और करदाताओं को अन्य लाभ, जैसे- सरल प्रक्रिया, सुचारू रिफंड आदि।
- पिछले छह वर्षों में **राजस्व संग्रह में वृद्धि** हुई है।
- राज्यों के लिए **कर उछाल में वृद्धि** हुई है, जैसे- यह GST-पूर्व प्रणाली के 0.72 से बढ़कर 1.22 हो गई है।
- बाजार एकीकरण और **ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस।**
- नीति निर्माण के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि** हुई है और डेटा का बेहतर विश्लेषण किया जा रहा है।

GST के समक्ष चुनौतियां

- नकली GST पहचान संख्या और ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) दावों के साथ **कर चोरी तथा धोखाधड़ी वाले दावे।**
- GST पंजीकरण को मनमाने ढंग से रद्द करने और ITC संबंधी अस्वीकृति के कारण **करदाताओं के विश्वास में कमी आ रही है।**
- GST पोर्टल और ई-वे बिलिंग प्रणाली में **प्रौद्योगिकी संबंधी गड़बड़ियां** हैं।
- **GST अपीलीय अधिकरणों (GSTATs) के गठन में देरी।**

GST में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम

- प्रवर्तन निदेशालय और GSTN जैसी अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के बीच **सूचना साझा करना।**
- कर चोरी को पकड़ने हेतु **प्रौद्योगिकी** और एडवांस डेटा विश्लेषण का उपयोग करना।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और जियोटैगिंग द्वारा **पंजीकरण मानदंडों को सख्त बनाया गया है।**
- धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए **रिटर्न फाइलिंग प्रणाली** को सख्त बनाया जा रहा है।
- **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2023** के तहत, **GSTAT सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता मानदंडों में ढील** दी गई है।

आगे की राह

- अनुपालन में आसानी के लिए **कर दरों को युक्तिसंगत बनाना।**
- लीकेज और चोरी को रोकने के लिए **प्रवर्तन प्रावधानों को सख्त बनाना।**
- **प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी** प्रणालियों का उपयोग करना।
- **लेखापरीक्षा, आकलन और जांच को सुव्यवस्थित करना।**
- शराब, पेट्रोलियम जैसे उत्पादों को शामिल करने के लिए **GST कर नेटवर्क का विस्तार करना।**

4.4. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation)

प्रत्यक्ष कराधान: एक नज़र में

भारत में प्रत्यक्ष कराधान की स्थिति

- **वित्त वर्ष 2023-24 में कर-GDP अनुपात 11.6%** (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.6% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.0%)
- **निगम कर और व्यक्तिगत आयकर** का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान है।
- वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष कर उछाल 2.52 रहा था, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक था, लेकिन **2022-23 में यह घटकर 1.18** हो गया।

मुख्य उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2023-24 में **19.58 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह** हुआ (अनंतिम)।
- वित्त वर्ष 2023-24 में 9.11 लाख करोड़ रुपये का निगम कर और 10.44 लाख करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर संग्रह हुआ।

नीतियां/ योजनाएं/ पहलें

- पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल कर व्यवस्था प्रदान करने के लिए **करदाता घोषणा-पत्र।**
- ईमानदार करदाताओं के सम्मान के लिए **फेसलेस असेसमेंट स्कीम और फेसलेस अपील्स स्कीम।**
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कवर करने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन।
- **अथॉरिटी फॉर अड्वांस रूलिंग और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA), टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट (TIEA)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर **कर संधियां।**
- **सरकारी विभागों के मध्य सूचना का साझाकरण।**
- प्रत्यक्ष कर भुगतान में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए **विवाद से विश्वास योजना।**

सीमाएं/ बाधाएं

- सरकार का **सकल कर संग्रह (27.37 लाख करोड़)** रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, **कर-GDP अनुपात OECD देशों (2020 में 33.5%) की तुलना में बहुत कम है।**
- **कर चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे।**
- **उच्च छूट सीमा** और कटौती।
- लाभांश पर **दोहरा कराधान।**
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न-कर क्षेत्राधिकार वाले देशों/ टैक्स हेवन में अपने कार्यालय स्थापित कर रही हैं।
- कर दरों पर **वैश्विक सहमति का अभाव।**
- **डिजिटल कराधान** से जुड़े मुद्दे।

आगे की राह

- GST की तर्ज़ पर **प्रत्यक्ष कर संहिता।**
- करदाताओं की संख्या में वृद्धि करके **आधार का विस्तार करना।**
- **कृषि आय पर कराधान** जैसे कदम पर आगे बढ़ना।
- प्रोत्साहन प्रावधानों को **युक्तिसंगत बनाना।**
- **कुशल सूचना केंद्र, डिजिटलीकरण** आदि को विकसित करके गैर-अनुपालन पर अंकुश लगाना।
- कर संग्रह पर सप्लाई चेन व्यवधानों और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए **लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।**
- कर चोरी को रोकने के लिए **OECD-AEOI (सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में भाग लेना।

4.4.1. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (Advance Pricing Agreements: APAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एकतरफा और द्विपक्षीय APAs, दोनों शामिल हैं।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के बारे में

- यह **करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता** है।
- APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके **ट्रांसफर प्राइसिंग** निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - **ट्रांसफर प्राइसिंग** उन कंपनियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मूल्य है जो समान स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन हैं।
- APA अधिकतम पांच आगामी वर्षों के लिए **अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP)** निर्धारित करने में मदद करता है।
  - ALP के अनुसार, दो संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन हेतु सहमत मूल्य, दो असंबंधित पक्षों के बीच तुलनीय लेन-देन में सहमत मूल्य के समान होना चाहिए।

APAs का महत्त्व

- करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की कर योग्य राशि के संबंध में स्पष्टता संभावित **दोहरे कराधान के जोखिम को कम करती है।**
- APAs से विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा** मिलता है।
- **कंपनियों के लिए नियमों के अनुपालन लागत में कमी आती है।**
- भविष्य में कर मुकदमेबाजी कम होने के कारण, कर अधिकारियों को ऑडिट कार्यों पर कम समय देना होगा जिससे कर **प्रशासन की लागत में कमी आएगी।**

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था:

- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC और 92CD** को शामिल करके 2012 में **APA योजना** अधिसूचित की थी।
- इसके तहत, CBDT और किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- **योजना की प्रकृति: APA** प्रक्रिया स्वैच्छिक है और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) तंत्र की पूरक हैं।

© Vision IAS

- **APA की अवधि:** अधिकतम पांच वर्ष।
- **रोलबैक प्रोविजन:** APA व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को APA के शुरू होने से पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति है।

पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP)

- MAP **दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प** है। यह न्यायिक या आर्थिक, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है।
- **MAP कर-संधियों (उदाहरण के लिए- DTAA) में निर्धारित एक तंत्र** है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है।
- **MAP और APA के बीच अंतर:**
    - MAP ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है जबकि APAs ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है।

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते से जुड़ी समस्याएं:

- **जटिल अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन:** कई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में जटिल व्यावसायिक संरचनाएं और गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके चलते आर्म्स लेंथ प्राइस को सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- **आंतरिक समन्वय का अभाव:** यह अनुभव किया गया है कि अलग-अलग संस्थाएं समान अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर अलग-अलग तकनीकी रुख अपनाती हैं। ये करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करते है और APA वार्ताओं को बाधित करती है।
- **APAs की प्रोसेसिंग में देरी:** इस प्रक्रिया के लिए कम मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। चूंकि प्रक्रिया में कई जटिल तथ्य शामिल होते हैं और बहुत सारे डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होती है, इसलिए कम मानव संसाधन की वजह से देरी होती है।

निष्कर्ष

APA कार्यक्रम ने **कंपनियों द्वारा नियमों के अनुपालन के बोझ को कम करने के साथ-साथ विवादों की रोकथाम के लिए रणनीति** प्रदान की है, तथा सरकारी कोष में राजस्व के रूप में भी योगदान दिया है। APA से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु, निजी क्षेत्रक से आउटसोर्सिंग के आधार पर विषय-विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे न केवल मानव संसाधन की कमी की समस्या का समाधान निकल सकता है, बल्कि ये विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता से नई जटिलताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं।

4.4.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर (Inheritance Tax as a tool of Wealth Redistribution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रांतों में लगाए गए **विरासत कर** की तरह भारत में भी विरासत कर प्रणाली लागू करने पर चर्चा हो रही है।

विरासत कर (Inheritance Tax) क्या है?

- **किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर** उसके उत्तराधिकारियों को **विरासत में मिली जायदाद/ संपत्ति** पर **विरासत कर** लगाया जाता है। यह **एस्टेट टैक्स** से अलग है। **एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर** लगाया जाता है।
- इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे- जापान में विरासत कर की दर 55% तथा दक्षिण कोरिया में 50% है।

विरासत कर के लाभ

- **राजस्व में वृद्धि होगी:** इससे सरकार के **राजस्व में वृद्धि** हो सकती है। इस राजस्व का उपयोग गरीब लोगों के उत्थान हेतु सामाजिक क्षेत्रक के कार्यक्रमों के वित्त-पोषण लिए किया जा सकता है।
- **संपत्ति में असमानता को कम करेगा:** यह विरासत में मिली संपत्ति के एक हिस्से को पुनर्वितरित करके तथा सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का वित्त-पोषण करके कुछ लोगों के पास **धन के संकेन्द्रण को कम** कर सकता है।
- **मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा:** विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाने से समान अवसर प्रदान करने और मेरिटोक्रेटिक समाज को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
- **निवेश को उत्पादक गतिविधियों में लगाया जा सकता है:** इससे धनी व्यक्तियों को अपने जीवनकाल के दौरान अपने धन को केवल अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने की बजाय **अधिक उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।**

- **पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता के दुष्चक्र से मुक्ति मिल सकती है:** विरासत कर यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि एक ही वंश की पीढ़ियों में धन के संचय की बजाय संसाधनों को अलगी पीढ़ियों में समान रूप से वितरित किया जाए।

विरासत कर के प्रभाव

- **कर चोरी बढ़ सकती है:** कर की उच्च दर के कारण, कर अपवंचन (Tax Evasion) और कर के बचाव (Tax Avoidance) जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, लोग इससे **कर का भुगतान करने के लिए कम मूल्य में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर** हो सकते हैं।
- **बचत और निवेश हतोत्साहित होगा:** यदि विरासत में प्राप्त संपत्ति पर उच्च विरासत कर लगाया जाता है, तो लोग संपत्ति का संचय करने में रुचि नहीं रखेंगे।
- **व्यवसाय पर प्रभाव:** कई व्यवसायी, करों से बचने के लिए अपने व्यवसाय को विदेशों में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही लोग कर देनदारियों का भुगतान करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बेचने या उसका बंटवारा करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं।
- **दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं:** आलोचकों का तर्क है कि विरासत कर दोहरे कराधान को बढ़ावा देता है, क्योंकि हस्तांतरित की जा रही संपत्ति पर पहले से ही आय और अन्य कर वसूले जा चुके होते हैं।

निष्कर्ष

विरासत कर **संपत्ति के स्तर पर असमानता** को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, हालांकि इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले **अवांछित परिणामों से बचने के लिए** काफी सावधानी से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कर चोरी की रोकथाम के लिए **जरूरी प्रावधानों को अपनाते हुए अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रगतिशील विरासत कर प्रणाली** लागू की जा सकती है। इससे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए **राजस्व जुटाने** के साथ-साथ **संपत्ति के स्तर पर समानता को बढ़ावा** दिया जा सकता है।

4.5. गैर-कर राजस्व (Non-tax Revenue)

4.5.1. विनिवेश (Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्धारित अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकती है। अब तक विनिवेश से केवल लगभग 10,000 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपये था।

विनिवेश: क्या, क्यों और कैसे?

विनिवेश	
विनिवेश क्या होता है? **विनिवेश** उसे कहा जाता है, जब सरकार या कोई संस्था किसी कंपनी की अपनी हिस्सेदार को बेचती है। इसके लिए मुख्य रूप से दो अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं:- • **रणनीतिक विनिवेश:** इसका तात्पर्य है- ○ **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE)** में सरकार की शेयरधारिता का **संपूर्ण या बड़ा हिस्सा** किसी निजी खरीदार को बेचना। ○ साथ ही, उस CPSE का **प्रबंधन नियंत्रण** भी उस निजी खरीदार को हस्तांतरित कर देना। • **माइनॉरिटी विनिवेश:** इसके तहत सरकार कंपनी में 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखती है।	**विनिवेश क्यों किया जाता है?** • ऐसा **राजकोषीय बोझ में कमी** लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त धन का उपयोग राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण के लिए किया जा सकता है। • स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य उत्पादक क्षेत्रकों में **संसाधनों का आवंटन बढ़ाने** के लिए। • अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनकी **क्षमता से कम उपयोग** के चलते भी विनिवेश किया जाता है। • **गैर-रणनीतिक क्षेत्रकों और निष्क्रिय** पड़ी सार्वजनिक क्षेत्रक की परिसंपत्तियों में सरकार की संलग्नता को समाप्त करने के लिए। • **प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार अनुशासन** को बढ़ावा देने के लिए। • दीर्घावधि में **गैर-आवश्यक सेवाओं को गैर-राजनीतिक बनाने के लिए।**

विनिवेश के तरीके

- **प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering: IPO):** इसके तहत गैर-सूचीबद्ध CPSE (Central Public Sector Enterprises/ सार्वजनिक क्षेत्रक के केंद्रीय उपक्रम) के शेयरों की पहली बार बिक्री की जाती है।
- **फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO):** इसके तहत किसी सूचीबद्ध **CPSE** के नए शेयरों को जनता के समक्ष बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- **ऑफर फॉर सेल (OFS)** इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर शेयरों की नीलामी की अनुमति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 2012 से सरकार द्वारा व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है।
- **रणनीतिक बिक्री** के तहत सरकारी शेयरधारिता के बड़े हिस्से की बिक्री की जाती है। इसमें प्रबंधन पर नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्रक को हस्तांतरित की जाती है।
- **संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम (Institutional Placement Program: IPP):** इसके तहत केवल वित्तीय संस्थान ही पेशकश में भाग ले सकते हैं।
- **CPSEs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** इसके तहत एकल ETF की पेशकश के जरिए अलग-अलग क्षेत्रकों से संबंधित विविध CPSEs में सरकार अपनी हिस्सेदारी की एक साथ बिक्री करती है।

विनिवेश संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के समक्ष चुनौतियां

- **वैश्विक घटनाक्रम:** विशेषज्ञों का सुझाव है कि महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर्ष और इससे जुड़े जोखिम पिछले तीन वर्षों से विनिवेश संबंधी लक्ष्य को हासिल न कर पाने के कारण रहे हैं।
- **मूल्यांकन संबंधी मुद्दे:** अक्सर सरकार को राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के कम मूल्यांकन के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है:
  - **अतिरिक्त संपत्तियों (जमीन और इमारतों) को ध्यान में न रखना:** विनिवेश के दौरान अक्सर जमीन और इमारतों जैसी अतिरिक्त संपत्तियों के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे कंपनी का कुल मूल्यांकन कम हो जाता है।
  - **सरकारी स्वामित्व बनाए रखने का निर्णय:** कभी-कभी सरकार कंपनी में बहुसंख्य हिस्सेदारी बनाए रखने का फैसला लेती है। इससे संभावित खरीदारों की दिलचस्पी कम हो जाती है क्योंकि उन्हें कंपनी का पूरा नियंत्रण नहीं मिलता है।
- विनिवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अन्य चुनौती है- **श्रमिक अशांति का डर।**

विनिवेश में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले उपाय

- नीति आयोग के अनुसार, खराब स्थिति वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों को बंद करना चाहिए तथा व्यवहार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश किया जाना चाहिए।
- जिन क्षेत्रों में कई निजी कंपनियां पहले से ही सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, वहां सरकार को संबंधित कंपनियों का विनिवेश कर देना चाहिए। इससे सरकार संसाधनों को बचा सकती है और उन्हें उन क्षेत्रों में लगा सकती है जहां बाजार का अभाव है या जहां बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव में लगने वाले संसाधनों की बचत होगी। साथ ही, निजी कंपनियों की दक्षता का उपयोग करके इन परिसंपत्तियों से अधिक लाभ कमाया जा सकेगा।
- CPSEs को केवल विनिवेश के जरिए धन जुटाने का साधन न समझा जाए, बल्कि उनके कार्यप्रणाली में सुधार लाकर उन्हें मजबूत बनाया जाए। इसके लिए अग्रलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: CPSEs के बोर्डों को अधिक स्वायत्तता देना, दीर्घकालिक रणनीतियों और बड़े निवेशों के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना आदि।

4.5.2. सरकारी प्रतिभूतियां (Government -Securities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **"RBI (सरकारी प्रतिभूति ऋण) दिशा-निर्देश[24], 2023"** जारी किए। इसके जरिए **सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec)** को उधार देने और उधार लेने की अनुमति दी गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के बारे में

- G-Secs **केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य इंस्ट्रूमेंट या उत्पाद** है। यह एक प्रकार से सरकार पर ऋण चुकाने का दायित्व जैसा है क्योंकि सरकार प्रतिभूति जारी करके बाजार से उधार के रूप में फंड जुटाती है। इसे उसे वापस चुकाना भी होता है।
  - **ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:**

[24] RBI (Government Securities Lending) Directions

© Vision IAS

- **अल्प अवधि वाली**: इन्हें **ट्रेजरी बिल (T-Bills)** कहा जाता है।
- **लंबी अवधि वाली:** इन्हें **सरकारी बॉण्ड** या **दिनांकित प्रतिभूतियां (Dated securities)** कहा जाता है।

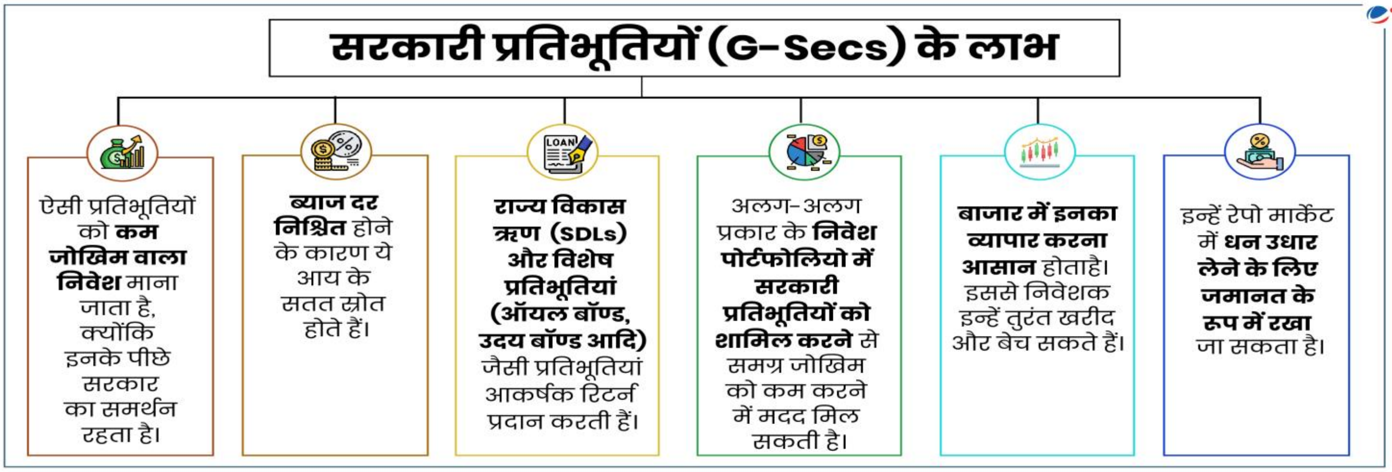

सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) के लिए की गई पहलें

- **G-Secs खरीद कार्यक्रम (G-SAP)**[25]: इसके तहत, RBI बाजार से **G-Secs** खरीदने के लिए खुले बाजार की गतिविधियों का संचालन करता है।
  - यह कार्यक्रम **सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारों को बाजार के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचाने में** मदद करता है।
- **RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम:** इसके तहत रिटेल निवेशक RBI के पास **'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट (RDG अकाउंट)'** खोल सकते हैं। इससे रिटेल निवेशक RBI के **G-Secs** प्लेटफॉर्म की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं।
- **RBI (बॉण्ड फॉरवर्ड) दिशा-निर्देश[26], 2023 का ड्राफ्ट:** इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों में बॉण्ड फॉरवर्ड पेश करना है। इस कदम से बाजार के भागीदारों, विशेष रूप से लंबे समय के निवेशकों को कैश फ्लो और ब्याज दर से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
  - **बॉण्ड फॉरवर्ड** वास्तव में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (भविष्य की तिथि के लिए कॉन्ट्रैक्ट) है। इसमें एक पक्ष (खरीदार) भविष्य की किसी तय तारीख पर और कॉन्ट्रैक्ट के समय निर्धारित मूल्य पर किसी अन्य पक्ष (विक्रेता) से कोई **डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए समझौता** करता है।
- **सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा के लिए योजना:** यह योजना सरकारी प्रतिभूतियों और **राज्य विकास ऋण (SDLs)** के लिए प्राथमिक बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

- **कैप्टिव इन्वेस्टर्स आधारित:** वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का एक बड़ा हिस्सा बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे कैप्टिव इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। इसलिए निवेशक आधार में विविधता लाने की आवश्यकता है।
- **विनिमय दर प्रबंधन:** सरकारी बॉण्ड के जरिए विदेशी फंड के आने से रुपये का अधिमूल्यन (Appreciation) हो सकता है यानी यह मजबूत हो सकता है। इससे निर्यात प्रभावित हो सकता है।
- **बाजार में तरलता यानी सरकारी प्रतिभूति की कमी: सेकेंडरी बाजार** में सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदार कम होते हैं, इसलिए यहां प्रतिभूतियां कम उपलब्ध होती हैं। इस वजह से निवेशक कम मूल्य पर जल्दी बेचकर निकलना चाहते हैं।
- **सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने से जुड़े मुख्य जोखिम:**
  - **बाजार से जुड़े जोखिम:** ब्याज दरों में बदलाव के कारण **प्रतिभूतियों के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव** से बाजार संबंधी जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि प्रतिभूतियों को कम मूल्यों पर बेचा जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है।
  - **ब्याज दर जोखिम:** दिनांकित प्रतिभूतियों की **परिपक्वता अवधि काफी लंबी (5-40 वर्ष)** होती है। इस प्रकार इन पर भविष्य में मिलने वाली **ब्याज दर के बारे में जोखिम बना रहता है।** इससे लंबी अवधि में उनकी महत्ता कम हो जाती है।

[25] G-sec Acquisition Programme

[26] Draft RBI (Bond Forwards) Direction

 © Vision IAS

आगे की राह

- **एकीकृत बाजार:** G-Secs और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजारों को एकीकृत करने से **G-Secs से कॉरपोरेट बॉण्ड तक मूल्य निर्धारण की जानकारी बिना बाधा के पहुंच सकेगी। कॉरपोरेट बॉण्ड और G-Secs के व्यापार, क्लीयरेंस और सेटलमेंट के लिए समान विनियामक व्यवस्था** होने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल (बॉण्ड मार्केट का विस्तार होने से कॉस्ट एडवांटेज) और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप (अलग-अलग यानी विभाजित व्यवस्था के बजाय साझी व्यवस्था होने से कॉस्ट एडवांटेज) का लाभ मिलेगा। इससे बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धा, दक्षता और लिक्विडिटी (बॉण्ड का अधिक लेन-देन) आएगी।
- **ट्रेडिंग:** बॉण्ड बाजार में **अधिक निवेशकों की भागीदारी** सुनिश्चित करने तथा **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, G-Secs को स्टॉक एक्सचेंज व्यवस्था के माध्यम से जारी** किया जाना चाहिए और उसी के माध्यम से कारोबार किया जाना चाहिए।
- **खुदरा भागीदारी में वृद्धि करना:** सरकार को **G-Secs को डीमैट के जरिए जारी करना चाहिए** ताकि डीमैट खाता धारक आसानी से G-Secs में निवेश कर सकें। रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए G-Secs-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड भी विकसित किए जाने चाहिए।
- **कर प्रोत्साहन: G-sec से प्राप्त ब्याज आय पर कर छूट** के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन देने से बाजार में G-sec की मांग को बढ़ाया जा सकता है।

4.5.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपये प्राप्त किया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) के बारे में

- **उत्पत्ति:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव पहली बार **2012** में अर्थशास्त्री **विजय केलकर** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिया था।
    - परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा **केंद्रीय बजट 2021-22** में **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के जरिए की गई थी।
- **परिभाषा:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) की प्रक्रिया:**
    - **परिसंपत्ति मुद्रीकरण** में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रक की इकाई को प्रदान की गई **सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का लाइसेंस/ पट्टा** शामिल होता है।
    - भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें **जोखिम को** संतुलित आधार पर **सार्वजनिक प्राधिकरण** और **निजी पक्षकारों के बीच** साझा किया जाता है।

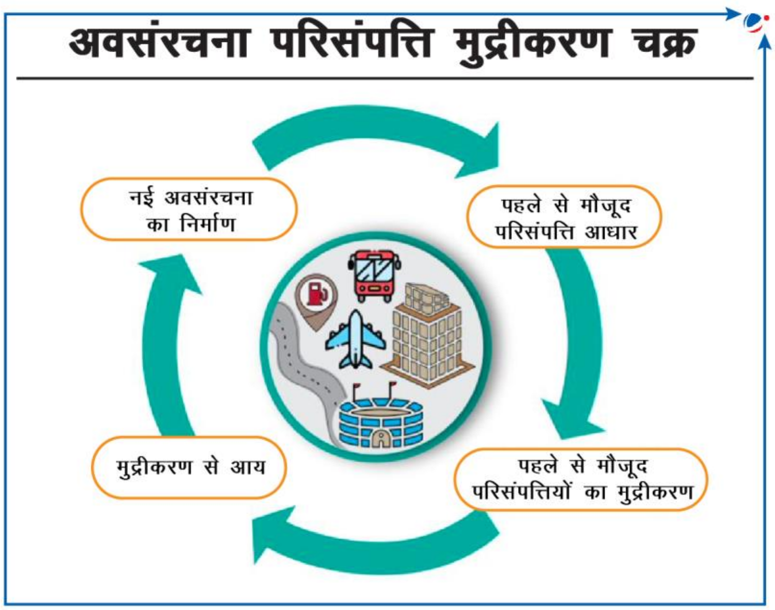

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का वित्त-पोषण:** NIP का उद्देश्य नागरिकों को विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना और इस क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करना है।
    - नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 2020 से 2025 तक की अवधि में 111 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- **राजकोषीय दबाव में कमी:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत निजी भागीदारों द्वारा निवेश की गई पूंजी से सार्वजनिक क्षेत्रक पर राजकोषीय दबाव कम होगा। साथ ही, अनुपयुक्त संसाधनों को उपयोग में लाकर नई अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है।
- **नई अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करना:** नई अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करने में परिसंपत्ति मुद्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- **निजी क्षेत्रक की दक्षताओं का लाभ उठाना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रक की क्षमताओं और पारदर्शिता का लाभ उठाया जा सकेगा।
- **देश के आर्थिक विकास में मदद करना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण की एक बेहतर योजना आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, मांग को प्रोत्साहित कर सकती है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकती है, विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकती है और देश के आर्थिक विकास में तेजी ला सकती है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहलें

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):**
  - **क्षेत्रक:** सरकार ने अपनी **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान** की है।
    - **ये शीर्ष 5 क्षेत्रक कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन के लगभग 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्रक हैं;** सड़कें (27%), रेलवे (25%), विद्युत (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%)।
  - **क्षमता:** वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक के चार वर्षों में केंद्र सरकार की **कोर परिसंपत्तियों में 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण की क्षमता** है।
- **मुद्रीकरण के लिए लक्षित अलग-अलग परिसंपत्तियां/ परिसंपत्ति वर्ग:**
  - भारतीय रेलवे, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** संपत्तियों के चालू होने के बाद उनके संचालन और रखरखाव के लिए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा।
  - हवाई अड्डों का मुद्रीकरण **संचालन और प्रबंधन** रियायत (संबंधित जगह) के लिए किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[27]:** यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** इसकी शुरुआत मुद्रीकरण की प्रगति की निगरानी करने और निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **परिसंपत्ति के मूल्य के आकलन में चुनौती:** सार्वजनिक परिसंपत्तियों, विशेष रूप से ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मूल्य का सटीक आकलन करना जटिल कार्य है और यह विवादों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए- CAG की रिपोर्ट के अनुसार, **मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया** के विनिवेश के मामले में परिसंपत्तियों का बहुत कम मूल्य आंका गया था।
- **कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां:** विनिवेश संबंधी लक्ष्यों को पूरा नहीं किए जाने के अनुभव को देखते हुए चार वर्षों के भीतर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए तय किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना कठिन लगता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** एक बड़ा सवाल यह भी है, कि मुद्रीकरण से प्राप्त आय को बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा या नहीं, और इनसे प्राप्त धन को कैसे खर्च किया जाएगा।
- मुद्रीकरण के लिए **एक स्पष्ट क्षेत्रक-विशिष्ट रोडमैप का न होना** भी इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - परिसंपत्ति मुद्रीकरण में बोलीदाताओं (Bidders) की कम रुचि और भागीदारी देखी गई है,
  - परिसंपत्तियों के संचालन और विकास में बोलीदाताओं की तकनीकी क्षमता सीमित है,
  - समय पर लेन-देन पूर्ण करना भी बड़ी चुनौती है, आदि।

आगे की राह				
एक स्पष्ट रोडमैप, विशेष रूप से ब्राउन-फील्ड परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए।	कानूनी विवादों के संबंध में **विनियामकीय स्पष्टता।**	परिसंपत्ति मूल्यांकन और राजस्व अनुमानों के लिए **क्षमता निर्माण में सहायता करना।**	विविध निवेशकों के लिए **परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करना।**	निवेशकों को आश्वासन देकर **राज्यों को सहायता प्रदान करना।**

[27] National Land Monetization Corporation

© Vision IAS

4.6. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडीचर- कैपेक्स): एक नज़र में

भारत में पूंजीगत व्यय की स्थिति

- सरकार ने 2024-25 में **11.11 लाख करोड़ रुपये (2023-24 की तुलना में 11.1% की वृद्धि)** पूंजीगत व्यय का बजट रखा है।
- **वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2022 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 13% की औसत दर** से बढ़ा है।
- **केंद्र का पूंजीगत व्यय** वित्त वर्ष 2009 में GDP के 1.7% के आस-पास था (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 20), जो बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में GDP का 3.4% हो गया।
- वित्त वर्ष 2023 में **कॉर्पोरेट क्षेत्रक द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है,** जो विद्युत, इस्पात, रसायन, ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रकों में भारी निवेश से प्रेरित थी।

पूंजीगत व्यय का महत्त्व

- **गुणक प्रभाव:** देश का आर्थिक उत्पादन **पूंजीगत व्यय की मात्रा से कम-से-कम चार गुना** बढ़ने वाला है।
- **दक्षता में सुधार:** पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति का सृजन करता है। इससे **अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार** होता है।
- **भावी संवृद्धि:** पूंजीगत व्यय रोजगार और क्षमता विकास के निर्माण के माध्यम से **भविष्य की आर्थिक संवृद्धि** में योगदान देता है।
- **समावेशी विकास:** सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार समावेशी और **संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अनुकूल भूमिका** निभा सकता है।
- **निजी पूंजीगत निवेश में भी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत की बैलेंस शीट मजबूत हुई है जिससे ऋण देने में वृद्धि होगी।**
- **अन्य प्रभाव:** पूंजीगत व्यय के परिणामस्वरूप **निजी निवेश में वृद्धि** हो सकती है और महत्वपूर्ण आपूर्ति बाधाओं को कम किया जा सकता है।

सरकारी द्वारा की गईं पहलें

- केंद्रीय बजट 2024-25 में **पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाया गया है।**
- अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को **50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना** जारी रखा गया है।
- वित्त-वर्ष 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात और उर्वरक क्षेत्रकों के लिए एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी हेतु **100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं** की पहचान की गई है।
- **शहरी अवसंरचना विकास निधि** की स्थापना कर टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

पूंजीगत व्यय के समक्ष चुनौतियाँ

- पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए **बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता** होती है और ऐसे में अत्यधिक मात्रा में धन जुटाना मुश्किल होता है।
- पूंजी-गहन परियोजनाओं के **कार्यान्वयन में देरी** के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि के साथ-साथ उनके पूरा होने में भी अधिक समय लगता है। इससे पूंजीगत व्यय का प्रभाव सीमित हो जाता है।
- पूंजीगत व्यय की **दीर्घकालिक लागत तथा लाभों को मापना चुनौतीपूर्ण** है और सरकारें आम तौर पर अल्पकालिक लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं।
- **मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक माहौल और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित व्यवधान** इनपुट लागत में वृद्धि करते हैं तथा पूंजीगत व्यय के अपेक्षित परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- सीमित कौशल विकास के साथ **आवश्यक मानव संसाधन क्षमता का अभाव** परियोजनाओं के कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बनाता है।

आगे की राह

- सरकारें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों मार्गों से निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं।
  - **प्रत्यक्ष मार्ग में भौतिक अवसंरचना और मानव पूंजी पर किए जाने वाले व्यय** शामिल हैं।
  - **प्रत्यक्ष मार्ग** निजी निवेश में वृद्धि करने, सुशासन को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि को आकर्षित करने में भूमिका निभाते हैं।
- संसाधन आवंटन के संदर्भ में सरकारों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु व्यय परिषद (Expenditure Council) जैसे **पर्यवेक्षी निकाय की आवश्यकता है।**
- सरकारों को **अपनी राजस्व सृजन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता** है और वे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकती हैं।
- जब राजस्व संग्रह अधिक होने के कारण वित्तीय स्थिति बेहतर हो तब सरकारों को **कैपेक्स बफर कोष** के गठन पर विचार करना चाहिए ताकि खराब आर्थिक दौर में भी पूंजीगत व्यय में किसी प्रकार की कमी करने की नौबत न आए।

4.7. भारत में विनिमय दर प्रबंधन (Exchange Rate Management in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रुपये का सापेक्ष मूल्य (Valuation) भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं की तुलना में लगभग दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक रहने के कारण ऐसा हुआ है।

करेंसी वैल्यूएशन (Currency Valuation) क्या है?

- यह **एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत या मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया** है।
  - यह मूल्य या कीमत **कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है।** इन कारकों में **ब्याज दर, मुद्रास्फीति, पूंजी निवेश** और **मुद्रा की आपूर्ति,** इत्यादि शामिल हैं।
- मुद्रा का मूल्य जानने का सबसे आम तरीका **विनिमय दर** है।
  - विनिमय दर **वह दर या मूल्य है जिस पर एक मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा से लेन-देन** किया जाता है। उदाहरण के लिए- यदि हमें एक अमेरिकी डॉलर (USD) प्राप्त करने के लिए 80 रुपये (INR) देने पड़ते हैं तो विनिमय दर 80 रुपये प्रति डॉलर होगी।

अन्य प्रमुख आर्थिक चरों (घटकों) पर विनिमय दर का प्रभाव

- **मुद्रास्फीति: अधिमूल्यन यानी अधिक मूल्य वाली मुद्रा**[28] आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करके **मुद्रास्फीति को कम करने** में योगदान कर सकती है।

[28] Over-valued currency

© Vision IAS

- **ब्याज दरें: स्थानीय मुद्रा की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए** केंद्रीय बैंक **ब्याज दरों को कम** कर सकता है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य **आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा** देना और **निर्यात को प्रोत्साहित करना** होता है।
  - इसी प्रकार, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करके कमजोर मुद्रा की समस्या को दूर करता है।
- **आर्थिक संवृद्धि:** मजबूत मुद्रा भले ही मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती हो, लेकिन यह निर्यात पर निर्भर क्षेत्रकों के विकास को कम कर सकती है। इससे **समग्र आर्थिक संवृद्धि में कमी आ सकती** है।
- **व्यापार:** देश की मुद्रा के मजबूत होने से **व्यापार घाटा बढ़** सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे **निर्यात की जाने वाली वस्तुएं महंगी होकर कम प्रतिस्पर्धी** हो जाती हैं एवं **आयातीत वस्तुएं सस्ती** होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए **आकर्षक** हो जाती हैं।
- **पूंजी प्रवाह:** एक मजबूत मुद्रा **अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है,** क्योंकि निवेशक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उच्च रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं।

विनिमय दरों के प्रबंधन में चुनौतियां

- **अप्रत्याशित भू-राजनीतिक घटनाएं:** अप्रत्याशित वैश्विक घटनाएं, जैसे- व्यापार युद्ध (अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध), भू-राजनीतिक तनाव (यूक्रेन-रूस युद्ध) या प्राकृतिक आपदाएं विनिमय दरों में **अचानक और अप्रत्याशित** उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती हैं।
- **सट्टेबाजी और छेड़छाड़** के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की खरीद और बिक्री करने से **विनिमय दर में अस्थिरता आ सकती** है। ये गतिविधियां स्थिर आर्थिक स्थिति बनाए रखने में नीति निर्माताओं के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** मुद्रा के अवमूल्यन या मूल्यह्रास जैसे उपायों के द्वारा विनिमय दर को स्थिर करने या प्रभावित करने हेतु सरकारों या केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्तक्षेप करने से **मुद्रा बाजार में गलत संदेश** जाता है। यह नीति-निर्माताओं के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

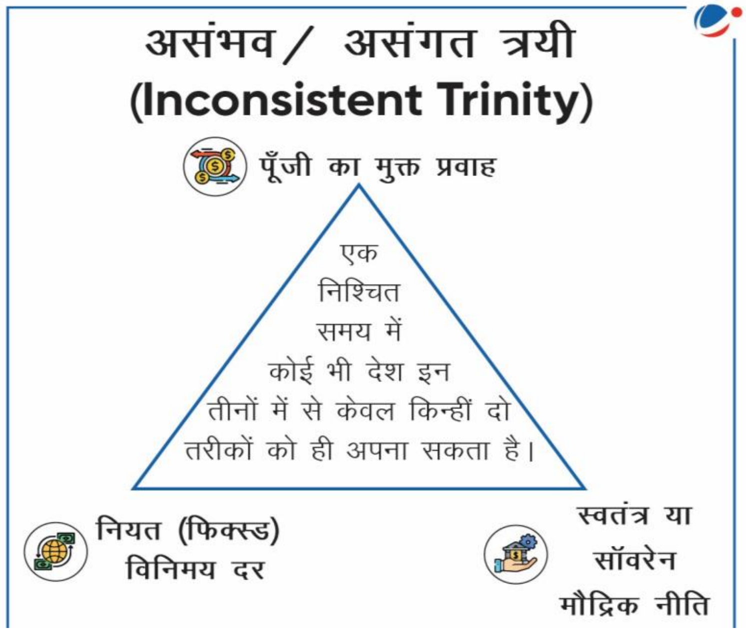

- **इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या असंगत त्रयी:** यह एक प्रकार की अवधारणा है। इसके अनुसार **एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में निम्नलिखित तीनों स्थितियों को नहीं अपना सकती है:**
  - स्वतंत्र मौद्रिक नीति,
  - नियत (फिक्स्ड) विनिमय दर, और
  - अपनी सीमाओं के पार पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय:** सरकारों और केंद्रीय बैंकों को विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतिगत स्तर पर तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा तालमेल **बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बनाए जा सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार बफर को बनाए रखना:** स्वर्ण और महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जैसे मुख्य संसाधनों के पर्याप्त भंडार रखने से मुद्रा बाजार की अस्थिरता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।
- **मुद्रा विनिमय दर के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना:** उन देशों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्रवाई की मांग की जा सकती है, जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुद्राओं के मूल्य के साथ छेड़छाड़ कर वैश्विक मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं।

4.8. मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

मौद्रिक नीति: एक नज़र में

केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। केंद्रीय बैंक आर्थिक उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने और मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति कम और स्थिर है।

प्रमुख उद्देश्य

- इसका प्राथमिक उद्देश्य **संवृद्धि** के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए **मूल्य स्थिरता को बनाए रखना** है।
- **लचीली मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (FIT) {वर्तमान में 4% (+/- 25%)} फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन** करना, जिसे हर 5 साल में संशोधित किया जाता है।
- संवृद्धि के लिए **वित्तीय स्थिरता** और ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- रुपये के मूल्य की सुरक्षा करना और **विनिमय दर की स्थिरता** सुनिश्चित करना।

मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क

- **छह सदस्यीय MPC** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत FIT फ्रेमवर्क को लागू करती है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को मुद्रास्फीति के मापक** के रूप में चुना गया है।
- मौद्रिक नीति के तहत उपायों में **रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, LAF, MSF, खुले बाज़ार का परिचालन** आदि शामिल हैं।
- **मौद्रिक नीति** के तहत नवीन उपायों, जैसे- GSAP, LTROs आदि का उपयोग।

बाधाएं

- भारत जैसी **विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आपूर्ति पक्ष संबंधी व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील** होती हैं।
- **कोविड-19** के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष से संबंधित बड़े व्यवधानों का सामना करना पड़ा है। इसके चलते **मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बाधित** हुई है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर अधिक ध्यान देने से कई बार **आर्थिक संवृद्धि को नुकसान पहुंचाता है।**
- डेटा लॉग, सूचना संबंधी बाधाओं और डेटा की सटीकता के कारण **अनिश्चित परिवेश का सामना** करना पड़ता है। अस्थिर दशाओं में **पूर्वानुमान लगाना कठिन कार्य** होता है।
- मौद्रिक नीति संबंधी उपायों के प्रभाव की सीमा और अविकसित मुद्रा बाजार।

आगे की राह

- **डेटा संग्रह और विश्लेषण** फ्रेमवर्क में सुधार करने की जरूरत है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में **निवेशक आधार** को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- **मौद्रिक और राजकोषीय नीति** के समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **कोविड-19 के प्रभाव के कारण उजागर हुई अर्थव्यवस्था की खामियों** को देखते हुए अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए।
- **MPC में नियुक्तियों में देरी** से बचते हुए इसकी स्वतंत्रता बढ़ाई जानी चाहिए और इसे राजनीतिक प्रभाव से बचाया जाना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने एक **मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा-उत्कर्ष 2.0** को अपनाया है।
  - इसका उद्देश्य **नागरिकों के विश्वास को मजबूत** करना, **नैतिक आंतरिक शासन** को अपनाना और गतिशील एवं कुशल **मानव संसाधनों** को तैयार करना है।

4.8.1. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन (Managing Food Inflation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) के एक अनुमान के अनुसार, 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम-से-कम 45,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति

- अगस्त 2023 में **खुदरा मुद्रास्फीति 6.83%** और **खाद्य मुद्रास्फीति 9.2%** थी। इसे साल-दर-साल (Y-O-Y) आधार पर **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)**[29] द्वारा मापा जाता है।
    - हालिया मुद्रास्फीति मुख्य रूप से **खाद्य और पेय पदार्थों की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के कारण** है, क्योंकि **CPI बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश 45.9%** है।
- वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रमुख रूप से **टमाटर, प्याज, अनाज (गेहूं और चावल), मसाले एवं दूध और डेयरी उत्पाद की बढ़ती कीमतों के कारण** देखी गई है।
    - गेहूं की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार घरेलू कारकों में आंशिक रूप से हीट वेव्स तथा बेमौसम बारिश शामिल हैं, जबकि इसके बाह्य कारकों में रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में परिवर्तन शामिल हैं।

भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घावधि में प्रभावित करने वाले कारक

मानसून की अनियमितता, जो जलवायु परिवर्तन से और भी बढ़ जाती है।	**वैश्विक कमोडिटी की कीमतें**, जिनमें खाद्य पदार्थों के साथ–साथ कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल हैं।	**सरकारी नीतियां**, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (**MSP**) भी शामिल है।	**अवसंरचना की उपलब्धता**, जिसमें भंडारण और वितरण प्रणालियां भी शामिल हैं।	**विनिमय दर में उतार–चढ़ाव**, जिससे कृषि–व्यापार और अंततः कृषि वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं।	**कीटों और रोगों का प्रकोप** फसल की पैदावार और कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **निर्यात पर रोक:** इसके तहत निर्यात प्रतिबंध लगाना, निर्यात शुल्क और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP)[30] लागू करने जैसे उपाय किए गए हैं।
- गेहूं व्यापारियों और मिल मालिकों पर गेहूं के **स्टॉक की अधिकतम सीमा** लागू की गई है।
- सरकार **ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS)** के तहत अनाज का **बफर स्टॉक रखती** है और उसमें से कुछ स्टॉक वितरण/ विक्रय के लिए निकालती है।
- 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** शुरू की गई थी।
- **किसानों को सीधे लाभ प्रदान करना:** किसानो को **सब्सिडी, आय सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य** (MSP)[31] पर खरीद के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
- **आपूर्ति पक्ष के उपाय:** इसमें कृषि उत्पादकता में सुधार, मार्केटिंग, रणनीतिक भंडार, फसल-विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना शामिल है।

वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन प्रणाली को लेकर चिंताएं

- **किसानों की आय में कमी:** खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के परिणामस्वरूप किसानों की आय में समग्र रूप से कमी आती है। ऐसे उपायों में निर्यात प्रतिबंध, OMSS और स्टॉक सीमा लागू करने जैसे उपाय शामिल हैं।

[29] Consumer Price Index

[30] Minimum Export Price

[31] Minimum Support Prices

- **नीतिगत पूर्वाग्रह:** बाजार को विकृत करने वाले ऐसे नीतिगत उपायों को अपनाना यह इंगित करता है कि भारत की खाद्य मूल्य नीति किसानों यानी उत्पादकों की तुलना में **उपभोक्ताओं के पक्ष में** अधिक है।
- **किसानों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ:** ICRIER और OECD[32] द्वारा पूर्व में किए गए एक शोध के अनुसार, 2000-01 और 2016-17 के बीच भारतीय किसानों को **सालाना 2.65 लाख करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर** का भारी बोझ वहन करना पड़ा।
- **वैश्विक प्रभाव:** भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 40% है। चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंध से वैश्विक कीमतों पर असर पड़ता है।
    - इस तरह के आकस्मिक नीतिगत बदलाव **वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हैं** और एक **विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर** करते हैं।

प्रतिकूल प्रभावों के बिना खाद्य मुद्रास्फीति का बेहतर प्रबंधन कैसे करें?

- **व्यापार नीति में संशोधन:** बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संरक्षणवादी व्यापार नीति के बजाय व्यापार नीति को अनुकूलित किया जा सकता है। इसमें आयात शुल्क में उचित समय पर कटौती जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं।
- **बफर स्टॉक:** सरकार को फसल कटाई के सीज़न के दौरान **टमाटर, प्याज, आलू (TOP)**[33] जैसी **अस्थिर कीमतों वाली प्रमुख सब्जियों के लिए बफर स्टॉक** बनाना चाहिए।
- **किसानों को आय सहायता:** आय में संभावित कमी की भरपाई के लिए सरकार **पी.एम.-किसान सम्मान निधि** के तहत किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर सकती है।
- **खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा:** ताजा उपज पर मूल्य दबाव के दौरान **प्रसंस्कृत खाद्य** उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकता है।

[32] आर्थिक सहयोग और विकास संगठन/ Organisation for Economic Co-operation and Development

[33] Tomato, Onion, Potato

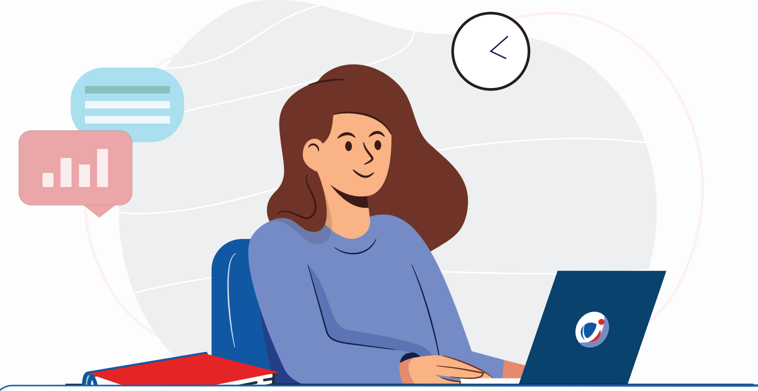

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

5. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Banking, Payment Systems and Financial Markets)

5.1. बैंकिंग (Banking)

बैंकिंग: एक नज़र में

भारत में बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ऋण प्रदान करने में 15.4% की वृद्धि हुई है (वित्त वर्ष 22-23)।**
- दिसंबर, 2022 के अंत में **SCBs का सकल NPA अनुपात 4.5% और निवल NPA 1.2% था।**
- सितंबर, 2022 में **SCBs का प्रोविजन कवरेज अनुपात 71.6% रहा।**
- SCBs के लिए संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न (RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) मार्च, 2016 से नकारात्मक रहने के बाद **2020 में सकारात्मक हो गया।**

योजनाएं/ पहलें

- **विनियम और सुपरविजन**
  - वित्त मंत्रालय द्वारा PSBs में सुधार के लिए **एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) 5.0**
  - **प्रिज्म अर्थात् एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए मंच (PRISM)।**
  - विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए **विनियामक समीक्षा प्राधिकरण (Regulatory Review Authority) 2.0** का गठन।
  - बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का विस्तार, विनियामकीय सुधार।
  - **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) जैसी पर्यवेक्षण संबंधी पहल।** इसे NBFCs के लिए अक्टूबर तक विस्तारित किया जाना है।
  - RBI की एक उन्नत निगरानी प्रणाली **दक्ष (DAKSH)** बैंकों, NBFCs आदि जैसी निगरानी वाली संस्थाओं में अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी करती है।
- **बैंकिंग की पैठ और अनुभव**
  - अंतरिम भुगतान के साथ **जमा राशि पर बीमा को बढ़ाकर 5 लाख करना।**
  - ऑनलाइन धोखाधड़ी के अपराधियों की काली सूची के रूप में **RBI द्वारा एक फ्रॉड रजिस्ट्री** बनाई गई है।
  - एक केंद्रीय वेब पोर्टल- **UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स- गेटवे टू एक्सेस इनफॉरमेशन)**
  - RBI ने SBI, ICICI और HDFC जैसे प्रमुख बैंकों को **घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs)** के रूप में वर्गीकृत किया है।

बाधाएं

- बैंकों, विशेष रूप से PSBs के लिए **NPA का उच्च अनुपात (5.5%)।**
- विनियामक अनुपालन का **बढ़ता बोझ** और भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता में लगातार गिरावट।
- वित्तीय प्रणाली के अलग-अलग क्षेत्रकों में PSBs के सीमित एकीकरण के कारण गैर-बैंकिंग कंपनियों, फिनटेक आदि से संबंधित **उभरती प्रतिस्पर्धा।**
- जमीनी स्तर पर **प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना।**
- बढ़ते सुरक्षा संबंधी खतरों के साथ **उपभोक्ता की बदलती अपेक्षाएं।**
- इनके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप** आदि जैसी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
- बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटा (Liquidity Deficit) बढ़कर **21.46 ट्रिलियन रुपये** हो गया, जो 2019 के बाद सबसे अधिक है।
- भारतीय बैंक **20 वर्षों में सबसे खराब जमा संकट (Deposit crunch)** से जूझ रहे हैं।

आगे की राह

- बाह्य ऑडिटिंग के साथ-साथ ऑन-साइट और ऑफ-साइट निगरानी को शामिल करते हुए **पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।**
- PCA व्यवस्था के माध्यम से समस्याग्रस्त बैंकों के लिए **एक कुशल और विवेकाधीन हस्तक्षेप की प्रक्रिया की शुरुआत करना।**
- ऐसी व्यवस्था को संस्थागत रूप देना, जो **वित्तीय समूहों (Financial Conglomerates) के विनियमन और पर्यवेक्षण** हेतु बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती हो।
- **क्रेडिटर्स के अधिकारों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस** को मजबूत करना।
- जहां आवश्यक हो वहां पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से PSBs की निवल संपत्ति की पुनर्बहाली करना।
- प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता करने और एक सुरक्षित एवं बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए **उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।**

5.1.1. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन {Umbrella Organisation (UO) For Urban Cooperative Banks}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक अम्ब्रेला संगठन **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC)**[34] का गठन किया है।

NUCFDC के बारे में

- **एन.एस. विश्वनाथन समिति** के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन इस क्षेत्रक में जनता और जमाकर्ताओं के भरोसा को बढ़ाने के लिए **एकमात्र दीर्घकालिक समाधान** प्रतीत होता है।
- **वैश्विक उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा** और **फ्रांस जैसे देशों में सहकारी बैंकों** की अच्छी-खासी संख्या है। इन देशों में UCBs को **क्रेडिट यूनियन** की संज्ञा दी गई है। साथ ही, इन देशों में सहकारी बैंक आपस में एक-दूसरे से गहन रूप से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये अम्ब्रेला संगठन (UO) नामक एक शीर्ष संस्था के तहत संचालित होते हैं।
- भारत में, अम्ब्रेला संगठन की सहायता से लगभग **1,502 UCBs को अधिक सशक्त और आधुनिक** बनाया जा सकेगा।

UCBs की मौजूदा खामियां, जिन्हें NUCFDCs द्वारा समाप्त किया जा सकता है

- **ख़राब प्रशासन:** क्योंकि **बोर्ड के सदस्य बैंक के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं।** उदाहरण के लिए- खराब प्रशासन के कारण पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) में विफलता की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
- **पूंजी जुटाने में मौजूद बाधाएं:** क्योंकि सहकारी बैंकों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करना कानूनी रूप से संभव नहीं है।
- **तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा:** इन्हें वित्तीय रूप से मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से लैस लघु वित्त बैंक (SFBs), फिनटेक इत्यादि से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये UCBs के पारंपरिक बाजार क्षेत्रों को बाधित कर सकते हैं।
- **उच्च सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA):** RBI की **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट** के अनुसार, UCBs का GNPA सितंबर, 2023 तक 10.9% था।

[34] National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited

NUCFDC के प्रमुख कार्य

- **तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करना:** यह पूंजी जुटाकर **300 करोड़ रुपये के पूंजी आधार** तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुआ है ताकि जरुरत पड़ने पर UCBs की सहायता की जा सके।
  - NUCFDC, UCBs को **फंड प्रबंधन** और अन्य परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर सकता है।
- **विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना:**
  - यह लघु बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करेगा।
  - यह **UCBs और विनियामक संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श** को आसान बनाएगा।
- **एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना:** NUCFDC, UCBs को अपेक्षाकृत कम लागत पर **अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने** में मदद करेगा।

UCBs की समस्याओं से निपटने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (Supervisory Action Framework: SAF):** यह उन शहरी सहकारी बैंकों की समस्याओं का तेजी से समाधान ढूंढने में मदद करता है जो आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।
- **स्वैच्छिक रूपांतरण योजना (Scheme for voluntary conversion):** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2018 में योग्य शहरी सहकारी बैंकों को स्वैच्छिक रूप से लघु वित्त बैंकों (SFBs) में बदलने की योजना की घोषणा की थी।
- **अन्य कदम:**
  - शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी गई है।
  - इन बैंकों द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है।

निष्कर्ष

शहरी सहकारी बैंकों के दीर्घकालिक विकास के लिए तेजी से तकनीक अपनाना, जवाबदेही की स्पष्ट प्रक्रियाएं और पूरे वित्तीय सिस्टम के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने होंगे।

5.1.2. बेसल III एंडगेम (Basel III Endgame)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन (CBA) ने "अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के मार्जिन पर उपभोक्ताओं पर **बेसल III एंडगेम** प्रस्ताव का प्रभाव[35]" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

बेसल III एंडगेम के बारे में

- **बेसल III** बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** द्वारा तैयार **उपायों का एक सेट है।**
- **बेसल III मानदंडों** के नियमों के अंतिम सेट को **"बेसल III एंडगेम"** नाम दिया गया है।
  - **एंडगेम का एक संभावित प्रभाव** यह भी है कि **"ग्लोबली सिस्टेमिकली इंपोर्टेंट बैंक (Globally Systemically Important Banks: G-SIBs)"** द्वारा अपनी पूंजी आवश्यकताओं में 21% की वृद्धि की जाएगी।
  - **प्रस्तावित परिवर्तनों** का उद्देश्य **बैंकिंग प्रणाली की "मजबूती और संकट से निपटने की क्षमता"** में सुधार करना और बैंकों के पूंजीगत फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाना एवं स्थिरता बनाए रखना है।

बेसल मानदंडों का महत्त्व:

- **बेहतर जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का विकास:** पूंजी आवश्यकता मानदंडों के जरिए, यह केवल उन चुनिंदा टारगेट सेगमेंट, बाजारों और ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका **उच्च जोखिम अनुपात है।** यह स्थिति अन्य बैंकों पर बढ़त प्रदान करता है।
- **मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया:** इसके परिणामस्वरूप **लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों सहित ग्राहकों को बेहतर सेवा प्राप्त** होती है। इससे लघु व्यवसायों के लिए बेहतर तरलता (नकदी) सुनिश्चित होती है तथा उनकी **संवृद्धि और विस्तार जैसी आवश्यकताओं** में मदद मिलती है।

[35] The Impact of the Basel III Endgame Proposal on Consumers on the Margins of the U.S. Financial System

© Vision IAS

- **बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस:** ये मानदंड बैंकों को **कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार और पूंजी आवंटन जैसे व्यावसायिक लाभ** भी प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक स्पिलओवर यानी अन्य क्षेत्रकों पर प्रभाव को कम करना:** ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि **समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त न** हो जाए और रियल इकोनॉमीज (वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन) को भी अपनी चपेट में ना ले ले।

भारत में बेसल मानदंड का लागू होना

- RBI ने **1998-99** की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषणा के द्वारा भारत में **बेसल 1 मानदंडों** को अपनाया था। इनके जरिए **पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR)**[36] को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।
    - **2007 में, RBI ने बेसल II को लागू करने** के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की।
- **बेसल III पूंजी नियम (बेसल III मानदंडों का पिलर I) भारत में अप्रैल, 2013 से** आंशिक रूप से और अक्टूबर, 2021 तक पूरी तरह से लागू कर दिए गए।
    - बेसल मानदंडों की तुलना में, **RBI के निर्धारित मानदंड अधिक कठोर और विवेकपूर्ण हैं।**
    - RBI ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFIs) के लिए बेसल-III पूंजी ढांचा भी पेश किया है।

निष्कर्ष

बेसल एकॉर्ड का **सबसे बड़ा योगदान पूंजी की एक कॉमन परिभाषा** निर्धारित करना है, हालांकि पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को देशों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर समायोजित करके अपनाया है।

[36] Capital to Risk Weighted Assets Ratio

5.2. परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring)

परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन: एक नज़र में

भारत में NPAs की स्थिति

- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) **2022-23 में घटकर 3.9% पर आ गई।**
- क्षेत्रक आधारित हिस्सेदारी के मामले में **अवसंरचना क्षेत्रक सबसे अधिक NPAs के लिए उत्तरदायी है।**
- **इसमें PSBs का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है,** अर्थात् NPA का लगभग 9/10वां हिस्सा PSBs का है।
- भारत **2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।**

भारत में NPAs की समस्या के उद्भव का कारण

आर्थिक कारण:
- 2006-08 के दौरान मजबूत आर्थिक संवृद्धि के कारण अंधाधुन मात्रा में ऋण दिया गया।
- अर्थव्यवस्था में व्याप्त संरचनात्मक मुद्दे जैसे कि खराब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।

व्यवस्था संबंधी कारण:
- विनियामकीय सक्रियता के अभाव की एक लंबी नीति के कारण **NPAs को चिन्हित करने वाली व्यवस्था की अनुपस्थिति बनी रही।**
- किसी परियोजना के तहत प्रमोटर और बैंक के हित की हानि होने पर परियोजनाओं से स्वयं\को अलग कर लेना।
- कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सरकार द्वारा अनुमतियों के संबंध होने वाला विलंब जैसे **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे।**

नैतिक कारण:
- ऋण प्रदान करने में लापरवाही या ऋण देने से पहले विश्लेषण हेतु आउटसोर्स पर निर्भरता जैसी **बैंकिंग गड़बड़ी।**
- प्रमोटर द्वारा **पुनर्गठन प्रक्रिया में हेरफेर करना।**

NPAs की वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **चिन्हित करना:** इसमें NPA को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2015 की संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Review) का आयोजन; **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क।**
- बजटीय आवंटन और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं द्वारा **पुनर्पूंजीकरण** किया गया।
- **समाधान:** इसमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), प्रोजेक्ट सशक्त, कोविड-19 संकट के दौरान आर.बी.आई द्वारा आरंभ किए गए फ्रेमवर्क और एम.एस.एम.ई. समाधान (MSME SAMADHAN) जैसी अन्य योजनाएं शामिल हैं।
- **सुधार:** क्षेत्रक आधारित सुधार के लिए दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं, जैसे - अधिक मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली; आर.बी.आई की शक्तियों का विस्तार करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख सुधार।
- **एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) - EASENext सुधार (या EASE 5.0)**

चुनौतियां जो अभी बाकी हैं

- जोखिम के बारे सोचकर बैंकर्स की निर्णय लेने की प्रक्रिया में उदासीनता।
- **स्पष्ट जवाबदेही का अभाव** नैतिक खतरे और नियमों के पालन में कोताही को बढ़ावा देता है।
- PSBs में नियुक्ति में देरी, हस्तक्षेप आदि के रूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे।
- वित्तीय क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की अनुपस्थिति के रूप में बैंकिंग क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक के अन्य तत्वों को एक साथ नहीं देखा जाता है।
- संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) की वृद्धि सुसंगत नहीं रही है और हमेशा बैंकों के NPAs की प्रवृत्तियों के साथ समकालिक नहीं रही है।

NPA का समाधान बैंकिंग क्षेत्रक के सुधार के लिए एक उत्प्रेरक

- ऋण प्रदान करने की पद्धति को और अधिक कुशल बनाकर **कोर बैंकिंग कार्यप्रणाली को मजबूत करना।**
- पारदर्शिता और स्पष्ट संचार माध्यमों के निर्माण के द्वारा **गवर्नेंस के स्तर को बेहतर करना।**
- सभी हितधारकों की **सोच में परिवर्तन लाते हुए** इस बात को स्पष्ट करना कि विनियामकीय सक्रियता के अभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे साधनों के माध्यम से **प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना।**
- NBFCs और फिनटेक क्षेत्रक में जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए **वित्तीय प्रणाली में एकीकरण को बढ़ावा देना।**

5.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया है।

IBBI द्वारा प्रस्तावित मुख्य सुधारों पर एक नज़र

- क्रेडिटर्स की समिति (CoC) द्वारा **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)**[37] की भूमिकाओं और अब तक के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- **समाधान पेशेवरों (Resolution Professionals: RP)** द्वारा हर महीने क्रेडिटर्स की समिति की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **परिसम्पतियों की मूल्यांकन पद्धतियों (Valuation methodologies) का मानकीकरण** किया जाना चाहिए।
- समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए और समाधानों को लागू करने में देरी को कम करना चाहिए। समाधान योजना में दो-भाग वाली संरचना या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
  - **समाधान योजना का भाग A:** यह समाधान योजना भुगतान, दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के भुगतान जैसे प्राप्तियों (inflow) से संबंधित होगी।
  - **समाधान योजना का भाग B:** विभिन्न हितधारकों को भुगतान के वितरण से संबंधित होगा।
- **असहमति जताने वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की न्यूनतम हकदारी (Entitlement) में स्पष्टता** होनी चाहिए।

IBC का महत्त्व

- यह **संहिता समय पर ऋण वसूली/समाधान में सहायक** में सहायक है।
- यह संहिता एक कंपनी को **न्यूनतम व्यवधान और न्यूनतम लागत से** दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने तथा उसके निष्क्रिय पड़े संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।
- **ऋण वसूली प्राधिकरण: सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 और लोक अदालत** जैसे पुराने तंत्रों की तुलना में IBC का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
- **'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार** और छोटे निवेशकों के हितों को बढ़ावा।

[37] Corporate insolvency resolution process

© Vision IAS

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के बारे में

- कार्पोरेट व्यक्तियों, **साझेदारी फर्मों** और **व्यक्तियों** को शामिल करने वाले **पुनर्गठन** और **दिवाला समाधान** से संबंधित **कानूनों को एक साथ लेकर** और **आवश्यक संशोधन** करके यह संहिता बनाई गई है।
    - **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)** उन क्रेडिटर्स के लिए ऋण वसूली योजना है जिनके ऋण कॉर्पोरेट के पास फंसा हुआ है।
- यह बिना डिफॉल्ट वाले ऐसे कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिए भी समाधान तंत्र प्रदान करता है जो अपने व्यवसाय से बाहर निकलना यानी व्यवसाय बंद करना चाहते हैं। यह एक प्रकार की **स्वैच्छिक परिसमापन यानी लिक्विडेशन प्रक्रिया** है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की चुनौतियां

- **IBC के तहत समाधान के लिए 13,000 मामलें लंबित** हैं। इनमें 2,073 ऐसे मामले शामिल हैं जिन पर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया जारी है।
- **दिवाला समाधान के लिए अधिक न्यायिक पीठें (बेंच) स्थापित नहीं की गई हैं।** साथ ही, समाधान हेतु **मामलों की पहचान तथा उसकी अनुमति देने भी में देरी** की जाती है।
- मार्च, 2019 और सितंबर, 2023 के बीच **वसूली दर 43% से घटकर 32% हो गई** है।
- किसी मामले के **दिवाला समाधान के लिए 330 दिनों** की अवधि निर्धारित की गई है। 2019 में दिवाला समाधान में औसत **324 दिन लगते थे,** जो **2023 में बढ़कर 653 दिन हो गया।**

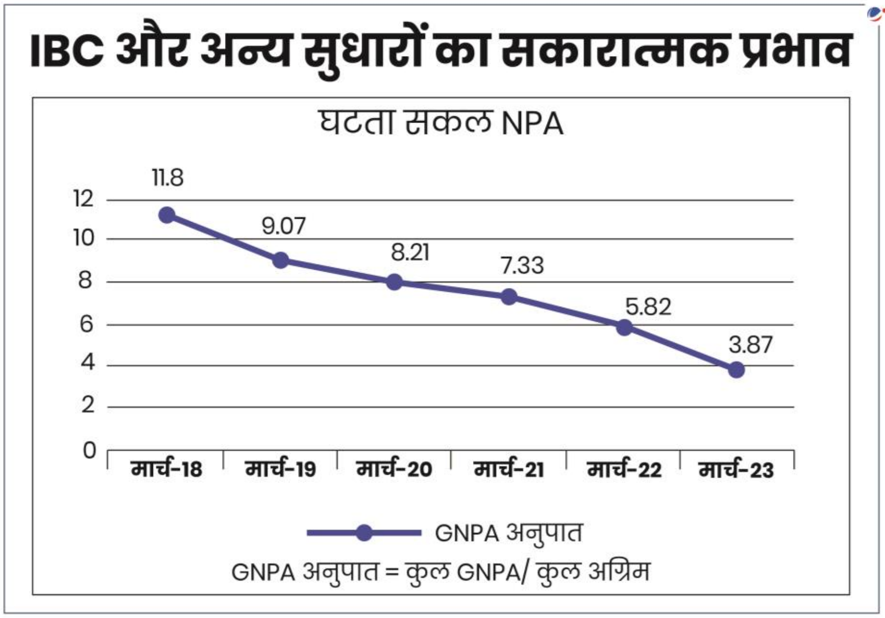

- क्रेडिटर्स को औसतन 70% से अधिक मामलों में **80% से अधिक हेयरकट (मूलधन में कटौती) का सामना** करना पड़ा है। इसका आशय है कि ऋणदाताओं को दिवाला समाधान के बाद मूल परिसंपत्ति यानी मूल ऋण से 80 प्रतिशत कम राशि प्राप्ति होती है।

आगे की राह

- **IBBI द्वारा प्रस्तावित सुधारों को लागू करना** चाहिए, जैसे-
    - **NCLT पीठों की संख्या बढ़ानी** चाहिए और **दावे फाइल करने की समय-सीमा बढ़ानी** चाहिए।
    - घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिटर्स के एक वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधियों (ARs) को दिवाला समाधान प्रक्रिया में अधिक भूमिका दी जानी चाहिए।
- समीक्षा के बाद **प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) विकल्प के दायरे में** सभी कॉर्पोरेट को शामिल किया जाना चाहिए।
    - वित्तीय संकट का सामना करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए PIRP एक वैकल्पिक समाधान प्रणाली है।
- विशिष्ट क्षेत्रकों के लिए **विशेष समाधान फ्रेमवर्क** की शुरुआत करनी चाहिए।
- वैश्विक मानकों के समान हेयरकट्स और अन्य प्रक्रियाओं के लिए बेंचमार्क निर्धारित होनी चाहिए।
- IBC के तहत विवाद समाधान तंत्र के रूप में **स्वैच्छिक मध्यस्थता की चरणबद्ध शुरुआत** की जानी चाहिए, जैसा कि टी.के. विश्वनाथन समिति द्वारा सुझाया गया है।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का प्रभावी तरीके से उपयोग** किया जाना चाहिए।
    - इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने समाधान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए **मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां) निर्देश,** 2024 जारी किए हैं।

5.3. भुगतान प्रणाली (Payment System)

भुगतान प्रणाली: एक नज़र में

भारत में भुगतान प्रणाली की स्थिति

- RBI के अनुसार, **भारत में सभी लेन-देन का लगभग 50% नकद में होता है।**
- भारत में मात्रा (वॉल्यूम) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 50% हिस्से पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व है।**
- भारत में मूल्य (वैल्यू) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 53% हिस्से पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।**
- **2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4** रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)।

प्रमुख लक्ष्य

- **रियल टाइम, सुरक्षित, सुलभ और आसान भुगतान** तंत्र प्रदान करना।
- भुगतान के एक रूप का दूसरे रूप में निर्बाध प्रवाह के साथ एक **एकीकृत भुगतान प्रणाली** सुनिश्चित करना।
- **लेन-देन की लागत को यथासंभव कम से कम** करना।
- लेन-देन की उच्च मात्रा को प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए **संस्थागत, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना का निर्माण करना।**
- विभिन्न भुगतान तंत्रों के बीच **इंटरऑपरेबिलिटी को विस्तारित** करना।

योजनाएं/ पहलें

- RBI का **भुगतान विजन 2025,** जिसके **पांच स्तंभ** हैं- सत्यनिष्ठा (Integrity), समावेशन (Inclusion), नवाचार (Innovation), संस्थागतकरण (Institutionalization) और अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization)।
- UPI लाइट, UPI-123पे आदि के जरिए UPI सिस्टम में सुधार, सीमा-पार लेन-देन को सक्षम करना, आदि।
  - शैक्षणिक संस्थानों जैसे कुछ निर्धारित श्रेणियों के लिए UPI लेन-देन की सीमा को बढ़ाना।
- RBI द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) का गठन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **(डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) दिशा-निर्देश, 2021**
- **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)** का युक्तिकरण करना।
- RBI का **मिशन हर पेमेंट डिजिटल** और **75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम।**
- RBI द्वारा **फिनटेक रिपॉजिटरी** की स्थापना।
- तुलना करने और बेस्ट ऑफ़र के चयन हेतु **वेब-एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट (WALP)** के लिए विनियामकीय ढांचा।

© Vision IAS

बाधाएं

- नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था से **डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को केवल क्रमिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है।**
- साइबर हमले, डेटा में सेंध, भुगतान प्लेटफॉर्म का काम न करना और सूचना की चोरी से **डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी जोखिम** पैदा होते हैं।
- **डिजिटल वित्तीय जागरूकता** और डिजिटल वित्तीय साक्षरता का अभाव।
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच।
- **गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं** के लिए डिजिटल भुगतान संबंधी कम विकल्प।
- ग्राहक के संरक्षण और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे।
- विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में **लागत और कनेक्टिविटी** से संबंधित मुद्दे।

आगे की राह

- डेटा का कुशलतापूर्वक संग्रहण, प्रसंस्करण और संचारण करने के लिए डिजिटल एवं वित्तीय अवसंरचना के साथ-साथ दूरसंचार जैसी **आधारभूत अवसंरचना** को भी मजबूत करना।
- भुगतान प्रणाली के लिए **एकल विनियामकीय व्यवस्था** की आवश्यकता है।
- **मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑफ-लाइन भुगतान** के लिए भी अधिक विकल्प प्रदान करना।
- वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ **डिजिटल भुगतान के संबंध में जागरूकता।**
- आपराधिक दुरुपयोग संबंधी जोखिम को पहचानकर, समझकर, उनका आकलन करना और उनके समाधान द्वारा **वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा** की रक्षा करना।
- लोगों द्वारा डिजिटल भुगतान की स्वीकृति को मापने के लिए **जियो-टैगिंग तकनीक का उपयोग** करना।
- **विनियामकों के बीच समन्वय** को बढ़ाना।
- **इंटरनेट की उपलब्धता, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली** में वृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.3.1. सीमा-पार भुगतान (Cross Border Payments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए G20 टेक-स्प्रिंट 2023 का आयोजन किया गया था। इन समाधानों का उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार लाना है।

सीमा पार भुगतान के बारे में

- यह एक प्रकार का वित्तीय लेन-देन है, जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन-देन में **प्रेषक (Sender)** और **प्राप्तकर्ता (Recipient) अलग-अलग देशों में स्थित** होते हैं।
    - **2023** में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य लगभग **190 ट्रिलियन डॉलर** होने का अनुमान है। साथ ही, 2030 तक इसके 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

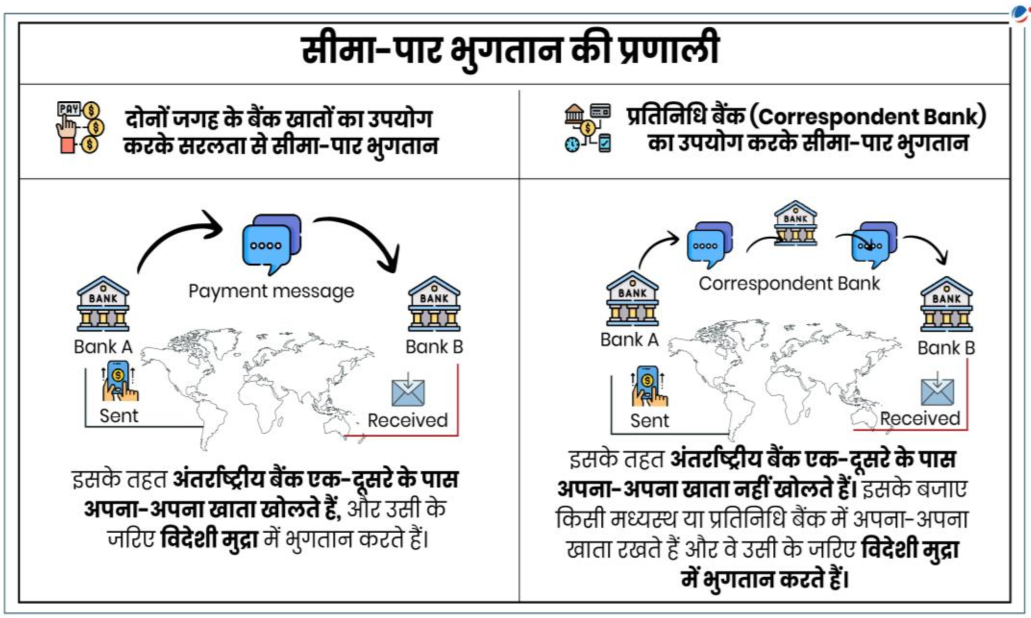

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान का विशेष महत्त्व कैसे है?

- **विप्रेषण में सरलता (Ease Remittances):** 2016 के बाद से, भारत का सीमा पार विप्रेषण 8% की CAGR[38] से बढ़ रहा है।
- **यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना:** 2021 में, भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था।
- **विदेशी निवेश में तेजी:** वित्त वर्ष 2023 में भारत को कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI[39] प्राप्त हुआ।
- **वैश्विक बाजारों तक पहुंच:** यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने और नए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है।
- **विविधीकरण:** यह व्यवसायों को अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाता है।

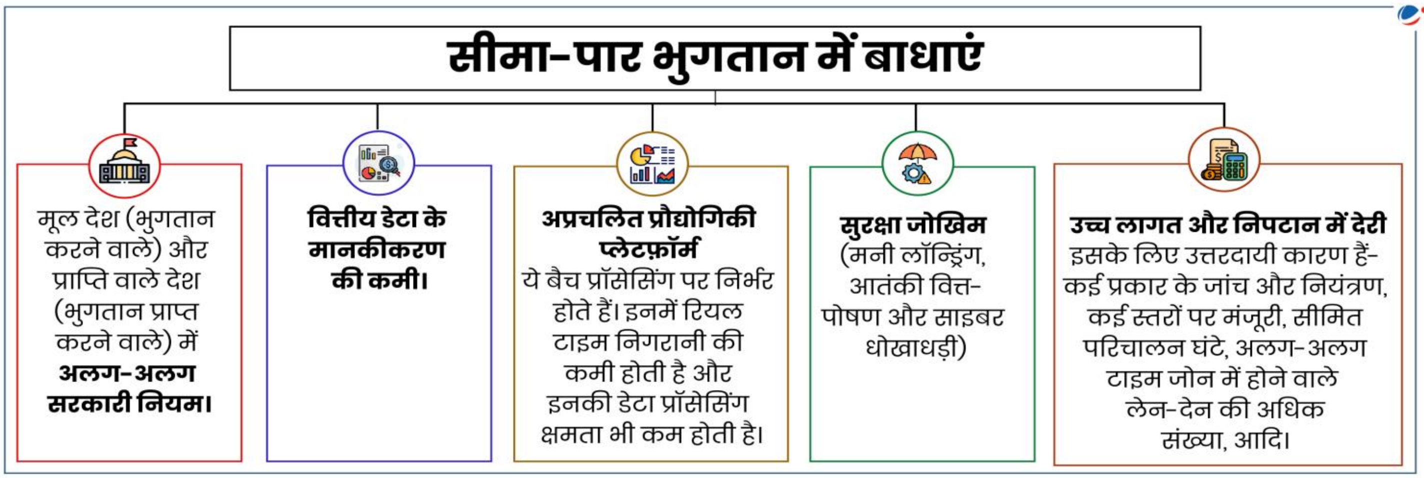

सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किये गए उपाय

- **RBI पेमेंट विजन 2025:** इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है।
- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)** ने **BHIM UPI-QR कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने** के लिए अलग-अलग देशों, वहां की कंपनियों व व्यापारिक संस्थाओं के मिलकर कई पहलें शुरू की हैं।
  - वर्तमान में, **सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, नेपाल** और **भूटान** में BHIM UPI-QR कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है।
- RBI ने भारत आने वाले **विदेशी नागरिकों और NRIs को UPI[40] के इस्तेमाल की अनुमति** दी है। इस तरह वे **भारत आने पर UPI का उपयोग कर भुगतान करने में सक्षम** हुए हैं।

आगे की राह

- **मौजूदा पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सुविधाओं में सुधार** करना चाहिए। इसके लिए सभी **भुगतान प्रणालियों में प्रक्रियाओं, ऑपरेशनल समय आदि का समन्वय करने**, मौजूदा भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
- मैसेज फॉर्मेट के लिए **एक सुसंगत ISO 20022 संस्करण** अपनाया जा सकता है। यह संस्करण **वित्तीय सूचनाओं के लिए एक खुला वैश्विक मानक है।**
- सीमा पार भुगतान में **विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग** स्थापित करना चाहिए, ताकि उनकी दक्षता और नवीन समाधानों का लाभ उठाया जा सके।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) जैसी नई पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं की संभावित भूमिका** का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- **एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और नो-योर-कस्टमर (KYC)** आवश्यकताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

---

[38] Compounded Annual Growth Rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

[39] Foreign Direct Investment/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

[40] यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

© Vision IAS

5.4. पूंजी बाजार (Capital Markets)

पूंजी बाजार: एक नज़र में

पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का ही एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत खरीदार और विक्रेता दीर्घावधि के वित्तीय लिखतों का व्यापार करते हैं। यहां दीर्घावधि का अर्थ एक वर्ष से अधिक की अवधि से है।

भारत के पूंजी बाजार की स्थिति

- इक्विटी बाजार में पिछले कुछ दशकों के दौरान **लगातार वृद्धि** दर्ज की गई है। भारत **चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट** है।
- इक्विटी और ऋण के अलावा, पूंजी बाजार बड़ी संख्या में नए साधनों, जैसे- **हाइब्रिड और कन्वर्टिबल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)** आदि के माध्यम से स्वयं में विविधता ला रहा है।
- **इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)** इश्यू के माध्यम एकत्रित की गई धनराशि भी पिछले एक दशक में पहले के किसी दशक की तुलना में सबसे अधिक रही है।

पूंजी बाजार की भूमिका

- **उद्योगों के लिए वित्त-पोषण की लागत कम करना,** उद्योगों के विस्तार को सक्षम बनाना और पारदर्शिता लाना।
- सरकार, उसके उद्यमों और स्थानीय निकायों के लिए **वित्त-पोषण का वैकल्पिक स्रोत।**
- सरकारी उद्यमों के लिए **विनिवेश की सुविधा प्रदान करता है।**
- निवेशकों को बेहतर रिटर्न के साथ **पूंजी निर्माण,** विदेशी निवेश को आकर्षित करने और नवीन समाधानों के वित्त-पोषण में मदद करता है।
- इम्पैक्ट बॉण्ड, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के साथ **सामाजिक उत्थान।**
- **संधारणीय निवेश और जलवायु वित्त** को बढ़ावा देना, जैसे- हरित बॉण्ड, ESG को अपनाना आदि।

भारत में पूंजी बाजार के विकास के लिए जिम्मेदार कारक

- दक्षता सुधार के लिए **डिपॉजिटरी सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन-बेस्ड ट्रेडिंग तथा इसके माध्यम से ट्रेडिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण।**
- T+1 **सेटलमेंट** को अपनाए जाने से ट्रेड्स या लेन-देन का त्वरित निपटान। इसके अलावा, T+0 **सेटलमेंट** के लिए ट्रायल चल रहा है।
- कम्पनियों के IPO लिस्टिंग का समय 6 दिन से घटाकर 3 दिन किया गया है।
- **पूंजी बाजार लिखतों और निवेश के अवसरों को लेकर जागरूकता में वृद्धि हुई है।**
- म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड, REITs, InvITs जैसे **नवीन वित्तीय लिखतों का सृजन।**
- मर्चेंट बैंकिंग और अंडरराइटिंग बिज़नेस जैसे **सहायक उद्योगों का विकास।**
- विदेशी पूंजी के दोहन के लिए **उदारीकरण के उपाय।**
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, विकास बैंकों और स्वतंत्र नियामक निकाय जैसे **संस्थागत ढांचे का विकास।**

भारतीय पूंजी बाजार में चुनौतियां

- **अपर्याप्त प्रकटीकरण:** कंपनियों द्वारा प्रकट की गई जानकारी का गुणवत्तापूर्ण न होना, विशेष रूप से जलवायु संबंधी प्रकटीकरण।
- **निवेशकों को अपर्याप्त संरक्षण,** जैसे- शिकायत निवारण तंत्र की कमी।
- **खुदरा भागीदारी** में कमी और छोटे शहरों से निवेश का अभाव।
- **कदाचार, अनुचित प्रथाएं और मूल्य हेरफेर तथा इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे घोटाले** निवेशकों के विश्वास को कम करते हैं।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) की स्वायत्तता संबंधी मुद्दा।**
- एल्गो ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट एडवाइजरी जैसी **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग।**

पूंजी बाजार में विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम

- SCORES 2.0 जैसी पहलों की सहायता से **खुदरा निवेशकों की भागीदारी का विस्तार करना, जो निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करता है।**
- **निवेशक संरक्षण के लिए कानूनी और नियामकीय ढांचे को मजबूत बनाना।**
- वित्तीय परिणामों, वार्षिक रिपोर्ट और ESG मानदंडों के अंगीकरण आदि की गुणवत्ता में वृद्धि करके **प्रकटीकरण की गुणवत्ता में वृद्धि करना।**
- **मज़बूत उपायों के ज़रिए कदाचार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाना** और इनसाइडर ट्रेडिंग का निवारण करना।
- 'इन्वेस्टर पे' मॉडल जैसे उपायों के माध्यम से **क्रेडिट रेटिंग उद्योग में सुधार करना।**
- **एल्गो ट्रेडिंग और जनरेटिव AI जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना।**
- संसाधनों की लामबंदी की गति को बढ़ाने के लिए **विविधीकरण।**

5.4.1. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए फ्रेमवर्क में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है ताकि इसमें निवेश को और आसान बनाया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क में नए संशोधनों का उद्देश्य **गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) को फंड जुटाने में और अधिक मदद प्रदान करना** है।
  - नए संशोधनों के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज में NPOs के लिए **जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP)** इंस्ट्रूमेंट्स की पब्लिक इश्यू के लिए न्यूनतम इश्यू साइज 1 करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।
  - रिटेल सहित कई अन्य सब्सक्राइबर्स की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए NPOs द्वारा जारी **जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल** की पब्लिक इश्यू में आवेदन करने हेतु न्यूनतम निवेश राशि 2 लाख रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज वास्तव में मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग सेगमेंट है। यह सामाजिक उद्यमों; जैसे कि गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) या फॉर-प्रॉफिट एंटरप्राइजेज (FPEs) को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जनता से फंड जुटाने में मदद कर सकता है।
- निम्नलिखित तरीके से फंड जुटाए जा सकते हैं:
  - ZCZP बॉण्ड जारी करके और NPO के लिए म्यूचुअल फंड के जरिए दान देकर;
  - फॉर-प्रॉफिट इंटरप्राइजेज के लिए इक्विटी और ऋण इंस्ट्रूमेंट जारी करके।

© Vision IAS

सोशल स्टॉक एक्सचेंज का महत्त्व

- **स्टॉक बाजार से फंड जुटाने के लिए अवसर:** सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक उद्यमों और निवेशकों/ दानदाताओं के बीच एक साझा और सुव्यवस्थित मीटिंग ग्राउंड की सुविधा प्रदान करता है, जहां उचित तरीके से काम करने और वित्तीय जवाबदेही के लिए एक बना बनाया विनियामकीय फ्रेमवर्क उपलब्ध होता है।
- **प्रदर्शन के आधार पर परोपकारी दान:** SSE में सूचीबद्ध उद्यमों के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी। इस प्रकार यह प्रदर्शन (सामाजिक रिटर्न) परोपकारी दान पाने की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- **लिस्टिंग और पंजीकरण के लिए नगण्य लागत:** SSE में पंजीकरण और लिस्टिंग के लिए नगण्य या शून्य शुल्क चार्ज करके पब्लिक इश्यू जारी करने की लागत कम करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से फंड जुटाने का विकल्प:** SSE विदेशी निधियों और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसी के योगदानों का लाभ उठाने और उन्हें आकर्षित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।

SSE से जुड़ी चिंताएं

- **जागरूकता और शिक्षा की कमी** से संभावित निवेशक इससे जुड़ नहीं पाते हैं।
- कठोर विनियामकीय नियमों के चलते **सामाजिक उद्यमों का विनियमन जटिल बन जाता है।**
- सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत **मूल्यांकन पद्धतियों का अभाव।**
- **सामाजिक प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता को संतुलित करना** भी चिंता का एक विषय है।
- सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों (SSEs) में संगठनात्मक वित्त-पोषण के बजाय **परियोजना-आधारित वित्त-पोषण पर जोर दिया जा रहा है।**

आगे की राह

- **निवेश के अनुकूल माहौल:** SSE को सामाजिक उद्यमों और लिस्टेड संगठनों की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **कर छूट देना:** यह आवश्यक है कि भारत में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कर कानून समन्वित और एकीकृत हों, ताकि निवेशकों और निवेश कर चुके व्यक्तियों या संस्थाओं, दोनों को फिर से आकर्षित किया जा सके।
- **शोध को बढ़ावा:** फंड की मांग का कठोर मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि, यह समझा जा सके कि दानकर्ता और निवेशक SSE के वैल्यू का आकलन किस तरह करते हैं।
- **सामाजिक उद्यमों की व्यवहार्यता:** SSE की सफलता के लिए, एक स्केलेबल मॉडल जरूरी है, जो आवश्यक पूंजी को आकर्षित करने में सक्षम हो ताकि ये बेहतर सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सके।

5.5. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

क्रिप्टोकरेंसी: एक नज़र में

- क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन, इथीरियम आदि) वस्तुतः **क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक डिजिटल या आभासी मुद्रा** होती है। यूनिट्स के सृजन को विनियमित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी का नियंत्रण **ब्लॉकचेन** नामक **डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक** के माध्यम से किया जाता है। ये केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के लाभ

- **बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त करने से** लेन-देन की लागत में काफी कमी और लेन-देन की गति में वृद्धि होती है।
- क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन के जरिए **भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा बढ़ती** है, जिससे साइबर खतरों के जोखिम में कमी आती है।
- बेहतर पारदर्शिता के कारण **गड़बड़ी की संभावना भी लगभग नगण्य** होती है।
- बैंकिंग अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती है और यह वित्त तक असमान पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकती है। इस प्रकार यह **वित्तीय समावेशन में सहायता करती है।**
- **तकनीकी उन्नति के माध्यम** से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे साधनों को संभव करके **व्यवसायों को मजबूत** बनाती है।
- **इसमें आर्थिक क्षेत्र के बाहर उपयोग की उच्च क्षमता होती है** यानी सामाजिक क्षेत्र में कलाकारों के लिए एक मंच के रूप में।

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित चिंताएं

- एक वैकल्पिक मुद्रा की मौजूदगी में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति जैसे **समष्टि आर्थिक चरों को नियंत्रित करना।**
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण जैसी **आपराधिक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग।**
- अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी को मूल्य और ट्रेडिंग वॉल्यूम की उच्च अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
- किसी केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण **कर चोरी और कर परिहार।**
- हैकर्स और हानि पहुँचाने वाले उपयोगकर्ताओं से संबंधित **साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे।**
- सीमित वित्तीय समावेशन और तकनीकी पहुंच के कारण **डिजिटल मुद्रा की मौजूदगी एक नया आर्थिक-विभाजन पैदा कर सकती है।**
- क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक प्रमुख कारक** बन सकता है।

आगे की राह

- बजट 2022-2023 में सुझाव दिया गया है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** के विचार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।
- समय के साथ विकसित होने और संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाले विनियामकीय दृष्टिकोण को अपनाकर **विनियामक सैंडबॉक्स** में महारत हासिल करना चाहिए।
- नियामकों को अपने निवेशक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- वित्तीय साक्षरता में सुधार, डिजिटल पहुँच को बेहतर करके और साइबर सुरक्षा पारितंत्र को मजबूत करके **डिजिटल वित्त को अपनाने के लिए एक पारितंत्र तैयार करना चाहिए।**
- **नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्रक को शामिल करना चाहिए।**
- **डिजिटल युग के लिए एक कुशल मौद्रिक नीति विकसित करना चाहिए।**
- **वित्तीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बनाए रखना चाहिए।**

© Vision IAS

5.5.1. क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन (Regulation of Crypto Assets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, G20 देशों ने **'नई दिल्ली लीडर्स घोषणा-पत्र[41]'** को अपनाया। इस घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावी विनियमन को भी शामिल किया गया है।

भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की स्थिति

- **कानूनी प्रावधान:** वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन, हस्तांतरण, भंडारण या प्रबंधन का काम **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[42], 2002** के अधीन किया जाता है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का रुख और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:** RBI ने कई बार क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये परिसंपत्तियां वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।
- **विनियामकीय ढांचा:** वर्ष 2022 में, वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में डिजिटल रुपया, राज्य समर्थित एक क्रिप्टोकरेंसी और निजी क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया था।
- **कर व्यवस्था:** वर्ष 2022 में, केंद्रीय बजट में पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टोकरेंसी सहित डिजिटल परिसंपत्तियों को **"आभासी डिजिटल परिसंपत्ति"** के रूप में वर्गीकृत किया गया।

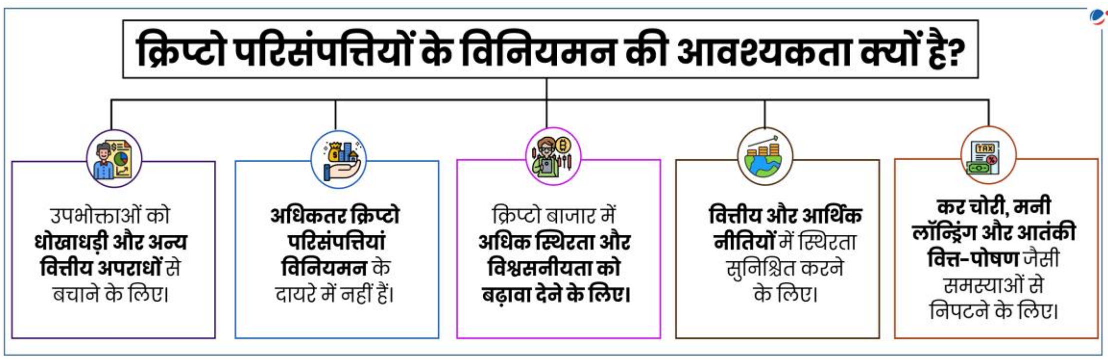

क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन में विद्यमान चुनौतियां

- **पूर्ण प्रतिबंध:** क्रिप्टो-परिसंपत्ति से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण लागत अधिक हो सकती है। साथ ही, ऐसे प्रतिबंधों को लागू करना भी तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है।
- **विनियामकीय स्थिरता:** अलग-अलग देशों में क्रिप्टो नियमों में ताल-मेल हासिल करना एक जटिल कार्य बना हुआ है।
- **सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव:** अलग-अलग देश क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अलग-अलग श्रेणियों में परिभाषित और वर्गीकृत करते हैं। इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने में अस्पष्टता पैदा होती है। साथ ही, इससे बाजार में भाग लेने वालों के लिए अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो जाती है।
- **एकीकृत प्रयास न होना:** विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन कार्यों में विखंडन अर्थात् बिखराव की समस्या मौजूद है।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों का वैश्विक विनियमन

- **IMF-FSB सिंथेसिस पेपर:** हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में, देशों ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिमों और उन्हें विनियमित करने संबंधी फ्रेमवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की रिपोर्ट का समर्थन किया है।
    - इसमें **क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाने** और 2025 तक डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन के लिए **रिपोर्टिंग तथा लाइसेंसिंग व्यवस्था का निर्माण** करने की बात कही गई है।
- **मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स रेगुलेशन (MiCA):** इसे यूरोपीय संघ ने बनाया है। यह **क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए पहला अंतर-क्षेत्राधिकार विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क[43]** है।

---

[41] New Delhi Leaders' Declaration

[42] Prevention of Money Laundering Act

[43] Cross-jurisdictional regulatory and supervisory framework

वैश्विक विनियामकीय दृष्टिकोण	विवरण
सिद्धांत आधारित विनियमन (Principle based regulation)	• विस्तृत नियम निर्धारित करने के बजाय, यह विनियामक दृष्टिकोण अपेक्षित परिणामों और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करता है।
जोखिम आधारित विनियमन (Risk based regulation)	• यह जोखिम के संबद्ध स्तर के आधार पर हस्तक्षेप के विचार पर काम करता है।
कुशल विनियमन (Agile regulation)	• इसके तहत एक प्रतिक्रियाशील व दोहराए जाने योग्य दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसमें यह स्वीकार किया जाता है कि नीति अब सरकारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक बहु-हितधारक प्रयास है।
स्व-विनियमन और सह-विनियमन (Self- and co-regulation)	• स्व-नियमन में, उद्योगों के प्रतिनिधि स्वैच्छिक मानकों या आचार संहिता का निर्माण करने के लिए आपस में समन्वय और सहयोग करते हैं। • सह-विनियमन में, किसी विशेष उद्योग या क्षेत्रक के प्रतिभागियों द्वारा एक गैर-सरकारी संगठन का गठन किया जाता है। इससे मुख्य विनियामक की निगरानी में संबंधित क्षेत्रक में उद्यमों के विनियमन में सहायता मिलती है।
नियमों को लागू कर विनियमन (Regulation by enforcement)	• यह दर्शाता है कि विनियामकीय फ्रेमवर्क को परिभाषित करने और नियम बनाने के लिए कानूनी कार्रवाइयों का उपयोग किया जा रहा है।

क्रिप्टो विनियमन के लिए आगे की राह

- **क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव व उसे नीति से जोड़ना:** इस विषय पर आगे बढ़ने का एक तरीका यह हो सकता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संभावित प्रभाव की पहचान करते हुए पर्याप्त नीतिगत प्रतिक्रियाएं तैयार की जाएं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - उदाहरण के लिए- मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए, मौद्रिक संप्रभुता की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **लाइसेंस और पर्यवेक्षण:** क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया जाना चाहिए और साथ ही वित्तीय संस्थानों की तरह उनकी भी निगरानी की जानी चाहिए।
- **धन शोधन-रोधी (Anti-money laundering) उपाय:** एक बार लाइसेंस प्राप्त करने और विनियमित होने के बाद, सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक की जांच-परख, रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने जैसे उपाय लागू किए जाने चाहिए।
- **कराधान पर स्पष्टता:** G20 देशों ने नियमों के प्रभावी पालन हेतु सीमा पार डेटा साझा करने के लिए **क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)** जैसा फ्रेमवर्क बनाने का समर्थन किया है।

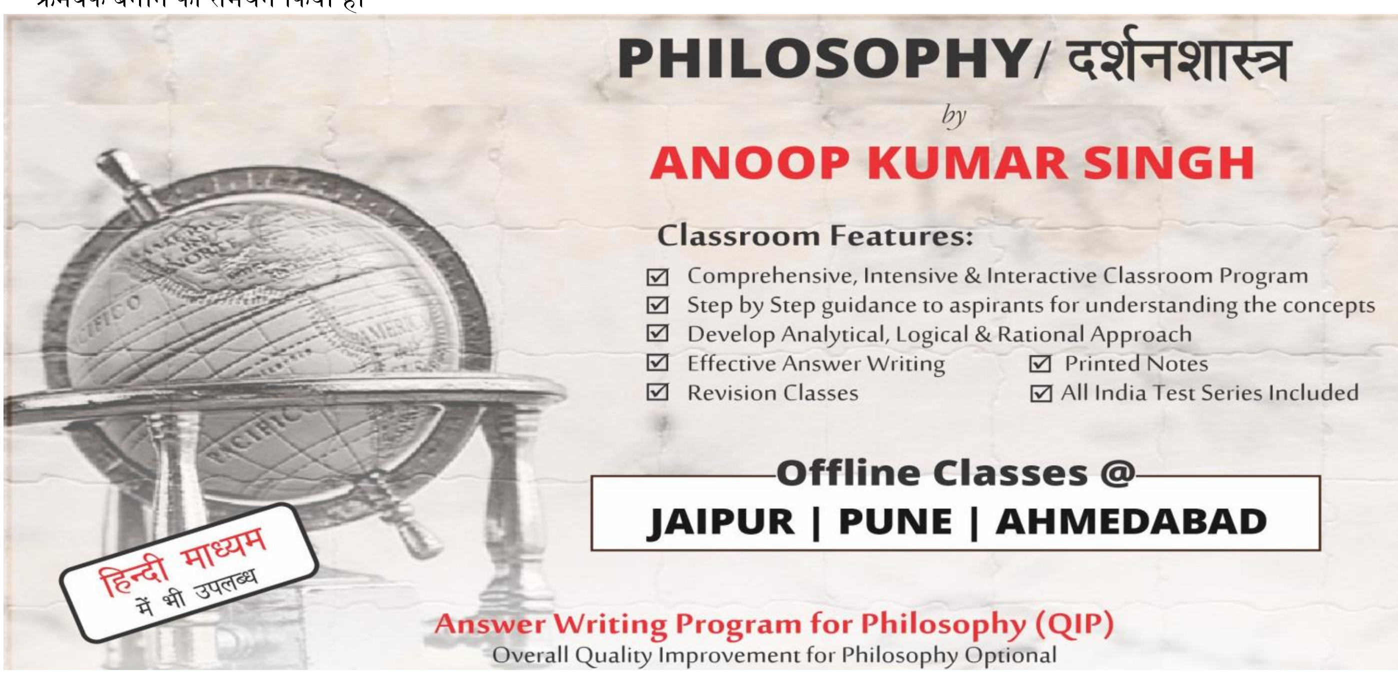

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

6.1. निर्यात क्षेत्रक (Export Sector)

भारत का निर्यात क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत के निर्यात की स्थिति

- **2023-24 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 778.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बराबर था।
- **कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% है। {चीन (12%) और USA (9%) }**
- भारत का निर्यात इसके **सकल घरेलू उत्पाद के 23% के बराबर है।**
- **भारत का सेवा क्षेत्रक इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक है।**

भारत के लिए निर्यात आधारित संवृद्धि की आवश्यकता

- **आत्म-निर्भरता:** निर्यात भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसे **'आत्मनिर्भर भारत'** पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जा सकता है।
- **आर्थिक संवृद्धि:** उच्च निर्यात से अधिक विदेशी धन-प्रेषण प्राप्त होता है, अधिक रोजगार पैदा होता है और चालू खाता घाटा कम होता है। इसके साथ ही मांग और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी होता है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना:** निर्यात घरेलू विक्रेताओं को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, यह वैश्विक बाजार के एक बड़े हिस्से पर अपनी पैठ बनाने का सुनहरा अवसर भी प्रस्तुत करता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने से क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सकता है। यह निर्यात आधारित विकास और इसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर में वृद्धि के माध्यम से होगा।

निर्यात के मामले में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण

- **भारत की निर्यात विविधता सीमित है।** वस्तुओं के मामले में, शीर्ष 10 प्रमुख निर्यातित वस्तुओं का कुल व्यापारिक निर्यात में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- कमजोर बुनियादी ढांचे, भूमि और श्रम कानूनों की जटिलता, खंडित तथा वैधानिक दायरे से बाहर लॉजिस्टिक क्षेत्र जैसे घरेलू कारणों से **भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम है।**
- निम्न-कुशलता और निर्यातित वस्तुओं के श्रम-गहन होने से **तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाने में असमर्थता।**
- FTAs साझेदारों से भारत में **वस्तुओं के आयात** में लगभग 38% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत का **निर्यात** केवल 14.5% बढ़ा है **{ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)}।**
- **FTAs का पूरा लाभ न उठा पाना और नॉन-टैरिफ बाधाएं (NTBs)।**

- **निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में तीन मूलभूत चुनौतियां:**
  - निर्यात बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अंतरा और अंतर-क्षेत्रीय असमानताएं;
  - व्यापार समर्थन तथा संवृद्धि संबंधी नीतियों का निम्न स्तर; तथा
  - निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, जो जटिल और बेहतर उत्पादों के निर्यात में बाधा डालती है।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- नई **विदेश व्यापार नीति-2023** और **स्वचालित 'स्टेटस होल्डर'** प्रमाण-पत्र।
  - **स्टेटस होल्डर'** ऐसे अग्रणी व्यवसायी होते हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) और बाजार पहुंच पहल (Market Access Initiatives: MAI) योजना।
- **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)।**
- **RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना** करों, शुल्कों और लेवी की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है।
- **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (EPCG स्कीम)**
- 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला' पहल
- **एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI)** उप-राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करने हेतु डेटा संचालित प्रयास के रूप में शुरू की गई पहल है।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

- **भारत में विनिर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना:**
  - ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को बढ़ावा देना
  - भारत के विनिर्माण आधार में सुधार
  - अधिक नवाचार और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- **क्षमतावान क्षेत्रकों की खोज और उन्हें मजबूत करना:**
  - भारत के निर्यात बास्केट का विविधीकरण
  - PLI योजना के तहत उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- **FTAs के संबंध में सुरजीत भल्ला समिति की मुख्य सिफारिशें**
  - तकनीकी विनियमनों पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
  - मुक्त व्यापार समझौतों के उपयोग को लेकर एक **ऑब्जेक्टिव डेटाबेस** विकसित करना चाहिए।
  - अधिक आयात की स्थिति में मुक्त व्यापार समझौतों के तहत **एंटी-डंपिंग** और **काउंटरवेलिंग** शुल्क जैसे प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **पड़ोसियों से सीखना**, उदाहरण के लिए- बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक बन गया है। पिछले आठ वर्षों में वियतनाम के निर्यात में लगभग 240% की वृद्धि हुई है।

VISION IAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)

© Vision IAS

6.2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): एक नज़र में

भारत में FDI की स्थिति

- भारत में FDI **2021-22 में 84.83 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर** पहुंच गया था।
- जल्द ही **FDI के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक** पहुंचने की आशा है।
- अप्रैल, 2000 से मार्च, 2024 तक भारत के **सेवा क्षेत्रक ने 16.13% का उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह** आकर्षित किया।
- **मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में FDI प्रवाह के लिए शीर्ष 5 देश बनकर उभरे।

भारत में FDI का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि के लिए दीर्घकालिक पूंजी:** FDI गैर-ऋण वित्तीय संसाधन का एक स्थिर स्रोत है।
- **मानव संसाधन विकास:** FDI के साथ, प्रबंधन तकनीकें भी प्राप्त होती हैं। इससे मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल आता है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** यह कुशल उत्पादन के लिए उन्नत उत्पादन तकनीक और उपकरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- **निर्यात में वृद्धि:** यह बाहरी नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण में मदद करता है। यह नेटवर्क दीर्घावधि में निर्यात में वृद्धि में सहायक होता है।
- **निवेश से बाजार में नए भागीदार बढ़ते** हैं और उत्पादकता भी बढ़ती है।
- **निवेश से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सकती है,** जिससे आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ़ सुरक्षा मिलती है।

योजनाएं/ पहलें

- बीमा, पॉवर एक्सचेंज आदि क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण।**
- **इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम** के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन और सुविधा।
- **मेक इन इंडिया जैसी पहलों** के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- **भारत और UK** जैसी विशिष्ट साझेदारियों ने **"उन्नत व्यापार साझेदारी'** के लिए द्विपक्षीय संबंधों को
- मजबूत करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है।
- निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से मंत्रालयों/ विभागों में **परियोजना विकास प्रकोष्ठ (PDC)** का गठन।

भारत में FDI अंतर्वाह से जुड़े मुद्दे

- **वृद्धि दर में गिरावट:** 2023-2024 में, FDI अंतर्वाह 3.5% घटकर 44 बिलियन डॉलर रह गया, जो पाँच साल का निचला स्तर है।
- **कुछ क्षेत्रकों तक सीमित:** कुल FDI अंतर्वाह का **लगभग 50% केवल पाँच क्षेत्रों को प्राप्त हुआ- सेवा, कंप्यूटर, ट्रेडिंग, दूरसंचार** और **ऑटोमोबाइल।**
- **FDI में क्षेत्रीय असमानताएं:** वित्त वर्ष 2022-23 में कुल FDI का 70% कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे तीन राज्यों तक सीमित था।
- **केमैन आइलैंड्स, सिंगापुर जैसे अपतटीय वित्तीय केंद्र** और टैक्स हैवेन शीर्ष FDI स्रोतों में शामिल हैं।
- **प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में कमी:** हस्ताक्षरित MOU और भारत में वास्तविक FDIs के बीच का अंतर उच्च बना हुआ है।
- **कम पुनर्निवेश:** विदेशी निवेशक अधिशेष को पुनर्निवेश करने के बजाए भारत से बाहर ले जाना पसंद करते हैं।

आगे की राह

- **नीतिगत सुधार** जारी रखना और निवेशकों के मन में अनिश्चितता को दूर करने के लिए **स्थिर सार्वजनिक वित्त सुनिश्चित करना।**
- विदेशी और घरेलू व्यवसायों में विश्वास पैदा करने के लिए **शासन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना।**
- भारत के समग्र विकास के लिए पर्यावरण, संस्कृति और छोटे व्यवसायों की सुरक्षा करते हुए **FDI में विविधता** लाने हेतु पहल करना।
- टैक्स हेवेन के माध्यम से पुन: भेजे जाने वाले निवेश को रोकने के लिए **प्रत्यक्ष कर में सुधार** किया जाना चाहिए।
- FDI प्राप्त करने वाले क्षेत्रकों में विविधता लाने के लिए गैर-रणनीतिक क्षेत्रकों का **क्रमिक उदारीकरण** किया जाना चाहिए।

6.3. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं {India and Global Value Chains (GVCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में शामिल होने की भारत की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके और जरुरी आयातों एवं सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में व्यवधान न पैदा हो।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs) क्या हैं?

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC)** में वास्तव में उपभोक्ता के लिए उत्पाद को अंतिम रूप से तैयार करने वाला प्रत्येक चरण शामिल होता है और प्रत्येक चरण (जैसे- उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, परिवहन, वितरण आदि) **कुछ मूल्य जोड़ता है।** इसमें, कम-से-कम **दो चरण अलग-अलग देशों में संपन्न होने आवश्यक** हैं।
  - उदाहरण के लिए- भारत, निर्यात के लिए शर्ट बनाने हेतु इटली से सूती कपड़े का आयात करता है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)[44] के अनुसार, **लगभग 70% वैश्विक व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जरिए** संपन्न होता है।

[44] Organisation for Economic Co-operation and Development

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) का महत्त्व

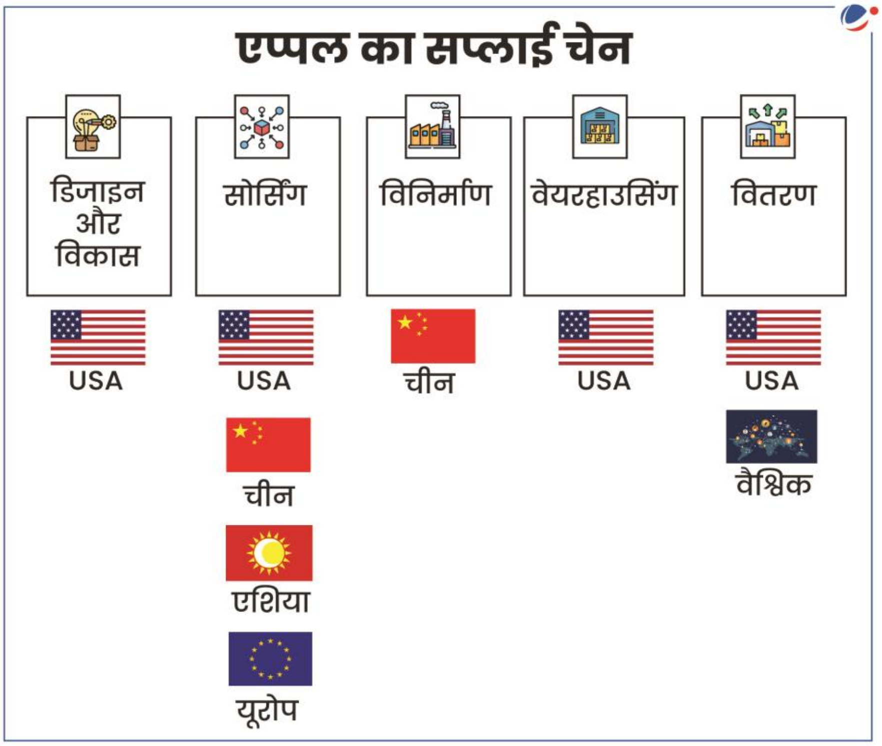

- **उत्पादकता में वृद्धि:** अलग-अलग स्रोतों से किफायती या उच्च गुणवत्ता वाले आयातित इनपुट प्राप्त करने से -
  - ज्ञान को साझा किया जा सकता है,
  - कंपनियों को उत्पादन दक्षता (कम लागत में अधिक उत्पादन) बढ़ाने का अवसर मिलता है,
  - उत्पाद में उच्च मूल्य वर्धन (बेहतर उत्पाद) होता है, आदि।
- **गरीबी के स्तर में कमी:** विश्व बैंक के अनुसार, GVC भागीदारी में **1% की वृद्धि** से **प्रति व्यक्ति आय में 1% से अधिक की वृद्धि** हो सकती है। यह व्यापार के पारंपरिक तरीके की तुलना में लगभग दोगुने की वृद्धि है।
- **रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला यदि संरचनात्मक बदलाव लाती है या मूल्य श्रृंखला के भीतर और आस-पास नए लिंकेज विकसित करती है तब रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं।
  - वैश्विक मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक भागीदारी वाले व्यापारिक क्षेत्रकों (परिधान, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) में रोजगार में कम कुशल, युवा व महिला श्रमिकों की **सबसे अधिक हिस्सेदारी** है।
- **उत्पाद में विशेषज्ञता को बढ़ावा:** इसमें किसी वस्तु के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया एक ही देश में केंद्रित नहीं होती है और व्यवसाय का संचालन भी अलग-अलग देशों से किया जाता है। इसलिए देशों को पूर्ण उत्पाद यानी उत्पाद के सभी घटकों या पूरी मूल्य श्रृंखला बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग-अलग देश अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उत्पाद या मूल्य श्रृंखला के घटकों का निर्माण कर सकते हैं।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी

- **सीमित भागीदारी:** भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला से संबंधित व्यापार बहुत कम है। **2022 में** यह **सकल व्यापार का 40.3%** था। यह अनुपात अन्य देशों के मुकाबले कम है। वास्तव में यह अनुपात न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कम है, बल्कि दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे लघु आकार वाले देशों की तुलना में भी **काफी कम** है।
- **नेटवर्क से जुड़े उत्पादों का कम निर्यात:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और वाहन जैसे नेटवर्क उत्पादों का वर्चस्व है। हालांकि, **भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी केवल 10%** है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रमुख उत्पाद:** इन उत्पादों में कोयला और पेट्रोलियम, व्यावसायिक सेवाएं, रसायन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।
- **भारत में फॉरवर्ड लिंकेज का वर्चस्व:** भारत, अभी भी कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में भारत की सीमित भूमिका के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण				
मजबूत व्यापार अवसंरचना की कमी। उदाहरण के लिए, बंदरगाहों या सीमा प्रशुल्क पर देरी।	**व्यापार और प्रशुल्क नीति में अनिश्चितता।** उदाहरण के लिए- भारत में औसत प्रशुल्क 2014 के 13% से बढ़कर 2022 में 18.1% हो गया है।	**कई क्षेत्रकों में उत्पादों का उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होना** तथा समय पर उत्पाद की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।	भारत में अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक है और भारत इस मामले में लाभ की स्थिति में है, इसके बावजूद **अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले क्षेत्रक को प्राथमिकता दी जाती है।**	**घरेलू नीतिगत चुनौतियां, जैसे-** जटिल कर नीतियां, जटिल श्रम कानून और व्यापार नीति में अनिश्चितता।

भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदम

- **विदेश व्यापार नीति 2023:** इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए **प्रक्रिया को उदार और उसे स्वचालित बनाना** है।
- **व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए- एप्पल इंक के 3 कॉन्ट्रैक्ट विनिर्माताओं ने भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित किए हैं।
- **एक जिला एक उत्पाद- निर्यात केंद्र के रूप में जिले (ODOP-DEH)[45] पहल:** इसका उद्देश्य देश के जिलों को निर्यात यूनिट के रूप स्थापित करने पर ध्यान देना है। इसके लिए जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, उस जिले को संबंधित उत्पाद के विनिर्माण और निर्यात केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है।
- **मेक-इन-इंडिया पहल:** इसे भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 2014 में शुरू किया गया था।
  - इस पहल ने 2014 और 2022 के बीच विनिर्माण क्षेत्रक में **FDI इक्विटी प्रवाह** में **57%** की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाई है।

आगे की राह

- **व्यापार को सुविधाजनक बनाना:**
  - **प्रशुल्क नियमों** में बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
  - सीमा पर वस्तुओं की आवाजाही प्रक्रियाओं को सरल और व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है।
    - **राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क** की स्थापना करनी चाहिए। यह निर्यात-आयात से जुड़े नियमों के पालन से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों की क्षमता बढ़ाने हेतु **"मानकीकरण पर भारतीय राष्ट्रीय रणनीति"** को लागू करना चाहिए।
- **विनियामकीय व्यवस्था में बार-बार बदलाव नहीं करना:** कर विनियमन और प्रक्रियाओं को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन नियमों और प्रक्रियाओं को **व्यापार नीतियों** के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के उच्च मूल्य वाले सेगमेंट को बढ़ावा देना:** जैसे कि किसी नए उत्पाद के बारे में सोचना, डिजाइन, प्रोटोटाइप डवलपमेंट और बिक्री के बाद की सेवाएं आदि।
- **अधिक श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों को बढ़ावा देना: अधिक श्रम की आवश्यकता वाले** क्षेत्रकों में देश की कंपनियों को ऐसी गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो **वैश्विक मूल्य श्रृंखला** में भागीदारी बढ़ाती हो।

6.4. वैश्विक आर्थिक डिकप्लिंग (Global Economic Decoupling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कम होने से पता चलता है कि वैश्विक कंपनियां दुनिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्र यानी चीन से दूर जा रही हैं। यह आर्थिक संबंध के डिकप्लिंग या वियोजन को दर्शाता है।

आर्थिक वियोजन (डिकप्लिंग) क्या है?

- यह दो राष्ट्रों या राष्ट्रों के समूहों के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता कमजोर होने की प्रक्रिया है।
- उदाहरण के लिए- हाल के दिनों में **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन प्रौद्योगिकियों के विविध स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं; अलग-अलग वैश्विक व्यापार मानकों को** अपना रहे हैं; तथा **स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भरोसा बढ़ा रहे हैं।**
- आर्थिक डिकप्लिंग विश्व के देशों के एक-दूसरे पर निर्भरता को काफी हद तक सीमित कर सकती है और इस प्रकार **वैश्वीकरण की बुनियाद को कमजोर कर सकती है।**

आर्थिक डिकप्लिंग कमजोर होने के कारण

- **भू-राजनीतिक कारण:**
  - **"कोल्ड वार 2.0":** वैश्विक प्रभुत्व के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच महाशक्ति स्तर की प्रतिद्वंद्विता हो रही है, जिससे दोनों देश अलग मार्गों को अपना रहे हैं।
  - **यूक्रेन युद्ध:** चीन का रूस के साथ गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मतभेद को बढ़ा रहा है।

[45] One District One Product- Districts as Export Hubs

- **आर्थिक कारण”**
  - **संरक्षणवाद (Protectionism):** घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षणवाद का सहारा लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, चीन से आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक प्रशुल्क लगाना।
  - **आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism):** आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात की जगह घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देना।
  - **आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना (Supply Chain Resilience): संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने की दशा में** किसी एक देश या आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक स्रोतों से आयात पर बल दिया जा रहा है।
- **तकनीकी कारक (Technological Factors):**
  - **चौथी औद्योगिक क्रांति (Fourth Industrial Revolution):** इनमें शामिल हैं; साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और अपने डेटा पर संप्रभुता (Data Sovereignty) रखना, अलग-अलग तकनीकी मानक और प्रथाएं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अन्य चिंताएं।
  - **योजक उत्पादन (Additive Manufacturing):** एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग में आयात की जगह स्थानीय स्तर पर ही लघु आकार में और आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है।
- **पर्यावरण संबंधी कारक:**
  - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG emission):** स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देकर पर्यावरण में क्षरण और CO_2 उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया जा रहा है।

डीकप्लिंग के विभिन्न आयाम/तरीके

- **आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्निर्धारण:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अति निर्भरता को सीमित करना, स्थानीकरण को बढ़ावा देना, अपने देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देना या जरूरत पड़ने पर विनिर्माण के लिए भौगोलिक रूप से निकटवर्ती देश का सहारा लेना, अधिक-से-अधिक आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ना।
- **विभिन्न मानकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** पृथक तकनीकी इकोसिस्टम (जैसे- 5G इंफ्रास्ट्रक्चर), स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास मार्ग।
- **ट्रेड डीकप्लिंग:** द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में कमी और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों एवं ट्रेड ब्लॉक्स के माध्यम से व्यापार करना।

आर्थिक डिकप्लिंग के प्रभाव

- **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कमी:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार **आर्थिक स्तर पर विश्व के देशों के अलग-अलग समूहों में बंटने से लंबे समय में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 7%** तक की हानि हो सकती है।
  - तकनीकी **डिकप्लिंग** के कारण कुछ देशों को उनके **सकल घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत तक की हानि का सामना करना पड़ सकता है।**
- **विदेशी बाजारों का लाभ उठाने में कठिनाई:** आयात पर प्रशुल्क बढ़ाने तथा **निवेश पर प्रतिबंध लगाने से व्यवसायों के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंचना** और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना अधिक मुश्किल हो जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी: डिकप्लिंग से चीन और पश्चिमी देशों के बीच प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा** और बढ़ेगी तथा तकनीकी इकोसिस्टम बाधित होगा। इससे अनुसंधान में सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान सीमित होगा।
- **भारत के लिए अवसर: मैक्सिको, ब्राजील, भारत, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम** जैसे देशों को चीन से विनिर्माण गतिविधियों के जाने से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने से लाभ हो सकता है।
- **अन्य प्रभाव:** नवाचार हतोत्साहित होगा, देश आर्थिक तौर पर अलग-अलग समूहों में बंट जाएंगे, वैश्विक स्थिरता और वैश्वीकरण के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, आदि।

आगे की राह

- **वैश्विक मानकों का विकास:** कंपनियों को ऐसे उत्पादों को डिजाइन करने को प्राथमिकता देनी चाहिए जो **अलग-अलग वैश्विक मानकों को पूरा करते हों।**
- **रणनीतिक नीति में सुधार:** व्यापक आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहिए तथा संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा**: व्यापारिक युद्ध को कम करने, विवादों को सुलझाने और आर्थिक नीतियों पर आम सहमति बनाने के लिए विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कूटनीतिक प्रयासों और संवाद को बढ़ाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता और बहुपक्षवाद का** समर्थन करना चाहिए तथा **नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए।**
- **आयात और निर्यात में विविधता लाना: आयात या निर्यात के लिए किसी** एक देश पर निर्भरता कम करनी चाहिए और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना चाहिए।

6.5. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने RBI[46] से भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा बनाने हेतु **10 साल की रणनीति** तैयार करने के लिए कहा ताकि **भारतीय मुद्रा यानी रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा सके।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा **विदेशों में भी लेन-देन** हेतु और **विदेशी मुद्रा भंडार** के रूप में **आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता** है। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं।
- वर्तमान में आरक्षित मुद्रा के रूप में रखी जाने वाली मुख्य विदेशी मुद्राएं हैं- **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन** और **पाउंड स्टर्लिंग।**

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है:** घरेलू कंपनियां निर्यात या आयात के लिए देश की मुद्रा में लेन-देन एवं भुगतान कर सकती हैं। इससे विनिमय दर में किसी उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम से बचने में मदद मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त होती है:** यह **भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों** को विनिमय दर का जोखिम उठाए बिना **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच को सुगम** बनाता है।
- **अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है:** एक बड़े और अधिक दक्ष वित्तीय क्षेत्रक का विकास पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इससे भागीदारों के लिए पूंजी की लागत कम हो जाती है।
- **बजट घाटे के कुछ हिस्से को वित्त-पोषित करना: किसी देश की सरकार** को विदेशी मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके **अपने बजट घाटे के एक हिस्से को वित्त-पोषित करने** में मदद करता है।
- **पूंजी की आवाजाही को विनियमित करना:** यह देश में **पूंजी आने में अचानक रुकावट को और पूंजी के बाहर जाने के प्रभाव को कम** करता है। साथ ही, इससे विदेशी संप्रभु ऋण को चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता को कम करना:** यह बाहरी खतरों से निपटने में विनिमय योग्य मुद्राओं में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने और उस पर निर्भरता को कम करता है।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता[47]:** भारतीय रुपया **चालू खाते** में पूरी तरह से परिवर्तनीय है लेकिन **पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय** है।
    - **फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)[48]** के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान हेतु प्रोत्साहन बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देना:** भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **दक्ष निपटान तंत्र, तरलता (मुद्रा) की उपलब्धता** और **मजबूत सीमा-पार भुगतान प्रणाली** के विकास की आवश्यकता होगी।

---

[46] Reserve Bank of India/ भारतीय रिजर्व बैंक

[47] Capital Account Convertibility

[48] Foreign Exchange Management Act

© Vision IAS

- **मुद्रा स्वैप और स्थानीय मुद्रा में निपटान (LCS)[49]:** इससे मुद्रा विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह स्थानीय मुद्रा को स्थिरता प्रदान करता है और व्यापारिक समुदाय को मुद्रा जोखिम से बचाने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। साथ ही, यह लेन-देन की लागत को कम करने में मदद करता है।
- **भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** भारत की अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों, जैसे- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की वैश्विक पहुंच को और अधिक बढ़ाने की जरुरत है।
- **एक "भारतीय समाशोधन प्रणाली" (क्लीयरिंग सिस्टम) का निर्माण करना** एवं **भारतीय रुपया को एक व्हीकल करेंसी/ SDR (विशेष आहरण अधिकार) बास्केट के दावेदार के रूप में आगे बढ़ाना।**

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी चुनौतियां

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव
- मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से शुरुआती चरण में विनिमय दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहती है।

मौद्रिक नीति की दुविधा या ट्रिफिन डाइलेमा
- जब कोई देश अपनी **घरेलू मौद्रिक नीतियों** को संतुलित रखते हुए **विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए** इसकी **पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता** है तो उस स्थिति को ट्रिफिन डाइलेमा कहा जाता है।

बाह्य जोखिमों से प्रभावित होने की आशंका
- देश के भीतर और बाहर तथा एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तनीयता एवं धन के प्रवाह की वजह से **स्थानीय मुद्रा बाह्य घटनाओं के प्रभाव में आ सकती है।**

मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता
- विश्व के वित्तीय बाजारों के साथ एकीकरण **लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।**

- **वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना, जैसे-**
  - **RBI एवं SEBI के KYC (नो योर कस्टमर) मानदंडों को सहज बनाने की जरूरत है;**
  - **ग्लोबल 24x5 INR मार्केट की सुविधा प्रदान करना;**
  - **वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड्स** को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु शुरू की गई पहलें

- RBI ने **भारत के बाहर रुपया खाता खोलने की अनुमति** दे दी है।
- **भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग:** भारत ने सिंगापुर के PayNow के साथ UPI के इंटरलिंकेज की शुरुआत की है। **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** अब कई अन्य देशों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहा है।
- **विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs)[50]:** RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRAs खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है।
  - रुपया वोस्ट्रो खाता वस्तुतः भारतीय रुपया में खोला गया एक खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए रखता है।
- **श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा[51] बन गया है।** अब श्रीलंका में भारतीय रुपया का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा-पार बैंकिंग लेन-देन में किया जा सकता है।
- **एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ACU):** RBI ने लेन-देन के निपटान के लिए ACU में भारतीय रुपये को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- **द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (BSA)[52]:** भारत ने जापान के साथ BSA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भुगतान संतुलन से जुड़ी किसी समस्या से निपटने के लिए बैकस्टॉप लाइन के रूप में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक स्थानीय मुद्रा करेंसी स्वैप की व्यवस्था की गई है।
  - इसके अलावा, भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 35 अरब रुपये के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

[49] Local Currency Settlement
[50] Special Vostro Rupee Accounts
[51] Designated Foreign Currency
[52] Bilateral Swap Arrangements

6.6. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन {World Trade Organization (WTO)'S 13th Ministerial Conference (MC)}

विश्व व्यापार संगठन: एक नज़र में

विश्व व्यापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को बनाता और लागू करता है।

- WTO वार्ताओं के दौर से विकसित हुआ है। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद, वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। यह "जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड" (GATT) का परवर्ती है।
- **दोहा विकास दौर (2001 - वर्तमान):** इसे वर्ष 2001 में चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। इसमें कृषि, सेवा, व्यापार एवं पर्यावरण तथा भौगोलिक संकेतक आदि जैसे व्यापार के लगभग 20 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वैश्विक व्यापार में WTO की सफलताएं

- **विश्व स्तर पर:**
  - वैश्विक व्यापार में वृद्धि में योगदान।
  - WTO ने देशों के लिए घरेलू सुधारों के प्रवर्तक के रूप में कार्य किया है।
  - वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के माध्यम से आर्थिक दक्षता में वृद्धि में योगदान।
- **भारत के लिए:**
  - एक दशक से भी कम समय में भारत का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है।
  - व्यापार के उदारीकरण के कारण सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है।
  - श्रम प्रधान क्षेत्रों के विकास के कारण रोजगार सृजन।
  - आर्थिक संवृद्धि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन।

वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के भविष्य को प्रभावित करने वाले कारक

- चर्चा के नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं, जैसे- ई-कॉमर्स।
- वर्ष 1995 से विकासशील देशों में होने वाली संवृद्धि से वैश्विक आर्थिक वितरण में परिवर्तन।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उभरता व्यापार युद्ध।
- WTO अपीलीय निकाय हाल के दिनों में निष्क्रिय हो गया है।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे द्विपक्षीय /क्षेत्रीय / बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं की ओर बढ़ना।
- कोविड-19 के प्रभाव ने कुछ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थायी रूप से बाधित कर दिया है।
- देशों के बीच विपरीत वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों के कारण वैश्वीकरण के घटने का खतरा।

बातचीत में अनसुलझे मुद्दे और उन पर भारत का रुख

- **कृषि सब्सिडी का मुद्दा:** भारत ने खाद्य सुरक्षा, विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और सब्सिडी हेतु खराब आकलन पद्धति के आधार पर एक स्टैंड लिया है।
- **मत्स्य पालन सब्सिडी का मुद्दा:** भारत का कहना है कि विकासशील देशों को वैश्विक प्रतिबद्धताओं से छूट दी जानी चाहिए।
- **सस्ती दवाओं तक पहुंच:** भारत ने फार्मास्यूटिकल्स की वैश्विक पहुंच में सुधार के लिए **ट्रिप्स समझौते {बौद्धिक संपदा अधिकार का व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)}** में संशोधन की मांग की है।
- **व्यापार के विरुद्ध गैर-प्रशुल्क बाधाएं:** भारत इनके युक्तिकरण और मानकीकरण की वकालत करता है।
- **निवेश सुविधा:** भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को ट्रिम्स समझौते {व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौते (TRIMS)} के अनुप्रयोग में लचीलापन दिया जाना चाहिए।
- **ई-कॉमर्स:** भारत का कहना है कि ई-कॉमर्स वार्ता को वर्ष 1998 के विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल व्यापार एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए।

© Vision IAS

WTO के संदर्भ में भारत द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले कदम

- **राष्ट्रीय लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के साथ संस्थागत रूप से जोड़ना।**
- बदले हुए वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बेहतर परिवर्तन के लिए भू-राजनीतिक पूंजी का निर्माण करना।
- ई-कॉमर्स जैसे उभरते क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाना।
- वैश्विक व्यापार में गैर-भेदभाव और समानता की रक्षा के लिए व्यापारिक ब्लॉकों जैसे अन्य उपायों पर विश्व व्यापार संगठन में सुधार को प्राथमिकता देना।
- अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वैश्विक व्यापार में संलग्न होने के साथ-साथ घरेलू सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही, अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलना।

6.6.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (Agriculture and Food Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अबू धाबी में संपन्न विश्व व्यापार संगठन (WTO) के **13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** में **पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH)** से जुड़े मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। गौरतलब है कि भारत इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग करता रहा है।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग नीति के बारे में

- **उद्देश्य:** पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)[53] पर अनाज खरीदती है। भारत सरकार भी, पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत MSP पर किसानों से अनाज खरीदती है, उनका भण्डारण करती है तथा गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर **उचित मूल्य की दुकानों** के जरिए वितरित करती है।
- **डी मिनिमिस (De Minimis) सीमाएं:** विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, किसी देश का कुल सब्सिडी बिल, उस देश के फसल उत्पादन के मूल्य से **विकासशील देशों के मामले में 10%** और **विकसित देशों के मामले में 5%** से अधिक नहीं होना चाहिए।
    - वर्तमान में, **इसकी गणना 1986-88 के संदर्भ मूल्य (Reference price) के आधार पर की जाती है।**

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर देशों के बीच मतभेद

- **विकासशील देश:** भारत और कई अन्य विकासशील देश सब्सिडी की **डी मिनिमिस** सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे सरकारी खरीद के लिए किसानों को दी जाने वाली **मूल्य समर्थन सब्सिडी** की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव की मांग** कर रहे हैं।
- **विकसित देश:** अधिकांश विकसित देशों का मानना है कि पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की व्यवस्था बाजार को विकृत करती है। ये देश कृषि वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

पीस क्लॉज और भारत का रुख

- **पीस क्लॉज: बाली (इंडोनेशिया)** में आयोजित **नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC9)** में WTO ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के अंतरिम समाधान के रूप में "पीस क्लॉज" का प्रावधान किया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जब तक इस मामले में कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक किसी अकस्मात स्थिति में यदि कुल कृषि सब्सिडी **डी मिनिमिस सीमा** से अधिक हो जाती है, तो भी विकासशील देशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
    - **पीस क्लॉज** किसी भी सहमत सीमा के उल्लंघन को कानूनी चुनौती से बचाता है।
    - उदाहरण के लिए- वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में धान का उत्पादन मूल्य 52.8 बिलियन डॉलर था। इसी वित्त वर्ष में किसानों को 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई। इसका मतलब है कि धान सब्सिडी, उत्पादन के कुल मूल्य का **12 प्रतिशत** थी। यह WTO द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत की सब्सिडी सीमा से अधिक थी। इसलिए, भारत ने **पीस क्लॉज़** का इस्तेमाल करके WTO को इसके बारे में सूचित किया।

[53] Minimum Support Price

- "पीस क्लॉज़" को WTO के 11 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) तक जारी रखा जाना था। हालांकि, सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाने के कारण इसे अभी तक जारी रखा गया है।
- **भारत की मांग:** भारत पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की समस्या का **स्थायी समाधान** चाहता है।
    - स्थायी समाधान के रूप में, भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव** करने जैसे उपाय सुझाए हैं।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे **खाद्य भंडारण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए उच्च सब्सिडी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।** इसके अलावा, **गरीब और वल्नरेबल किसानों के हितों की रक्षा होगी** और **देश में खाद्य सुरक्षा जरूरतों का ध्यान** रखा जा सकेगा।

6.6.2. मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता (Fisheries Subsidies Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** मात्स्यिकी सब्सिडी पर अंकुश लगाने वाले किसी स्थायी समाधान पर पहुंचे बिना ही संपन्न हो गया। गौरतलब है कि मात्स्यिकी सब्सिडी देने से फ्लीट द्वारा क्षमता से अधिक मछली मारने यानी **असंधारणीय मत्स्यन (ओवरकैपेसिटी)** तथा फिश स्टॉक की उपलब्धता और जनन क्षमता की तुलना में अधिक मत्स्यन **(ओवर फिशिंग)** जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

मात्स्यिकी सब्सिडी पर WTO समझौता

- **जिनेवा पैकेज:** इस समझौते को 2022 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में **'जिनेवा पैकेज'** नाम से अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है जिन्हें दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापक कमी का प्रमुख कारक माना जा रहा है।
- **अभी तक स्वीकृति नहीं:** इस समझौते के लागू होने के लिए WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मार्च, 2024 तक इसे अभी भी **39 देशों से स्वीकृति नहीं** मिली थी।
    - **भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।**
- **लाभ:** यह समझौता निम्नलिखित रूप में समुद्री मत्स्य स्टॉक और मात्स्यिकी की संधारणीयता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा:
    - इसके लागू होने से **अवैध, असूचित और अनियंत्रित (IUU)**[54] **मात्स्यिकी सब्सिडी** पर अंकुश लग सकता है।
    - मात्स्यिकी सब्सिडी पर रोक लगाने से अत्यधिक दोहन के शिकार मत्स्य स्टॉक को बचाने में मदद मिलेगी।
    - इससे खुले समुद्र (हाई सी) में अनियंत्रित मात्स्यिकी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगेगा।
- **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)**[55]**:** S&DT के तहत, विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों **(LDCs)**[56] को इस समझौते के लागू होने की तारीख से नई व्यवस्था को अपनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है।

भारत की मांगें

- **PPP और CBDR-RC:** भारत का कहना है कि जिन देशों ने अतीत में भारी मात्स्यिकी सब्सिडी दी है और जो मत्स्य स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें **'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत (PPP)**[57]**'** तथा **'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)**[58]**'** के आधार पर सब्सिडी को कम करने का अधिक दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।

[54] Illegal, unreported and unregulated

[55] Special and Differential Treatment

[56] Least Developed Countries

[57] Polluter pay principle

[58] Common but differentiated responsibilities and respective capabilities

© Vision IAS

- **अपने जलक्षेत्र से अधिक दूर के जलक्षेत्र में मत्स्यन में शामिल देशों पर रोक:** भारत ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि उन्हें अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)[59] से बाहर अधिक दूर के जल क्षेत्र में मत्स्यन या मात्स्यिकी गतिविधियों में शामिल देशों द्वारा मात्स्यिकी पर दी जा रही सब्सिडी पर कम-से-कम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- **विकासशील देशों और लघु अर्थव्यवस्थाओं को छूट:** इन देशों को अपने मात्स्यिकी क्षेत्रक को सब्सिडी प्रदान करने की छूट दी जानी चाहिए।
    - इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत सबसे कम मात्स्यिकी सब्सिडी देने वाले देशों में शामिल है।
    - **आबादी का बड़ा हिस्सा मात्स्यिकी पर निर्भर:** भारत में 10 करोड़ से अधिक मछुआरे हैं। इनमें लगभग 61% मछुआरे अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

6.6.3. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस (Cross-Border Remittances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने विश्व व्यापार संगठन के **13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** में **सीमा-पार रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करने के लिए** एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया। हालांकि, इस प्रस्ताव को **"अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र"** में शामिल **नहीं** किया गया।

भारत के प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **रेमिटेंस की प्राप्ति:** 2023 में 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल रेमिटेंस में से, 669 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 78%) निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ।
- **रेमिटेंस की लागत:** वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस की लागत भेजे जाने वाले रेमिटेंस का **लगभग 6.18%** है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) में इसे 3% तक सीमित रखने के टारगेट से काफी अधिक है।
- **भारत ने रेमिटेंस लागत में कमी करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की है:**
    - डिजिटल माध्यम से फंड ट्रांसफर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
    - इंटरऑपरेबल सिस्टम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है;
    - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए;
    - नियमों को आसान बनाने की जरूरत है; और
    - रेमिटेंस भेजने के बदले लिए जाने वाले शुल्क में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।

विदेशों से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस की लागत में कमी करने से होने वाले लाभ

- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** विदेशों से प्राप्त रेमिटेंस का विशेष रूप से गरीब देशों सहित विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
- **अधिक रेमिटेंस की प्राप्ति:** रेमिटेंस लागत में कमी आने से विकासशील देशों में रेमिटेंस प्राप्ति में वृद्धि हो सकती है। इससे रेमिटेंस प्राप्त करने वाले परिवारों के व्यक्तिगत उपभोग व्यय में वृद्धि हो सकती है।
- **UPI को विश्व में स्वीकार्य बनाने में मदद:** रेमिटेंस की लागत में कमी होने से UPI से लेन-देन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। UPI भारत में पेमेंट के मामले में डिजिटल क्रांति साबित हुई है। भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इसकी अनुमति मिलने से इसका व्यापक प्रसार होगा।
    - इससे भारत के बैंकों को, जो डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

वैसे, भारत के प्रस्ताव पर WTO के सदस्यों के बीच आम सहमति बनने और फिर उसे लागू करने में समय लग सकता है, लेकिन इस बीच भारत को व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए विदेशों में फंड ट्रांसफर करना या वहां से फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास करना चाहिए।

[59] Exclusive Economic Zone

6.7. विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण (Global Debt of Developing Countries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका भारी कर्ज और भुगतान संतुलन (BoP)[60] के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह स्थिति विकासशील देशों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ के मुद्दों को उजागर करती है।

विकासशील देशों पर कर्ज का बढ़ता बोझ

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने "ए वर्ल्ड ऑफ डेट: ए ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी[61]" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि **वर्ष 2000 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण 17 ट्रिलियन डॉलर था,** जो बढ़कर **2023 में 97 ट्रिलियन डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच** गया।
    - वैश्विक सार्वजनिक ऋण में विकासशील देशों की हिस्सेदारी 30% है। इस 30% में 70% हिस्सा चीन, भारत और ब्राजील का है।
    - सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात का मीडियन वैल्यू यानी माध्य मान 2020 के 60.4% के उच्चतम स्तर से गिरकर 2023 में 54.7% हो गया।
- भारत का जनरल गवर्नमेंट डेट (GGD) GDP का 80.9% था। IMF ने बताया कि मध्यम अवधि में भारत का GGD सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 100% से अधिक हो सकता है।

ऋण का बढ़ता बोझ, चिंता का विषय क्यों है?

- **ऋण की निरंतर उपलब्धता का मुद्दा:** पहले से ऋण का बोझ झेल रहे विकासशील देश अधिक महंगे स्रोत से नए कर्ज लेने के लिए बाध्य होते हैं। इससे उनके ऊपर ऋण का बोझ और अधिक बढ़ जाता है। नतीजतन ऐसी स्थिति में देशों के लिए ऋण संकट का समाधान करना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है।
- **वैश्विक वित्तीय स्थिरता:** विकासशील देशों में ऋण का मौजूदा उच्च स्तर वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है।
- **विकास संबंधी व्यय में कमी:** ऋण चुकाने से अन्य विकास संबंधी प्राथमिकताओं (जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) पर खर्च करना मुश्किल हो सकता है।
    - 2022 में भारत की ऋण सेवा सकल राष्ट्रीय आय की 2% थी।
        - **ऋण सेवा (Debt service):** यह उस राशि को संदर्भित करता है जो सरकार को हर साल अपने ऋणों के ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए खर्च करनी होती है।

[60] Balance of Payments

[61] A world of debt. A growing burden to global prosperity

© Vision IAS

- ○ लगभग 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो स्वास्थ्य या शिक्षा पर व्यय की तुलना में ब्याज चुकाने पर अधिक धन खर्च करते हैं।
- **संधारणीय विकास में बाधा:** वर्तमान में, सार्वजनिक जलवायु वित्त-पोषण का 70% से अधिक हिस्सा ऋण का रूप ले लेता है। इस प्रकार यदि कोई देश **ऋण संकट में फंस जाता है तो वह जलवायु वित्त पर कम खर्च** करेगा।

विकासशील देशों में बढ़ते ऋण संकट को हल करने के लिए वैश्विक पहलें

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)[62] की भूमिका:** IMF और विश्व बैंक ने 1996 में **अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देश (HIPC)[63] पहल** की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गरीब देश को अत्यधिक ऋण संकट का सामना न करना पड़े।
- **वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन (GSDR)[64]:** यह GSDR ऋण और ऋण-पुनर्गठन चुनौतियों पर आम सहमति बनाने और उसका समाधान निकालने के लिए संप्रभु ऋण पुनर्गठन में शामिल प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।
- **अंकटाड की ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली (DMFAS)[65] कार्यक्रम:** DMFAS कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के अपने ऋण को प्रभावी ढंग से और सतत रूप से प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाना है।

आगे की राह

- **समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के गवर्नेंस में विकासशील देशों की वास्तविक और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - ○ उदाहरण के लिए- बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप IMF कोटा फॉर्मूले को अपडेट करने जैसे सुधार किए जाने चाहिए।
- **तरलता प्रदान करना:** ऋण संकट के दौरान IMF और MDBs[66] के माध्यम से अधिक तरलता (लिक्विडिटी) प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे विकासशील देश अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे।
- **ऋण की पारदर्शी रिपोर्टिंग:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी देश अपने सार्वजनिक ऋणों की संपूर्ण रूप में और पारदर्शी तरीके से रिपोर्टिंग करें।
- **विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीतियां:** कम आय वाले देशों को सोच-विचार कर नए ऋण लेने चाहिए। नए ऋण लेने के बजाय उन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू कर राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए- ऋण पुनर्खरीद, डेट-फॉर-नेचर स्वैप की रणनीति अपनाई जा सकती है।
- **ऋण पुनर्गठन:** गैर-पारंपरिक ऋणदाताओं को शामिल करने वाले ऋण पुनर्गठन मामलों पर विचार करने के लिए आधिकारिक ऋणदाताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

6.8. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating Agencies: CRAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मजबूत संवृद्धि और सरकारी खर्च की बढ़ती गुणवत्ता का हवाला देते हुए भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को **स्थिर (Stable)** से बदल कर **सकारात्मक (Positive)** कर दिया है।

सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग के बारे में

- **सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग** के जरिए **देशों की ऋण चुकाने की क्षमता** या **कर्ज चुकाने के पिछले रिकॉर्ड का आकलन** किया जाता है। निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश की **ऋण चुकाने की क्षमता (Creditworthiness)** को मुख्य पैमाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से मिलने वाली रेटिंग का असर **66 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के संप्रभु ऋण (Sovereign debt)** पर पड़ता है। ऐसे में वे **वैश्विक पूंजी** के लिए गेटकीपर के रूप में कार्य करती हैं।
- वर्तमान में, **तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों {स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच}** ने भारत को **निवेश-ग्रेड की रेटिंग** प्रदान की हुई है।

---

[62] International Monetary Fund

[63] Heavily Indebted Poor Countries

[64] Global Sovereign Debt Roundtable

[65] Debt Management and Financial Analysis System

[66] Multilateral Development Banks/ बहुपक्षीय विकास बैंकों

- किसी सरकार की **ऋण चुकाने की क्षमता** का आकलन करने के लिए **कई मानदंड** होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य **मानदंड निम्नलिखित हैं:**
    - **राजनीतिक जोखिम, कर व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू,** और **श्रम कानून;**
    - **संप्रभु जोखिम** (जहां किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा विनियमों को बदल सकता है) आदि।
- भारत में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) **"सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999"** के तहत **सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों को विनियमित** करता है।
- **भारत में निम्नलिखित सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं:**
    - क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (CRISIL);
    - क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (CARE) लिमिटेड;
    - इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ICRA);
    - एक्वाइट रेटिंग्स एंड रिसर्च;
    - ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड;
    - इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड; तथा
    - इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड।

वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की ओर से भारत की संप्रभु रेटिंग से जुड़े मुद्दे

- **दशकों से चली आ रही गड़बड़ी:** हाल ही में, जहां S&P और फिच ने भारत को **'BBB-'** रेटिंग दी थी, वहीं मूडीज ने **'Baa3'** रेटिंग दी है। ये रेटिंग न्यूनतम संभव **निवेश ग्रेड** के सूचक हैं।
    - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया था कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में सिवाय **चीन** और **भारत** के, कभी भी **दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश ग्रेड की सबसे निचली रेटिंग (BBB-/ Baa3) प्रदान नहीं की गई।**
        - यह सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में **पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता को दर्शाता है।**
- **संरचनात्मक मुद्दे:** रेटिंग में **"जारीकर्ता-भुगतान (Issuer-pays)" मॉडल** की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। इसके तहत कई संस्थाएं **रेटिंग एजेंसियों को कुछ अन्य कार्यों/ सेवाओं के लिए भुगतान** भी करती हैं। इससे अक्सर **हितों का टकराव** पैदा होता है। परिणामस्वरुप ऐसी संस्थाओं की रेटिंग करते समय पूर्वाग्रह देखने को मिलता है।
- **रेटिंग जारी करते समय भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है।** ऋण भुगतान करने की भारत की क्षमता और मंशा निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है:
    - भारत ने कभी भी **संप्रभु ऋण पर डिफॉल्ट नहीं किया** है।
    - भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार** बेहतर स्थिति में है। जून 2024, तक, भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार 651 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।
    - देश की GDP[67] की तुलना में विदेशी ऋण का **अनुपात लगभग 19-20% है,** जो कम है।

[67] Gross Domestic Product/ सकल घरेलू उत्पाद

© Vision IAS

- **क्रेडिट रेटिंग की प्रो-साइक्लिकल प्रकृति:** प्रो-साइक्लिकल प्रकृति के कारण अर्थव्यवस्था में तात्कालिक परिवर्तन से रेटिंग में भी परिवर्तन आ जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक मजबूत स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे विकासशील देशों में FPI अंतर्वाह (इक्विटी और ऋण) प्रभावित होता है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तथा आर्थिक संकट और गंभीर हो जाता है।
- **वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन नहीं होना:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देने के निर्णय पर कैसे पहुंचती हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाले **पारदर्शी तंत्र का अभाव** है।

आगे की राह

- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी विनियमन के दायरे में लाना चाहिए:** एक **वैश्विक "सुपर-विनियामक"** की स्थापना से रेटिंग एजेंसियों की विनियमन से संबंधित चिंताओं को दूर किया जा सकता है।
- **विनियमन में क्रेडिट रेटिंग पर निर्भरता को कम करना:** पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है, जो **रेटिंग की प्रो-साइक्लिकलिटी प्रकृति और इसके दुष्प्रभावों को कम कर सके।**
- **दीर्घकालिक रेटिंग:** रेटिंग एजेंसियों को अधिक स्पष्ट दीर्घकालिक क्रेडिट विश्लेषण करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की तात्कालिक स्थिति के आधार पर की गई रेटिंग भ्रामक हो सकती है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पद्धतियों में अधिक पारदर्शिता लाना:** संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धति को अधिक पारदर्शी, कम-से-कम सब्जेक्टिव और अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति को बेहतर रूप से दर्शाने वाला बनाया जाना चाहिए **(आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities)

7.1. कृषिगत ऋण (Agricultural Credit)

कृषिगत ऋण: एक नज़र में

कृषि ऋण में मोटे तौर पर प्रत्येक **1 प्रतिशत** की वृद्धि से कृषि GDP में **0.29 प्रतिशत** की वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है।

चुनौतियां

- गैर-संस्थागत माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता।
- ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन और असंतुलित ऋण वितरण।
- कृषि में PSL ऋणों (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण) के मामले में विसंगतियां।
- कृषि ऋणों का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना।
- **लघु किसानों के लिए ऋण:** लघु और सीमांत किसानों के पास खेती योग्य 86% भूमि है, जबकि ऐसे किसानों में से केवल 41% को ही बैंकों द्वारा कवर किया जा सका है।

किए गए उपाय

- नाबार्ड के अधीन **समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (LTIF)।**
- एकीकृत **कृषि विपणन ई-प्लेटफॉर्म।**
- **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)।**
- **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)।**
- लघु और सीमांत किसानों के लिए बिना किसी परेशानी के ऋण सुनिश्चित करने हेतु **किसान क्रेडिट कार्ड योजना।**
- किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए **संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS)।**

आगे की राह

- पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करना।
- कृषि के लिए कुल ऋण में लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए।
- क्षेत्रीय असंतुलन से निपटने के लिए पूर्वी, मध्य, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देना।
- किसान समावेशन प्रक्रिया, प्रशिक्षण एवं कौशल को बेहतर करना।
- किसानों/ FPOs के एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में संयुक्त देयता समूहों को बढ़ावा देना।
- बुनियादी ढांचे और साझा परिसंपत्ति तक पहुंच।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए।

© Vision IAS

7.1.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

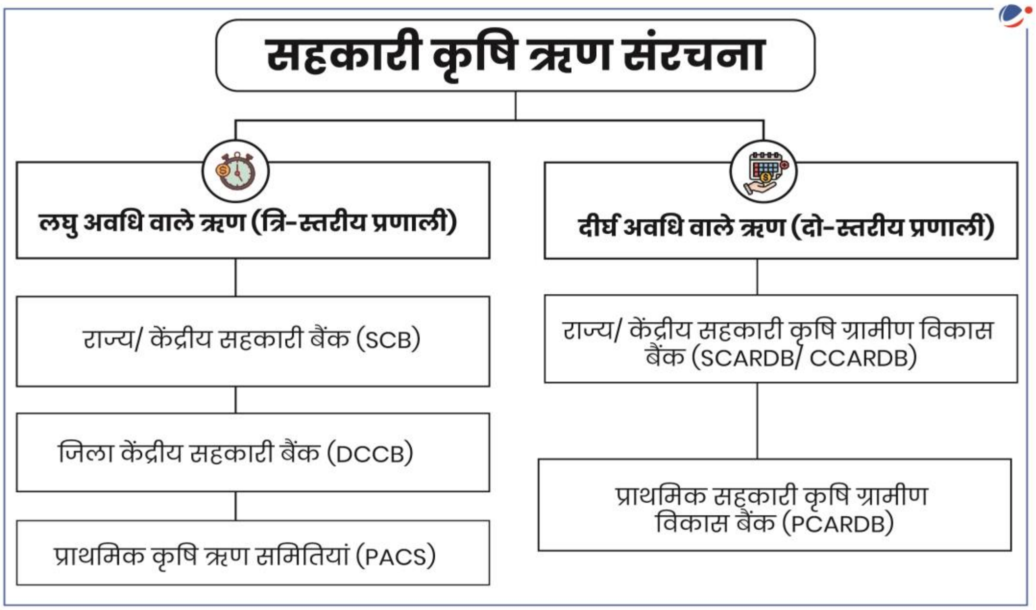

पैक्स के बारे में

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः **अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण** करते हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **पुनर्वित्त:** इन्हें **DCCBs और SCBs**[68] के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- **कार्य:**
  - ये मुख्य रूप ग्रामीणों को **अल्पावधि वाले ऋण प्रदान** करते हैं और उनसे ऋण की पुनर्वसूली करते हैं।
  - ये सदस्य किसानों को **बीज, उर्वरक** और **कीटनाशक** भी उपलब्ध कराते हैं।
- **महत्त्व: वित्तीय समावेशन** में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है।
  - देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।
- **वर्तमान स्थिति: देश भर में 65,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।**

पैक्स को मजबूत करने वाली अन्य पहलें

- गोदामों और कृषि संबंधी अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए **अतिरिक्त 500 PACS की योजना** तैयार की गई है।
- **PACS के आधुनिकीकरण के लिए पहल:**
  - "PACS के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना" स्कीम के तहत, सरकार ने **63,000 कार्यात्मक PACS को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य** रखा है।
  - **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD),** जो सहकारी क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है।
- **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:**
  - **पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उप-नियम:** इसके तहत पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा रहा है। इन गतिविधियां में डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना आदि शामिल हैं।
  - **'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में पैक्स:** इसका उद्देश्य किसानों को एक ही दुकान पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट्स प्रदान करना है।
  - **'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में पैक्स:** इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के लिए **जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।**
  - पैक्स को **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

पैक्स के सामने आने वाली समस्याएं

- **अवसंरचना: डिजिटल अवसंरचना के अभाव** (जैसे- कम्प्यूटरीकृत एकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी की खराब स्थिति आदि) के चलते पैक्स का काम-काज सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पाता है। इससे पैक्स के प्रति जनता का विश्वास भी कम हो जाता है।
- **वित्तीय समस्या:** अधिकांश पैक्स **अपर्याप्त पूंजी, जमा के निम्न स्तर** और **उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** की समस्या से भी ग्रस्त हैं।
  - **ऋण माफी योजनाओं** और **ब्याज छूट योजनाओं** का भी **पैक्स की बैलेंस शीट** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[68] राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Banks) / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (District Central Cooperative Banks

- **मानव संसाधन:** पैक्स के सदस्यों के बीच प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त प्रबंधकीय कौशल उनके काम-काज को प्रभावित करते हैं।
- **गवर्नेंस:** पैक्स का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर **निर्वाचित सदस्यों** द्वारा किया जाता है। इसके चलते राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है।
  - गवर्नेंस संबंधी कई अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे- **पारदर्शिता का अभाव, अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र से पैक्स की प्रभावशीलता में कमी,** आदि।
- **क्षेत्रीय असमानता:** पैक्स बड़े पैमाने पर पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों (जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि) में केंद्रित हैं।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना:** पैक्स स्तर पर **सामान्य लेखा प्रणाली (CAS)**[69] और **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)**[70] को अपनाने से पैक्स के काम-काज में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा, पैक्स को तकनीकी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय मजबूती:** एक **जोखिम-आधारित ऋण मॉडल प्रस्तुत** करना चाहिए और NPA की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी रिकवरी उपाय लागू करने चाहिए।
  - वित्त-पोषण के बाह्य स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर, व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाकर पैक्स का पूंजी आधार बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मानव संसाधन:** क्षमता-निर्माण कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर वेतन और करियर में प्रगति के अवसर प्रदान करना चाहिए।
- **गवर्नेंस में सुधार:**
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित लेखा-परीक्षण और सख्त प्रकटीकरण मानदंड** लागू करने की जरूरत है।
  - **पैक्स को अनुचित राजनीतिक प्रभाव से बचाने** और उनकी स्वायत्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने से जुड़े उपाय लागू करने चाहिए।

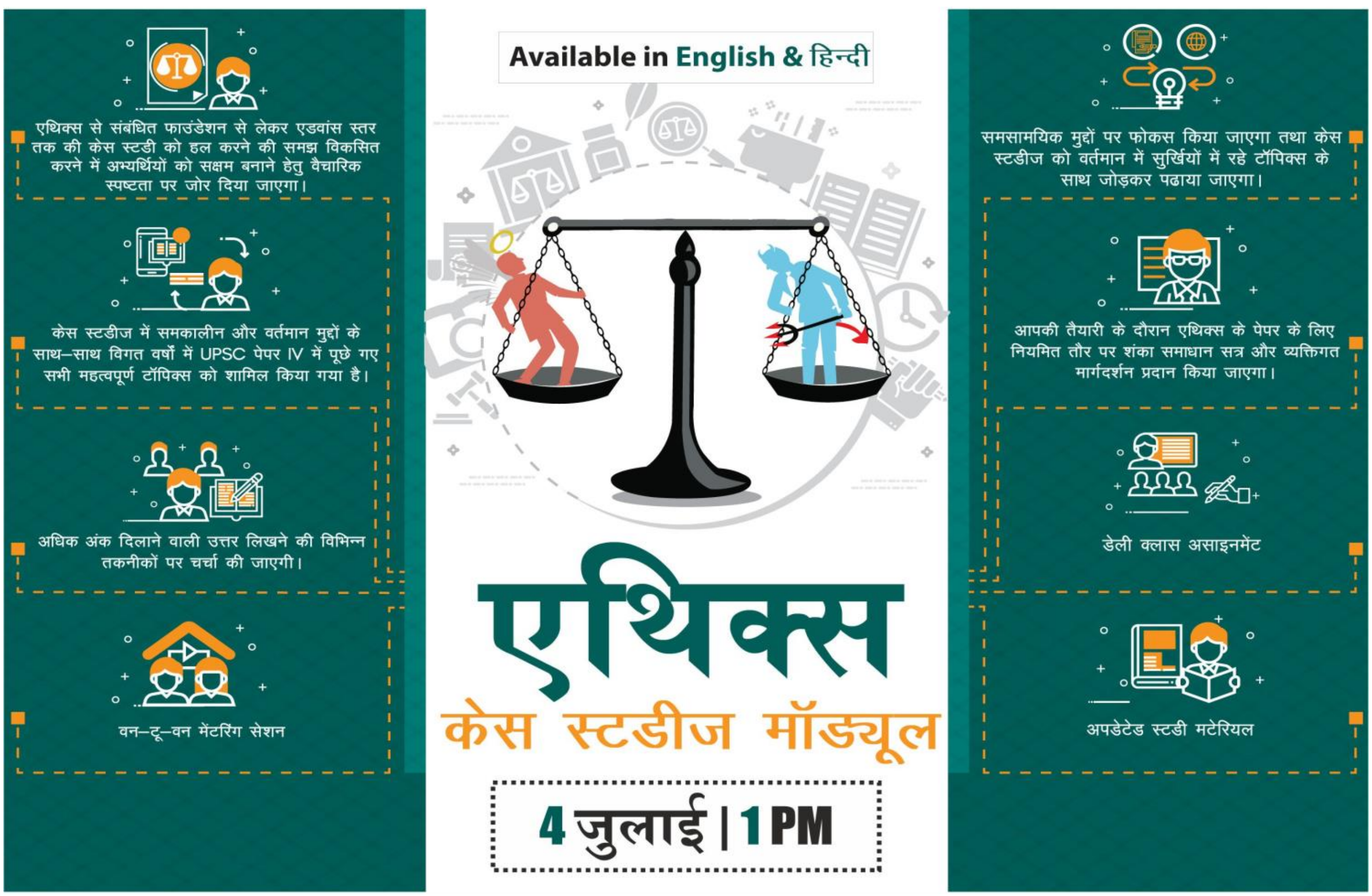

[69] Common Accounting System

[70] Management Information System

7.2. कृषि का मशीनीकरण (Agricultural Mechanization)

कृषि मशीनीकरण: एक नज़र में

भारत में कृषिगत मशीनीकरण की स्थिति

- नाबार्ड की एक रिपोर्ट (2018) के अनुसार, यू.एस.ए. (95%), ब्राजील (75%) और चीन (57%) की तुलना में **भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर मात्र 40-45%** है।
- भारत का **कृषि उपकरण बाजार वैश्विक बाजार का केवल 7%** है। भारत में कृषि उपकरणों की बिक्री से आए पैसे में **80 प्रतिशत से अधिक ट्रैक्टर** का योगदान है।
- **गैर-ट्रैक्टर कृषि मशीनरी** के निर्यात में भारत का **व्यापार अधिशेष (Trade surplus) बहुत कम** है।
- भारत निम्न श्रेणी के उपकरणों के निर्यात या इन उपकरणों के आयात पर निर्भर है।

कृषि मशीनीकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **लघु और खंडित भू-जोत (85% कृषक परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है)।**
- भूमि जोत का आकार **लघु और विखंडित है।**
- भारत में अधिकतर **कृषि जीवन निर्वाह के लिए** की जाती है।
- मृदा की स्थिति और फसल पद्धति में भी **विविधता मौजूद है।**
- बिजली एवं सस्ते ऊर्जा स्रोत की बहुत कम उपलब्धता है।
- कृषि उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया **कठिन और बोझिल** है।
- **उपकरण की लागत को वहन करना कठिन है।**
- उचित रख-रखाव के लिए **सेवा केंद्र अपर्याप्त हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है।**
- बैंक किसानों को **ऋण देने में अनिच्छुक** रहते हैं।
- कृषि मशीनरी उद्योग किसानों की जरूरतों के अनुरूप उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

सरकार की पहलें

- **कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM):** इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब' को बढ़ावा देना।
  - प्रदर्शन संबंधी परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
- **इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (E-NWRs):** E-NWRs के एवज में वित्त की सुविधा।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी **कई योजनाओं में कृषि मशीनीकरण प्रमुख उद्देश्य** है।
- भूमि संरक्षण विभाग मशीन खरीदने के लिए महिला प्रतिष्ठानों को 90% सब्सिडी प्रदान करता है।
- केरल, मध्य प्रदेश जैसी राज्य सरकारें रियायती दरों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करा रही हैं।

आगे की राह

- कृषि मशीनीकरण और भारी कृषि मशीनरी की खरीद या उन्हें किराये पर लेने के लिए **निरंतर आधार पर किसानों को सब्सिडी** दी जा सकती है।
- **ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण** एवं वित्त-पोषण के विकल्पों में वृद्धि की जानी चाहिए।
- सब्सिडी लागू करने/ प्राप्त करने की प्रक्रिया को **सुव्यवस्थित, सरलीकृत और डिजिटलीकृत** किया जाना चाहिए जैसा कि **ओडिशा** में किया गया है।
- बहुत अधिक विकेंद्रीकृत कस्टम हायरिंग सेंटर्स के एक संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए।
- किसानों के लिए **विस्तार कार्यक्रमों** (Extension programmes) को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- कृषि विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की पहचान करके उन्हें अलग-अलग **कृषि-आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदारी** सौंपी जानी चाहिए।
- विशेष रूप से भारी मशीनरी के परिवहन के लिए **लॉजिस्टिक में सुधार करने की जरूरत** है।
- भारतीय विनिर्माताओं के लिए **समान अवसर सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
- **परीक्षण, विनिर्देश मानकीकरण और प्रदर्शन आवश्यकताओं तथा विनियमों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप** विकसित किया जाना चाहिए।

7.3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing)

कृषि विपणन: एक नज़र में

कृषि विपणन का अर्थ कृषि उत्पादों को उत्पादकों से उपभोक्तओं तक पहुंचाने में सम्मिलित वाणिज्यिक कार्यों से है।

कृषि बाजारों का महत्त्व

- बाजार में **कृषि उपज का मौद्रीकरण।**
- **बाजार की जानकारी और मूल्य संकेतों** के स्रोत के रूप में कार्य करना।
- **बिचौलियों की भूमिका को कम करने में सहायक।**
- **पूंजीगत निर्माण** और प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहन।
- फॉरवर्ड और बैकवार्ड लिंकेज उपलब्ध कराकर **कृषि में मूल्यवर्धन।**

भारत में इन बाजारों के समक्ष आने वाली समस्याएं

- **संस्थागत मुद्दे:** बाजार में नए व्यापारियों को प्रवेश करने के लिए **लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं; अधिक बाजार शुल्क** (APMCs सहित)।
- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** देश के कुछ हिस्सों में **कृषिगत उपज बाजारों की सीमित पहुंच; कृषि बाजारों में खराब अवसंरचना** आदि।
- **बाजार सूचना प्रणाली से जुड़े मुद्दे: कुशल व रियल टाईम सूचना तंत्र की अनुपस्थिति** से मांग संबंधी संकेतों की प्राप्ति में विलंब; किसानों के लिए **सीमित जानकारी और कंटेंट** की उपलब्धता; तथा सूचना के नए माध्यमों के बारे में **किसानों में जागरूकता की कमी।**
- **अन्य मुद्दे:** विपणन संबंधी अवसंरचना के विकास पर सीमित सार्वजनिक निवेश।

आगे की राह

- किसानों और व्यापारियों को कृषि-उत्पादों की **बिक्री और खरीद करने** के लिए विकल्पों के चुनाव **की स्वतंत्रता** वाले पारितंत्र का निर्माण कर **एकाधिकार पर नियंत्रण।**
- विपणन के वैकल्पिक और प्रत्यक्ष स्रोत निर्मित करके **किसानों के लिए उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना।**
- **APMCs में सुधार:** APMCs में एक स्वतंत्र विनियामक की नियुक्ति करना; APMCs में निजी थोक बाजारों, एकीकृत एकल पंजीकरण आदि के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **e-NAM को मजबूत कर एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का निर्माण करना:** इसके लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन प्रमाणीकरण का निर्माण; तथा किसान समूहों और अन्य मध्यस्थों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विपणन संबंधी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना:** इसके लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और आवाजाही पर दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति बनाना; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना; और राज्यों द्वारा संबंधित अवसंरचना विकास के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा देना जैसे कार्य किए जाने चाहिए।
- **अधिक कुशल सूचना प्रसार प्रणाली का निर्माण करना:** इसके तहत अधिक सुलभ तरीकों को लोकप्रिय बनाना; मोबाइल उपकरणों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा करना; और किसानों को व्यापक जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य किए जाने चाहिए।
- **बाजार शुल्क /कमीशन चार्ज को युक्तिसंगत कर** उपज के मूल्य के अधिकतम 2% तक सीमित करना।
- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार अंतर-मंडी और अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस (MNI) का कार्यान्वयन करना।

7.3.1. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (India's Grain Storage System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **'सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'** हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs)[71] के लिए शुरू किया गया है।

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **पैक्स (PACSs) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाएं** स्थापित करना है। साथ ही, इसके उद्देश्यों में अन्य **कृषि अवसंरचनाओं,** जैसे- गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण यूनिट्स आदि की स्थापना करना भी शामिल है।
- **पैक्स को होने वाले लाभ: पैक्स** गोदामों/ भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए **सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ** उठा सकते हैं।

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली

- **लघु किसानों द्वारा भंडारण:** उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 60-70% हिस्सा घरेलू स्तर पर विभिन्न स्वदेशी और **पारंपरिक भंडारण** संरचनाओं, जैसे- मोराई, मिट्टी की कोठी आदि का उपयोग करके भंडारित किया जाता है।
- **सरकारी भंडारण एजेंसियां:**
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI):** FCI देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए मुख्य एजेंसी है।
  - **केंद्रीय भंडारण निगम (CWC):** इसे **भंडारण निगम अधिनियम, 1962** के तहत कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थापित किया गया था।
  - **राज्य भंडारण निगम:** इसे राज्यों में संबंधित राज्य भंडारण अधिनियमों के तहत कुछ वस्तुओं के भंडारण को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **निजी एजेंसियां:** FCI **निजी स्वामियों** से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।

अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य पहल

- **भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007[72]:** इसके तहत **वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है। **WDRA** को पंजीकृत गोदामों के नेटवर्क के जरिए सभी वस्तुओं के लिए **नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (NWR)[73]** प्रणाली स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - **ई-किसान उपज निधि,** WDRA की एक डिजिटल गेटवे पहल है, जो किसानों को अपने भंडार को WDRA पंजीकृत गोदामों में रखने के एवज में बैंकों से फसल कटाई के बाद के ऋण प्राप्त करने में सहायता करती है।
- **खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति, 2000:** इसका उद्देश्य भंडारण एवं ट्रांजिट घाटे को कम करना और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर बल देना है।
- **ग्रामीण भंडारण योजना:** यह ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण, नवीकरण और विस्तार के लिए शुरू की गई एक योजना है।
- **पी.एम. किसान संपदा योजना:** इसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, विशेष पैकेजिंग यूनिट्स, भंडारण केंद्रों आदि के विकास के लिए शुरू किया गया है।
- **स्मार्ट फ़ूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम (SAFEETY):** इसमें अनाज की बोरियों की कन्वेयराइज्ड लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा होती है। इसमें ट्रेसेबिलिटी के लिए RFID तथा ऑनलाइन वजन और नमी की माप की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही अनाज से नमी को रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से हटाने की सुविधा भी होती है।

[71] Primary Agricultural Credit Societies

[72] Warehousing (Development and Regulation) Act

[73] Negotiable Warehouse Receipt

© Vision IAS

भारत में अनाज भंडारण से जुड़ी चुनौतियां

- **अवैज्ञानिक भंडारण:** लगभग 80% हैंडलिंग और गोदाम सुविधाएं मशीनों से लैस नहीं हैं। साथ ही, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए पारंपरिक व मैनुअल तरीकों का उपयोग किया जाता है।
- **सीमित भंडारण क्षमता:** FAO[74] के सांख्यिकीय डेटा के अनुसार, भारत में खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) के आस-पास है, जबकि भारत में कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT ही है। इसका मतलब यह है कि 166 MMT खाद्यान्न के लिए भंडारण सुविधा का अभाव है।
- **अधिशेष बफर स्टॉक:** FCI बफर स्टॉकिंग मानदंडों से कहीं अधिक बफर स्टॉक रखता है।
- **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान:** पारंपरिक भंडारण प्रणाली फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से सुरक्षा की गारंटी नहीं देती हैं।
- **भंडारण में निजी निवेश की कमी:** निजी क्षेत्रक भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में झिझकता है। जमीन की पर्याप्त उपलब्धता न होना और निर्माण से पहले कई रेगुलेटरी लाइसेंस जैसी चुनौतियां निवेश में बाधा बनती हैं।

भारत की अनाज भंडारण प्रणाली में सुधार के लिए आगे की राह

शांता कुमार समिति की सिफारिशें:

- **वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों को अपनाना:** कवर एंड प्लिंथ (CAP) भंडारण तरीके को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। ढुलाई की उच्च लागत के कारण होने वाले घाटे को कम करने और तीव्र आवागमन के लिए अनाज की ढुलाई हेतु धीरे-धीरे कंटेनर के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **FCI को लचीला बनाना:** ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) और निर्यात बाजारों में काम करने के लिए FCI को अधिक व्यवसाय उन्मुख बनाने तथा अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
  - **OMSS-डोमेस्टिक** का आशय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यों पर **ई-नीलामी के जरिए खुले बाजार में खाद्यान्न (गेहूं और चावल) की बिक्री** करने से है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** FCI के पुराने पारंपरिक भंडारण सुविधाओं को निजी क्षेत्रक और अन्य स्टॉकिंग एजेंसियों की मदद से साइलो (Silos) में परिवर्तित किया जा सकता है।

अशोक दलवई समिति की सिफारिशें:

- **भंडारण सुविधाओं का विकेंद्रीकरण:** प्रत्येक राज्य को भंडारण केंद्र तथा अन्य संबंधित अवसंरचना हेतु योजना बनाते समय प्रत्येक जिले की स्थानीय जरूरतों और कृषि पद्धतियों पर ध्यान देना चाहिए।
  - **फार्मगेट पर नुकसान को कम करना:** परिवहन लिंक के साथ ग्राम स्तर पर एकत्रीकरण इकाइयों (जैसे- आधुनिक पैक-हाउस और पूलिंग पॉइंट) के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- कुशल भंडारण के साथ-साथ अंतिम-उपभोक्ताओं तक किफायती तरीके से कृषि वस्तुओं को पहुंचाने हेतु कृषि क्षेत्र में एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणालियों[75] को बढ़ावा देना चाहिए।

[74] (Food and Agriculture Organization/ खाद्य और कृषि संगठन

[75] Integrated agri-logistics systems

7.4. उर्वरक क्षेत्रक (Fertilizer Sector)

उर्वरक क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत के उर्वरक क्षेत्रक की स्थिति

- भारत दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक** देश है। चीन के बाद भारत **उर्वरकों का उपभोग** करने वाला **दूसरा सबसे बड़ा** देश है (2022)।
- **भारत में** यूरिया का **सबसे ज्यादा उत्पादन (86%) सबसे ज्यादा खपत (74% शेयर) और सबसे ज्यादा आयात (52%)** किया जाता है।
- उर्वरक उद्योग **आठ प्रमुख उद्योगों (Core industries) में से एक** है।
- ऐसी संभावना है कि **भारतीय उर्वरक बाजार** 2022-2027 के दौरान **11.9% के** CAGR से बढ़ेगा।

उर्वरक के उपयोग से संबंधित प्रमुख चिंताएं

- **मृदा का क्षरण**, पादपों को क्षति और विषाक्तता में वृद्धि।
- **पर्यावरण संबंधी प्रदूषण** जिसमें सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन आदि शामिल हैं।
- श्वसन रोग और कैंसर के रूप में **मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव**।
- उर्वरकों पर सब्सिडी देने से सरकार पर **उच्च राजकोषीय बोझ** पड़ता है। (GDP का 0.5%)
- उर्वरक सामग्री हेतु भारत की **आयात पर निर्भरता।**

उर्वरकों के कुशल उपयोग के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **धरती माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार हेतु प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम):** इसका **उद्देश्य** वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है।
- गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज-धन) प्लांट्स से प्राप्त **जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (MDA)।**
- प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (PMBJP) के तहत **एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना।**
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए **नैनो यूरिया (तरल) संयंत्रों** की स्थापना।
- उर्वरकों का कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में उपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए **उर्वरक फ्लाइंग स्क्वॉड** का गठन।
- यूरिया के अलावा 22 उर्वरकों पर **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना** का क्रियान्वयन।

आगे की राह

- आवश्यकता-आधारित उपयोग के माध्यम से **उर्वरक दक्षता में सुधार लाने** का प्रयास करना चाहिए।
- आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उर्वरकों के **स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया** जाना चाहिए।
- **जैव और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा** देने तथा किसानों द्वारा इनके उपयोग को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- उर्वरक के तर्कसंगत उपयोग हेतु किसानों की **किफायती मृदा परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- नैनो यूरिया जैसी दक्ष उर्वरक डिलीवरी सिस्टम विकसित करने के लिए **निरंतर अनुसंधान एवं विकास** कार्य जरूरी है।

 © Vision IAS

7.5. किसानों को वित्तीय सहायता (Financial Support to Farmers)

किसानों को वित्तीय सहायता: एक नज़र में

किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की स्थिति

- **11 करोड़ से अधिक किसानों** को पीएम किसान योजना के तहत लगभग **2.81 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय लाभ दिया गया है (फरवरी, 2024 तक)।
- **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-2.5% सालाना सब्सिडी** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में होती है।
- कुल कृषि आय का लगभग **20%** भाग सब्सिडी के रूप में आता है।
- कृषि में लगे **50.2%** परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं।
- किसानों द्वारा लिए गए लगभग 60% ऋण संस्थागत स्रोतों से थे (NSSO रिपोर्ट)।

प्रमुख उद्देश्य

- देश में सभी भूमि-धारक किसानों के परिवारों (जोत के आकार से निरपेक्ष होकर) को **आय सहायता प्रदान करना**।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न इनपुट्स की खरीद के लिए **किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।**
- **कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने और खेती को लाभकारी** बनाने के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना।

योजनाएं/ पहलें

- किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए **उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि।**
- विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए **परिवहन और विपणन सहायता**- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल ढुलाई की कमी को दूर करने के लिए।
- निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों, FPO/FPC, सहकारी समितियों हेतु **किसान कनेक्ट पोर्टल।**
- एपीडा, MPEDA, टी बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत **कृषि उत्पाद निर्यातकों को सहायता।**
- एग्रीस्टैक, भूमि रिकॉर्ड जैसी सूचनाओं का एक डिजिटल डेटा स्टैक।
- **अन्य योजनाएं:** किसान क्रेडिट कार्ड, पी.एम, किसान, पी.एम. फसल बीमा योजना (PMFBY), ब्याज सबवेंशन योजना, पी.एम. किसान मान धन योजना, पी.एम.-आशा, किसान सुविधा एप आदि।

बाधाएं

- **आदान की बढ़ती लागत, कम उत्पादकता, ऋणग्रस्तता, मानसून की अनिश्चितता**, उत्पाद का लाभकारी मूल्य न मिलना आदि के कारण **किसानों की परेशानी में वृद्धि।**
- **किसान डेटाबेस** का अभाव, **लाभार्थी किसानों की पहचान** में होने वाली कठिनाई।
- सरकार के पास संदर्भ में अधिक **वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण** किसानों को दी जाने वाली सहायता और कृषि-निवेश के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।
- **'वन साईज फिट फॉर आल'** दृष्टिकोण।
- विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर **किसानों में जागरूकता का अभाव।**
- **ऋण संबंधी आवश्यकता के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों** पर निर्भरता।

आगे की राह

- **संस्थागत और डिजिटल बुनियादी ढांचे** को मजबूत करना।
- **सभी सब्सिडी को धीरे-धीरे DBT की प्रक्रिया** में बदलना।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए **सिंचाई सुविधाओं, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था में सुधार करना।**
- फसल उत्पादन बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए **कृषि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।**
- क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं और हस्तक्षेपों के साथ **बॉटम-अप रणनीति अपनाना।**
- विभिन्न योजनाओं के प्रति किसानों में **जागरूकता को बढ़ाना।**
- **स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में व्याप्त खामियों को दूर करना।**
- किसानों से संबंधित तनाव की पहचान के मामले में अग्रिम चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु किसान संकट सूचकांक (Farmer Distress Index) जैसे अन्य प्रयास करना।

7.5.1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2023-24 में PMFBY के तहत रिकॉर्ड संख्या में **4 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन** कराया है। इस योजना के तहत **2022-23 में 3.15 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया** था। इस प्रकार, 2023-24 में इसमें **27% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **दावे (Claims):** PMFBY के तहत 2016 से 2023 तक किसानों को प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम भुगतान के बदले दावे के रूप में लगभग 500 रुपये का भुगतान किया गया।
- **दावा प्राप्तकर्ता (Claims recipients):** इस योजना के कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों के दावे मंजूर किए गए हैं।

 © Vision IAS

PMFBY के तहत प्रमुख पहलें

- **डिजीक्लेम (Digi Claim):** इसके तहत सभी दावों और उनके सेटलमेंट का कार्य राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)[76] के माध्यम से किया जाता है।
- **क्रॉपिक** (CROPIC)[77]- रियल टाइम में अवलोकन और फसलों की फोटो का संग्रह
- **वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल**
- **YES-TECH[78] मैनुअल**
- **AIDE (सहायक) ऐप के माध्यम से घर बैठे फसल बीमा**
- अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन का उपयोग कर कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान (FASAL/फसल) परियोजना (FASAL)[79]
- राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)[80]
- **इसरो का जियो-प्लेटफॉर्म, भुवन,** वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम संबंधी डेटा प्रदान करता है।

PMFBY से संबंधित चुनौतियां

- **प्रीमियम सब्सिडी की उच्च लागत:** कई राज्यों में, सकल प्रीमियम की अपेक्षा दावे अधिक हो गए हैं और राज्यों ने पाया कि वे कृषि बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान के लिए खर्च कर रहे हैं।
- **गैर-भागीदार किसानों से प्रीमियम की कटौती:** फसल बीमा योजना से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी के कारण अक्सर उनके बैंक खातों से अनजाने में प्रीमियम की राशि काट ली जाती है।
- **फसल उपज का अनुमान लगाने में समस्या:** फसलों की उपज संबंधी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर विवाद की स्थिति, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में एक मुख्य चुनौती है।
- **दावों के निपटान में देरी:** राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने में देरी, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज के आंकड़ों से संबंधित विवाद और किसानों के खाते का विवरण न मिलने पर निपटान में देरी होती है।
- **डिफॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियां:** प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण डिफॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी होती है।
- **फसल की क्षति का आकलन करने में होने वाली कठिनाइयां:** स्थानीय फसल क्षति की प्रकृति, संभावित लापरवाही या यहां तक कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा झूठे दावों और स्थानीय स्तर पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण बीमा कंपनियों के लिए फसल क्षति का आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

आगे की राह

- **समय पर प्रीमियम सब्सिडी जारी करना:** सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार और केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एस्क्रो खाते के माध्यम से सब्सिडी भुगतान को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
  - इसके अलावा, सभी वित्तीय लेन-देन (सब्सिडी या दावे) **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** के माध्यम से किए जाएं।
- **जिले की प्रत्येक तहसील में बीमा कंपनियों की उपस्थिति:** बीमा कंपनियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किसानों के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को कम किया जाए।
- **कंपनियों के लिए जुर्माना:** डिफॉल्टर कंपनियों के लिए दंड या जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **स्मार्ट सैंपलिंग तकनीकों को अपनाना:** सभी राज्यों द्वारा तकनीक की मदद लेना, जैसे- उपग्रह की मदद से डेटा एकत्रित करना या ड्रोन का उपयोग करना आदि।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR):** बीमा कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा उन जिलों में CSR के लिए खर्च करने की योजना बना सकती हैं जहां से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

[76] National Crop Insurance Portal

[77] Collection of Real Time Observations and Photo of Crops

[78] Yield Estimation System, based on Technology/ प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली

[79] Forecasting Agricultural output using Space, Agro- meteorology and Land based observations

[80] National Agricultural Drought Assessment and Monitoring

7.6. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector)

कृषि से जुड़े क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में कृषि से जुड़े क्षेत्रक की स्थिति

- 2014-15 से 2021-22 के दौरान पशुधन क्षेत्रक का CAGR **13. 36 % था।** पशुधन क्षेत्रक 2020-21 में कुल कृषि GVA का **30.1 %** (स्थिर कीमतों पर) था।
- वैश्विक दुग्ध उत्पादन का **25%** उत्पादन भारत में होता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में **5%** का योगदान देता है। साथ ही, यह सीधे **8 करोड़ से अधिक** किसानों को रोजगार भी देता है (2024)।
- भारत के कुल निर्यात में **37%** योगदान बागवानी क्षेत्रक द्वारा किया जाता है (2019)।
- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक, और चौथा सबसे बड़ा सी फ़ूड निर्यातक देश है।

प्रमुख उद्देश्य

- पर्यावरण की रक्षा, जंतु जैव-विविधता का संरक्षण, जैव-सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करते हुए **पशुधन उत्पादकता और उत्पादन को संधारणीय तरीके से बढ़ाना।**
- **बागवानी क्षेत्रक** के समग्र विकास को बढ़ावा देना, **किसानों की आय** में वृद्धि करना और **पोषण सुरक्षा** को मजबूत करना।
- सभी क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए **इंद्रधनुष क्रांति** की शुरुआत करना।

योजनाएं/ पहलें

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड।
- बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम - सुरक्षा/ SU RAKSHA
- पशुपालन एवं मत्स्यपालन के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड।**
- **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (NPBBDD)।**
- **पशुपालन में नवीनतम प्रथाओं और तकनीकों को सीखने के लिए पशुधन जागृति अभियान।**
- **पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF)।**
- उद्यमशीलता और नस्ल सुधार पर केंद्रित **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)।**
- **नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) - 'एक राष्ट्र-एक पास' से लकड़ी, बांस और अन्य लघु वनोपज (MFP)** के निर्बाध ट्रांजिट की सुविधा मिलेगी।

बाधाएं

- **पुरानी और अकुशल तकनीक** का उपयोग फसलों और पशुधन की कम उत्पादकता का प्राथमिक कारण है।
- **अधिक उपज देने वाली नस्लों, कृषि संबंधी उपकरणों की वहनीयता** एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है।
- **कृषि में कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद** है, जो विविधीकरण में बाधक बनता है।
- तकनीकी को अपनाने के लिए **पर्याप्त पूंजी का अभाव।**
- **सीमित प्रसंस्करण अवसंरचना** के कारण **फसल कटाई के बाद अधिक नुकसान होता है।**
- सभी संबद्ध गतिविधियों में उन्नत पद्धतियों को अपनाने का **निम्न स्तर** एक गंभीर बाधा है।

आगे की राह

- सभी संबद्ध क्षेत्रकों में **मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना।**
- संबद्ध क्षेत्रकों में लगे किसानों के लिए **सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित** करना।
- विभिन्न संबद्ध क्षेत्रकों (जैसे- मत्स्य पालन क्षेत्रक) में चलाई जा रही योजनाओं को एकीकृत करना तथा किसानों एवं मछली प्रजनकों का **क्षमता निर्माण करना।**
- अधिक आय और रोजगार सृजन के लिए **उच्च प्रतिफल देने वाली फसलों को** अपनाते हुए **विविधीकरण को** प्रोत्साहित करना।
- **स्मार्ट बागवानी: हाई डेंसिटी प्लांटेशन,** सब्जियों में **संकर प्रौद्योगिकी** और **फलों में रूटस्टॉक प्रौद्योगिकी** जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
- **जैविक उत्पादों के लिए बाजार** को मजबूत बनाना।
- विदेशी नस्लों को भी बढ़ावा देना।
- प्रसंस्करण में निजी निवेश और उद्यमिता को सुगम बनाकर फसल **कटाई के बाद के होने वाले नुकसान को कम** करना।

7.6.1.अंतर्देशीय मात्स्यिकी (Inland Fisheries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन के मामले में **चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देश** बन गया है। इसके साथ ही, भारत मछली उत्पादन के मामले में **दुनिया के शीर्ष तीन देशों** में शामिल हो गया है।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी के बारे में

- देश के भीतर स्थित नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाब जैसे जल निकायों में मछलियों के उत्पादन, प्रबंधन और संरक्षण को "अंतर्देशीय मात्स्यिकी" कहा जाता है।
- **पिछले 9 वर्षों में** अंतर्देशीय मछली उत्पादन **दोगुना होकर 131 लाख टन हो गया** है।

अंतर्देशीय जल में मात्स्यिकी के लाभ

- **पोषण और खाद्य सुरक्षा:** अंतर्देशीय जल में प्राप्त होने वाली मछलियों में प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D प्रचुर मात्रा में होता है। इस तरह ये मछलियां इन पोषक तत्वों के किफायती स्रोत हैं। साथ ही, ये मछलियां आहार विविधता और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं।
- **आर्थिक लाभ:** इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि जैसे **आर्थिक लाभ** प्राप्त होते है।
- **पर्यावरण:**
  - मछलियां आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करके तथा जैव विविधता को बनाए रखकर **पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण** करती हैं।
  - मछलियां **बायोरेमेडिएशन में योगदान कर** शहरी या कृषि क्षेत्रकों से अतिरिक्त पोषक तत्वों के रिसाव को रोकने, पर्यावास की पुनर्बहाली तथा **हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन** (HAB)[81] की आशंका को कम करने में भूमिका निभाती हैं।
- समुदाय की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां और उनके मजबूत सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक विरासत में योगदान देते हैं।

[81] Harmful Algal Blooms

भारतीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन से जुड़ी चुनौतियां

- जल-कुशल एक्वाकल्चर पद्धतियों जैसी **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में धीमी गति।**
- समय पर ऋण न मिलना, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण जैसी **आर्थिक चुनौतियां।**
- अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं जैसी **अवसंरचना संबंधी चुनौतियां।**
- मछली के अतिदोहन या उनकी संख्या में कमी से संबंधित **पर्यावरणीय चुनौतियां।**

इस दिशा में उठाए गए कदम

- **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** इसमें मछली उत्पादन, जलीय कृषि उत्पादकता, निर्यात आदि बढ़ाने के उद्देश्य से **जलीय कृषि अवसंरचना, कोल्ड स्टोरेज, मछली पर्यटन जैसी गतिविधियों का विकास** शामिल हैं।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)** भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्रक को औपचारिक रूप देना, MSME को संस्थागत वित्तीय सहायता प्रदान करना और मछली उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता आश्वासन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  - यह 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करते हुए समर्थन प्रदान करेगा।
- **आनुवंशिकी में सुधार हेतु राष्ट्रीय सुविधा:** इसकी स्थापना PMMSY के तहत की गई है। इसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए किसी एक मछली प्रजाति पर निर्भरता को कम करना और आक्रामक झींगा प्रजातियों की बजाय देशी प्रजातियों के उत्पादन पर बल देना है।
- **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board: NFDB):** इसका गठन केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाने और एकीकृत तरीके से मत्स्य विकास में समन्वय स्थापित करना है।
- **जलीय जीव के रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases: NSPAAD):** इसका लक्ष्य जलीय कृषि में रोग निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF):** इसकी स्थापना मत्स्य क्षेत्रक से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करने के लिए की गई है।

आगे की राह

- **बिग डेटा, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित आपूर्ति श्रृंखला जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने** से नुकसान को कम किया जा सकता है तथा ट्रेसेब्लिटी में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में मछुआरों, नाव मालिकों और सरकारी संगठनों, सभी को शामिल करते हुए **एक बहु-हितधारक एप्रोच** अपनाने की आवश्यकता है।
- संधारणीय और उत्तरदायी मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने के लिए **"जिम्मेदार मात्स्यिकी हेतु FAO की आचार संहिता[82]"** को अपनाना चाहिए।
- **मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs)[83]** मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के समूह बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त FFPOs उत्पादों और सेवाओं की डिलीवरी, बाजार संपर्क आदि के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में काम कर सकते हैं।
  - FFPO मछुआरों और उनके हितधारकों का एक संघ है। इस संघ के गठन का प्राथमिक उद्देश्य संधारणीय मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना है। ये संघ कानून के तहत पंजीकृत होते हैं।
- **फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, चिलर बॉक्स, आइस फैक्ट्री** जैसी अवसंरचनाओं का विकास करने की आवश्यकता है। इससे लॉजिस्टिक समर्थन में सुधार के साथ-साथ उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

---

[82] FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries

[83] Fish Farmer Producer Organisations

7.7. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector)

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक: एक नज़र में

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति

- यह एक **सनराइज सेक्टर** है। इसका **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.26% (वित्त वर्ष 2014 - वित्त वर्ष 2022)** है। **इसका योगदान** वर्ष 2021-22 में देश में **कुल GVA का 1.8%** था।
- इस क्षेत्रक में **20.05 लाख कर्मचारी** कार्य कर रहे हैं। यह संख्या **देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रक में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा (12.2%)** है।
- देश भर में स्वीकृत 41 में से **24 मेगा फूड पार्क परिचालन में हैं।**
- **कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 25.6% हो गई।**

खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के माध्यम से **अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभों यानी** अर्थव्यवस्था और कृषि को एकीकृत करना।
- दूध, दाल, अदरक, केला और आम जैसे **क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का दोहन करना।**
- **ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस तैयार करना।**
- **विदेशों में** भारतीय उत्पादों **की ब्रांडिंग और मार्केटिंग** को सहायता प्रदान करना।
- **खाद्य उत्पादों के मौजूदा निम्न प्रसंस्करण स्तर और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली अत्यधिक बर्बादी की** समस्याओं का समाधान करना।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात और मांग में वृद्धि के कारण कृषि आय में सुधार के माध्यम से ग्रामीण विकास।

योजनाएं/ पहलें

- मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के विकास के लिए **पी.एम. किसान संपदा योजना।**
- **ऑपरेशन ग्रीन्स** का दायरा TOP (टमाटर, प्याज और आलू) से बढ़ाकर शीघ्र खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया है।
- सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के लिए **प्रधान मंत्री- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PM-FME)।**
- चयनित उत्पादों पर SME को अपग्रेड करने के लिए **PM-FME** के तहत **एक जिला एक उत्पाद पहल** आरंभ की गई है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना।**
- **100% FDI,** और खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन को **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार** के तहत कृषि संबंधी गतिविधि के रूप में शामिल करना।
- शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की सुगम आवाजाही के लिए माल ढुलाई दरों में कमी लाने के लिए **कृषि उड़ान और कृषि रेल योजनाएं।**
- **संस्थागत उपाय,** जैसे- APEDA, MPEDA, EIC, कृषि निर्यात नीति-2018 आदि।

बाधाएं

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का **अनौपचारिक रूप।**
- **कुशल आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना,** रसद चुनौतियाँ और **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव।**
- **कच्चे माल और कोल्ड चेन क्षमता** तक पहुँच में व्याप्त बाधाएं।
- **कार्यशील पूंजी की उच्च आवश्यकता**; नए विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले उपकरणों की कम उपलब्धता; अपर्याप्त ऑटोमेशन।
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, प्रोसेसर्स, निर्यातकों और थोक खरीददारों के साथ किसानों/क्षेत्रक का **अविकसित लिंकेज।**
- **ऋण प्रदान करने की खराब सुविधा, नौकरशाही बाधाएं और कड़े श्रम कानून।**
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास।**
- **गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता के कारण कीट संक्रमण, रासायनिक अवशेषों की उपस्थिति जैसी समस्याएँ होती हैं।**

आगे की राह

- **नीति:** विनियामक संरचना, श्रम कानून, खाद्य और पैकेजिंग मानकों को कारगर बनाना।
- **वित्तीय:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने, बाजार को बढ़ावा देने और सहायक गतिविधियों के खर्चों को ध्यान में रखते हुए उचित कर प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करना।
- **आधारभूत संरचना:** किसान-उत्पादक-निवेशक-अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिंकेज के माध्यम से **आपूर्ति पक्ष और बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करना।**
- बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान बढ़ाकर मामूली आय अर्जित करने की बजाय बाजार-उन्मुख नज़रिए को अपनाने की जरूरत है।
- बाजार की मांग के आधार पर किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच **बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना।**
- **बाजार को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से सीधे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।**

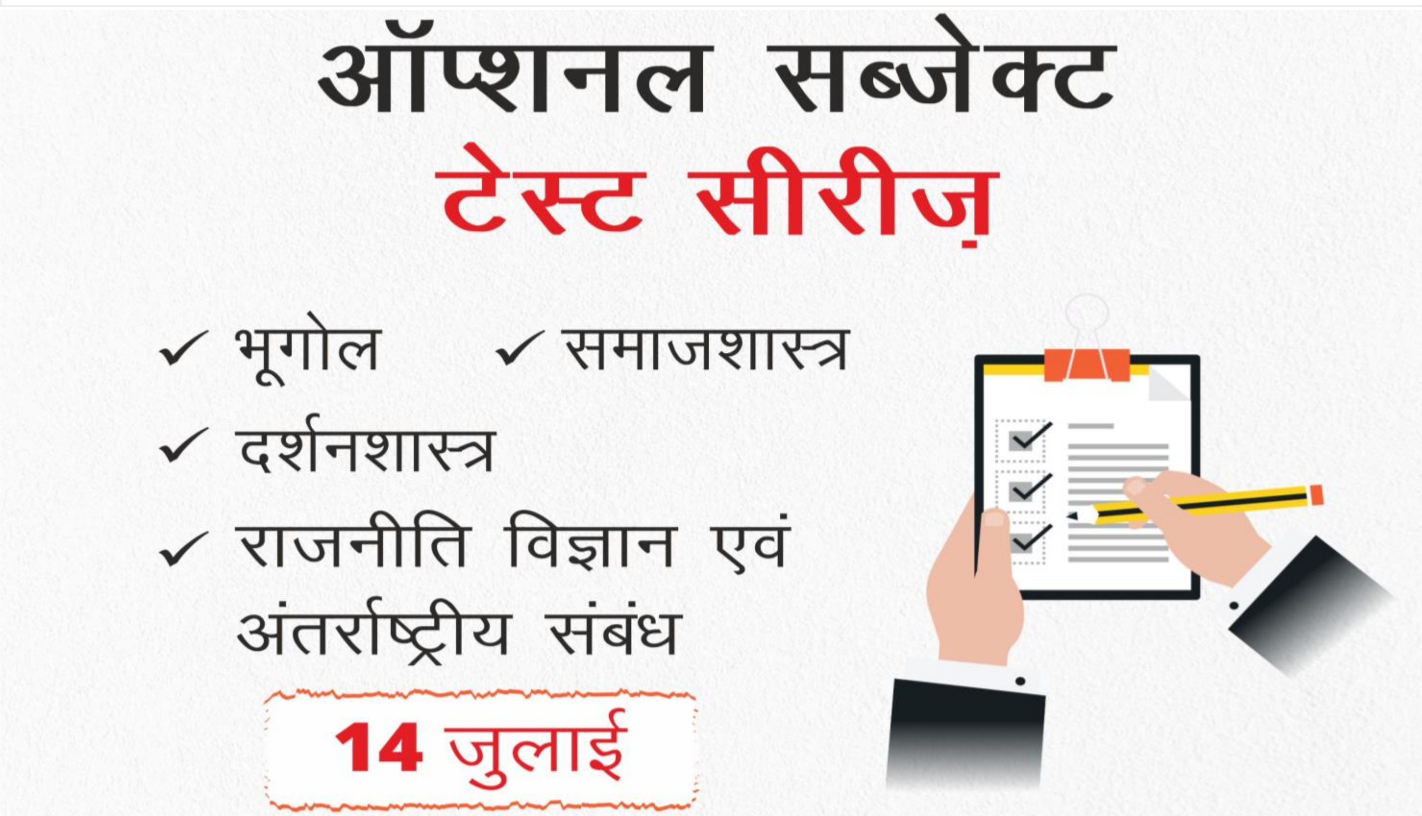

7.8. कृषि निर्यात (Agricultural Exports)

कृषि निर्यात: एक नज़र में

भारत के कृषि निर्यात की स्थिति

- 2023-24 के दौरान भारत के **कृषि निर्यात और आयात में 8 प्रतिशत की गिरावट** दर्ज की गई।
- 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद से भारत **कृषि उत्पादों का निवल निर्यातक** रहा है।
- 2023 में **वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 2.4%** थी।
- 2021-22 में भारत के **कुल व्यापारिक निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 11.9%** थी।

कृषि निर्यात नीति के लक्ष्य/ उद्देश्य

- 2022 तक **कृषि निर्यात दोगुना** करके 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करना। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, और इसमें 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी रह गई।
- **अधिक वस्तुओं और अधिक देशों को निर्यात** करना तथा उच्च मूल्य वाले और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना।
- **नवीन, देशज, जैविक, एथनिक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों** के निर्यात को बढ़ावा देना।
- किसानों को विदेशी बाजार में **निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना।**
- बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने, बाधाओं से निपटने तथा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक **संस्थागत तंत्र प्रदान करना।**

कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि के साथ निर्यात के लिए **ऑनलाइन प्रमाण-पत्र** जारी किए जा रहे हैं।
- माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु **परिवहन और विपणन सहायता (TMA) योजना** शुरू की गई है।
- निर्यातकों के साथ संपर्क करने के लिए किसानों, FPOs/FPCs, सहकारी समितियों हेतु एक **किसान कनेक्ट पोर्टल** स्थापित किया गया है।
- APEDA, MPEDA, चाय-बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत उपलब्ध कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए **कृषि उड़ान 2.0** योजना शुरू की गई है।

कृषि निर्यात के समक्ष बाधाएं

- विशेष रूप से नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए खराब और अकुशल बैकवर्ड एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
- खेत और निर्यातक, दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास का अभाव है।
- फसल बुआई और कटाई के बाद का प्रबंधन अपर्याप्त है।
- खाद्य उत्पादों में मूल्यवर्धन कम किया जाता है।
- यूरोप जैसे आकर्षक बाज़ारों में सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानक जैसी गैर-प्रशुल्क बाधाएँ मौजूद हैं।
- गुणवत्ता में एकरूपता की कमी और मूल्य श्रृंखला में घाटे के कारण बागवानी उपज का निर्यात करने में असमर्थता विद्यमान है।
- **वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट**, क्योंकि 16.3 मिलियन टन चावल 32.6 बिलियन क्यूबिक मीटर जल के निर्यात के बराबर है।

आगे की राह

- WTO के नियमों और AI, IoT और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ नीतिगत जुड़ाव आवश्यक है।
- आपसी समझौतों और खाद्य उत्पादों के मानकीकरण के जरिए गैर-प्रशुल्क बाधाओं का समाधान किया जाए।
- लॉजिस्टिक्स, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि में सुधार के माध्यम से कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहिए।
- केंद्र को एक समर्थक के रूप में कार्य करते हुए राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजनाएं शुरू करनी चाहिए।
- **अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना,** एग्री-टेक स्टार्टअप, प्रिसीज़न फ़ार्मिंग और उपज वृद्धि आदि को सक्षम करना। उदाहरण के लिए- नीदरलैंड।
- उपज में वृद्धि, फसलों में विभेदीकरण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से घरेलू उपज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।

7.9. कृषि अनुसंधान (Agricultural Research)

भारत में कृषि अनुसंधान: एक नज़र में

भारत में कृषि अनुसंधान की स्थिति

कृषि क्षेत्रक के लिए अनुसंधान में निवेश किए गए **1 रुपये से लगभग 13.85 रुपये का रिटर्न** मिलता है।

प्रौद्योगिकी के मामले में लगातार सहयोग के कारण 2014-23 के दौरान **अनाज, दाल और मसालों के औसत उत्पादन में क्रमश: 20.2%, 21.6% और 30.4% की वृद्धि** हुई है।

2020-21 में, भारत ने अपने **कृषि-GDP का 0.54% अनुसंधान पर खर्च** किया।

महत्त्व

- कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका।
- फसलों की पैदावार, पशुधन और मतस्य पालन में वृद्धि।
- अनुसंधान से नई तकनीकें सामने आती हैं, जो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आवश्यक हैं।
- बेहतर फसल और मृदा प्रबंधन प्रथाओं से कार्बन पृथक्करण।
- रोजगार सृजन, ग्रामीण-शहरी प्रवास में कमी, गरीबी और भूखमरी में कमी।

योजनाएं/ नीतियां/ पहल

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU) के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) योजना।
- कृषि गणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (ISACES) के तहत वित्त-पोषित "कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र (AERC)"।
- देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए **राष्ट्रीय गोकुल मिशन।**
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास"।

बाधाएं

- कृषि अनुसंधान और विकास का क्षेत्र बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा वित्त-पोषित है, जिसमें निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी सिर्फ़ 8% है।
- विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए निजी क्षेत्रक के अनुसंधान हेतु पर्याप्त प्रोत्साहनों का अभाव।
- अनुसंधान के लिए संस्थागत क्षमता और उचित परिवेश का अभाव।
- कृषि अनुसंधान पर व्यय में क्षेत्रीय असमानताएं।
- फसलों पर ही ज्यादातर कृषि अनुसंधान और विकास।
- किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रभावी तंत्रों का अभाव और अपर्याप्त अनुसंधान-विस्तार लिंकेज।

आगे की राह

- अनुसंधान संबंधी सरकार का टार्गेटेड प्रयास और निजी अनुसंधान को प्रोत्साहन।
- फसल, पशुधन, मतस्य और वन और मनुष्यों के बीच संबंधों का पता लगाने वाले अधिक समग्र अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिए।
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा में निवेश को बढ़ाकर कृषि-GDP के 1% तक किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान के माध्यम से कृषि प्रणालियों में प्रिसीजन खेती, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण।
- उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान में जीन क्रांति पर ध्यान केंद्रित करना।

7.9.1. कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra: KVK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)[84] ने **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** की स्थापना का **स्वर्ण जयंती वर्ष** मनाया।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के बारे में

- KVKs भारत में **जिला स्तर पर एकमात्र ऐसे संस्थान हैं** जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
- KVKs **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS)**[85] के अभिन्न अंग हैं।
- KVKs **कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य** करते हैं। साथ ही, ये केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) को कृषि विस्तार प्रणाली व किसानों से जोड़ रहे हैं।
  - **कृषि विस्तार** को कृषि सलाहकार सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका में सुधार करने और कृषि को गरीबी कम करने वाली आर्थिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वर्तमान में, **भारत में 731 KVKs का नेटवर्क** मौजूद है। इन्हें **11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI)**[86] **क्षेत्र** के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

कृषि विस्तार सेवाओं में KVKs की भूमिका

- **ऑन-फार्म परीक्षण:** विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत नई कृषि प्रौद्योगिकियों की काम करने की क्षमता का आकलन करने के लिए KVKs द्वारा फ़ील्ड परीक्षण किया जाता है।
- **फ्रंटलाइन डेमॉन्स्ट्रेशन:** इसके तहत किसानों और कृषि विस्तार से जुड़े कर्मचारियों के सामने नवीनतम कृषि तकनीकों की क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाई जा सके।
  - सर्वेक्षणों से पता चलता है कि **KVK के 97.33% डेमो-किसानों** को गैर-डेमो किसानों की तुलना में **धान की खेती का अच्छा ज्ञान** है।
- **परामर्श सेवाएं:** KVKs किसानों को कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि फसल पैटर्न, कीट नियंत्रण, फसल कटाई के बाद की तकनीक आदि पर आवश्यक जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन:** KVKs किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री वितरित करने के लिए उनका उत्पादन करते हैं।

[84] Indian Council of Agricultural Research

[85] National Agricultural Research System

[86] Agricultural Technology Application Research Institute

© Vision IAS

निष्कर्ष

KVKs के समक्ष आने वाली संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, समर्पित मानव संसाधन के द्वारा **संसाधनों के आधार को भी और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।** इसके अलावा, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म और प्रशिक्षण सुविधाओं को शामिल कर **अवसंरचना को अपग्रेड** करना चाहिए। ऐसा करने से KVKs की गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार हो सकता है।

7.9.2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि और पशुपालन क्षेत्रक में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ICAR **'एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद'** योजना शुरू करने जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना के तहत **5,500 से अधिक वैज्ञानिकों को उत्पाद, तकनीक, मॉडल या बेहतर पब्लिकेशन विकसित** करने का काम सौंपा जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, ICAR का लक्ष्य **100 दिनों के भीतर 100 नई बीज किस्में विकसित** करना है।
- ICAR **खाद्यान्न, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्में** जारी करेगा।

ICAR के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे पहले **इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च** के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के तहत एक स्वायत्त संगठन** है।
- **कार्य:** यह पूरे देश में **बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्रक** में अनुसंधान एवं शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन करने के लिए **शीर्ष निकाय** है।
- **अन्य संबंधित जानकारी:** देश भर में फैले **113 ICAR संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों** के साथ, यह **विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तंत्रों में से एक** है।

बेहतर और अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए ICAR की भूमिका

- **फसल की किस्में:** ICAR ने **अधिक उपज देने वाली** अलग-अलग फसलों की **नई किस्मों** को विकसित करके **हरित क्रांति** लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। **इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**
  - **धान की किस्में,** जैसे पूसा बासमती 1121;
  - **फलों की किस्में,** जैसे- आम्रपाली, भगवा अनार आदि।
- **बीज कार्यक्रम:** ICAR ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेट्स के रूप में सुरक्षित रखने के लिए उन्हें **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट** में जमा किया है।
- **जीनोमिक्स:** ICAR ने **नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक** स्थापित करने में मदद की है। यह **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक** है।
  - ICAR ने वैश्विक स्तर पर **धान, गेहूं, टमाटर और आलू के जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing)** में भागीदारी की है।
- **एकीकृत कृषि: कृषि-बागवानी, एग्री-सिल्वी और सिल्वीपास्टोरल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि-वानिकी के मॉडल्स** विकसित किए हैं। इससे **किसानों की आय में वृद्धि** की जा सकेगी।
  - इसने क्षेत्रीय स्तर संतति (Progeny) परीक्षण और चयन के जरिए स्वदेशी नस्ल के मवेशियों की उत्पादकता में सुधार करने में सहायता प्रदान की है।
- **स्वास्थ्य:** ICAR ने **देश से कई सारे पशु रोगों के उन्मूलन** में योगदान दिया है। इन रोगों में शामिल हैं- **रिंडरपेस्ट, संक्रामक बोवाइन प्लूरा निमोनिया, अफ़्रीकन हॉर्स सिकनेस और डौरिन।**

© Vision IAS

- **जैव-प्रौद्योगिकी समाधान:** ICAR ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए **फसल बायोफोर्टिफिकेशन** का कार्य शुरू किया है। बायोफोर्टिफाइड फसलों में **सोलापुर लाल (बायोफोर्टिफाइड अनार की पहली किस्म)** आदि शामिल हैं।
    - भारत ने दुनिया की पहली **क्लोन भैंस** विकसित की है। साथ ही, भारत ने विश्व में पहली बार **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैस के बच्चे** का जन्म करवाया है। इसका नाम **'प्रथम'** रखा गया है।
- **नीली क्रांति में योगदान:** इसने **केज (Cage) कल्चर** को बढ़ावा दिया है, जिससे **प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि** हुई है। केज कल्चर वस्तुतः **कम जगह में और अधिक मात्रा में मत्स्य पालन की एक तकनीक** है।
    - ICAR सभी हिमालयी राज्यों में **'ठंडे पानी में मत्स्य पालन'** के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है।
- **कृषि यंत्रीकरण में योगदान:** इसने **मिलेट्स मिल, ड्रोन रिमोट सेंसिंग, मल्चिंग शीट बिछाने की मशीन** जैसी कृषि संबंधी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

7.9.3. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान (Contributions of M. S. Swaminathan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक **मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन** का निधन हो गया। वे **एम.एस. स्वामीनाथन** के नाम से लोकप्रिय थे।

एम.एस. स्वामीनाथन का विज्ञान संबंधी योगदान	आर्थिक-पारिस्थितिकी (Economic Ecology) में योगदान
• **आनुवंशिक शोध (Genetic Research):** उन्होंने **ब्रीडिंग कार्यक्रमों** के तहत फसल की ऐसी **किस्में विकसित करने पर शोध किया** जो **न केवल अधिक उपज देने वाली** बल्कि **कीट और रोग प्रतिरोधी** भी हों। • **धान की किस्में (Rice varieties):** ओडिशा के कटक स्थित **केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (CRRI)**[87] में श्री स्वामीनाथन ने **इंडिका-जपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम** से जुड़े शोधों में अपना योगदान दिया। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने **उर्वरकों के कुशल उपयोग, अधिक उपज वाली** और **छोटे कद वाली** धान की किस्मों को विकसित करने पर शोध किया। जैसे- **ADT27, RASI और पूसा बासमती** • डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने **सहभागी किस्म विकास (Participatory breeding)** नामक तकनीक को बढ़ावा दिया। इसमें किसानों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास में मदद दी जाती है।	• **सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution):** उन्होंने अपने प्रयासों को **"सदाबहार" क्रांति** लाने पर केंद्रित किया। इस क्रांति को उन्होंने **"पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादकता में सुधार"** के रूप में परिभाषित किया। • **तरीका:** उन्होंने कृषि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए **4C** का प्रस्ताव दिया। ये **4C** हैं- **संरक्षण** (Conservation), **खेती** (Cultivation), **उपभोग** (Consumption) और **व्यावसायीकरण** (Commercialization)।

एम.एस. स्वामीनाथन का नीतिगत और संस्थागत योगदान तथा वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता

- **राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers: NCF):** NCF का गठन श्री स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। NCF ने कई सिफारिशें कीं। इनमें से एक है- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)[88] को **उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक** होना चाहिए।
    - NCF ने **ग्राम ज्ञान केंद्रों (VKCs) के गठन, संरक्षण खेती (Conservation Farming) को बढ़ावा, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, ऋण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार** की भी सिफारिशें कीं।
- **पौधों की किस्मों का संरक्षण:** उन्होंने **'पौधा या पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम[89], 2001'** को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने यह कानून TRIPS[90] समझौते के तहत पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व के तहत बनाया था।
- **आपदा प्रबंधन:** उन्होंने **"सूखा से संबंधित कोड (Drought code)", "बाढ़ से संबंधित कोड (Flood code)" और "अच्छे मौसम से संबंधित कोड (Good weather code)"** की अवधारणाओं को अपनाने की वकालत की। ये कोड सूखा, बाढ़ या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किए जाने वाले उपायों का वर्णन करते हैं।
- **अनुसंधान संस्थान:** उन्होंने **कई संस्थानों की स्थापना में मदद की।** ये संस्थान निम्नलिखित हैं:

---
[87] Central Rice Research Institute

[88] Minimum Support Price

[89] Protection of Plant Varieties and Farmer's Right Act

[90] Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू

- अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT)[91], पटानचेरु (हैदराबाद के निकट);
- इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (IBPGR), रोम;
  - IBPGR को अब **"बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल"** के रूप में जाना जाता है।
- **पंचवर्षीय योजनाएं:** उन्होंने **छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)** को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी सहायता से इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार **दो नए अध्याय जोड़े गए।** ये अध्याय हैं- **'महिला एवं विकास'** तथा **'पर्यावरण एवं विकास'।**

निष्कर्ष

एम.एस. स्वामीनाथन आजीवन किसानों के हितों की वकालत करते रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कृषि से जुड़े वैज्ञानिक नवाचार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, संधारणीयता और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। भारतीय कृषि के लिए **उनके विचार, अनुसंधान और पद्धति** अभी भी नीति-निर्माताओं को **एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।**

7.10. कृषि का डिजिटलीकरण (Digitisation of Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

G20 के दिल्ली घोषणा-पत्र में किसानों द्वारा **डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारीपूर्ण, संधारणीय और समावेशी उपयोग** तथा **एग्रीटेक स्टार्ट-अप और MSMEs को बढ़ावा देने** हेतु प्रतिबद्धता जताई गई।

कृषि के डिजिटलीकरण के बारे में

- इसका आशय **कृषि उत्पादन प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग** से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, मानव रहित विमानन प्रणाली, सेंसर और संचार नेटवर्क आदि को कृषि-उत्पादन में शामिल करना कृषि का डिजिटलीकरण कहलाता है।
- **कृषि के डिजिटलीकरण का महत्त्व:**
  - **कृषि मूल्य श्रृंखला में:**
    - **इनपुट की आपूर्ति:** डिजिटलीकरण सही समय पर उर्वरक, कीटनाशक, पानी आदि जैसे इनपुट-संसाधनों को अनुकूलित करने में मदद करता है। **उदाहरण के लिए-** कृषि डेटा के साथ AI का उपयोग।
    - **उत्पादन:** इससे परिचालन दक्षता (Operational efficiency) बढ़ती है। साथ ही, कार्यबल तथा श्रम की आवश्यकता कम होने के कारण कृषि उत्पादन की लागत कम हो जाती है, उदाहरण के लिए- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)[92]।
    - **विपणन:** इससे बिचौलियों को समाप्त करके उपज का सही मूल्य प्राप्त किया जाता है, जिससे किसानों के लाभ में वृद्धि होती है, उदाहरण के लिए- e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार का ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल)।
    - **फसल प्रबंधन:** डिजिटलीकरण कृषि संबंधी गतिविधियों में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करता है। इससे फसल के नुकसान या विफलता, कम उपज, कीटों के हमले आदि के बोझ को कम किया जा सकता है।
  - **बेहतर गवर्नेंस:** किसानों और नागरिकों के कल्याण के लिए देश भर से एकत्रित कृषि डेटा का उपयोग करके कृषि प्रणालियों का बेहतर गवर्नेंस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)[93], इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA) फ्रेमवर्क।
  - **सामाजिक लाभ:** कृषि का डिजिटलीकरण महिला केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देते हुए लैंगिक अंतराल को समाप्त करता है। इससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर कृषि गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए- पी.एम.-किसान मोबाइल ऐप।

भारत में कृषि के डिजिटलीकरण में चुनौतियां

- किसान **डिजिटल तकनीकों की जानकारी के अभाव** में कृषि में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से झिझकते हैं।
  - इसके अलावा, मोबाइल उपकरणों के उपयोग से **डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में हुई हालिया वृद्धि** ने भी डिजिटल मोड की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।

---

[91] International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics

[92] Sub Mission on Agricultural Mechanization

[93] National e-Governance Plan in Agriculture

- शुरुआती चरणों में इसके लिए **अधिक पूंजी की आवश्यकता** होती है, जिससे लघु और सीमांत किसानों के लिए इसे हासिल करना मुश्किल हो जाता है।
- **भूमि जोत का खंडों में विभाजित होना** डिजिटलीकरण के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि यह **प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को कठिन** बना देती है।
  - नवीनतम कृषि जनगणना के अनुसार, **कृषिगत जोत का औसत आकार 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर** हो गया।
- **एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स अभी शुरुआती चरण में हैं।** ऐसे में, उनके लिए फंडिंग के साथ-साथ एक विश्वसनीय ग्राहक आधार (Customer base) प्राप्त करना मुश्किल है।
  - EY इंडिया के अनुसार, वर्तमान में भारत के कृषि क्षेत्रक में **एग्रीटेक स्टार्ट-अप** की पहुंच **केवल 1%** है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट व मशीनरी के लिए सर्विस सेंटर जैसे **बुनियादी ढांचे की कमी** है।
- **उपलब्ध उत्पादों की कुछ सीमाएं** हैं, जैसे- क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की कमी, इंटरफ़ेस का यूज़र्स के अनुकूल ना होना, खेतों और किसान-स्तरीय डेटासेट की अपर्याप्तता, आदि।

कृषि के डिजिटलीकरण हेतु की गईं नवीनतम पहलें

- **कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (Unified Portal for Agricultural Statistics: UPAg):** यह कृषि डेटा के प्रबंधन के लिए एक एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसे फसल अनुमान प्रदान करने और मूल्य, व्यापार, खरीद, स्टॉक जैसी कृषि सांख्यिकी उत्पन्न करने वाली अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **किसान ऋण पोर्टल (KRP):** यह किसानों से जुड़े डेटा, ऋण वितरण की स्थिति, ब्याज छूट संबंधी दावों आदि का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। यह कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (Weather Information Network Data Systems: WINDS) मैनुअल:** यह हितधारकों को मौसम के हिसाब से कार्रवाई योग्य अनुमान प्रदान करने के लिए मौसम संबंधी डेटा विश्लेषण का लाभ प्रदान करता है। यह किसानों, नीति निर्माताओं और विभिन्न कृषि संस्थाओं को तथ्यों के आधार पर बेहतर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है।
- **YES-TECH:** यह **प्रौद्योगिकी-संचालित** एक **उपज अनुमान प्रणाली** है। यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज आकलन के लिए तरीके, सर्वोत्तम प्रथाओं और उनके एकीकरण के लिए बेहतर समझ प्रदान करती है।
- **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan in Agriculture: NeGP-A):** यह **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर भारत में तीव्र वृद्धि दर हासिल करना है।

आगे की राह

- **किफायती लागत पर प्रौद्योगिकियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके** किसानों को उन्हें प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- छोटे व प्लग एंड प्ले हार्डवेयर की तरह **पोर्टेबल हार्डवेयर मॉडल्स** पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे आमतौर पर किसानों के समूहों के बीच साझा किया जा सके।
- किसानों के सामने आने वाले जमीनी स्तर के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उस दिशा में काम करने के लिए **खेतों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच ताल-मेल की कमी को दूर** करना चाहिए।
- एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स को स्थिर और संधारणीय बनाने के लिए **बेहतर वित्त-पोषण विकल्पों तथा इन्क्यूबेशन केंद्रों की व्यवस्था** की जानी चाहिए।

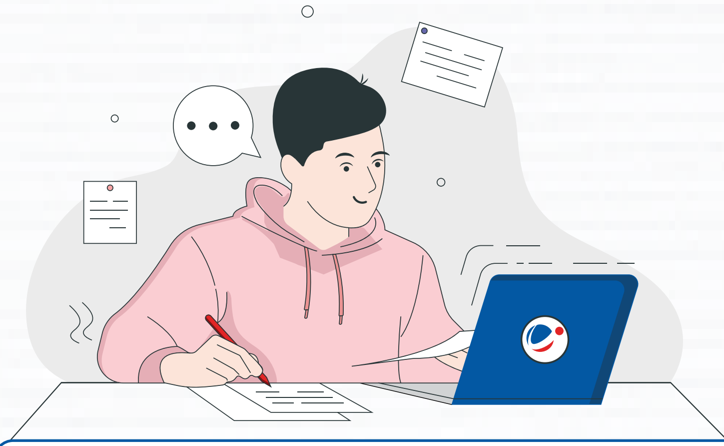

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

8. उद्योग एवं औद्योगिक नीति Industry and Industrial Policy

औद्योगिक नीति: एक नज़र में

- सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण **क्षेत्रक का योगदान लगभग 17%** है। यह **वर्ष 1991 से लगभग स्थिर** बना हुआ है।
- हाल ही में, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों जैसे कि **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार** हुआ है।
- **9 भारतीय कंपनियां 2022 की फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल थीं।**

प्रमुख उद्देश्य

- **भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भागीदार और अभिकर्ता के रूप में स्थापित करना।**
- **उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, लाभकारी रोजगार में वृद्धि करना।**
- योजनाबद्ध तरीके से **'उद्योग 4.0'** को अपनाने को बढ़ावा देना।
- सालाना **100 अरब डॉलर के FDI** को आकर्षित करना। वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति स्थापित करने हेतु आउटवर्ड FDI द्वारा सहायता प्रदान करना।
- **इंडियन प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स** बनाना और उन्हें एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना।

नीतियां/ योजनाएं/ पहलें

- निजी क्षेत्रक की बड़ी भूमिका के लिए वर्ष 1991 से **औद्योगिक नीति का प्रगतिशील उदारीकरण** हुआ है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी पार्कों, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (NIMZs), राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICP) आदि के माध्यम से **बुनियादी ढांचे का विकास** करना।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।**
- विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों के लिए **उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना** शुरू की गई है।
- 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है।
- **अन्य कानून, नीतियां और सुधार**: मेक इन इंडिया; प्रतिस्पर्धा अधिनियम (2002); सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (2006); राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011); GST सुधार; IBC कोड आदि।

बाधाएं

- निवेश के **चयनात्मक** अंतर्वाह के कारण औद्योगिक पैटर्न में विकृतियां।
- ऋण बाधाओं, उच्च श्रम लागत आदि के साथ-साथ 2011-12 से **नए निवेश में चक्रीय स्लोडाउन।**
- डेटा सुरक्षा, डेटा की विश्वसनीयता और संचार/ प्रसारण में स्थिरता सहित **प्रौद्योगिकी विकास तथा उसे अपनाने** में आने वाली चुनौतियां।
- **गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की कमी** के कारण अधिक लॉजिस्टिक लागत और भारतीय वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी।
- **विनियामकीय अनिश्चितता; प्रतिबंधात्मक श्रम कानून; आई.पी.आर. से जुड़े मुद्दे** और विलंब; बिजली की कमी; फर्म-स्तरीय डेटा का अभाव; एजेंसियों की बहुलता; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान; बढ़ती इनपुट लागत आदि।

आगे की राह

- मांग का सृजन करके, **औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करके और MSMEs को बढ़ावा देकर विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित** करना।
- **विनिर्माण क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश** को प्रोत्साहित **करने के लिए निरंतर उदारीकरण करना।**
- **श्रम प्रधान क्षेत्रकों में मेगा पार्कों और विनिर्माण समूहों** की स्थापना करना।
- सभी राज्यों में **"सिंगल विंडो" रेगुलेटरी सिस्टम** लागू करना।
- नई औद्योगिक नीति के भाग के रूप में **हरित औद्योगिक नीति** को शामिल करना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) दिशा-निर्देशों को लागू करना।
- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से **कर संबंधी सुधार करना।**
- IPRs के समग्र और संधारणीय विकास के लिए **अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि और मजबूत IPR व्यवस्था का विकास करना।**

8.1. औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

8.1.1. भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को देश की **आर्थिक संवृद्धि के लिए सबसे अच्छा** मौलिक कारक बताया है।

आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है?

- **परिभाषा:** आर्थिक राष्ट्रवाद **पारंपरिक रूप से एक ऐसी विचारधारा** है, जिसमें **अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी निर्माण पर घरेलू क्षेत्रक के नियंत्रण का समर्थन** किया जाता है।

भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद

- **आर्थिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का उद्भव:** भारत में इसका आरंभिक विकास **औपनिवेशिक (यानी ब्रिटिश) शासन के समय** हुआ था।
- **19वीं सदी में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना:** ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के नकारात्मक आर्थिक परिणामों की अनुभूति सर्वप्रथम 1830 के दशक में **राजा राममोहन राय के लेखन** में उजागर की गई थी।
- **आर्थिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का उभरना:** 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, आर्थिक आलोचना में **"राष्ट्रवाद[94]"** की विचारधारा भी शामिल हो गई।
    - इसके सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में **दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, जी.वी. जोशी, बाल गंगाधर तिलक** और **सुरेंद्रनाथ बनर्जी** शामिल थे।
- **धन निकासी का सिद्धांत (Drain theory): दादाभाई नौरोजी** ने "धन की निकासी" के सिद्धांत को पेश किया था। इस सिद्धांत की सहायता से नौरोजी ने यह बताया था कि औपनिवेशिक शासन भारत को कोई आर्थिक व व्यावसायिक लाभ पहुंचाए बिना भारत के संसाधनों को एकतरफा तरीके से ब्रिटेन भेज रहा है।

[94] Political economy of nationhood

© Vision IAS

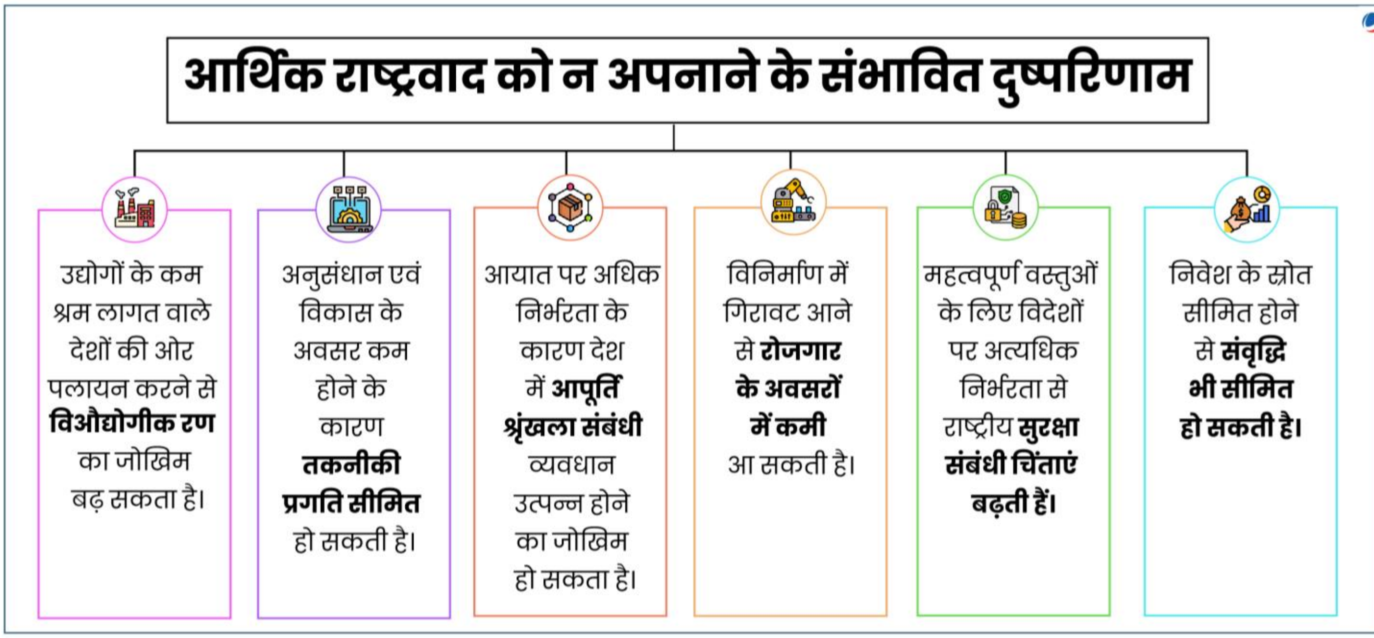

आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

आजादी के बाद से, भारत ने कई आर्थिक नीतियां लागू की हैं, जिन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रेरित माना जा सकता है। साथ ही, ये नीतियां आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

- **घरेलू उद्योगों को बढ़ावा:** सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारवादी कार्यक्रमों में **घरेलू विनिर्माण और सेवा आधारित उद्योगों** के विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।
    - इनमें उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[95] योजना, मेक इन इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) आदि शामिल हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी[96]:** भारत **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने** के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधार लागू कर रहा है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर रहा है और उत्पादों व सेवाओं का मानकीकरण कर रहा है। इससे भारत **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना स्थान** सुनिश्चित कर सकता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही, भारत बहुपक्षीय साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। इससे **भू-राजनीतिक प्रभावों को कम करने और एक स्वतंत्र विदेश नीति** अपनाने में मदद मिल सकती है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D):** अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों में **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन,** उच्चतर आविष्कार योजना (UAY), आदि शामिल हैं। इन पहलों से भारत को **तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने** में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाने या अस्वीकार करने का निर्णय केवल दो दिशाओं वाला निर्णय नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप लिया जाने वाला निर्णय है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और वैश्विक व्यापार के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के बीच संतुलन बनाया जाए।

8.1.2. भारत में औद्योगिक गलियारा विकास (Industrial Corridor Development in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एक 250 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

[95] Production-Linked Incentives

[96] Participation in Global Supply Chain

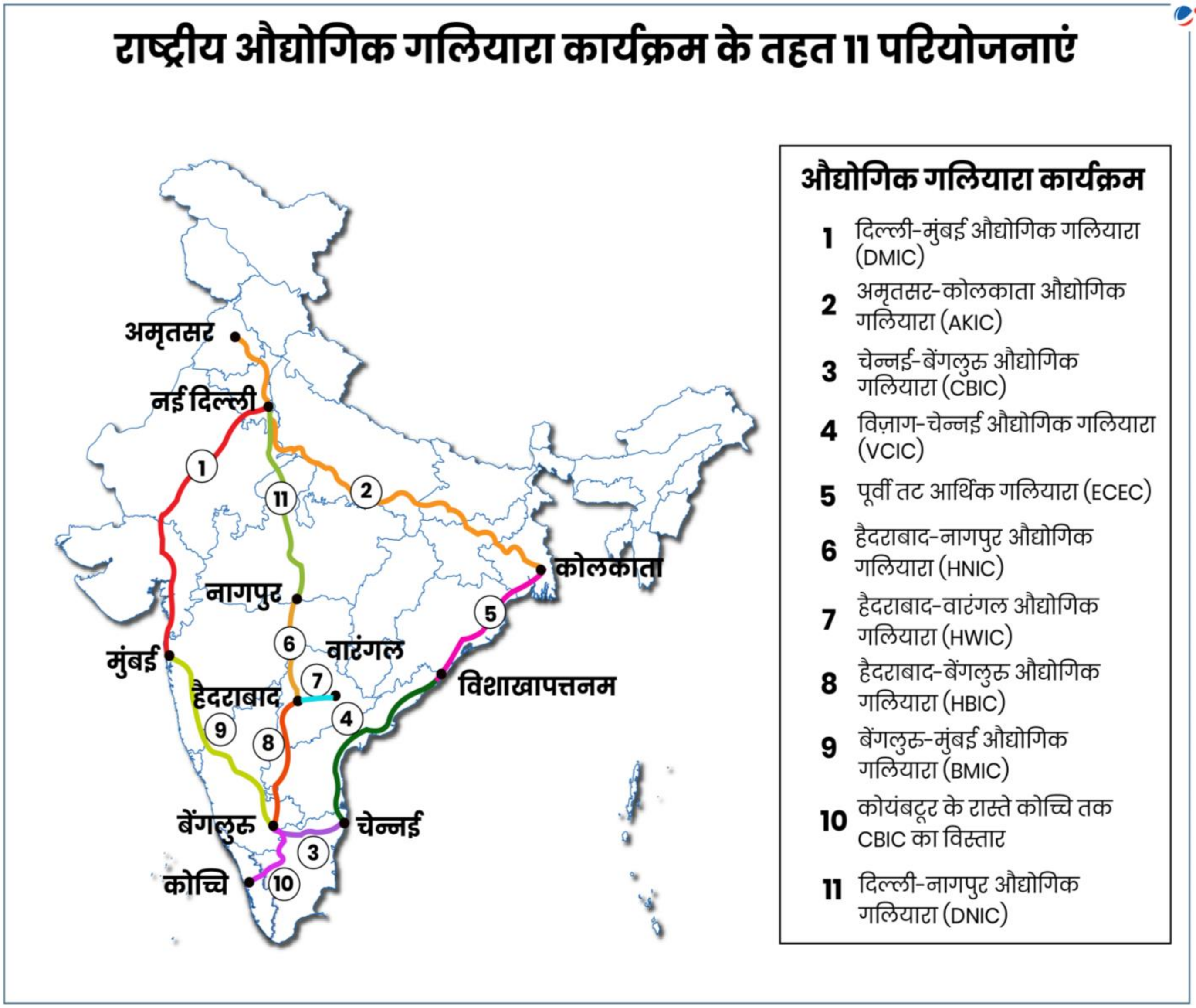

अन्य संबंधित तथ्य

- 250 मिलियन डॉलर का यह ऋण **नीति-आधारित ऋण** है। इस ऋण का उपयोग **औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम 2 के तहत निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:**
  - **एक वैकल्पिक वित्त-पोषण समाधान का विकास करना:** जैसे कि औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए हरित वित्त;
  - **औद्योगिक कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार** करना तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य पद्धतियों को एकीकृत करना।
- सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत **11 औद्योगिक गलियारों** के विकास को मंजूरी दी है। इनमें **32 परियोजनाएं** शामिल हैं, जिन्हें **चार चरणों** में पूरा किया जाएगा।
- इन गलियारों का निर्माण **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट** के माध्यम से किया जाएगा।

औद्योगिक गलियारों का महत्त्व

- ये **वैश्विक वैल्यू चेन में भारत को एक मजबूत भागीदार** के रूप में स्थापित करते हैं एवं **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के विकास के द्वारा विनिर्माण क्षेत्रक में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बनाते हैं।
- औद्योगिक गलियारे वाले राज्यों में **रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न होते हैं तथा गरीबी उन्मूलन** में योगदान मिलता है।
- **औद्योगिक गलियारे उद्योग और अवसंरचना के बीच प्रभावी एकीकरण** में सहायक होते हैं। इससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

8.2. उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive: PLI)

उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: एक नज़र में

PLI योजना की आवश्यकता क्यों?

- सकल घरेलू उत्पाद में **विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी स्थिर** है। यह वर्ष 1991 से लेकर अब तक **15-17%** के मध्य बनी हुई है।
- लगभग 90% कार्यबल के अनौपचारिक रोजगार में संलग्न होने के साथ **बड़ी संख्या में MSMEs का मौजूद** होना।
- **चीन के विकल्प के लिए वैश्विक प्रयास** (चीन+1 रणनीति)।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, मेक इन इंडिया आदि जैसी पहलों** की सीमित सफलता।

PLI योजना के संभावित प्रभाव

- **इससे नई विनिर्माण कंपनियों के पंजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।**
- सनराइज और रणनीतिक क्षेत्रक की उत्पादन क्षमता आने वाले **पांच वर्षों में 500 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है।**
- पूरी तरह से लागू किए जाने के बाद, यह वृद्धिशील राजस्व के मामले में **प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है।**
- **विस्तृत सामरिक स्वायत्तता** (जैसे दूरसंचार में) और मूल्य श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थानीयकृत करके मौजूदा **तुलनात्मक लाभ** (जैसे फार्मा में) को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक के FDI अंतर्वाह को सुनिश्चित** करने के साथ यह भारत की साख को बेहतर बनाने और वैश्विक बाजारों में **भारतीय उपस्थिति को सुदृढ़ करने** में भी सहयोग करेगा।

इस योजना की उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्रक के तहत FDI में 76% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- कुल निर्यात में 2.56 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
- लगभग 3,25,000 लोगों के लिए रोजगार का सृजन।
- मार्च, 2023 तक 62,500 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।
- दूरसंचार क्षेत्रक में 60% का आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है।

योजना से जुड़ी चुनौतियां

- संरचनात्मक मुद्दों और सीमित कुशल कार्यबल के कारण **विनिर्माण परिवेश का अभाव।**
- **विमुद्रीकरण के बाद से घरेलू विनिर्माण का मंद होना,** विशेषकर GST, महामारी, आदि के शुरुआती वर्षों में एक तरफ अत्यधिक केंद्रित होने के कारण।
- कुशल और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु आवश्यक धन उपलब्ध न होने तथा प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों और मंजूरी में देरी जैसे मुद्दों के कारण **नीतिगत और आर्थिक बाधाएं।**

- वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ **कच्चे माल की उपलब्धता।**
- धन की कमी और अन्य कारणों से **PLI भुगतान में देरी।**
- वियतनाम और चीन से **कड़ी प्रतिस्पर्धा**; कार्यान्वियन संबंधी मुद्दे और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जैसी **अन्य चुनौतियाँ।**

आगे की राह

- बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए अवसंरचना सृजन पर व्यय बढ़ाकर **औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन किया जा सकता है और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है।**
- सभी राज्यों में "सिंगल विंडो" नियामक प्रणाली जैसे कि निरंतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **समग्र व्यावसायिक परिवेश को प्रोत्साहित** किया जा सकता है।
- घरेलू मांग के पुनरुद्धार के माध्यम से विनिर्माण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और अधिक लचीलेपन के साथ रसद लागत को कम करने के लिए **आपूर्ति-श्रृंखला को अनुकूलित किया** जा सकता है।
- PLI की सफलता को सुनिश्चित करने के क्रम में आवश्यक प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए **नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास में निवेश को बढ़ाया** जाना चाहिए।

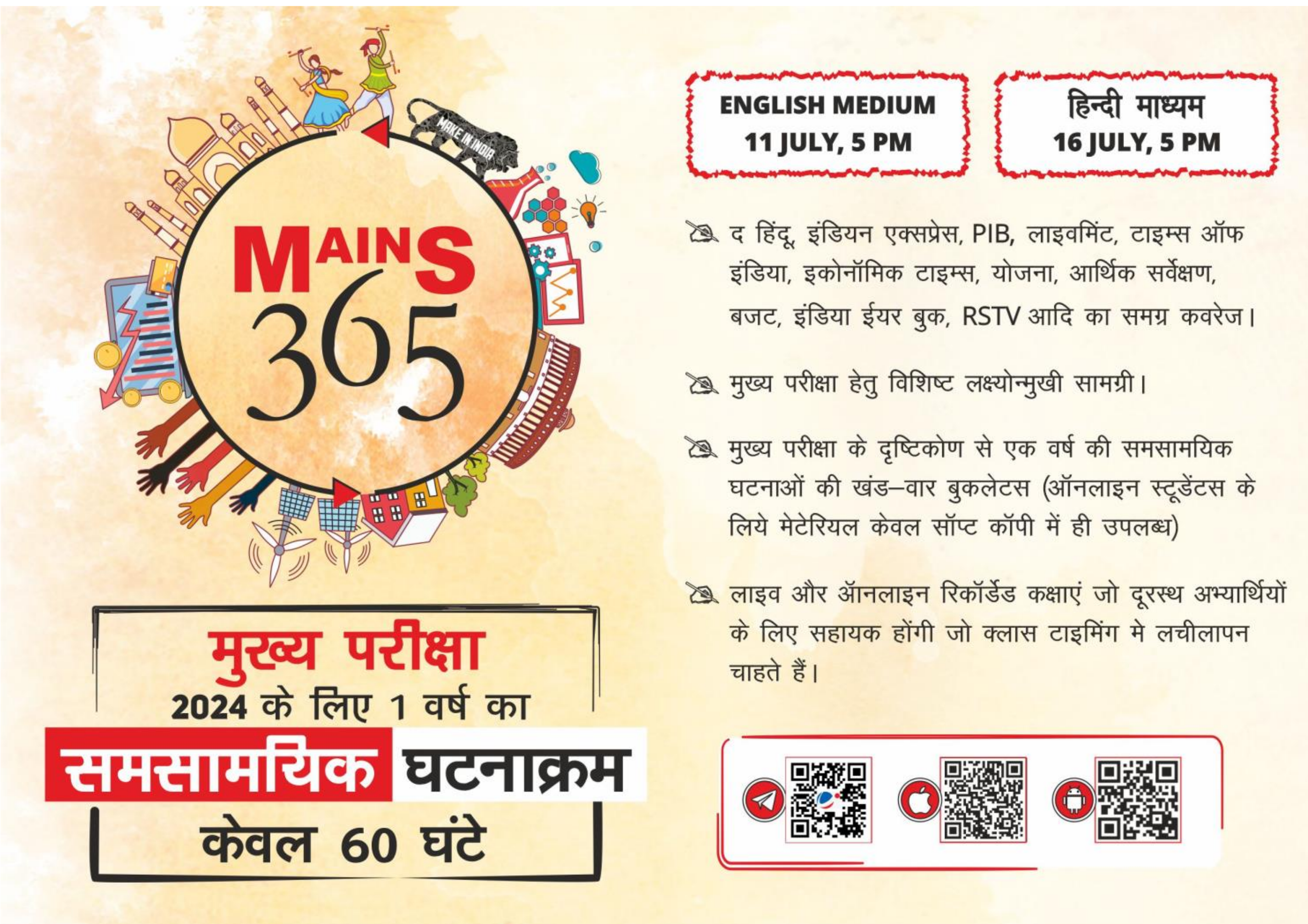

© Vision IAS

8.3. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (Electronics Sector)

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक की स्थिति

- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक **देश की GDP में लगभग 3.4% का योगदान** देता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का घरेलू उत्पादन** वर्ष 2014-15 के 29 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 87 बिलियन डॉलर हो गया है।
- भारत के **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आकार** 2022 में 73.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
- **भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात** 2013-14 से 2022-23 के बीच **लगभग 88% बढ़ा है।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक** देश है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नीदरलैंड और जर्मनी का स्थान है।

प्रमुख उद्देश्य

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE), 2019 में **2025 तक 400 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य** रखा गया है।
- वर्ष 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को **भारत के शीर्ष 2-3 निर्यात मदों** में शामिल करना।
- भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक और इसके निर्यात को 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचाना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करना।
- भारत को **विश्व की मरम्मत राजधानी (Repair Capital of the World)** के रूप में विकसित करना।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार** करना।

योजनाएं/ पहलें

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष** को फंड ऑफ़ फंड्स के रूप में स्थापित किया गया है।
- घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।
- **कॉमन फैसिलिटीज एंड एमनिटीज** सहित विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास के लिए **संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना।**
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स संबंधी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक 'घटकों तथा सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण संवर्धन की योजना' (SPECS)।**
- **भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास** के लिए कार्यक्रम।
- भारतीय मरम्मत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग (ERSO) से संबंधित प्रायोगिक परियोजना** शुरू की गई है।

बाधाएं

- इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक विनिर्माण क्षेत्रक में **भारत की हिस्सेदारी काफी कम** (लगभग 3.6%) है।
- **भौतिक अवसंरचना का अभाव** है, जैसे- बिजली की कमी, जल और भूमि की उपलब्धता आदि।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को चीन और वियतनाम की तुलना में कम **आयकर छूट और रियायत प्रदान करता है।**
- **आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक से संबंधित व्यवधान,** जैसे- परिवहन और कच्चे माल की उच्च लागत।
- सस्ते और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के बावजूद श्रम गहन **घटकों का विनिर्माण कम** है।
- **व्यापार से जुड़ी बाधाएं,** जैसे- उच्च आयात शुल्क और उल्टी शुल्क संरचना।
- **विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का अभाव।**

आगे की राह

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में **आवश्यक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने तथा अत्याधुनिक तकनीकी की आपूर्ति** करने की जरूरत है।
- सतत संवृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक में कार्यरत लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों को प्रोत्साहित** करना चाहिए।
- केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और क्षमता-निर्माण को प्रोत्साहित करके **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
- घटकों के व्यापक स्तर पर स्थानीय उत्पादन को प्रेरित करने के लिए **भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित असेंबली यूनिट्स की स्थापना को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को आकर्षित करने के लिए **खुली व्यापार और निवेश नीतियों को अपनाया** जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में विनिर्माण के संबंध में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों में अधिक स्पष्टता** लाने की जरूरत है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

अहमदाबाद | बेंगलूरू | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

9. सेवा क्षेत्रक (Services)

9.1. ई-कॉमर्स क्षेत्रक (E-commerce Sector)

ई-कॉमर्स क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्रक की स्थिति

- भारत वैश्विक स्तर पर **8वां सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार है।**
- यह एक **सनराइज़ क्षेत्रक** है। भारत के खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10-15% है।
- इस उद्योग ने 2021 में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन किया था। इसके 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- यह 2020 में 140 मिलियन खरीदारों के साथ **तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस बन गया।**
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ के कारण मासिक (मुख्य रूप से टियर- II शहरों से) आधार पर 10 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं।

प्रमुख उद्देश्य

- **डिजिटल एकाधिकार को समाप्त करना** और **अधिक समावेशी ई-कॉमर्स उद्योग** स्थापित करना।
- कीमतों की तुलना को आसान बनाने के लिए **कीमतों में पारदर्शिता लाना।**
- छोटे उद्यमों के लिए भारतीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वृद्धि करने या भुगतान, सेवा वितरण आदि जैसे डिजिटल स्पेस में नए नवाचारों का समर्थन करने में सहायता करना।
- ग्राहकों के लिए **बेहतर डील और ऑफ़र, वास्तविक रिव्यूज** आदि उपलब्ध करवाना।

नीति/ योजनाएं/ पहलें

- उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020**
- कैटलॉगिंग, वेंडर डिस्कवरी और प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करके डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करने हेतु **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)**
- ई-कॉमर्स निर्यात के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना के अंतर्गत निर्यात संबंधी लाभ का विस्तार।
- उमंग, स्टार्ट-अप, भीम, भारतनेट आदि जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना।
- इक्विलाइजेशन लेवी नियम, 2016 और वर्ष 2020 में इसमें किया गया संशोधन।
- B2B ई-कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

बाधाएं

- इंटरनेट, बिजली, उपकरणों आदि की उपलब्धता जैसी ढांचागत समस्याएं।
- पुराने साइबर कानून।
- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं
- भुगतान और कर संबंधी मुद्दे
- डिजिटल निरक्षरता।
- फर्जी रिव्यूज, आक्रामक मूल्य निर्धारण, डेटा का दुरुपयोग, डिजिटल एकाधिकार आदि के मुद्दों के साथ ई-कॉमर्स उद्योग के नियामक ढांचे का विकास करना।

आगे की राह

- यूरोपीय संघ के GDPR की तर्ज पर डेटा सुरक्षा कानून लाना। साथ ही, उचित जागरूकता और प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करना।
- समान और अनुकूल वातावरण के लिए **मॉडल राष्ट्रीय खुदरा नीति।**
- अनुचित व्यापार व्यवहार (फ्लैश सेल, मिस-सेलिंग सहित) की स्पष्ट परिभाषाएं।
- एल्गोरिदम में हेर-फेर, फर्जी उत्पाद समीक्षा आदि सहित भ्रामक रणनीति को हतोत्साहित करने के लिए सुधारात्मक तंत्र।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यू की जांच के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना।

9.2. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector)

दूरसंचार क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में दूरसंचार क्षेत्रक की स्थिति

- **भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्रक है।**
- शहरी-ग्रामीण भारत के संदर्भ में, लगभग 66 करोड़ कनेक्शन शहरी भारत में और 53 करोड़ ग्रामीण भारत में हैं (ग्रामीण टेली-घनत्व 59%)।
- भारत में **वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ग्राहकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।**
- यह FDI अन्तर्वाह के मामले में सबसे बड़े क्षेत्रकों में से एक है, जो कुल FDI अन्तर्वाह का लगभग 6% प्राप्त करता है।
- यह क्षेत्र **प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों में योगदान** देता है।

इस क्षेत्रक के मुख्य उद्देश्य

- सभी के लिए ब्रॉडबैंड
- 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को बढ़ाना
- डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना
- इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक पहुँचाना (2017 में 6%)

दूरसंचार क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- दूरसंचार उद्योग पर 3.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित ऋण है। इस प्रकार **यह एक ऋण ग्रस्त क्षेत्र है।**
- समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा पर 14 साल से मुकदमे चल रहे हैं।
- **राइट ऑफ वे (RoW) नियमों में एकरूपता का अभाव है।**
- कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन (लाभ) पर दबाव।
- 5G अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता।
- अन्य देशों की तुलना में उच्च स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC)।
- समग्र सेल्युलर नेटवर्क गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप जैसे मुद्दों को प्रभावित करने वाले अवैध मोबाइल बूस्टर।
- अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का अभाव- **58% रूरल टेली-डेंसिटी (अक्टूबर 2022)।**

इन चुनौतियों का सामना करने हेतु किये गए उपाय

- AGR के भुगतान और स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के लिए चार साल का समय दिया गया है।
- दूरसंचार कंपनियों को भविष्य में होने वाली नीलामी में प्राप्त एयरवेव्स के लिए **कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी नहीं देना होगा।**
- वायरलेस उपकरणों के लिए 1953 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत **लाइसेंस** लेना होता था। यह एक बोझिल आवश्यकता थी। अब इसकी जगह स्व-घोषणा का प्रावधान लाया गया है।
- **नीलामी कैलेंडर** तय किया गया है।
- दूरसंचार नेटवर्क के तेजी से विस्तार के लिए **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2016 में संशोधन।**
- **दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (TTDF) का निर्माण।**
- गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती मोबाइल और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि** (USOF) की स्थापना की गई है।

आगे की राह

- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
- नकदी संकट से जूझ रही कंपनियों के लिए वित्तीय मदद
- रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- पूंजी निवेश करना
- तकनीकी प्रगति को अपनाना

9.2.1. भारतनेट (Bharatnet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतनेट परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही, इसके क्रियान्वयन लिए **ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (VLEs)**[97] **के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन** प्रदान किया जा रहा है।
- इस अपग्रेड की सहायता से, **सरकार अगले दो वर्षों में सभी 6,40,000 गांवों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना** चाहती है।

भारतनेट का महत्त्व

- **ग्रामीण भारत का आधुनिकीकरण:** यह परियोजना **बैंकिंग, डाकघर जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं को डिजिटल बनाकर** देश के ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करेगी।
- **कृषि क्षेत्रक:** किसान सुविधा, पी.एम.-किसान मोबाइल ऐप और किसान सारथी प्लेटफॉर्म जैसी स्कीम के माध्यम से।
- **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में दीक्षा, NPTEL, MOOC, पी.एम. ई-विद्या आदि योजनाओं और **ई-संजीवनी ऐप** के माध्यम से।
- **ई-कॉमर्स की पहुंच:** ग्राम-स्तरीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ई-कॉमर्स की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए- सरकार द्वारा शुरू की गई **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स** पहल।
- **रोजगार:** भारतनेट के विस्तार कार्यक्रम से लगभग 2.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

[97] Village Level Entrepreneurs

 © Vision IAS

भारतनेट को लागू करने में चुनौतियां

- **परियोजना में देरी:** पहले इस परियोजना को 2019 तक पूरा करना था, जबकि नई समय सीमा 2025 तय की गई है।
- **परियोजना की उच्च लागत:** परियोजना के समय से पूरा होने में देरी के कारण लागत काफी बढ़ गई है।
    - उदाहरण के लिए- 2020-21 और 2021-22 के बीच एक किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने की लागत दोगुनी हो गई है।
- **कम उपयोग:** मार्च 2022 तक, अपेक्षित गांवों में से **केवल 27% को ही नेटवर्क कनेक्टिविटी** प्राप्त हुई थी।
- **सेवा की गुणवत्ता (QoS):** लाइन में बार-बार खराबी, कनेक्शन बंद होने तथा **सर्विस और रिपेयरिंग** हेतु ग्रामीण अधिकारियों की शिकायतों एवं अनुरोधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
- **निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी:** वर्ष 2022 में आयोजित नीलामी में एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई और अंततः निविदा रद्द करनी पड़ी।

आगे की राह

परियोजना के कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार, भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए **पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरुरत** है। निवेश, अवसंरचना और परियोजना के संचालन में **निजी क्षेत्रक की अधिक भागीदारी की आवश्यकता** है।

9.3. पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector)

पर्यटन क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में पर्यटन क्षेत्रक की स्थिति

- **WEF के ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 117 देशों में से भारत को 39वीं रैंक मिली है।**
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पर्यटन की स्थिति वर्ष 2026 से पहले महामारी-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी।
- 2019-20 में, इस क्षेत्रक ने देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.19 % का योगदान दिया था।
- **पर्यटन क्षेत्रक 2019 तक देश के लिए विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा अर्जक क्षेत्र रहा है।**

मुख्य उद्देश्य

- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना।
- मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक ब्रांड इंडिया विकसित करना।
- MICE/ माइस (बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन को लगभग 1% के वर्तमान हिस्से से पांच वर्षों में 2% तक बढ़ाना।
- **धर्मशाला घोषणा-पत्र:**
  - 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्रक से 250 अरब डॉलर का योगदान सुनिश्चित करना।
  - 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के राजस्व लक्ष्य के साथ भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना।
  - संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन पर ध्यान देना।
  - वीजा संबंधी सुधार, यात्रा में आसानी, हवाई अड्डों पर यात्री-अनुकूल आव्रजन सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सुगमता सहित आवश्यक हस्तक्षेप करना।

योजनाएं/ पहलें

- कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (LGSCATSS) - 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण।
- स्वदेश दर्शन 2.0: स्थायी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए थीम-आधारित पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास।
- PRASHAD- तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान।
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना।
- पर्यटन मार्गों के साथ RCS-उड़ान 3.0
- **एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान** परियोजना।
- **'मीट इन इंडिया'** और **अतुल्य भारत 2.0**
- संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप।
- **पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप** (पर्यटन में पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन MSMEs और गंतव्य प्रबंधन की पहचान करना)

बाधाएं

- खराब बुनियादी ढांचा, पहुंच की समस्या और सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
- अच्छी तरह से वित्त पोषित बड़ी B2B कंपनियां जैसे कि मेक माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप, छोटी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं।
- सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों के साथ क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा।
- विश्वसनीय डेटा और आंकड़ों का अभाव।

आगे की राह

- पर्यटन को कोविड के विरुद्ध लचीला बनाने हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मजबूत प्रोटोकॉल लागू करने चाहिए।
- पर्यटन को आधारभूत संरचना का दर्जा देना, जैसा कि राजस्थान सरकार ने किया है।
- पर्यटन क्षेत्रक में सुधार करने में मदद करने के लिए स्टिमुलस रिकवरी प्रोग्राम संचालित किया जा सकता है।
- आतिथ्य/ हास्पिटैलिटी में प्रशिक्षण और कौशल विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से सांस्कृतिक स्थलों के संबंध में प्रचार और विज्ञापन किया जाना चाहिए।

9.3.1. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन (Medical and Wellness Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने **वीजा की एक नई श्रेणी, आयुष वीजा (AYUSH Visa)** बनाने की घोषणा की है। यह आयुष चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, यह भारत में चिकित्सा और आरोग्य (या कल्याण) पर्यटन को आसान बनाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- वीजा मैनुअल के मेडिकल वीजा के तहत एक नया अध्याय, **आयुष वीजा** शामिल किया गया है। यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार से संबंधित है।
    - इसी प्रकार, वीजा मैनुअल, 2019 के विभिन्न अध्यायों में **आवश्यक संशोधन** किए गए हैं।

चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के बारे में

- **चिकित्सा पर्यटन** एक ऐसा पद है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश के लिए **अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही का वर्णन करने के लिए** किया जाता है।
- **आरोग्य पर्यटन (Wellness Tourism)** वस्तुतः किसी व्यक्ति के कल्याण को बनाए रखने या उसे बढ़ाने से जुड़ी यात्रा है। इसमें अवकाश या व्यवसाय के लिए यात्रा करते समय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या पर्यावरणीय 'आरोग्यता' को ध्यान में रखा जाता है।
- चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन **'वेलनेस इकोनॉमी'** का हिस्सा हैं।
- **ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार,** भारत वेलनेस टूरिज्म में 56 मिलियन यात्राओं के साथ 7वें स्थान पर है।

भारत के लिए चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन का महत्त्व

- **आरोग्यता और वैकल्पिक इलाज की मांग:** भारत आयुष के तहत उपचार हेतु मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर्स (MVTs) को आकर्षित करने की मजबूत स्थिति में है।

- **विकसित देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि देखने को मिलती है।**
- **अविकसित चिकित्सा सुविधाओं वाले देशों में इसकी मांग है।**
- **बेहतर कनेक्टिविटी:** यह चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है।
  - धर्मशाला जैसे छोटे शहरों को जोड़ने वाली **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- 'उड़ान (UDAN)'**।
- **वृद्ध आबादी वाले देशों से मांग:** भारत ऐसी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।
- **कई अन्य** कारक भी भारत को एक चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देते हैं:
  - **उपचार की कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल, संचार में आसानी** आदि।

भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के समक्ष चुनौतियां

- मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों से **क्षेत्रीय प्रतियोगिता** देखने को मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी:** भारत में अभी भी JCI[98] द्वारा **मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अपेक्षाकृत कम** है।
- **बीमाकर्ता द्वारा 'विदेशी चिकित्सा देखभाल' कवर नहीं किया जाना।**
- **अन्य समस्याएं: कुशल जनशक्ति की कमी, बिचौलियों द्वारा शोषण:** चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाता संगठित और मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसलिए ऐसा शोषण देखने को मिलता है। **समान शुल्क संरचना का अभाव:** विदेशी रोगियों की बिलिंग में पारदर्शिता की कमी है और रोगियों को रेफर करने वाले हॉस्पिटल अधिक पैसे की मांग करते हैं।

आगे की राह

- चिकित्सा उपकरणों के आयात में **छूट/ प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिए।
- **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन कूटनीति** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, **प्रवासी भारतीयों को आकर्षित** किया जाना चाहिए।
- **सहायक बुनियादी ढांचे का विकास:** उदाहरण के लिए- ऐसे क्षेत्रों में उड़ान योजना (UDAN scheme) का विस्तार करना, जहां प्रमुख आयुष केंद्र स्थित हैं।
- अस्पतालों और आरोग्य केंद्रों का **मजबूत विनियमन** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **हितधारकों के बीच लिंकेज और समझ स्थापित करने की आवश्यकता है,** ताकि विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को समझा जा सके। साथ ही, इस क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी बनाने की भी आवश्यकता है।

सरकार द्वारा की गई पहलें

- **बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance: MDA) योजना:** MDA योजना के तहत चिकित्सा/ आरोग्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं और केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** इसे 2014 में आरंभ किया गया था। इसने **भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करने** और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, इस मिशन ने **मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण** में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **आयुष मंत्रालय** ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम 'WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया। इसकी थीम थी- **"सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर[99]"।**
  - इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य **साक्ष्य-आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (TCIM)[100] की क्षमता का दोहन करना** है।
- **आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) को बढ़ावा देना:** यह आरोग्य मेलों, आयुर्वेद पर्व और योग फेस्ट/ उत्सव आदि के आयोजन की सहायता से किया जा सकता है।
- **अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers: NABH):** यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। इसे स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है।

[98] Joint Commission International/ संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय

[99] Towards health and well-being for all

[100] Traditional, complementary and integrative medicine

© Vision IAS

9.4. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector)

बीमा क्षेत्रक: एक नज़र में

बीमा क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति

- भारत में हेल्थ प्रोटेक्शन गैप 73% है।
- वित्त वर्ष 2021 में कुल बीमा सघनता 91 डॉलर के बराबर थी।
- 2023 में बीमित किसानों की संख्या 6.1 करोड़ से घटकर 5.2 करोड़ हो गई।
- वैश्विक स्तर पर भारत 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है।

मुख्य उद्देश्य

- स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा आदि के रूप में **सामाजिक संरक्षण को सुनिश्चित** करना।
- गंभीर बीमारियों के मामले में **आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय में कमी करना।**
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बीमा तक **पहुंच और इसे वहन करने की क्षमता में सुधार** करना।
- इस क्षेत्रक में **लगभग 50,000 करोड़ रूपये के निवेश कर बीमा पैठ को दुगना करना।**

योजनाएं/ पहलें

- बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY), और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- PM - जन आरोग्य योजना
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
- महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
- व्यवस्थित जोखिम और नैतिक बाधाओं (मॉरल हजार्ड) से बचने के अतिरिक्त उपायों के लिए एल.आई. सी., जी.आई.सी. तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से घरेलू बीमाकर्ताओं के रूप में पहचान देना।

बाधाएं

- **अल्प बीमा पैठ एवं घनत्व।**
- **बिमा पॉलिसी से संबंधित अव्यवहारिक शर्तें** और मानक बीमा उत्पादों की कमी।
- **बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता** के कारण इस क्षेत्रक से जुड़े उपभोक्ता मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं।
- सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं की बहुलता ने जोखिम पूल को खंडित कर दिया है।
- वंचित गरीब वर्ग और अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के बीच का 'मिसिंग मिडल' न तो सब्सिडीकृत स्वास्थ्य बीमा (गरीबों) के लिए और न ही सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना (नियोजित क्षेत्रक) के लिए अर्ह है।
- IRDAI के नियम समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देते हैं।
- सूक्ष्म बीमा से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कम राशि वाली किश्तों, व्यवसाय मॉडल, आदि का अभाव आदि।

आगे की राह

- व्यावसायिक बीमाकर्ताओं के माध्यम से **निजी स्वैच्छिक बीमा** को विस्तृत करना।
- संचालन और वितरण लागत को कम करने के लिए **सरकारी डेटा और अवसंरचना** को सार्वजनिक वस्तु के रूप में साझा करना।
- सेवाओं के **गारंटीकृत आधारभूत न्यूनतम पैकेज** के माध्यम से मानकीकरण को सुनिश्चित करना तथा प्रणाली को सहज बनाना।
- सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करके **उपभोक्ता के विश्वास** को जीतना।
- मज़बूत ऑडिटिंग प्रक्रियाएं और तीव्र **शिकायत निवारण तंत्र।**
- नए किफायती माइक्रोइंश्योरेंस उत्पाद विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
- समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति देना, ताकि एक ही बीमा कंपनी जीवन और गैर-जीवन बीमा, दोनों प्रोडक्ट प्रदान कर सके।

9.5. भारत में गेमिंग उद्योग (Gaming Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) और WinZO ने इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है।

गेमिंग उद्योग के बारे में

- 568 मिलियन यूज़र्स के साथ, **भारत आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा गेमिंग बाजार** है। वैश्विक स्तर पर **हर पांच ऑनलाइन गेमर्स में से एक भारत से** है।
- भारतीय गेमिंग बाजार के **2028 तक 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद** है।
- **2015** में भारतीय गेमिंग कंपनियों की संख्या **25 थी, जो 2023 में बढ़कर 1400 से अधिक** हो गई है।
- **गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार कारक:**
  - $0.17/ GB के साथ **किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट** की उपलब्धता।
  - 820 मिलियन यूज़र्स के साथ **स्मार्टफोन्स का व्यापक विस्तार।**
  - कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी (लगभग 600 मिलियन) बढ़ रही है और खर्च करने योग्य आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
  - आपूर्ति पक्ष के कारकों में **गेम्स के विकास में वैश्विक निवेश, बेहतर परिणाम देने वाला गेमिंग करियर, स्थानीय भाषा में कंटेंट, भारतीय संस्कृति में गेमिंग का बढ़ता प्रचलन** आदि शामिल हैं।

© Vision IAS

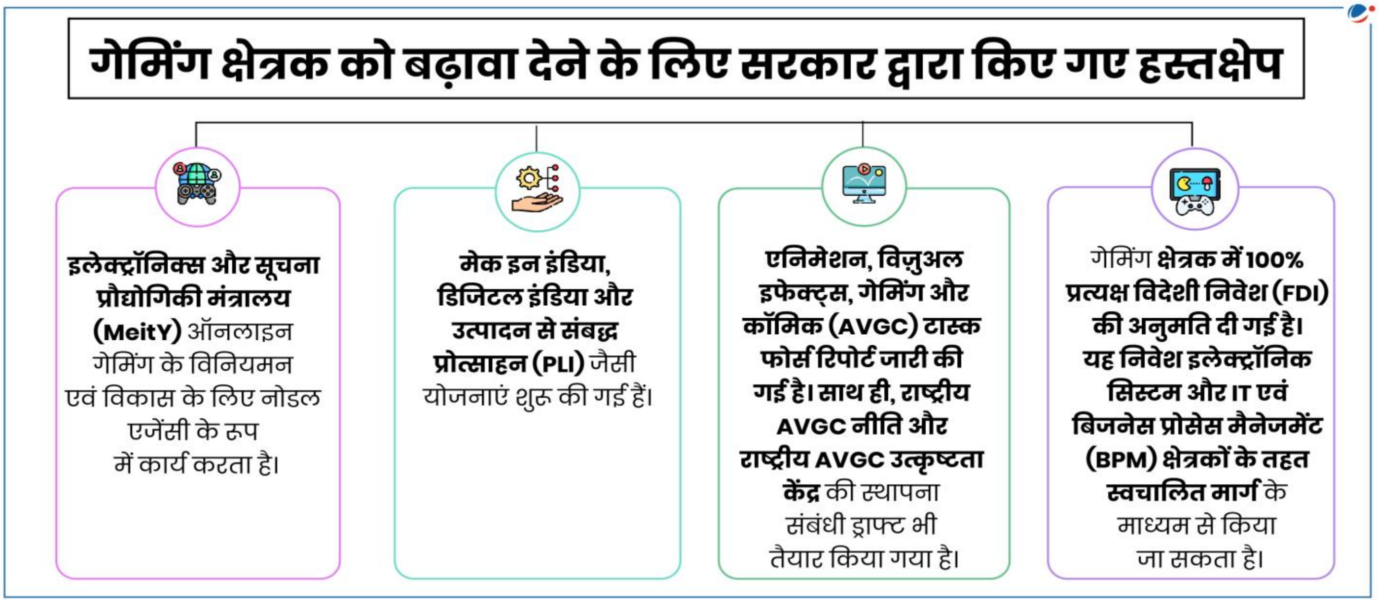

गेसमाज में गेमिंग का योगदान

इससे सामाजिक अलगाव में कमी आई है; विशेष रूप से महिला गेमर्स के मामले में समुदायों का निर्माण हो रहा है; अनुसंधान, शिक्षा और कौशल को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है आदि। साथ ही, यह वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई तकनीकों के उपयोग को भी सुविधाजनक बनाता है।

गेमिंग क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां	**रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:**
• **'इंटरनेट प्रदूषण'** से संधारणीयता संबंधी मुद्दे पैदा हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर **इंटरनेट यूज़ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3.7% का योगदान** करता है। • वित्तीय साक्षरता की कमी, विनियामक संबंधी जटिलताएं और डेटा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं। • कुछ मामलों में गेमिंग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, उदाहरण के लिए- "ब्लू व्हेल चैलेंज"। • भारत में **गेमिंग उद्योग के लिए एक सुसंगत और व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क का अभाव** है।	• संधारणीय गेमिंग के लिए **हरित नवाचारों और वर्चुअल परिवेश का उपयोग** किया जाना चाहिए। • **नीतिगत समर्थन तथा स्टार्ट-अप्स और प्रतिभा विकास का समर्थन** करते हुए एक वैश्विक गेमिंग क्लस्टर स्थापित किया जाना चाहिए। • **ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए अनुसंधान एवं विकास** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

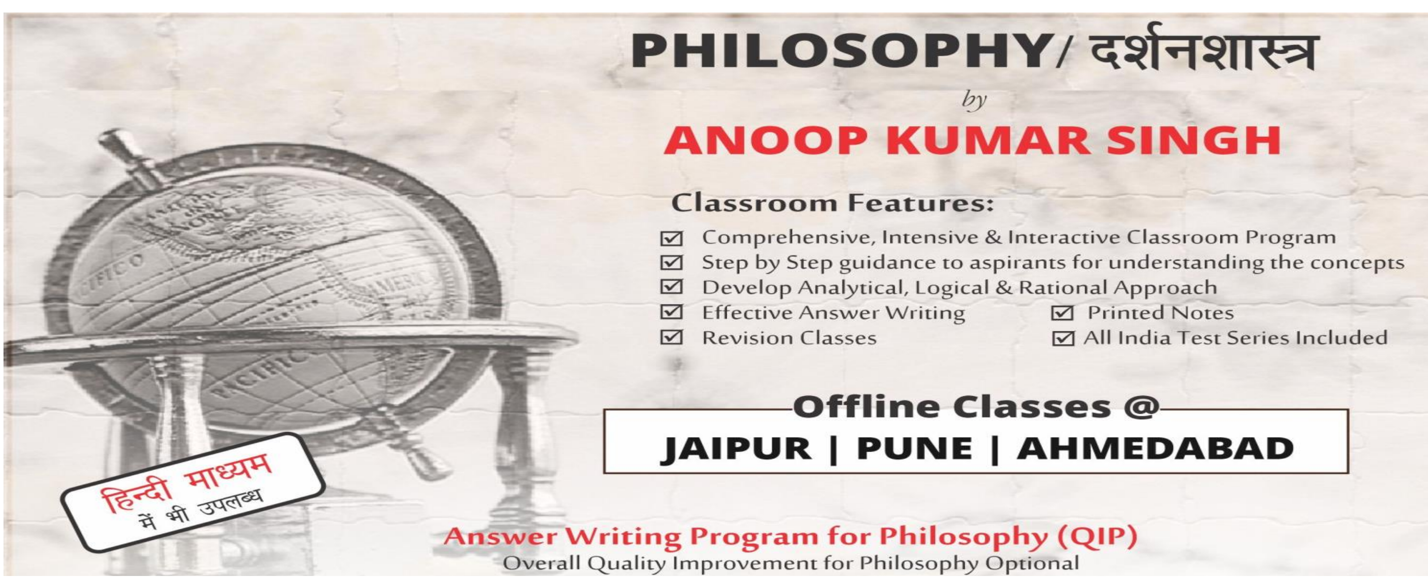

10. अवसंरचना (Infrastructure)

10.1. पी.एम. गति शक्ति (PM Gati Shakti)

पी.एम. गति शक्ति: एक नज़र में

- गति शक्ति या **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान** का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।
- इसमें **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** के सात इंजन (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मास ट्रांजिट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर) शामिल होंगे।
- **पी.एम. गति शक्ति पहल के छह स्तंभ:** समग्रता (Comprehensiveness), प्राथमिकता (Prioritization), सुधार (Optimization), समन्वय (Synchronization), विश्लेषण (Analytical), और गतिशीलता (Dynamic)।

पी.एम. गति शक्ति के तहत 2025 तक निर्धारित लक्ष्य

- **सड़कें:** राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख कि.मी. करना।
- **रेलवे:** रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर 1,600 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) करना।
- **हवाई अड्डे:** 220 नए हवाई अड्डे/ हेलीपोर्ट/ वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना।
- **पत्तन:** कुल कार्गो क्षमता को बढ़ाकर 1,759 MMT प्रति वर्ष करना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** इसे बढ़ाकर 225 गीगावॉट करना।
- **दूरसंचार:** कुल 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना।
- **गैस पाइपलाइनों का निर्माण:** कुल 34,500 कि.मी. लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना।

गति शक्ति से संबंधित पहलों का प्रभाव

- इससे स्थानीय उत्पादों को विश्व के अन्य देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए- सभी परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।
- **सूचना की उपलब्धता में वृद्धि:** इसके तहत आगामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स तंत्र विकसित करना:** इसके तहत विभिन्न माध्यमों से बाधा रहित परिवहन कनेक्टिविटी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **यात्रा में तय की जाने वाली दूरी कम करना।**

कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **अवसंरचना के विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना** बड़ी समस्या है।
- इस परियोजना में **कई प्राधिकरण शामिल** हैं और इन सबकी **स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं** की गई है।
- **निजी बैंक** इन परियोजनाओं को ऋण देने से कतराते हैं। उन्हें ऋण के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति हो जाने का डर बना रहता है।
- **भूमि अधिग्रहण,** पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना तथा परियोजना से प्रभावित समुदायों के लिए पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- स्थानीय समुदायों पर बुनियादी ढांचा परियोजना के संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन।

आगे की राह

- **बेहतर भूमि-उपयोग की योजना:** अवसंरचना के विकास के लिए नई भूमि अधिग्रहित करने के बजाय **क्षरण वाली भूमि को उपयोग लायक बनाने पर ध्यान** देना चाहिए। ऐसी भूमि की पहचान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- परियोजना प्रबंधन पद्धतियों, इंजीनियरिंग तकनीकों और नई अवसंरचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
- अवसंरचना की योजना बनाने, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शिता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए।
- पी.एम. गति शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वियन के दौरान **उत्पन्न होने वाले विवादों या संघर्षों को हल** करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए।

10.1.1. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की लॉजिस्टिक लागत **2021-22** में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **7.8-8.9%** के बीच आंकी गई है। हालांकि, पहले माना जा रहा था कि यह लागत 10% से अधिक है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, 2023 में भारत 38वें स्थान पर है, जो 2018 के 44वें स्थान से बेहतर है।

दक्ष लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का महत्त्व:

- **आपूर्ति श्रृंखला दक्षता:** यह उपभोक्ताओं की मांग को तत्काल पूरा करने और उसी के अनुरूप अपने व्यवसाय की उत्पादन प्रक्रियाओं को दक्ष बनाने के लिए आवश्यक है।
- **कनेक्टिविटी और पहुंच:** दक्ष लॉजिस्टिक्स अवसंरचना से कंपनियों को अधिक ग्राहकों तक अपना उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे आर्थिक एकीकरण बढ़ाया जा सकता है यानी हर क्षेत्र को आर्थिक गतिविधि में शामिल किया जा सकता है।
- **लागत में कमी और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** परिवहन, भंडारण और वितरण लागत में कमी की वजह से ऐसा होता है।
- **रोजगार के अवसर में वृद्धि:** परिवहन, भंडारण, वितरण और इनसे संबंधित सेवाओं में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

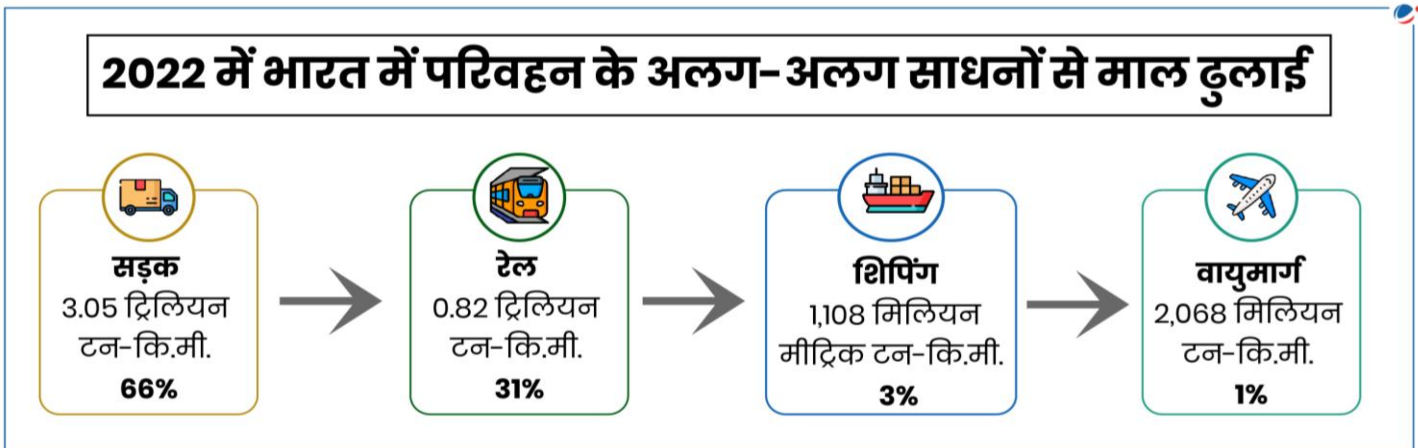

भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्रक में सुधार के लिए उठाए गए कदम

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (NLP) 2022

- यह **सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के विकास** से संबंधित है।

- यह नीति पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) के पूरक के रूप में **2022 में आरंभ** की गई थी।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य:**
  - **भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना:** लागत को सकल घरेलू उत्पाद के **8-9%** के वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाना।
  - **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार:** भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है।
  - एक **दक्ष लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली विकसित** करना।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति** के तहत **"व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP)**[101] शुरू की गई है। इसमें आठ कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली, सेवा सुधार फ्रेमवर्क आदि शामिल हैं।

उठाए गए अन्य कदम

- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP):** यह देश में तैयार **डेटा-आधारित प्लेटफॉर्म** है। यह अलग-अलग मंत्रालयों/ विभागों के लॉजिस्टिक्स से संबंधित 34 डिजिटल सिस्टम/ पोर्टल को आपस में जोड़ता है।
- **निर्यात-आयात (एक्जिम/ EXIM) लॉजिस्टिक्स:** इसका उद्देश्य भारत की **EXIM कनेक्टिविटी में अवसंरचना** और प्रक्रिया संबंधी कमियों को दूर करना तथा एक दक्ष और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्माण करना है।
- **लॉजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा दिया गया:** इस कदम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को आसान शर्तों पर ऋण मिल सकेगा।
- **विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (LEADS)**[102] **पहल:** यह राज्यों में लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए देश में ही विकसित लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक है। इसे **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर** तैयार किया गया है।
- **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs):** केंद्र सरकार ने **35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की स्थापना** की योजना बनाई है। इसके लिए **6.2 बिलियन डॉलर की राशि निवेश** की जाएगी।

घटक	अब तक की प्रगति
डिजिटलीकरण	• **उद्योग जगत के 614 से अधिक भागीदारों** ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) पर पंजीकरण कराया है। • **106 निजी कंपनियों** ने गैर-प्रकटीकरण समझौतों (NDAs)[103] पर हस्ताक्षर किए हैं।
निर्यात-आयात (EXIM) लॉजिस्टिक्स	• बंदरगाहों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 60** तथा **रेल मंत्रालय की 47 परियोजनाओं** को मंजूरी दी गई है।
राज्य की भागीदारी	• अब तक **22 राज्यों** ने अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को **अधिसूचित** किया है।
मुद्दे और शिकायत निवारण	• ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विस (E-logs) पोर्टल पर अब तक **लगभग 29 व्यावसायिक संघों** को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- **आपूर्ति श्रृंखला का अलग-अलग होना: देश के संपूर्ण सप्लाई चेन सेगमेंट्स में छोटे-छोटे भागीदार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं।**
- **विनियामक या नियमों के पालन का बोझ: कर प्रणाली के कई चरण, अधिक नियमों के पालन का बोझ और नौकरशाही की बोझिल प्रक्रियाएं** व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने में बाधाएं पैदा करती हैं।
- **अपर्याप्त सड़क अवसंरचना।**
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, परिवहन और **लॉजिस्टिक्स संचालन में कुशल कर्मियों की कमी** है।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** उदाहरण के लिए- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC)** अरब प्रायद्वीप से होकर भारत और यूरोप के बीच बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- **संधारणीय लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करना:** इसमें एनर्जी एफिशिएंसी एक्सिस्टिंग शिप इंडेक्स (EEXI), कार्बन इंटेंसिटी रेटिंग और उत्सर्जन व्यापार प्रणाली से संबंधित प्रमुख नियमों और पहलों का पालन करना शामिल है।

[101] Comprehensive Logistics Action Plan

[102] Logistics Ease Across Different States

[103] Non-Disclosure Agreements

- **तकनीकी नवाचार: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित पूर्वानुमान विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर एवं कनेक्टिविटी,** रोबोटिक प्रॉसेस ऑटोमेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसी **ऑटोमेशन प्रौद्योगिकियां**।
- **निवेश आकर्षित करना और निवेशकों की रुचि को बढ़ाना:** उदाहरण के लिए- **सिंगापुर, लॉजिस्टिक्स के मामले में विश्वस्तरीय शहर की अपनी स्थिति को बनाए** रखने के लिए परिवहन अवसंरचना में अब भी निवेश कर रहा है।
- **परिवहन साधन में रेल परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना:** राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य **कुल माल ढुलाई में रेल से ढुलाई की हिस्सेदारी को 27% (2019) से बढ़ाकर 45% (2030) करना** है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

10.2. पब्लिक गुड्स (Public Goods)

पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक सुविधाएं: एक नज़र में

- **पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक सुविधाएं:** ये सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होती हैं। इनका उपयोग किसी भी नागरिक द्वारा बार-बार किया जा सकता है। इससे अन्य नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित नहीं होती हैं। अतः नागरिक आपसी प्रतिस्पर्धा के बिना इस तरह की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- **पब्लिक गुड्स का दायरा**
  - **स्थानीय पब्लिक गुड्स,** जैसे- स्थानीय सरकारी स्कूल, पार्क आदि।
  - **राष्ट्रीय पब्लिक गुड्स,** जैसे- राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन आदि।
  - **क्षेत्रीय पब्लिक गुड्स,** जैसे- सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार नियामक प्रणालियां आदि।
  - **वैश्विक पब्लिक गुड्स**, जैसे- पर्यावरण, संस्कृति, तकनीकी प्रगति आदि।

पब्लिक गुड्स का महत्त्व

- इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- गरीबी और असमानता में कमी लाने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं।
- आपदा प्रबंधन, सूखा, खाद्य असुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण साझा चुनौतियों के समाधान में सहायक हैं।
- जलवायु परिवर्तन, सीमा-पार महामारी, सुरक्षा जोखिम जैसे असमान रूप से वितरित जोखिमों के प्रबंधन में सहायक हैं।
- पब्लिक गुड्स निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य हैं क्योंकि इनका परिणाम बहुत व्यापक होता है।

पब्लिक गुड्स को उपलब्ध कराने में चुनौतियां

- प्रोत्साहन की कमी और फ्री-राइडर की समस्या, क्योंकि उनके उपयोग के लिए शुल्क नहीं लिया जा सकता है।
- लाभ की प्राप्ति देर से अर्थात् भविष्य में होती है जबकि लागत आज वहन करनी होती है।
- बाह्यताओं या स्पिलओवर्स के चलते पब्लिक गुड्स के लाभ एक व्यक्ति के लिए या तो नगण्य या बहुत अधिक हो जाते हैं।
- प्राप्त की गई सफलता, गैर-अनुपालन के एक ही कार्य से नष्ट हो सकती है। यह इसकी सबसे कमजोर कड़ी और समस्या है।
- सारांशतः समस्या यह है कि सभी के लिए सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शासन और नागरिक वर्ग के हर स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होती है।

भारत में पब्लिक गुड्स की प्रोविजनिंग

- भारत डिजिटल पब्लिक गुड्स, जैसे- आधार, UPI, भूमि रिकॉर्ड आदि में अग्रणी बन रहा है।
- आयुष्मान भारत योजना, वन हेल्थ दृष्टिकोण और अन्य योजनाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा जैसे सुधारों के माध्यम से सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- मिशन LiFE, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता, जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने आदि के जरिए पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है।
- पी.एम. आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- हर घर जल योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।

आगे की राह

- जरूरतों का आकलन करने और पब्लिक गुड्स उपलब्ध कराने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे की स्थापना की जाए।
- संसाधन जुटाने और फ्री-राइडर समस्या को समाप्त करने के लिए विभिन्न नियमों और कराधान उपायों को लागू करना चाहिए।
- समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ समावेशी सरकार के गठन पर ध्यान देना चाहिए।
- जागरूकता अभियान, ICT, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जाए।
- पब्लिक गुड्स की प्रोविजनिंग में भागीदारी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए।

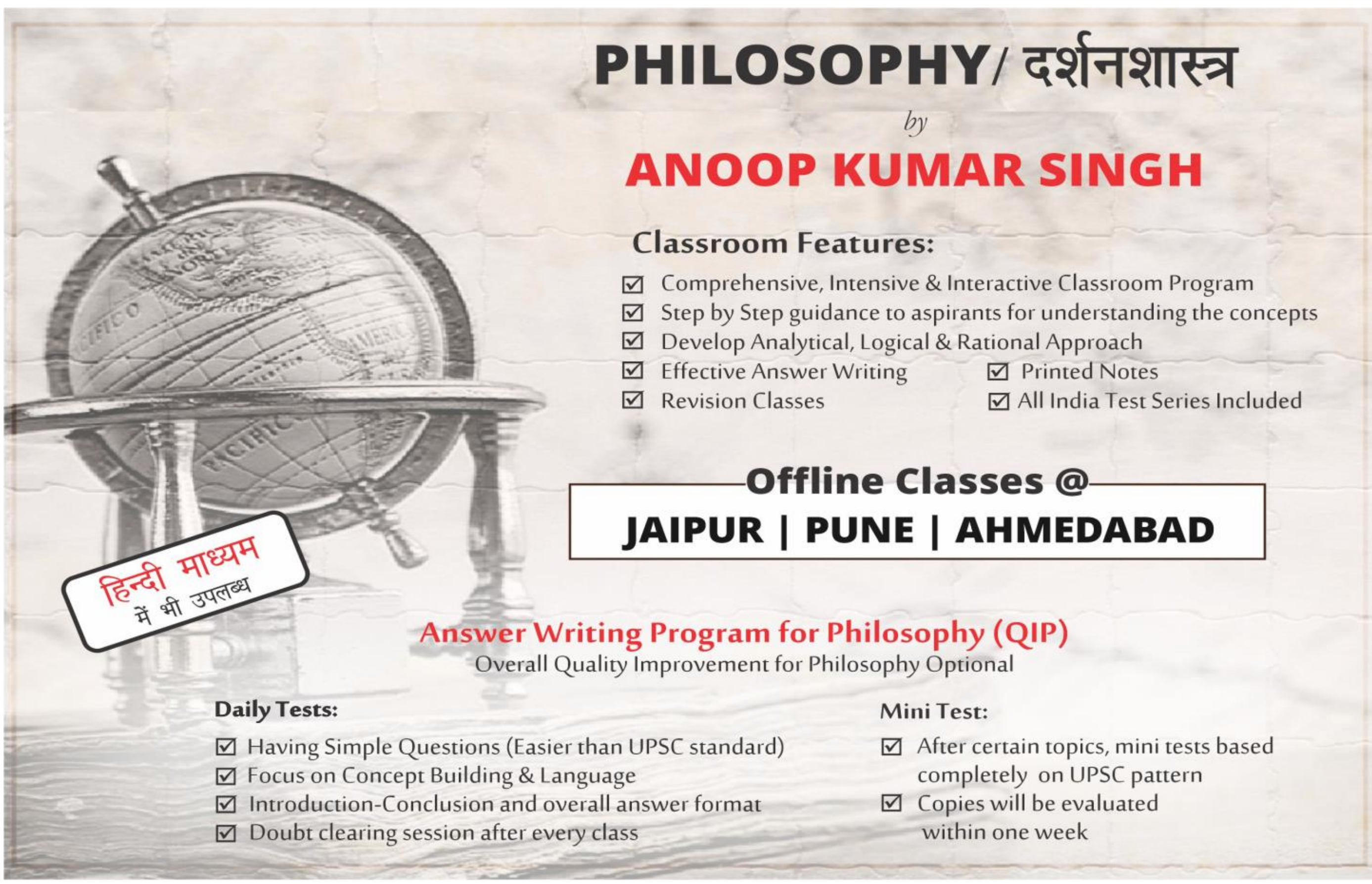

10.3. सड़क मार्ग (Roadways)

सड़क मार्ग: एक नज़र में

भारत में सड़क मार्ग की स्थिति

- भारत में **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क** है। यह कुल **66.7 लाख कि.मी.** में फैला हुआ है।
- सड़क परिवहन भारत के कुल **पैसेंजर यातायात का लगभग 87% तथा माल ढुलाई का 60%** से अधिक भाग वहन करता है।
- देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत के कुल यातायात में से 40% राष्ट्रीय राजमार्गों से किया जाता है।
- भारत, दुनिया में **कुल वाहन संख्या का 1%,** लेकिन सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के 11% के लिए जिम्मेदार है। इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद का 3-5% है।

प्रमुख उद्देश्य

- NHAI की 2023-24 में **12,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने** की योजना है।
- सरकार ने **वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिदिन 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे निर्मित** करने का लक्ष्य रखा है।
- सरकार का लक्ष्य **2025 तक 23 नए राष्ट्रीय राजमार्ग** बनाने का है।
- **2025 तक सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को आधा करना।**
- **भारतमाला परियोजना चरण-I को 2027 तक पूर्ण करना।** शुरुआती लक्ष्य वर्ष 2022 के लिए रखा गया था।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 40 से 60 कि.मी. पर **चार्जिंग स्टेशन स्थापित** करने की योजना है।

योजनाएं/ पहलें

- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन** अपने पूंजी परिव्यय का 18% सड़क क्षेत्रक पर खर्च कर रही है।
- भारतमाला परियोजना 27 **ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सहित 34,800 कि.मी. राजमार्ग विकसित** करेगी।
- परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने के लिए **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)।**
- **वाहन स्क्रैपेज नीति:** यह वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिनकी ईंधन खपत लागत अधिक है।
- स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति।
- **अन्य योजनाएं,** जैसे- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सेतु-भारतम परियोजना आदि।

बाधाएं

- **भूमि अधिग्रहण में देरी, समय-सीमा का अधिक होना और परियोजना की लागत में बढ़ोतरी।**
- निर्माण की घटिया गुणवत्ता के साथ-साथ अपर्याप्त सड़क अवसंरचना।
- **धन की कमी:** राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव के लिए निर्धारित वार्षिक परिव्यय आवश्यक धन का लगभग 40% है।
- **सड़कों पर भीड़भाड़ और** सड़क सुरक्षा का अभाव।
- **भारी दबाव वाले NHs और SHs: ये 65% से अधिक सड़क यातायात** का वहन करते हैं।
- वाहनों की कम आपूर्ति के कारण सार्वजनिक परिवहन का विस्तार बाधित हुआ है।
- अन्य मुद्दे, जैसे- **ट्रैफिक का खराब प्रबंधन और पार्किंग** की समस्या।

आगे की राह

- नियमित रखरखाव गतिविधियों के लिए **'केंद्रीय सड़क निधि' (CRF) से धनराशि का निर्धारण** करने की जरूरत है।
- विकास से संबंधित लागतों को कम करने के लिए **भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करना** चाहिए, जैसे- **"भूमि राशि" - भूमि अधिग्रहण पोर्टल।**
- परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच प्रौद्योगिकी को अपनाना और निर्बाध आवागमन बढ़ाना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नए मॉडल को अपनाना।
- राजमार्ग निर्माण के लिए रीसायकल सामग्री, फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना।
- जैव विविधता को बढ़ावा देना और प्राकृतिक क्षेत्रों में सड़क निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, उदाहरण के लिए- ग्रीन हाईवे पॉलिसी, 2015 को अपनाना।

10.3.1. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat New Car Assessment Program: Bharat NCAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)[104] ने वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सेफ्टी टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार-रेटिंग प्रणाली शुरू की है। यह रेटिंग **ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS)-197** के अनुरूप है।

भारत NCAP के बारे में

- यह प्रणाली **ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Global NCAP)** पर आधारित है।
- **किस पर लागू होगा:** यह प्रणाली ऐसे यात्री वाहनों पर लागू होगी, जिनमें ड्राइवर सीट के अलावा आठ (8+1) से अधिक सीटें नहीं हों और वाहन का कुल वजन 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। साथ ही, ये वाहन भारत में विनिर्मित या भारत में बिकने वाले होने चाहिए।
- **टेस्ट प्रोटोकॉल:** इसके अंतर्गत **एडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी (AOP), चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी (COP)** और कार में लगाई गई **सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी** का आकलन किया जाएगा।
- **टेस्ट का प्रारूप:** वैसे तो यह टेस्ट **स्वैच्छिक** प्रकृति का है, लेकिन कार विनिर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे AIS-197 मानदंडों के अनुरूप अपने वाहन मॉडल का सेफ्टी टेस्ट करवाएं।

महत्त्व

- **सड़क सुरक्षा:** यह प्रणाली उपभोक्ताओं को कार खरीदने से पहले **सोच-समझकर निर्णय** लेने में मदद करेगी। इससे सुरक्षित कारों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी:** इससे विनिर्माण प्रकियाओं को हालिया सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। इन नियमों में **अनिवार्य ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स**, **एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम** और **रिवर्स पार्किंग सेंसर** आदि शामिल हैं।

[104] Ministry of Road Transport and Highways

- **लागत प्रभावी:** विदेशों में होने वाले ऐसे सेफ्टी टेस्ट की लागत (2.5 करोड़ रुपये) है, जबकि भारत NCAP के तहत होने वाले **टेस्ट की लागत** कम (लगभग 60 लाख रुपये) होगी।

निष्कर्ष

भारत NCAP के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें और घायलों की सख्या को कम करने तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवा और बीमा क्षेत्रक पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और घायलों के कारण उत्पन्न मानसिक क्षति को कम करने से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा।

10.4. भारतीय रेलवे (Indian Railways)

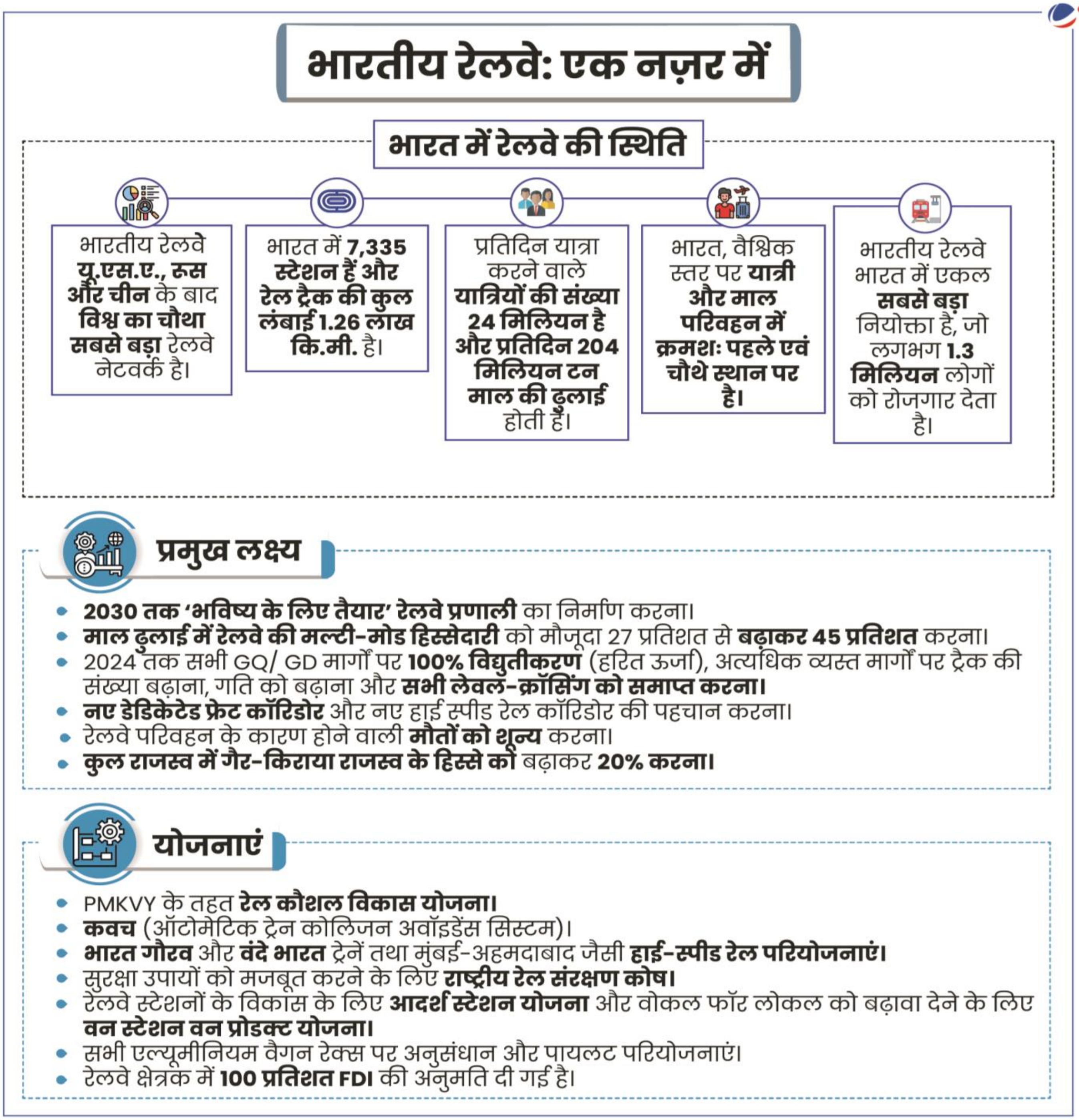

बाधाएं

- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** पुरानी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के पूरा होने में देरी।
- नगण्य गैर-किराया राजस्व और उच्च माल ढुलाई शुल्क के कारण **आंतरिक स्तर पर संसाधनों का कम सृजन।**
- **टर्मिनल पर सुविधाओं की खराब स्थिति** के कारण लोडिंग और अनलोडिंग करने में अधिक समय लगता है।
- **रेलवे की खराब वित्तीय स्थिति** के कारण कम निवेश, **ख़राब सेवाएं** और कम गति, देरी तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
- **कोयले के परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है,** जो 2021-22 के दौरान **कुल माल ढुलाई आय का लगभग 47 प्रतिशत थी।**
- **क्रॉस-सब्सिडाइजेशन अर्थात्** यात्री परिवहन में नुकसान की भरपाई के लिए माल ढुलाई से होने वाले लाभ को क्षतिपूर्ति के रूप में उपयोग किया जाता है।

आगे की राह

- **अवसंरचना:** प्रौद्योगिकी का उन्नयन, टर्मिनल की क्षमता में वृद्धि, ट्रैक का विवेकपूर्ण विद्युतीकरण, प्रमुख **बुनियादी ढांचे का विस्तार और अत्यधिक व्यस्त मार्गों पर बोझ को कम करना।**
- उच्च **हॉर्स पावर वाले ऐसे इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों का उपयोग** करना, जो अधिक ईंधन कुशल हों।
- **फ्रेट बास्केट में विविधता लाना:** माल ढुलाई से प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाने के लिए **फ्रेट बास्केट** में विविधता लाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही, अन्य आमदनी को बढ़ाने के लिए रेलवे को अपनी बेकार पड़ी हुई परिसम्पत्तियों का भी दोहन करने की जरूरत है।
- **टैरिफ पर फिर से विचार करना:** यात्री और अन्य टैरिफ (लगेज और पार्सल) में सुधार की जरूरत है ताकि परिचालन लागत को चरणबद्ध तरीके से बेहतर किया जा सके और इसकी मुख्य गतिविधियों में नुकसान को कम किया जा सके।
- रेलवे के आंतरिक राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए कदम उठाना, उदाहरण के लिए- अप्रयुक्त रेलवे भूमि का मुद्रीकरण।

10.4.1. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना {Regional Rapid Transit System (RRTS) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की शुरुआत हुई। इसके तहत उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी के लिए **'नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन[105]'** का परिचालन आरंभ हुआ।

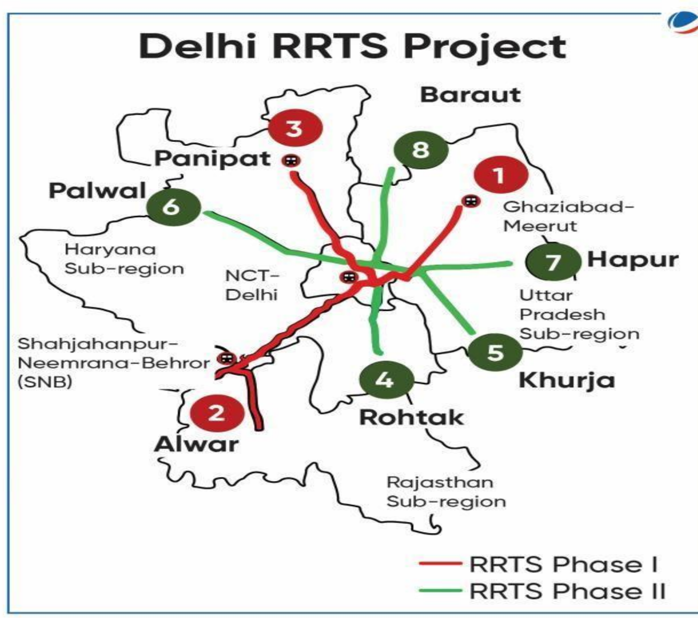

RRTS परियोजना के बारे में

- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली **एक नई, समर्पित, हाई स्पीड, उच्च क्षमता वाली और आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा** है।
- यह शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।

105 Namo Bharat RapidX train

© Vision IAS

- इसमें रेलगाड़ियों की गति **160 कि.मी./ घंटा** होगी। हालांकि, RRTS को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये **180 कि.मी./ घंटा** तक की गति से यात्रा तय कर सकती हैं।
- NCR में RRTS के विकास का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)[106] को सौंपा गया है।

RRTS का महत्त्व

- **आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि:** इसके निर्माण से यात्रा के समय में कमी आएगी।
- **संतुलित आर्थिक विकास:** बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र का **गहन आर्थिक एकीकरण** होगा। इसके परिणामस्वरूप अधिक संतुलित आर्थिक विकास होगा।
- आवागमन में तेजी आने से लोगों को **अधिक रोजगार के अवसर** प्राप्त होंगे तथा स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए **बेहतर सुविधाएं** प्राप्त होंगी।
- **कम उत्सर्जन:** इस परिवहन साधन से कम कार्बन का उत्सर्जन (कम कार्बन फुटप्रिंट) होगा। चूंकि व्यक्तिगत परिवहन साधन के बदले अधिक संख्या में यात्री इस साधन का उपयोग कर सकेंगे, इसलिए इससे NCR में प्रदूषण में व्यापक कमी आएगी।
- **सड़क पर भीड़ में कमी:** सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले बहुत सारे यात्री RRTS के तहत रेलयात्रा को प्राथमिकता देंगे।

RRTS के विकास में चुनौतियां		
वित्त-पोषण की समस्या: रेलवे नेटवर्क के रख-रखाव और संचालन के लिए **अधिक मात्रा में अग्रिम निवेश की आवश्यकता** होती है। इससे सार्वजनिक बजट पर बोझ बढ़ जाता है।	**पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं:** RRTS परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों से तात्कालिक रूप से **दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर** हो सकती है।	**परियोजना के निर्माण से जुड़ी चुनौतियां:** RRTS परियोजना के निर्माण चरण में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियां शामिल हैं। इनमें सुरंग बनाना, पुल निर्माण और रेल लाइनों को मार्ग के अनुरूप सही से बिछाना शामिल हैं।

आगे की राह

- निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के स्तर को कम करने के लिए **कास्टिंग यार्ड** (कंक्रीट वाली संरचनाएं) पर **जल पंपों की व्यवस्था** की जानी चाहिए। साथ ही, मार्ग के अलग-अलग बिंदुओं पर **वायु निगरानी उपकरण** लगाए जाने चाहिए ताकि **वायु-प्रदूषण** को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि RRTS का **नया डिजाइन, शहरी योजना के लक्ष्यों,** पर्यावरणीय संधारणीयता और मौजूदा परिवहन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के अनुरूप हो।
- **परिवहन क्षेत्रक की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इसमें उपयोग** करना चाहिए। इनमें स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, संचार नेटवर्क, किराया संग्रह प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इनसे RRTS के सुचारू और सुविधाजनक संचालन में मदद मिलेगी।

10.4.2. समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridors: DFC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अक्टूबर, 2023 में **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)** का निर्माण कार्य पूरा हो गया।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है?

- यह एक प्रकार का **रेलवे कॉरिडोर** है। इसे वस्तुओं और अन्य कमोडिटी के तीव्र और दक्ष परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। ये रेलवे कॉरिडोर्स **उच्च गति और उच्च ढुलाई क्षमता** से युक्त होंगे।
- **उद्देश्य:** DFCs का उद्देश्य भारत के रेलवे नेटवर्क पर **माल ढुलाई यातायात** को **यात्री यातायात** से अलग करके मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़भाड़ को कम करना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना का क्रियान्वयन **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)** कर रही है।

[106] National Capital Region Transport Corporation

DFC का महत्त्व

- **क्षमता में वृद्धि:** DFC मौजूदा रेल मार्गों पर यातायात के बोझ को कम करेगा। इससे सवारी गाड़ियों के आवागमन में सुधार होगा। साथ ही, इससे माल ढुलाई सेवाओं की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।
- **लागत में कमी:** माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। इससे वस्तुओं के मूल्य को कम रखने में मदद मिलेगी। माल ढुलाई की लागत में निम्नलिखित वजहों से कमी आएगी:
  - माल ढुलाई में कम समय लगेगा,
  - ईंधन की कम खपत होगी, और
  - प्रति ट्रेन माल वहन क्षमता में वृद्धि होगी।
- **अवसंरचना में सुधार:** इसके अंतर्गत आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, रेल मार्गों का विद्युतीकरण और नई रेल लाइनें बिछाना शामिल हैं।
- **पर्यावरणीय लाभ:** DFCs के बन जाने से जिन वस्तुओं की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है, उनमें से अधिकतर की ढुलाई रेल मार्गों से होने लगेगी। इससे राजमार्गों पर यातायात संबंधी भीड़भाड़ कम होगी तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।
- **सभी क्षेत्रों का समान विकास:** उदाहरण के लिए- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों (जैसे- झारखंड और ओडिशा) से देश के अन्य हिस्सों (जैसे- उत्तर प्रदेश और हरियाणा) के बिजली संयंत्रों और औद्योगिक केंद्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए परिवहन मार्ग प्रदान करेगा। इससे झारखंड और ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों का भी विकास होगा।

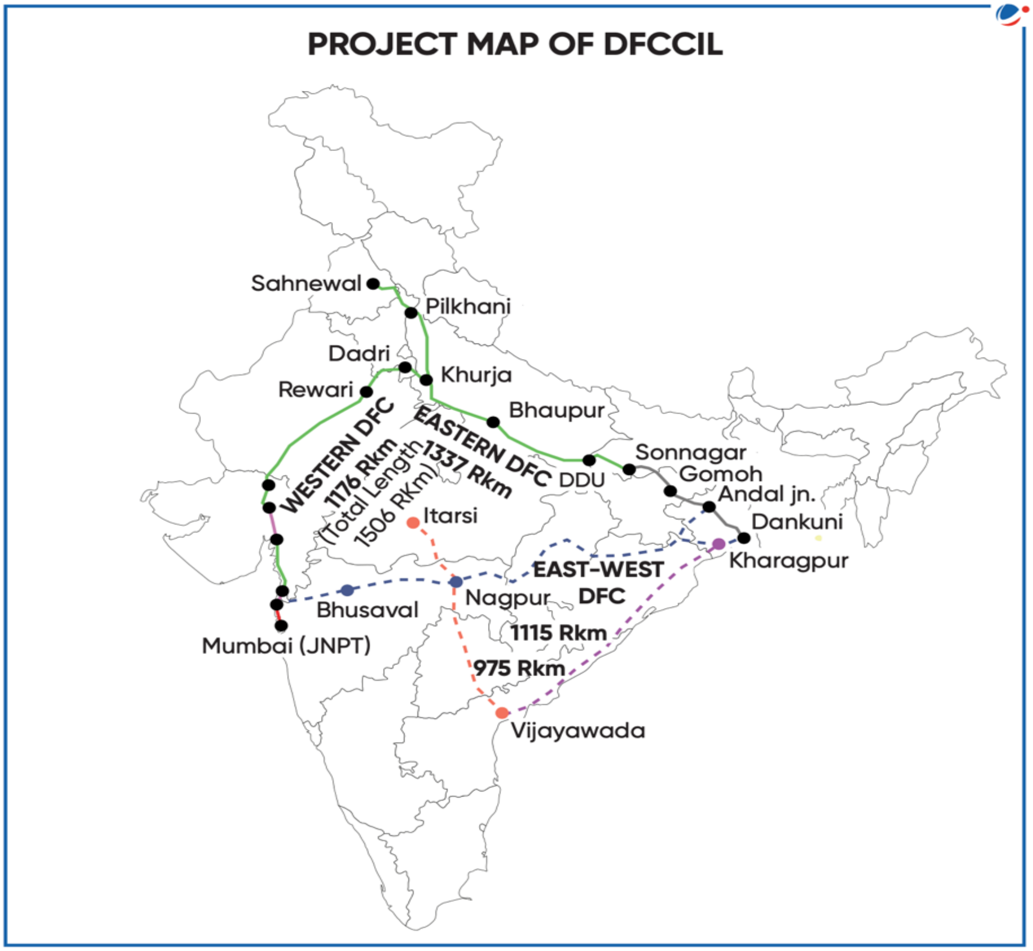

10.5. पत्तन क्षेत्रक (Port Sector)

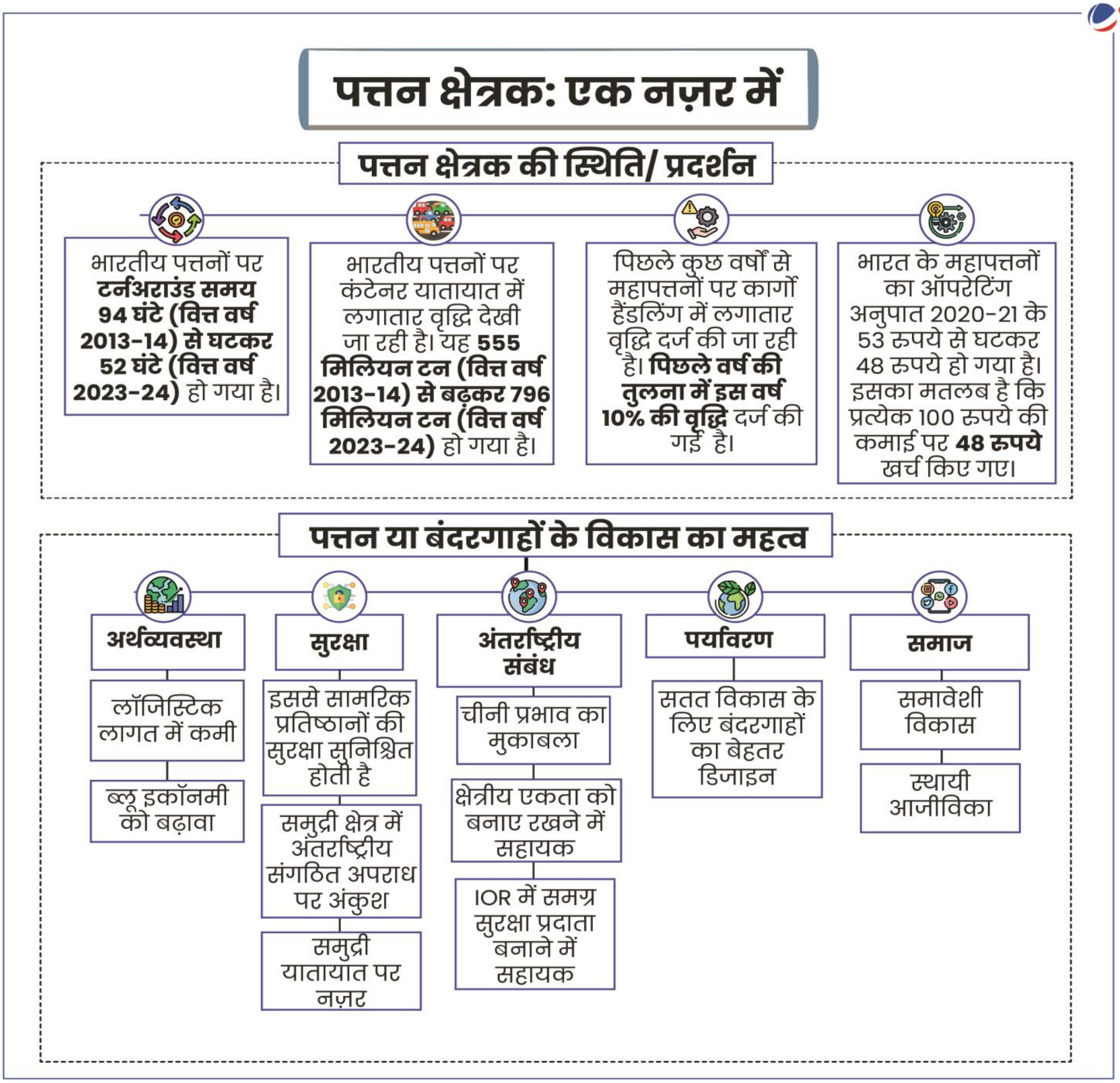

भारतीय बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास

- **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस:** निवेश को प्रोत्साहित करना, केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS), बंदरगाह आधारित उद्योगों के लिए कैप्टिव नीति।
- **ढांचागत बाधाओं से निपटना: सागरमाला कार्यक्रम, भारतमाला कार्यक्रम,** उन्नति परियोजना- परिचालन क्षमता में सुधार करना, मौजूदा प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना, नए बंदरगाहों का विकास, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (हब) स्थापित करना।
- परियोजनाओं की नियमित निगरानी और पत्तनों के वित्तीय तथा कार्य-प्रणाली के प्रदर्शन के लिए **सागरमंथन डैशबोर्ड** विकसित किया गया है।
- **रियल-टाइम ट्रैकिंग:** बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु जहाजों पर रियल टाइम जानकारी देने के लिए **सागर सेतु ऐप** शुरू किया गया है।
  - हितधारकों के बीच समुद्र-संबंधी सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की सुविधा के लिए सागरसेतु के भीतर **डिजिटल मॉड्यूल शुरू** किया गया है।
- **पत्तनों का डिजिटलीकरण: पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली, एंटरप्राइज़ बिजनेस सिस्टम (पत्तन संचालन और संबद्ध प्रणाली) और ऑनलाइन RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) प्रणाली** जैसे कदम उठाए गए हैं।
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग,** जैसे कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर सबरूम लैंड पोर्ट।
- ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre Of Excellence for Green Port & Shipping: NCOEGPS) का निर्माण।

भारतीय बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में आने वाली बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे से जुड़ी बाधाएं:** उथले बंदरगाह, बंदरगाहों पर क्षमता का कम उपयोग, रसद से जुड़ी अड़चनें।
- **नियामक बाधा:** बड़े और छोटे बंदरगाहों के बीच समान अवसर का अभाव, नौकरशाही से संबंधित चुनौतियां।
- **निवेश से संबंधित मुद्दे:** वित्तपोषण का अभाव, निजी क्षेत्र की भागीदारी औसत से भी कम है।
- **श्रम से जुड़े मुद्दे:** आवश्यकता से अधिक (ओवरस्टाफ), अकुशल और अप्रशिक्षित कार्यबल।
- **वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी।**
- **क्षमता का समुचित उपयोग नहीं:** महापत्तनों की कुल क्षमता के केवल 49% (लगभग) का ही उपयोग किया जा रहा है।
- **सीमित क्षमता:** केवल 5 महापत्तनों और 2 अन्य पत्तनों की क्षमता 100 MTPA से अधिक है।

आगे की राह

- **विनियामक सुधार:** ड्रेजिंग मार्केट (समुद्र तल की सफाई से संबंधित व्यवसाय) की शुरुआत करना, बंदरगाहों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए समन्वित प्रयास करना।
- **वित्त-पोषण के मुद्दों से निपटना:** एक राजस्व स्रोत के रूप में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, बंकरिंग में निवेश के अवसर मुहैया कराना।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** सागरमाला के तहत संचालनरत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, स्मार्ट पोर्ट के गठन और ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स को अपनाना।
- PPP निवेश में वृद्धि, बंदरगाह आधुनिकीकरण और परियोजनाओं में सुधार।
- **पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS)** का व्यापक कार्यान्वयन।

10.5.1. मैरीटाइम अमृतकाल विज़न 2047 (Maritime Amrit Kaal Vision 2047)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 दस्तावेज को **ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (2023)** जारी किया गया। इसे **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने तैयार किया था।

भारत में समुद्री क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति

- भारत में समुद्री क्षेत्रक के तहत मुख्य रूप से **पत्तन, बंदरगाह, नौवहन, जलयान निर्माण तथा जलयानों की मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली** शामिल हैं।
- **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** समुद्री क्षेत्रक से संबंधित सभी मुद्दों का प्रबंधन करने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय है।

मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के बारे में

इसमें भारत के समुद्री क्षेत्रक को पूरी तरह से बदलने के लिए **11 व्यापक थीम (या विषयों)** से जुड़ी **रणनीतिक पहलों** की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें शामिल हैं:

- **संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्रक:** इसका उद्देश्य सभी **14 प्रमुख पत्तनों (Major ports)** को **कार्बन न्यूट्रल** बनाना है।
  - इसके लिए **वैकल्पिक ईंधन** के साथ-साथ **अलग-अलग ईंधन का उपयोग करने वाले इंजनों** को अपनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - एक **अंतर्देशीय पोत ग्रीन ट्रांजिशन कार्यक्रम**[107] शुरू किया जाएगा।
  - 3 पत्तनों पर **ग्रीन हाइड्रोजन बंकर** स्थापित किए जाएंगे। इसमें शामिल हैं- पारादीप पत्तन (ओडिशा), दीनदयाल पत्तन (गुजरात) और वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन (तमिलनाडु)।
- **पत्तनों का आधुनिकीकरण:** पत्तनों को **स्मार्ट, स्वचालित और भविष्य की आवश्यकता के अनुकूल** बनाया जाएगा।
- इसमें **जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक भागीदारी में शामिल होने की बात कही गई है।** इससे भारत को शीर्ष 5 वैश्विक जहाज निर्माण केंद्रों में जगह बनाने में मदद मिलेगी।
- **भारत के पत्तनों की परिवहन क्षमता में सुधार करना:** प्रमुख पत्तनों पर **100% PPP**[108] मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके जरिए प्रमुख पत्तनों की **परिवहन क्षमता में चार गुना वृद्धि** करके 10,000 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **लॉजिस्टिक्स क्षमता में वृद्धि:** प्रमुख पत्तनों पर ठहरने वाले जलयानों की संख्या और अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी को **6% से बढ़ाकर 12%** तक किया जाएगा। यह अवसंरचनात्मक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से किया जाएगा।
- **पेशेवर समुद्री सेवा प्रदान करना; विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता** सुनिश्चित करना;
- **समुद्री क्लस्टर का विकास करना।**

भारत के समुद्री क्षेत्रक को विकसित करने का महत्त्व

- **हिंद महासागर में मौजूद अवसरों का दोहन:** यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है और यह कई प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता भी है।
- **तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका के अवसर:** हिंद महासागर की तटरेखा के 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 25 करोड़ लोग निवास करते हैं।
- **खाद्य सुरक्षा: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:** भारत रणनीतिक रूप से **होर्मुज जलडमरूमध्य** और **मलक्का जलडमरूमध्य** के बीच वाणिज्यिक शिपिंग लेन पर अवस्थित है।
- **क्षेत्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा:** भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में **निवल सुरक्षा प्रदाता**[109] और एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाने की संभावना और क्षमता है।

निष्कर्ष

इस विज़न को साकार करने में अवसंरचनात्मक अभाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, समुद्री शक्ति के रूप में भारत का विकास भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

10.5.2. ब्लू इकोनॉमी 2.0 (Blue Economy 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में “ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना” की घोषणा की गई।

[107] Inland Vessel Green Transition Program

[108] Public Private Partnership/ सार्वजनिक-निजी भागीदारी

[109] Net security provider

© Vision IAS

ब्लू इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के बारे में

- ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक संवृद्धि, बेहतर आजीविका, रोजगार सृजन आदि के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग है। इसमें इन संसाधनों के दोहन के समय समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- ब्लू इकोनॉमी 2.0 "भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था" की क्षमताओं का पता लगाने के लिए भारत की मौजूदा पहलों में और **अधिक प्रगति प्राप्त करने का एक ब्लूप्रिंट** है। इसका उद्देश्य जलवायु लोचशील (Climate resilient) गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में **पुनर्बहाली और अनुकूलन उपाय** भी शामिल हैं।
  - यह योजना एकीकृत और बहु-क्षेत्रक एप्रोच को अपनाते हुए **तटीय जलीय-कृषि (Aquaculture/** जलीय जीवों की खेती**) और समुद्री-कृषि (Mariculture/ समुद्री या जवारनदमुख क्षेत्र में)** पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **ब्लू इकोनॉमी के विकास को सीमित करने वाले कारक:**
  - समुद्र में **सुरक्षा संबंधी खतरा** हमेशा बना रहता है। इसका एक हालिया उदाहरण **हूती विद्रोही समूह द्वारा लाल सागर** में जहाजों पर हमला है।
  - **अन्य कारक:**
    - अवसंरचना की कमी है,
    - पोत परिवहन उद्योग के संचालन में अधिक लागत आती है,
    - ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और प्रबंधन की लागत भी अधिक है, आदि।
- **ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम:**
  - **डीप ओशन मिशन** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **हिन्द महासागर में धातुओं** का खनन करना है।
  - **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना** चलाई जा रही है।
  - **सागरमाला परियोजना** शुरू की गई है।
  - **ब्लू इकोनॉमी नीति** का मसौदा तैयार किया गया है।
  - एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन।
  - मैरीटाइम इंडिया विजन 2030

संबंधित सुर्खियां: रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी (RBE)

- **IUCN ने "टुवार्ड्स ए रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी- मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट **रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी (RBE) यानी पुनरुत्पादक नीली अर्थव्यवस्था** के लिए एक स्पष्ट परिभाषा और **संस्थापक सिद्धांतों का प्रस्ताव** प्रस्तुत करती है।
- RBE एक **आर्थिक मॉडल** है। यह **महासागरीय, समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिकी-तंत्रों** के प्रभावी पुनरुत्पादन और संरक्षण को **टिकाऊ व कम या बिना कार्बन वाली आर्थिक गतिविधियों तथा वर्तमान एवं भविष्य में उचित समृद्धि** के साथ जोड़ता है।
- **RBE के लिए सिफारिशें:**
  - वित्त-पोषण को पुनरुत्पादक गतिविधियों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए;
  - ग्लोबल साउथ में विज्ञान और नवाचार आधार का विस्तार करना चाहिए;
  - समुद्री स्तर पर उपाय करने के लिए स्थानीय हितधारकों को सशक्त बनाना चाहिए आदि।
- IUCN ने तीन प्रकार की ब्लू इकोनॉमी को परिभाषित करने वाला एक फ्रेमवर्क विकसित किया है। ये हैं- **ब्राउन ओशन इकोनॉमी, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी** और **रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी**। इसके अनुसार **RBE उच्चतम संधारणीयता के स्तर** पर है।
- **रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी (RBE) को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहलें:** IUCN की नेचर 2030, ग्रेट ब्लू वॉल इनिशिएटिव, स्वच्छ समुद्र अभियान, मोरोनी घोषणा-पत्र और केपटाउन मेनिफेस्टो।

10.5.3. अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने **'मौजूदा और नए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार**[110]**'** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

[110] Development and Expansion of Existing and New National Inland Waterways

© Vision IAS

अंतर्देशीय जल परिवहन का महत्त्व

- **लागत का कम होना:** जलमार्ग विकसित करने की लागत रेल और सड़क को विकसित करने की तुलना में बहुत कम है।
- **पर्यावरण के अनुकूल:**
    - प्रति टन/कि.मी. ईंधन खपत बहुत कम है।
    - इसका CO_2 उत्सर्जन ट्रकों के मुकाबले 50 प्रतिशत कम है।
    - यह खतरनाक (ज्वलनशील इत्यादि) और ओवर डायमेंशनल या लंबे चौड़े कार्गो के लिए परिवहन का सुरक्षित साधन है।
- **सामरिक महत्त्व: रणनीतिक और आर्थिक रूप** से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को सड़कों की खराब स्थिति के कारण भारत के मुख्य भू-भाग के साथ कनेक्टिविटी संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में IWT प्रणाली से इस पूरे क्षेत्र को **प्राकृतिक नौवहन मार्ग** से जोड़ा जा सकता है।
- **अन्य लाभ:**
    - इससे सड़क और रेल मार्ग पर दबाव कम होगा।
    - इसके उपयोग से सड़क पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाएं कम होंगी।

IWT के विकास से जुड़े मुद्दे

- **परियोजनाओं का उपयोग न होना:** कुल अधिसूचित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से केवल 23 चालू अवस्था में हैं।
- **सड़क और रेल प्रणालियों की तुलना में कम निवेश:** कंपनियां निम्नलिखित कारणों की वजह से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकल्प नहीं अपनाती हैं:
    - जलमार्गों के विकास की धीमी गति,

- भीतरी इलाकों में खराब कनेक्टिविटी,
- जहाजों और उपकरणों की उच्च लागत, आदि।

- **कई जगहों पर नदियों की कम गहराई:** 1,500-2,000 टन की क्षमता वाले पोतों/ जहाजों को चलाने के लिए नदी की उचित गहराई बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- **माल परिवहन में कम हिस्सेदारी:** भारत में कुल माल परिवहन का लगभग 2% भाग ही आंतरिक जलमार्गों से होकर गुजरता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 4% है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** हालांकि, अंतर्देशीय जलमार्गों के संचालन के दौरान पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनके विकास से जुड़े निर्माण कार्य नदी पारितंत्र में बदलाव लाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय जलमार्ग-I पर नदी तल की सफाई (ड्रेजिंग) और निर्माण कार्यों ने गंगा डॉल्फिन की गतिविधियों को बाधित किया है।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए उठाए गए कदम				
NW-1 पर नौवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए **जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)** को विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और निवेश सहायता से लागू किया जा रहा है।	अलग-अलग राष्ट्रीय जलमार्गों पर **रो-रो (रोल-ऑन-रोल-ऑफ)** और **रो-पैक्स (यात्री के साथ रोल-ऑन/ रोल-ऑफ) फेरी सेवा** शुरू की गई हैं।	**कारोबार में सुगमता के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि: CAR-D (कार्गो डेटा) पोर्टल और PANI (पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इन्फॉर्मेशन)।**	**मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत IWT:** प्राथमिकता वाले 23 राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना का विस्तार और विकास।	**ब्लू इकोनॉमी विजन 2047 के तहत IWT की अभिन्न भूमिका**

आगे की राह

- **वित्तीय प्रोत्साहन:** उद्योगों को अपने वस्तुओं के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के इस्तेमाल हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जानी चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इससे इस क्षेत्रक में अधिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही, इससे अवसंरचनात्मक विकास हेतु उच्च निवेश आकर्षित हो सकेगा।
- **जलमार्ग कनेक्टिविटी:** IWAI को रेल, सड़क और बंदरगाहों से सभी अंतर्देशीय जलमार्गों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **पर्यावरण का ध्यान रखना:** समुद्री व जलीय जीवन पर अंतर्देशीय जल परिवहन की बढ़ती गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पार जलमार्गों के विकास पर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना चाहिए।

10.6. नागरिक उड्डयन (Civil Aviation)

नागरिक उड्डयन या नागर विमानन क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में नागर विमानन की स्थिति

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार** बन गया है।
- 2009-2019 के बीच, भारत का **वैश्विक पैसेंजर ट्रैफिक वृद्धि में 5.9% का योगदान** रहा था।
- कुल मिलाकर, विमानन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सालाना **35 बिलियन डॉलर** का योगदान देता है और **7 मिलियन लोगों को रोजगार** प्रदान करता है।
- **विमानन** सुरक्षा रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारकर भारत **48वें स्थान** पर पहुंच गया है।

मुख्य उद्देश्य

- भारत में/ से/ के लिए **वायु परिवहन सेवाओं को विनियमित करना** और नागरिक विमानन नियमों तथा उन मानकों को लागू करना, जो यह तय करते हों कि विमान उड़ान भरने योग्य है या नहीं।
- **पर्यटन, रोजगार** और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत व्यवस्था की स्थापना करना।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रभावी निगरानी की सहायता से **विमानन क्षेत्रक की सुरक्षा, सकुशलता तथा संधारणीयता सुनिश्चित करना।**
- राजकोषीय सहायता और अवसंरचना विकास की सहायता से **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना।**

योजनाएं/ पहलें

- **राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (NCAP), 2016**
- **स्वचालित मार्ग के तहत** गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं, हेलीकॉप्टर सेवाओं और सी-प्लेन में **100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति** है।
- आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए **क्षेत्रीय संपर्क योजना यथा उड़ान/ UDAN** शुरू की गई है।
- हवाई यात्रियों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उसके त्वरित समाधान हेतु एयरसेवा ऐप का शुभारंभ किया गया है।
- नागरिकों को ऑनलाइन मोड में सुरक्षा मंजूरी (Security clearance) प्रदान करने के लिए **ई-सहज पोर्टल शुरू** किया गया है।
- यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को सहज बनाने और साथ ही सुरक्षा में सुधार करने हेतु **डिजी यात्रा** को शुरू किया गया है।
- ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए **PLI योजना।**
- शिकागो कन्वेंशन में संशोधन से संबंधित तीन **प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया गया है।**
- **ISHAN पहल, अर्थात् भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों (FIRs) को एकल प्रणाली में सम्मिलित** करना, जिसकी निगरानी नागपुर से की जाएगी।

बाधाएं

- **जेट ईंधन की उच्च कीमतें एयरलाइनों की परिचालन लागत को बढ़ा** देती हैं। इससे हवाई किराए में 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
- **बुनियादी ढांचे तथा हवाई अड्डों की कमी,** विमानन बाजार के विकास को सीमित करती है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बाधित करती है।
- एयरलाइन पायलटों और चालक दल (क्रू) से लेकर रखरखाव कर्मियों तक **प्रशिक्षित तथा कुशल कार्यबल का उपलब्ध न होना।**
- **विमान संचार प्रणालियों के अपग्रेडेशन में तकनीकी प्रगति के अभाव** के कारण पूरी प्रणाली के बाधित होने की संभावना बनी रहती है।
- **वाणिज्यिक उदारीकरण** से तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है लेकिन अपेक्षित परिणाम कम मिले हैं।
- **आतंकवाद के बढ़ते डर से कठोर चेक-इन प्रक्रियाओं** अर्थात् फ्लाइट बोर्डिंग सुरक्षा जांच में बढ़ोतरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप लंबी लाइनें और विलंब जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- **ईंधन लागत में होने वाली गिरावट** ने कम लागत वाली एयरलाइंस के मॉडल को संभव और टिकाऊ बना दिया है।
- ईंधन दक्षता को सुनिश्चित और लागत को कम करते हुए **विमानन कंपनियों को अपने वर्तमान फ्लीट को बनाए रखने तथा नए, आधुनिक फ्लीट की खरीदारी को सुनिश्चित** करने की आवश्यकता है।
- विमानन उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए **OEM उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा** देना चाहिए।
- **विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के कराधान और मूल्य निर्धारण ढांचे** को GST के दायरे में लाकर **वैश्विक मानदंडों के अनुरूप संरेखित** किया जाना चाहिए।
- **UDAN पहल के तहत चल रही परियोजनाओं** को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
- **विमानन क्षेत्रक में भारत को एक ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में स्थापित** किया जाना चाहिए, ताकि उससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त किया जा सके।
- **विमानन प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार** की जानी चाहिए, ताकि देश में विनिर्माण का एक ईको-सिस्टम बनाया जा सके।

11. खनन एवं विद्युत क्षेत्रक (Mining and Energy)

11.1. खान और खनिज (Mines and Minerals)

खान और खनिज क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में खान और खनिज क्षेत्रक की स्थिति

- भारतीय GVA में खनन क्षेत्रक का योगदान **लगभग 2%** है।
- खनिज उत्पादन के **मूल्य की दृष्टि से लगभग 97 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन 7 राज्यों** में होता है।
- भारत के **स्पष्ट भू-वैज्ञानिक क्षमता (OGP) क्षेत्र** के तहत अब तक केवल 10% हिस्से की ही खोज की गई है।
- भारत खनिजों के मामलों में **काफी हद तक आत्मनिर्भर** रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल जैसे कि लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं।
- भारत में **कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क** जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं।
- भारतीय खनन उद्योग में **छोटे स्तर पर परिचालन वाली खदानों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।**

नियम और नीतियां

- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (MMDR) इस क्षेत्रक का प्राथमिक कानून** है। इसमें 2015 से 2023 तक संशोधन किए गए हैं।
- **यह खनन से संबंधित गतिविधियों को वर्गीकृत करता है-**
  - अन्वेषण (खनिज संसाधनों का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण),
  - पूर्वेक्षण (खनिज भंडार की खोज, पता लगाना या साबित करना), और
  - खनन (वाणिज्यिक निष्कर्षण)।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019**

नीतियां/ योजनाएं/ पहल

- **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** और **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)।**
- भारतीय खान ब्यूरो और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के मध्य **सुदूर दृष्टि (SUDOOR DRISHTI) परियोजना।**
- खनिज के पूर्वेक्षण संचालन के लिए **निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्यायन की योजना।**
- **राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल (NGDRP)** सभी भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भूभौतिकीय और खनिज अन्वेषण डेटा को डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा।

बाधाएं

- **नियामक चुनौतियां** जैसे कि कंपनी द्वारा सफल अन्वेषण के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि खनन पट्टा प्राप्त हो जाए।
- **अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं** जैसे उचित परिवहन और लॉजिस्टिक्स आदि का अभाव।
- **संधारणीयता संबंधी चुनौती;** उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत खनन प्रस्ताव, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में असफल रहे हैं।
- **पर्यावरण प्रदूषण:**
  - सतही खनन, कोयला खानों और प्रगलन गतिविधियों से होने वाले **वायु प्रदूषण।**
  - भारी धातुओं और जहरीले तत्वों के निक्षालन के कारण **जल प्रदूषण।**
  - ब्लास्टिंग और सतही खनन जैसी गतिविधियों के कारण **भूमि प्रदूषण।**
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा की चुनौतियां** जैसा कि खनन कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं।
- **मेघालय** जैसे राज्यों में अवैध **रैट होल माइनिंग।**

आगे की राह

- लाइसेंसिंग नीति में सुधार कर अन्वेषण हेतु **निजी पक्ष की भागीदारी** को सुगम बनाया जाना चाहिए।
- पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरी **सिंगल विंडो** के जरिए और **समयबद्ध** तरीके से प्रदान की जानी चाहिए।
- खनिज संसाधनों के **एक राष्ट्रीय डेटा भंडार (NDR)** का निर्माण करना चाहिए और इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।
- अन्वेषण फर्मों के लिए मजबूत और पारदर्शी **सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए।
- वैश्विक प्रथा के अनुसार, **कराधान और अन्य शुल्क** को बिक्री मूल्य के अधिकतम **40% तक सीमित** किया जाना चाहिए।
- पीने के पानी/ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण/ स्वास्थ्य देखभाल/ शिक्षा/ कौशल विकास/ महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा विकलांग लोगों के कल्याण/ स्वच्छता के संदर्भ में **PMKKKY और DMF फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।

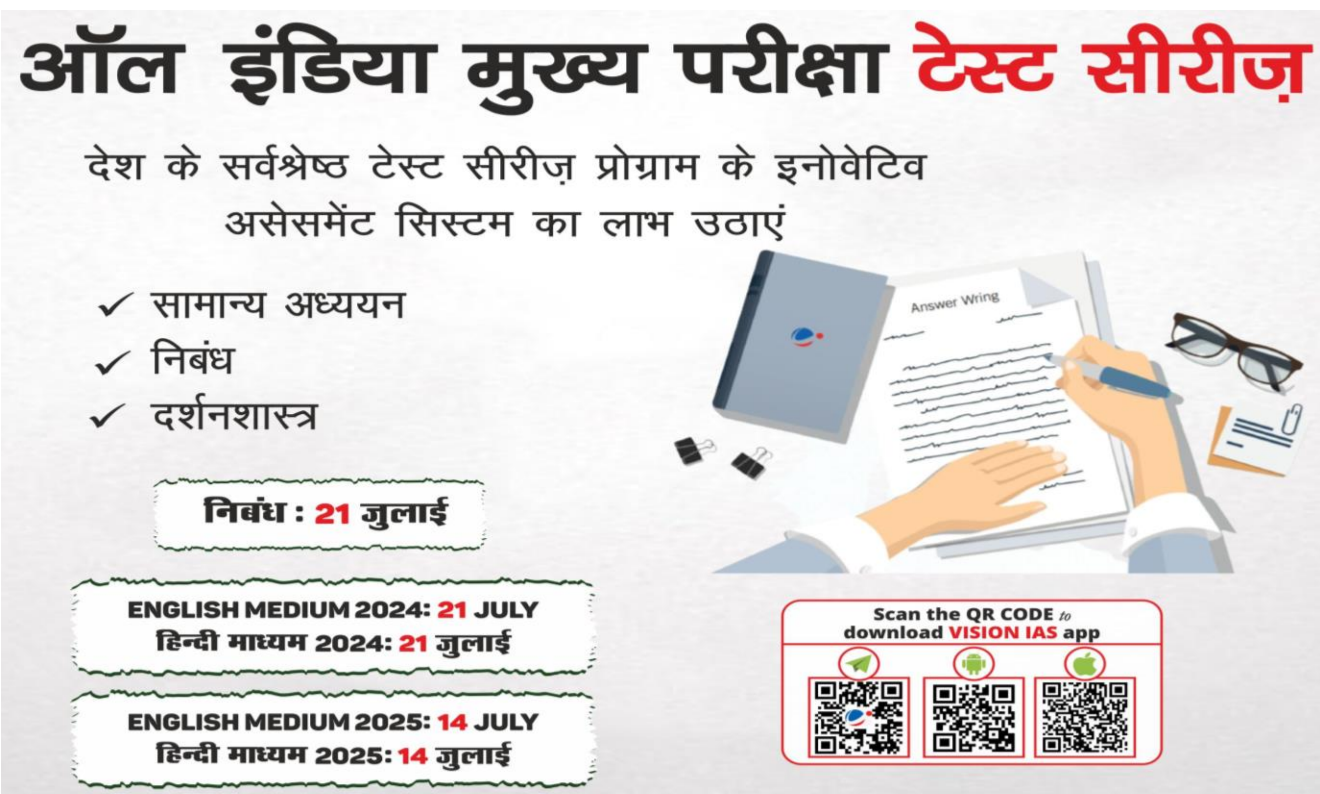

 © Vision IAS

11.2. कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक (Coal, Oil and Gas Sector)

कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक की स्थिति

- भारत की कुल एनर्जी मिक्स के **50%** हिस्से की पूर्ति कोयले से होती है।
- भारत की कुल एनर्जी मिक्स के **28%** हिस्से की पूर्ति तेल से होती है।
- भारत में 2023 में **997 मिलियन टन** कोयले का उत्पादन हुआ।
- भारत प्रतिदिन 4.9 मिलियन बैरल तेल की खपत के साथ **तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश** है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 87.7% हिस्सा आयात से पूरा हुआ।
- समग्र रूप से, भारत की **प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2040** तक लगभग **दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन** क्रूड आयल के बराबर होने की संभावना है।

मुख्य उद्देश्य

- 2030 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु **तेल और गैस अन्वेषण क्षेत्र को दोगुना से अधिक करना।**
- भारत की प्राइमरी एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस के उपयोग को वर्तमान 6.2% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करना।
- तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए धन जुटाने और अतिरिक्त भंडारण टैंक के निर्माण हेतु सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) के **50% हिस्से का वाणिज्यीकरण करना।**
- सरकार अगले 5 वर्षों में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है और साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता को दोगुना करने की भी योजना है।

योजनाएं/ पहलें

- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) 2016** में सुधार।
- **प्राकृतिक गैस विपणन सुधार 2020**
- **शक्ति** (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की योजना)।
- **खनन योजना हेतु सरल मंजूरी प्रक्रिया और वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए अनुमति।**
- प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों सहित तेल एवं गैस क्षेत्रक के विभिन्न खंडों में 100% FDI की अनुमति।
- रेल-समुद्री-रेल (RSR) कोयला परिवहन को बढ़ावा।
- समर्पित कोयला गलियारे।

बाधाएं

- **कोयला खनन** के लिए भूमि-आवंटन करना प्रमुख मुद्दा है।
- **ओपन कास्ट माइनिंग के विस्तार को प्रोत्साहन** और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला भंडार के बावजूद भी **भूमिगत परिचालन को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति।**
- कोयला बाजार में **सीमित प्रतिस्पर्धा और निजी भागीदारी।**
- इन तीनों क्षेत्रकों में कच्चे माल के लिए **आयात पर अत्यधिक निर्भरता।**
- तेल के पुराने कुओं तथा कम निवेश और विदेशी निवेशकों की कम रुचि के कारण **वित्त वर्ष 2011-12 से घरेलू कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट** आई है।

आगे की राह

- जहाँ तक संभव हो **आयात के स्रोतों में विविधता** लाई जानी चाहिए तथा **इसे सीमित किया जाना चाहिए।**
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट को संभव बनाने के लिए तेल,** प्राकृतिक गैस, विद्युत और कोयले को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- उत्पादन/ राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर अन्वेषण-सह-खनन पट्टों के माध्यम से विस्तृत अन्वेषण को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।
- **गैर-परिचलानरत तेल और गैस संपत्तियों को कार्यात्मक बनाने के लिए** अनुबंध की शर्तों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसमें आवश्यक **छूट दी जानी चाहिए।**
- छोटे तथा बिखरे हुए तटवर्ती और अपतटीय फील्ड्स से तेल एवं गैस को निकालने के लिए **साझा अवसंरचना** प्रदान करना चाहिए।
- पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पहुंच बढ़ाने के लिए **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

11.3. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector)

विद्युत क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में विद्युत क्षेत्रक की स्थिति

- भारत विश्व में विद्युत का **तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता** देश है।
- **मई, 2024 तक भारत की कुल** स्थापित विद्युत क्षमता **444 गीगावाट** थी, जिसमें 193 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 217 गीगावाट कोयला आधारित विद्युत क्षमता शामिल है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 84 गीगावाट, पवन ऊर्जा की 46 गीगावाट, बायोमास की 10.9 गीगावाट और जलविद्युत की 46.9 गीगावाट है।
- भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत **1,255 किलोवाट प्रति घंटा** (kWh) है, जबकि इसका वैश्विक औसत 3,260 kWh है।
- 2000-2023 के बीच विद्युत क्षेत्रक में **FDI बढ़कर 18.17 अरब** डॉलर तक पहुंच गया।

प्रमुख लक्ष्य

- 2030 तक 500 **गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** स्थापित करना।
- पूरे देश में **उपभोक्ताओं को विद्युत की सुलभ, किफायती और ऑन-डिमांड पहुंच** प्रदान करना।
- संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए **ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाना।**
- समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) नुकसान को कम करके वितरण दक्षता बढ़ाना।
- भारत वर्ष 2005 की तुलना में **2030 में उत्सर्जन तीव्रता (Emission Intensity) को 45 प्रतिशत तक कम करने** के लिए प्रतिबद्ध है।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना।

योजनाएं/ पहलें

- **संशोधित वितरण क्षेत्र योजना: यह सुधार-आधारित एवं परिणाम से जुड़ी योजना** है, जिसका उद्देश्य AT&C घाटे को कम करना है।
- ग्रिड-स्केल बैटरी सिस्टम सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए **अवसंरचना का दर्जा।**
- विद्युत क्षेत्रक में सुधारों के मद्देनजर **राज्यों के लिए अतिरिक्त उधार।**
- पीक डिमांड के प्रबंधन के लिए **PUShP (पोर्टल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ़ सरप्लस पॉवर) पोर्टल।**
- **अन्य योजनाएं: PLI योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना** (उदय), **इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम** (IPDS), **प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना,** "सौभाग्य", **नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन** (NSGM)।

बाधाएं

- **विद्युत वितरण कंपनियों की घाटे की स्थिति** (2022-23 में लगभग 68,832 करोड़ रुपये)।
- विद्युत संयंत्रों का **क्षमता से कम उपयोग** और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 15.4% के उच्च **AT&C घाटे** के कारण **खराब दक्षता।**
- **स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 7 से 8%** की वार्षिक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ग्रिड सम्बन्धी बाधाएं, चोरी, **विद्युत में कटौती, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव** और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च **टैरिफ।**
- **ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले और कच्चे माल की आपूर्ति में भारी कमी** का सामना करना पड़ रहा है।
- कई यूटिलिटीज द्वारा उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए **100% मीटरिंग को सुनिश्चित करना अभी बाकी है।**

आगे की राह

- प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों, कर्मचारियों की क्षमता में सुधार और राजस्व संग्रह क्षमता के निर्माण की सहायता से डिस्कॉम की **राजस्व वसूली में सुधार करना।**
- सब्सिडी को अधिक लक्षित बनाकर व सब्सिडी में कटौती कर **राजकोषीय अनुशासन का पालन करना।**
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन की सहायता से **सरकारी उधारी को कम करना।**
- **टैरिफ में नियमित संशोधन** और मुद्रीकरण की सहायता से **निष्क्रिय विनियामक संपत्तियों का निपटान करना।**
- AT&C संबंधी हानि में कमी लाने हेतु राज्यों द्वारा विश्वसनीय कार्य-योजना से जुड़ी **तरलता प्रवाह योजना।**
- **डिस्कॉम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देश।** PFC और REC द्वारा जारी किए जाने वाले फंड इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर आधारित होने चाहिए।
- **कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी** की सहायता से उत्सर्जन में कमी लाना।

11.3.1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority: CEA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

15 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की **50वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में

- **CEA के बारे में:** यह **विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत गठित की गई एक **सांविधिक संस्था** है।
- **उद्देश्य:**
  - **देश में विद्युत क्षेत्रक के विकास** को विनियमित करना और उसकी निगरानी करना।
  - देश में सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गुणवत्ता वाली व विश्वसनीय **24x7 विद्युत आपूर्ति** सुनिश्चित करना।
- **कार्य एवं जिम्मेदारियां:**
  - यह **केंद्र सरकार** को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर **सलाह** देता है।
  - यह विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए **तकनीकी मानक निर्धारित** करता है।
  - यह **मीटर लगाने की शर्तें** भी निर्धरित करता है।
  - यह विद्युत उद्योग में कार्यरत **व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव देता है।**
  - यह योजनाओं एवं परियोजनाओं को **समय पर पूरा करने हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता** उपलब्ध कराता है।

© Vision IAS

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए नई चुनौतियां	आगे की राह
• **नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण:** भारत के एनर्जी मिक्स में सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ऐसे में ग्रिड के साथ इनका एकीकरण करना, संतुलन स्थापित करना और ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। • विद्युत क्षेत्रक के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ-साथ **साइबर हमलों का खतरा** भी बढ़ गया है। • **भारत में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना** को अधिक अपग्रेड और इनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।	• CEA को नवीन **ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों** की खोज करने और उन्हें अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। • **डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमानित रखरखाव:** ग्रिड संबंधी योजना निर्माण और प्रबंधन के लिए **पूर्वानुमान मॉडल** को लागू करना चाहिए। • CEA को पावर ग्रिड को संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए **साइबर सुरक्षा नीतियों को तैयार करने और उसे लागू करने** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और उनके सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखने से CEA को बेहतर तरीकों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए- **बेंगलुरु में स्थापित बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र** के साथ सहयोग।

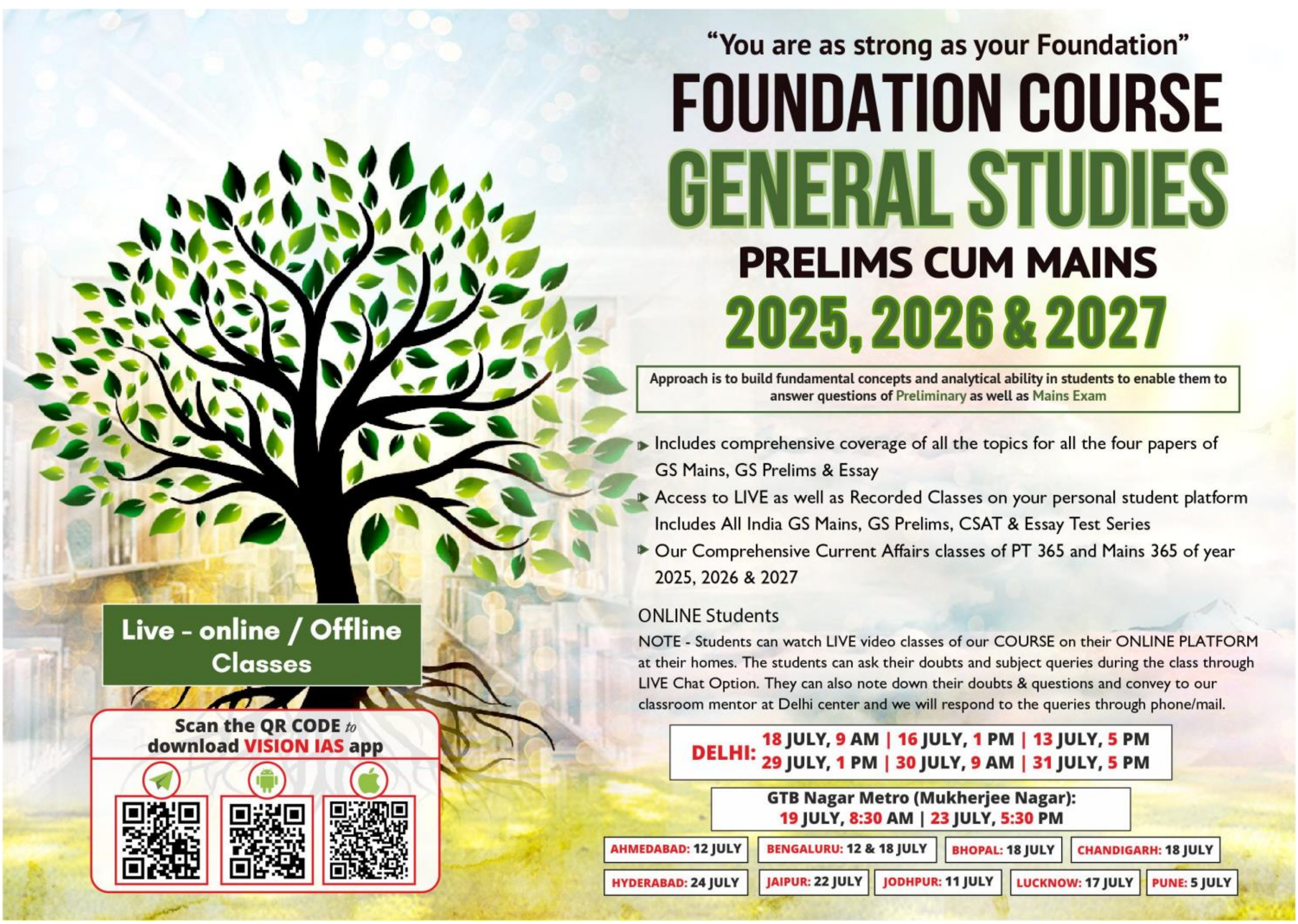

12. नवाचार और उद्यमिता (Innovation And Entrepreneurship)

12.1. भारत में नवाचार (Innovation in India)

भारत में नवाचार: एक नज़र में

भारत में नवाचार की स्थिति

- भारत को **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023 में 132 देशों में 40वां स्थान** प्राप्त हुआ।
- भारत को **अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों में 42वां स्थान** प्राप्त हुआ।
- **पेटेंट कार्यालय द्वारा 1 लाख से अधिक पेटेंट** प्रदान किए गए (मार्च, 2023 से मार्च, 2024 तक)।
- **दुनिया में रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में 7वां स्थान** (WIPO रिपोर्ट 2022)
- भारत अभी भी नवाचार के मामले में पीछे है। **अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.66% है।** संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.8%, इज़राइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है।

नीति/ योजनाएं/ पहलें

- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP), 2020
- **नवाचार और उद्यमिता के लिए योजनाएं,** जैसे- मेक इन इंडिया, नए भारत के नवाचारों का त्वरित विकास (Accelerating Growth of New India's Innovations: AGNIi), उच्चतर आविष्कार योजना, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म।
- अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित लगभग **9,000 अटल टिंकरिंग लैब्स।**
- नवाचार, इन्क्यूबेशन और प्रोत्साहन द्वारा उद्यमशील मानसिकता को बढ़ावा देने हेतु **स्टार्ट-अप इंडिया।**
- विज्ञान आधारित डीप-टेक स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन्स, मार्केट-रेडीनेस & एंटरप्रेन्योरशिप **(AIM-PRIME)।**
- भारत के नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने और MSME को चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करने हेतु **MSME इनोवेटिव स्कीम।**
- **नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA):** नवाचार और उद्यमिता विकास संकेतकों पर सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करना।

© Vision IAS

बाधाएं

- श्रमबल की कमी के कारण **पेटेंट प्रदान करने में देरी।** उदाहरण के लिए- अमेरिका में किसी आवेदन के निपटान में लगने वाला औसत समय 20-21 महीने है, जो भारत का लगभग एक-तिहाई है।
- अन्य पेटेंट मुद्दे जैसे कि पेटेंट एवरग्रीनिंग और अनिवार्य लाइसेंसिंग पर बहस।
- IPR **नीतियों में निरंतर बदलाव** के कारण उद्यमिता एक जोखिम भरा विकल्प बनता जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए- बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) की समाप्ति।
- मध्यम वर्ग में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, टैलेंट एक्सपोर्ट या ब्रेन-ड्रेन की समस्याएं।
- **वित्तीय और गैर-वित्तीय बाधाएं,** जैसे- वित्त तक पहुंच, ऋण सुविधाओं की कमी, कुशल टीम की कमी, गलत पूर्वानुमान, सामाजिक बाधाएं आदि।
- स्टार्ट-अप के लिए **सार्वजनिक रूप से सुलभ कोई भारतीय पेटेंट डेटाबेस नहीं है।**
- नवाचारों की **वृद्धिशील और नॉन-डिसरप्टिव (Non-Disruptive) प्रकृति।**
- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों पर कम ध्यान तथा **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच कमजोर लिंकेज।**

आगे की राह

- IPRs पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में **IP संस्कृति में सुधार** लाना और जालसाजी रोधी, ट्रेड सीक्रेट, IP परिसंपत्तियों के उपयोग, AI आविष्कार और शैक्षिक कॉपीराइट जैसे मुद्दों पर **कानून बनाना।**
- रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह के लिए **नवाचार, आर्थिक गतिविधि और IPR के बीच के अंतराल को कम करना।**
- अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय कर **नवाचार क्षमता का निर्माण करना;** कौशल, प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा में निवेश कर मानव पूंजी का विकास करना।
- सहायक नीतियों, ICT बुनियादी ढांचा, अनुसंधान प्रणाली आदि की सहायता से नवाचार के माहौल **को सक्षम बनाना।**
- **उद्यमियों और नवोन्मेषकों का मार्गदर्शन देना।**
- **आर्थिक जोखिम उठाने और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।**

12.1.1. पेटेंट (Patents)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)[111] ने **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप:** नए **'सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप'** की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा **पेटेंट किए गए आविष्कार में इंवेंटर्स के योगदान को चिन्हित** किया जाएगा।
- **समय-सीमा:** नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय-सीमा घटा दी गई है। पहले यह सीमा 48 माह थी, अब यह घटाकर 31 माह कर दी गई है।
- **नवीनीकरण शुल्क: पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी** की गई है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा।
- **पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधी विवरण दाखिल करने की आवृत्ति:** इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्त वर्ष में एक बार कर दिया गया है।

111 Department for Promotion of Industry and Internal Trade

पेटेंट का विनियमन

वैश्विक स्तर पर

- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)**[112] पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को नियंत्रित करता है।
- 1994 में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के एक समझौते के रूप में **ट्रिप्स** यानी **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)**[113] पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत में

- भारत में, पेटेंट अधिनियम, 1970 के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है। **इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, 1911** को निरस्त करने के लिए यह कानून बना था।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, **पेटेंट की अवधि 20 वर्ष** होगी।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति-2016: इसमें शामिल हैं:**
  - **स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP)**[114] को सुगम बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है, ताकि स्टार्ट-अप्स द्वारा पेटेंट आवेदन दाखिल करने को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)**[115]**:** यह शैक्षणिक संस्थानों में बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - **पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम**[116] को नए रूप में तैयार किया गया है, ताकि पेटेंट कराने योग्य आविष्कारों को खोजा जा सके और पेटेंट दाखिल करने तथा प्राप्त करने में पूरी वित्तीय, तकनीकी एवं कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
  - **IP मित्र:** इसे एक्सटेंडेड स्कीम फॉर फेसिलिटेटिंग स्टार्ट-अप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन (SIPP) के तहत **पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन** के क्षेत्र में **स्टार्ट-अप्स** के लिए शुरू किया गया है।

निष्कर्ष

किसी देश के आर्थिक विकास में पेटेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत पेटेंट सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए IPAB आदि की पुनः स्थापना जैसी पहलें शुरू की जा सकती हैं। साथ ही, अकादमियों/ संस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि देश में पेटेंट दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हो सके।

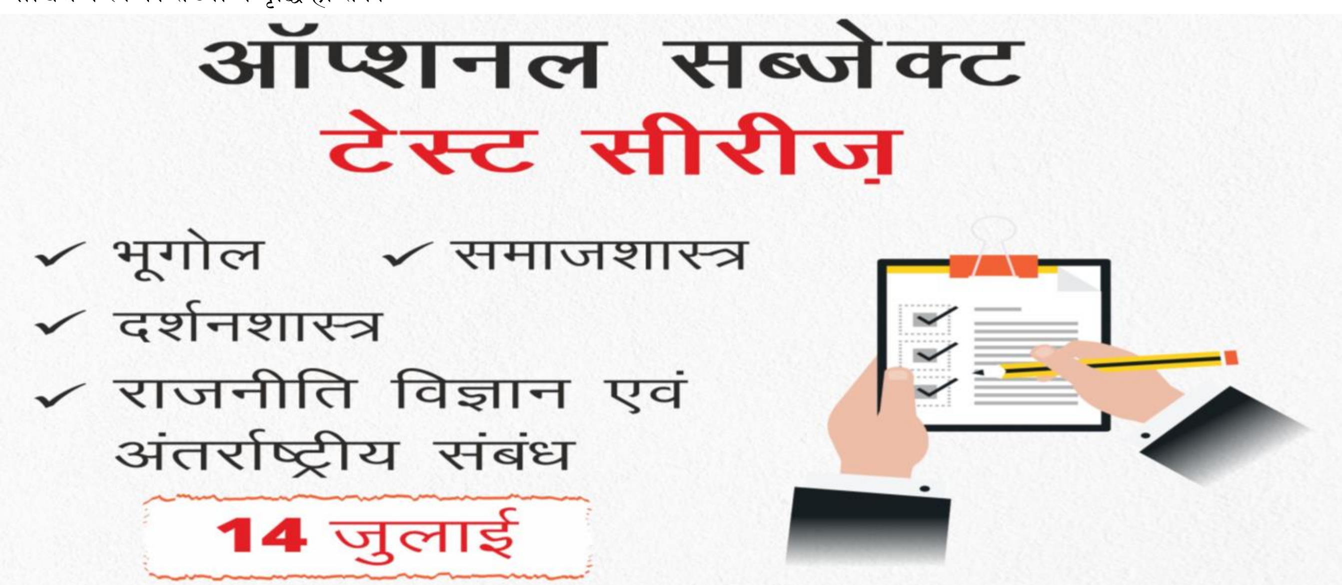

112 World Intellectual Property Organization

113 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

114 Start-Ups Intellectual Property Protection

115 National Intellectual Property Awareness Mission

116 Patent Facilitation Programme

12.2. भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem in India)

भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: एक नज़र में

भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की स्थिति

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम वाला देश है। भारत में **100 से अधिक यूनिकॉर्न सहित 98,000** से अधिक स्टार्ट-अप्स हैं।
- **टेक स्टार्ट-अप** के मामले में भारत में **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है।**
- लगभग **40%** स्टार्ट-अप्स **टियर-II और टियर-III शहरों** में स्थित हैं।
- कुल मिलाकर स्टार्ट-अप वर्ष-दर-वर्ष **15% की औसत वृद्धि दर** से बढ़ रहे हैं।

एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का महत्त्व

- ये **नए-नए विचारों, नवाचार और अनुसंधान** को बढ़ावा देते हैं।
- **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज** को विकसित करते हैं।
- भविष्य में स्केल-अप के माध्यम से **संपत्ति सृजन में सहायक।**
- **रोजगार सृजन:** प्रत्येक स्टार्ट-अप औसतन 12 नौकरियों का सृजन करता है।
- किफायती स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रकों में **सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना।**
- **घरेलू निवेश को बढ़ावा देना।**
- **महिला सशक्तीकरण:** देश में लगभग 47% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम-से-कम एक महिला निदेशक हैं।
- **प्रौद्योगिकी और समावेशिता संबंधी लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा:** फिनटेक स्टार्टअप अब दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। उदाहरण के लिए, Gpay, PhonePe आदि।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS)।**
- **फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप्स (FFS) योजना।**
- अंतर-सरकारी सहयोग की सहायता से भारतीय स्टार्ट-अप्स को **वैश्विक बाजार तक पहुंच** प्रदान करना।
- फास्ट-ट्रैक पेटेंट और नियमों को सरल बनाने के साथ-साथ **बौद्धिक संपदा संरक्षण** के लिए सहायता प्रदान करना।
- **AIM-PRIME** का उद्देश्य विज्ञान-आधारित डीप-टेक स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है।
- **नवाचार और उद्यमिता के लिए योजनाएं,** जैसे- अग्नि, उच्चतर आविष्कार योजना, महिला उद्यमिता मंच आदि।
- लीप अहेड इनिशिएटिव, **राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (NSAC)।**

स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के समक्ष चुनौतियां

- स्टार्ट-अप के निगमन की **जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया।**
- कमजोर औद्योगिक जुड़ाव और अनुभव की कमी के कारण **मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्त करने में कठिनाइयां।**
- अधिकतर मामलों में मेट्रो शहरों में प्रौद्योगिकी पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क की उच्च संख्या के कारण बिखरी हुई सहायक अवसंरचना।
- **नौकरशाही संबंधी बाधाएं,** जैसे- विनियामकीय अनुपालन, जटिल श्रम कानून, कर कानून, उभरती प्रौद्योगिकी के मामले में बदलता रुख आदि।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का संरक्षण और उनके प्रवर्तन में कठिनाइयां।**
- **कृषि पर कम ध्यान:** कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से केवल 5.18% कृषि क्षेत्रक से संबंधित हैं।
- **फ्लिपिंग** (भारतीय स्टार्ट-अप का सिंगापुर जैसे विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थानांतरण) के मामलों में वृद्धि।

आगे की राह

- उभरते स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करने, विचारों को विकसित करने और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **औद्योगिक-अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करना चाहिए।**
- **त्वरक नेटवर्क और इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।**
- **अभिनव विचारों की फंडिंग के साथ घरेलू निवेश के अधिक अवसरों** को सुगम बनाना।
- नवीन उत्पादों या सेवाओं का परीक्षण करने के लिए **विनियामक सैंडबॉक्स** स्थापित करना।
- **उन्नत तकनीक अपनाने को बढ़ावा देना: जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिटिक्स, आदि।**
- **गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्ट-अप्स की डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग को सक्षम करना और रिवर्स फ्लिपिंग** (किसी कंपनी द्वारा अपने मुख्यालय को वापस स्वदेश में स्थानांतरित करना) **की सुविधा के लिए कदम उठाना।**

12.2.1. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स (Start-ups in Rural India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्टार्ट-अप्स ग्रामीण भारत में विशेषकर **कृषि क्षेत्रक में आशा की किरण** बनकर उभर रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप्स की भूमिका

- **ग्रामीण विकास:** पारंपरिक आजीविका संबंधी पद्धतियों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने पर केंद्रित स्टार्ट-अप्स का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार होने से समग्र **ग्रामीण आर्थिक सुधार** को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, **'आत्मनिर्भर गांव'** की परिकल्पना को भी साकार किया जा सकता है।

© Vision IAS

- **रोजगार सृजन:** ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर भी पैदा करते हैं, जैसे- **मीशो, उड़ान** आदि।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** ग्रामीण एड-टेक स्टार्ट-अप्स के उद्भव से शिक्षा तक पहुंच का विस्तार बढ़ा है। इससे ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो गया है। कुछ एड-टेक स्टार्ट-अप्स हैं- **पाठशाला, लर्निंग डिलाइट,** आदि।
- **वित्तीय समावेशन:** फिनटेक स्टार्ट-अप्स ग्रामीण क्षेत्रों में **सूक्ष्म ऋण (Microcredit), बीमा और डिजिटल भुगतान** जैसी किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे- **बैंक साथी।**
- **महिला सशक्तीकरण:** स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) द्वारा संचालित स्टार्ट-अप्स के कारण ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए- **लिज्जत पापड़।**
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन पर ध्यान केंद्रित करके स्वच्छ और हरित भारत के विज़न को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए- **एग्री विजय, अर्थशास्त्र इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड** आदि।
- **जल गवर्नेंस:** कई स्टार्ट-अप्स जल की उपलब्धता को सुलभ और किफायती बनाने, कृषि जल को बचाने आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे- **वाटर लैब इंडिया, खेती, बून** आदि।

ग्रामीण स्टार्ट-अप्स से जुड़ी चुनौतियां				
शहरी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी का अभाव	वित्तीय पहुंच	समर्थन प्रणाली का अभाव	शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ता/ ग्राहकों को तलाशने में कठिनाई	ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित वित्त-पोषण तंत्र

आगे की राह

- **नीतिगत और संस्थागत समर्थन:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे- अवसंरचना की कमी, वित्त तक पहुंच और कौशल विकास का समाधान करना चाहिए।
- **सरकार और NGO के बीच सहयोग:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करने हेतु सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता है।
- ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए सतत रोजगार पैदा करने वाले उद्यमों के रूप में विकसित होने का लक्ष्य रखना चाहिए।

13. अर्थव्यवस्था- विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2023 (सिलेबस के अनुसार) {Economy Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)}

GS-III: प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन (Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management)

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय (Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment)

- 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (Distinguish between 'care economy' and 'monetised economy'. How can care economy be brought into monetised economy through women empowerment?) (2023, 15 अंक)
- भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। (Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.) (2023, 15 अंक)
- भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटिकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। (What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.) (2023, 10 अंक)
- जी.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एम० एस० एम० ई० की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। (Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard.) (2023, 10 अंक)
- "हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है।" इस कथन को समझाइए । ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। ("Economic growth in the recent past has been led by increase in labour activity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.) (2022, 15 अंक)
- भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात् परिकलन विधि में अन्तर की व्याख्या कीजिए। (Explain the difference between computing methodology of India's Gross Domestic Product (GDP) before the year 2015 and after the year 2015.) (2021, 10 अंक)
- क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है ? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। (Do you agree that the Indian economy has recently experienced V- shaped recovery? Give reasons in support of your answer.) (2021, 15 अंक)
- संभाव्य स० घ० उ० (जी० डी० पी०) को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन-से कारक है, जो भारत को अपने संभाव्य स० घ० उ० (जी० डी० पी०) को साकार करने से रोकते रहे हैं? (Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP?) (2020, 10 अंक)
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (जी० एस० टी० कॉम्पेन्सेशन फन्ड) को प्रभावित और नये संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?) (2020, 15 अंक)

- उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी॰ एस॰ टी॰) में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जी॰ एस॰ टी॰ के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। (Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and services tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.) (2019, 10 अंक)
- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद (जी॰ डी॰ पी॰) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। (Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.) (2019, 10 अंक)
- भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धान्त इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धान्तों से किस प्रकार भिन्न हैं? (How are principles followed by the NITI Aayog different from those followed by the erstwhile Planning Commission in India?) (2018, 15 अंक)
- विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? (How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?) (2018, 15 अंक)
- भारत की संभाव्य संवृद्धि के अनेक कारको में बचत दर, सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? संवृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? (Among several factors for India's potential growth, savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential?) (2017, 10 अंक)
- हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (The nature of economic growth in India in recent times is often described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favour of your answer.) (2015, 12.5 अंक)
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायिकियों के परिदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है ? चर्चा कीजिए। (In what way could replacement of price subsidy with Direct Benefit Transfer (DBT) change the scenario of subsidies in India? Discuss.) (2015, 12.5 अंक)
- सोने के लिए भारतीयों के उन्माद ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में प्रोत्कर्ष (उछाल) उत्पन्न कर दिया है और भुगतान संतुलन और रुपए के बाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिए। (Craze for gold in Indians has led to a surge in import of gold in recent years and put pressure on balance of payments and external value of rupee. In view of this, examine the merits of Gold Monetization Scheme.) (2015, 12.5 अंक)
- "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअन्दाज़ कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिए। ("While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability." What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.) (2014, 12.5 अंक)
- पूँजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा-निर्देशन किया है। परन्तु फिर भी, वह अक़्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि को लाने के लिए क्या पूँजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? चर्चा कीजिए। (Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparities between the rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism for bringing inclusive growth in India? Discuss.) (2014, 12.5 अंक)
- भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारम्भ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलम्ब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। (Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.) (2013, 10 अंक)

समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय (Inclusive growth and issues arising from it)

- क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्त्व का उल्लेख कीजिए। (Is inclusive growth possible under market economy? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India.) (2022, 10 अंक)
- समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिए। (Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.) (2020, 10 अंक)
- यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी संवृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। (It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.) (2019, 15 अंक)
- 'समावेशी संवृद्धि' के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं? क्या भारत इस प्रकार के संवृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है ? विश्लेषण कीजिए एवं समावेशी संवृद्धि हेतु उपाय सुझाइये। (What are the salient features of 'inclusive growth'? Has India been experiencing such a growth process? Analyse and suggest measures for inclusive growth.) (2017, 15 अंक)
- प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी० एम० जे० डी० वाइ०) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is necessary for bringing unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poor section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion.) (2016, 12.5 अंक)
- भारतीय सन्दर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। (Comment on the challenges for inclusive growth which include careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges.) (2016, 12.5 अंक)

सरकारी बजट (Government Budgeting)

- पूँजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। (Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.) (2021, 10 अंक)
- उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिए। (The public expenditure management is a challenge to the Government of India in context of budget making during the post liberalization period. Clarify it.) (2019, 15 अंक)
- केन्द्रीय बजट, 2018-2019 में दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एल० सी० जी० टी०) तथा लाभांश वितरण कर (डी० डी० टी०) के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। (Comment on the important changes introduced in respect of the Long-Term Capital Gains Tax (LTCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019.) (2018, 10 अंक)
- 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए। (One of the intended objectives of Union-Budget 2017-18 is to 'transform, energize and clean India'. Analyze the measures proposed in the Budget 2017-18 to achieve the objective.) (2017, 15 अंक)
- वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 को प्रारम्भ करने के क्या कारण थे ? उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। (What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003? Discuss critically its salient features and their effectiveness.) (2013, 10 अंक)
- 'कर खर्च' (Tax expenditure) का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। (What is the meaning of the term 'tax expenditure'? Taking housing sector as an example, discuss how it influences the budgetary policies of the government.) (2013, 10 अंक)

© Vision IAS

कृषि: मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न (Agriculture: Major crops, Cropping patterns in various parts of the country)

- खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में फसल प्रारूप (क्रॉपिंग पैटर्न) में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। (Explain the changes in cropping patterns in India in the context of changes in consumption patterns and marketing conditions.) (2023, 15 अंक)
- समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? (What is Integrated Farming System? How is it helpful to small and marginal farmers in India?) (2022, 15 अंक)
- फ़सल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फ़सल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? (What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification?) (2021, 15 अंक)
- धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी है? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (What are the major factors responsible for making rice-wheat system a success? In spite of this success how has this system become bane in India?) (2020, 15 अंक)
- एकीकृत कृषि प्रणाली (आइ० एफ० एस०) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (How far is Integrated Farming System (IFS) helpful in sustaining agricultural production?) (2019, 10 अंक)
- गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटनों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं? मोटे अनाजों (मिलटों) के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। (How has the emphasis on certain crops brought about changes in cropping patterns in recent past? Elaborate the emphasis on millets production and consumption.) (2018, 15 अंक)
- बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन० एच० एम०) की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? (Assess the role of National Horticulture Mission (NHM) in boosting the production, productivity and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers?) (2018, 15 अंक)
- सस्यन तंत्र में धान और गेहूँ की गिरती हुई उपज के लिए क्या-क्या मुख्य कारण हैं? तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में, सस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है ? (What are the major reasons for declining rice and wheat yield in the cropping system? How crop diversification is helpful to stabilise the yield of the crops in the system?) (2017, 15 अंक)
- सहायिकियां सस्यन प्रतिरूप, सस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ? लघु और सीमांत कृषकों के लिए, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? (How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?) (2017, 15 अंक)
- ऐलीलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। (What is allelopathy? Discuss its role in major cropping systems of irrigated agriculture.) (2016, 12.5 अंक)

सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली (Different types of irrigation and irrigation systems)

- भारत के जल संकट के समाधान में, सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? (How and to what extent would micro-irrigation help in solving India's water crisis?) (2021, 10 अंक)
- रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए (Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario.) (2020, 15 अंक)

- जल-प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल-विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। (Elaborate the impact of National Watershed Project in increasing agricultural production from water stressed areas.) (2019, 10 अंक)
- जल-उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। (What is water-use efficiency? Describe the role of micro-irrigation in increasing the water-use efficiency.) (2016, 12.5 अंक)

कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं (Storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints)

- भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (What are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agricultural products in India?) (2022, 15 अंक)
- भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या है? (What are the main constraints in transport and marketing of agricultural produce in India?) (2020, 10 अंक)
- एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMCs) ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्य वस्तु महँगाई का कारण भी रही हैं। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। (There is also a point of view that Agricultural Produce Market Committees (APMCs) set up under the State Acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine.) (2014, 12.5 अंक)

किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी (E-technology in the aid of farmers)

- कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई-तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है? इसे समझाइए। (How does e-Technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it.) (2023, 10 अंक)
- विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? (How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by the science-based technologies?) (2020, 10 अंक)
- 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं? (How can the 'Digital India' programme help farmers to improve farm productivity and income? What steps has the Government taken in this regard?) (2015, 12.5 अंक)

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय और MSP (Issues related to direct and indirect farm subsidies and MSP)

- भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। (What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India. Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.) (2023, 15 अंक)
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम० एस० पी०) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? (What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low- income trap?) (2018, 10 अंक)
- भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (Given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, discuss the need for crop insurance and bring out the salient features of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).) (2016, 12.5 अंक)

© Vision IAS

- "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर, ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में, इस कथन पर चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? ("In the villages itself no form of credit organization will be suitable except the cooperative society." — All India Rural Credit Survey. Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients?) (2014, 12.5 अंक)
- राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन-कौन सी हैं? कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (What are the different types of agriculture subsidies given to farmers at the national and at state levels? Critically analyse the agricultural subsidy regime with reference to the distortions created by it.) (2013, 10 अंक)

जन वितरण प्रणाली- उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खादय सुरक्षा संबंधी विषय (Public Distribution System-objectives, functioning, limitations, revamping; Issues of buffer stocks and food security)

- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? (What are the major challenges of Public Distribution System (PDS) in India ? How can it be made effective and transparent?) (2022, 10 अंक)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? (What are the salient features of the National Food Security Act, 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India?) (2021, 15 अंक)
- अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए है? (What are the reformative steps taken by the Government to make food grain distribution system more effective?) (2019, 15 अंक)
- खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। साथ ही यह भी बताएं कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौनसी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं ? (Food Security Bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concerns it has generated in WTO.) (2013, 10 अंक)

प्रौद्योगिकी मिशन (Technology missions)

- जल इंजीनियरी और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम० विश्वेश्वरैया और डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था? (How was India benefited from the contributions of Sir M. Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan in the fields of water engineering and agricultural science respectively?) (2019, 10 अंक)
- भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? (Explain various types of revolutions, took place in Agriculture after Independence in India. How these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India?) (2017, 10 अंक)
- भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। (India needs to strengthen measures to promote the pink revolution in food industry for ensuring better nutrition and health. Critically elucidate the statement.) (2013, 10 अंक)

पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र (Economics of animal-rearing)

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर रोजगार और आय का प्रबन्ध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। (Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India.) (2015, 12.5 अंक)

भारत में खादय प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Food Processing & Related Industries: Scope and significance, Location, Upstream and downstream requirements, Supply chain management)

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्त्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। (Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India.) (2022, 10 अंक)
- देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं अवसर क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing?) (2020, 10 अंक)
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। (Elaborate the policy taken by the Government of India to meet the challenges of the food processing sector.) (2019, 15 अंक)
- फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपरबाज़ारों की भूमिका की जाँच कीजिए। वे बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देते हैं? (Examine the role of supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables, and food items. How do they eliminate number of intermediaries?) (2018, 10 अंक)
- लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकारिता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? (What are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing unit? How the food processing unit will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers?) (2017, 10 अंक)
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएँ हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई-वाणिज्य सहायक हो सकता है? (What are the impediments in marketing and supply chain management in developing the food processing industry in India? Can e-commerce help in overcoming these bottlenecks?) (2015, 12.5 अंक)

आर्थिक सुधार: भारत में भूमि सुधार (Economic Reforms: Land reforms in India)

- भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। (State the objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land ceiling policy on landholding can be considered as an effective reform under economic criteria.) (2023, 10 अंक)
- देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है? (How did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers?) (2021, 10 अंक)
- कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिए। (Discuss the role of land reforms in agricultural development Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India.) (2016, 12.5 अंक)

- भारत में कृषि भूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? इसके पक्ष-विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (In view of the declining average size of land holdings in India which has made agriculture non–viable for a majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture? Critically evaluate the pros and cons.) (2015, 12.5 अंक)
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। (Establish relationship between land reforms, agriculture productivity and elimination of poverty in the Indian economy. Discuss the difficulties in designing and implementation of agriculture friendly land reforms in India.) (2013, 10 अंक)
- भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पहली जनवरी, 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में उद्योगीकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has come into effect from 1st January, 2014. What are the key issues which would get addressed with the Act in place? What implications would it have on industrialization and agriculture in India?) (2014, 12.5 अंक)

उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव (Effects of liberalization on the economy, Changes in industrial policy and their effects on industrial growth)

- श्रम-प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्रक की विफलता के कारण बताइए। पूंजी-प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए, उपायों को सुझाइए। (Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.) (2017, 10 अंक)
- "सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम हैं? ("Industrial growth rate has lagged behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product (GDP) in the post-reform period" Give reasons. How far the recent changes in Industrial Policy are capable of increasing the industrial growth rate?) (2017, 7+8= 15 अंक)
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? (How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country?) (2016, 12.5 अंक)
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ० डी० आइ० की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ० डी० आइ० के बीच अन्तर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ० डी० आइ० को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए। (Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MoUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India.) (2016, 12.5 अंक)
- "भारत में बनाइए' कार्यक्रम की सफलता, 'कौशल भारत' कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।" तर्कसम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। ("Success of 'Make in India' programme depends on the success of 'Skill India' programme and radical labour reforms." Discuss with logical arguments.) (2015, 12.5 अंक)
- इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.इ. जैड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए, एस.ई. जैड. के संपूर्ण करणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में एस.ई. जैडॉ. की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognising this potential, the whole instrumentality of SEZs require augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration.) (2015, 12.5 अंक)

- सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अन्तरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अन्तरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण है? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (Normally countries shift from agriculture to industry and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of services vis-à-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base?) (2014, 12.5 अंक)
- रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ० डी० आइ०) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? (Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?) (2014, 12.5 अंक)
- भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। क्या वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं? विवेचना कीजिए। (Examine the impact of liberalization on companies owned by Indians. Are they competing with the MNCs satisfactorily? Discuss.) (2013, 10 अंक)
- अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। (Discuss the impact of FDI entry into Multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of the economy.) (2013, 5 अंक)
- यद्यपि भारत ने सितम्बर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को स्वीकृति दे दी थी, पर इस निवेश में एक वर्ष पश्चात् भी कोई उन्नति नहीं हुई है। कारणों की विवेचना कीजिए। (Though India allowed Foreign Direct Investment (FDI) in what is called multi-brand retail through the joint venture route in September 2012, the FDI, even after a year, has not picked up. Discuss the reasons.) (2013, 5 अंक)
- समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, नए कम्पनी बिल 2013 ने 'सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व' को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनकी उलझनों की भी चर्चा करें। (With a consideration towards the strategy of inclusive growth, the new Companies Bill, 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the Bill and their implications.) (2013, 10 अंक)

बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि और निवेश मॉडल (Infra: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. and Investment models)

- क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा ? समझाइए। (Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.) (2022, 15 अंक)
- बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) की आवश्यकता क्यों है ? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी.पी.पी. मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.) (2022, 10 अंक)
- "तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।" भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। ("Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. "Discuss in the light of India's experience.) (2021, 15 अंक)

© Vision IAS

- एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध (कॉन्सेशन एग्रिमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। (Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.) (2020, 15 अंक)
- पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत् ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है? (Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?) (2020, 15 अंक)
- "वहनीय (ऐफ़ोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस० डी० जी०) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। ("Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)." Comment on the progress made in India in this regard.) (2018, 10 अंक)
- ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिए। (With growing energy needs should India keep on expanding its nuclear energy programme? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy?) (2018, 15 अंक)
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? (Examine the development of Airports in India through joint ventures under Public – Private Partnership (PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard.) (2017, 10 अंक)
- 'स्मार्ट शहरों' से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? पी० यू० आर० ए० एवं आर० यू० आर० बी० ए० एन० मिशन के संदर्भ में 'स्मार्ट गाँवों' के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। (What are 'Smart Cities'? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase rural-urban differences? Give arguments for 'Smart Villages' in the light of PURA and RURBAN Mission.) (2016, 12.5 अंक)
- देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल० ई० डी०) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्त्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। (Give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of National Programme on Light Emitting Diodes (LEDs).) (2016, 12.5 अंक)
- सौर ऊर्जा की उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के नाटकीय पतन के क्या कारक बताए जा सकते हैं ? इस प्रवृत्ति के तापीय विद्युत् उत्पादों और सम्बन्धित उद्योग के लिए क्या निहितार्थ हैं? (To what factors can the recent dramatic fall in equipment costs and tariff of solar energy be attributed? What implications does the trend have for the thermal power producers and the related industry?) (2015, 12.5 अंक)
- समझाइए कि दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) किस प्रकार अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं को भविष्य पर अन्तरित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए? (Explain how Private Public Partnership arrangements, in long gestation infrastructure projects, can transfer unsustainable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations' capacities are not compromised?) (2014, 12.5 अंक)
- राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाबाही' पर बल देती है। इस सम्बन्ध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (National Urban Transport Policy emphasises on 'moving people' instead of 'moving vehicles'. Discuss critically the success of the various strategies of the Government in this regard.) (2014, 12.5 अंक)

- परम्परागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की 'हरित ऊर्जा पट्टी' पर एक लेख लिखिए। (Write a note on India's green energy corridor to alleviate the problem of conventional energy.) (2013, 10 अंक)
- देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल का अंगीकरण आलोचना मुक्त नहीं है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। (Adoption of PPP model for infrastructure development of the country has not been free of criticism. Critically discuss pros and cons of the model.) (2013, 10 अंक)

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2023 तक पूछे गए प्रश्नों (अर्थव्यवस्था खंड के लिए) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए दिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

14. परिशिष्ट (Appendix)

परिशिष्टः महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य

रोजगार, श्रम तथा कौशल विकास

रोजगार

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत में **शहरी बेरोजगारी दर (5.2%)** ग्रामीण बेरोजगारी दर (2.4%) से अधिक थी।
- PLFS के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए, **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 41%** थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टः "इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024"** के अनुसार, **हर तीन बेरोजगार व्यक्तियों में एक युवा शामिल है।**
- **विश्व बैंक की रिपोर्टः "साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेजिलिएंस"** रिपोर्ट में, भारत में **महिलाओं** के लिए **औसत से कम रोजगार अनुपात को रेखांकित** किया गया।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान **कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि (मौसमी रोजगार) और सहायक क्षेत्रकों में** लगा हुआ था।

कौशल विकास

- यू.एस.ए. के 52% और साउथ कोरिया के 96% के मुकाबले **भारत में केवल 5% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है।**
- भारत **वर्ष 2018 से वर्ष 2055 तक चलने वाले 37 वर्षीय जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में प्रवेश** कर गया है।
- **भारत कौशल रिपोर्ट, 2023** के अनुसार शिक्षित लोगों की **नियोजनीयता दर 50.3%** है। यह अभी भी कम है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** ने **नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट** को उजागर किया है।

संवृद्धि और विकास

आर्थिक संकेतक

- अप्रैल-जून के दौरान भारत की **वास्तविक GDP 7.8 प्रतिशत की दर** से बढ़ी है। यह आंकड़ा पिछली चार तिमाहियों में सर्वाधिक है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में **GFCF** 2014-15 के 32.78 लाख करोड़ रुपए (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) से बढ़कर **2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान)** हो गया।
- भारत की सकल बचत दर 2022-23 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (GNDI) का 29.7% रही, जिसमें कुल बचत में परिवारों का योगदान 60.9% रहा।
- **निवल वित्तीय बचत 2013-22 के दौरान GDP के औसत 8% से घटकर 2022-23 के दौरान GDP का 5.3% रह गई।**
- भारत का घरेलू ऋण GDP का 40.1% है, भारत में घरेलू ऋण का स्तर अन्य उभरती बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं (EME) की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
- भारत का घरेलू **ऋण-GDP अनुपात** दुनिया में सबसे कम है। इसी प्रकार, भारत का ऋण सेवा अनुपात (DSR) भी दुनिया में सबसे कम है, जो मार्च 2023 के अंत तक लगभग 6.7% रही।
- **समग्र रुझान (Trend):** औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय **(MPCE)** में **1999-2000 से बढ़ोतरी** जारी है।

मानव विकास

- भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** 2021 के 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई।
- **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष:** 2021 के 11.9 वर्ष से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए।
- **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** यह 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गए हैं।
- **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय:** 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो 6,542 डॉलर से बढ़कर 6,951 डॉलर हो गई।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक में** 2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 2022 में **108वें स्थान पर** पहुंच गया, जबकि 2021 में **122वें स्थान** पर था।

शहरी निर्धनता

- **2021 में** भारत में **230 मिलियन से अधिक** लोग **बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे** थे।
- **17% शहरी** परिवार (संख्या में 13.75 मिलियन) **मलिन बस्तियों** में रहते हैं {पूर्व आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (जिसे अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम से जाना जाता है) के अनुसार}।
- **निरंतर प्रवास संबंधी दबाव के साथ शहरी पुल फैक्टर** और **ग्रामीण पुश फैक्टर** के कारण वर्ष 2030 तक शहरी आबादी 590 मिलियन से अधिक हो जाएगी।

वित्तीय समावेशन

- 2020 में प्रति 1 लाख वयस्क आबादी पर **14.7 बैंक शाखाएं थीं।** यह अनुपात जर्मनी, चीन और साउथ अफ्रीका से अधिक है।
- **भारत में 50 करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** खाते हैं। इनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- हाशिए पर स्थित **50% आबादी के पास संपत्ति का केवल 2% और** आय का मात्र 8% है **(विश्व आसमानता रिपोर्ट, 2022)।**
- 2021 में, **49% भारतीय वयस्क पुरूषों** की तुलना में केवल **26% महिलाओं के पास** स्मार्टफोन थे। इससे लैंगिक असमानता का पता चलता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड तक पहुंच में 10 प्रतिशत की वृद्धि से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की GDP दर में 1.38% की वृद्धि होगी।

शहरी नियोजन

- भारत में **वर्तमान में 35%** शहरी आबादी मौजूद है, जिसके **2047 तक 53% तक पहुँचने** की उम्मीद है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत की 40% शहरी आबादी** टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहती है। इसके बहुत तेज गति से बढ़ने का अनुमान है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, अब तक **केवल 28 शहरों को राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों से अपने हिस्से का 100% धन प्राप्त हुआ** है।
- दिसंबर, 2023 तक स्मार्ट शहरों द्वारा शुरू की गई 7,970 परियोजनाओं में से 6,419 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं। **मदुरै एकमात्र स्मार्ट शहर** है जिसने **अपनी 100% परियोजनाएं पूरी कर ली** है।

आवासन

- **जून, 2024** में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास** उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई।
- PMAY (U) के तहत करीब **1 करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 75 लाख घर बन चुके हैं।**
- जून, 2024 तक PMAY (R) के तहत **करीब 2 करोड़ घरों** को मंजूरी दी गई है और **2.62 करोड़ घर बन कर तैयार हो चुके हैं।**
- **लगभग 4.12 लाख ऐसे घर (NCR में 44%)** हैं, जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पूरा नहीं हो रहे हैं।

	बनाए गए घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव: दिसंबर, 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते लगभग 5.62 लाख आवास इसके लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके।
भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण	भारत में लगभग **95.09% गांवों में भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) के डिजिटलीकरण का कार्य** पूरा कर लिया गया है। **70% भू-संपत्ति मानचित्रों (Cadastral maps) के डिजिटलीकरण** का कार्य पूरा हो चुका है। 2010-11 में **कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर** था। **भूमि का <10% हिस्सा गैर-कृषि उपयोगों** के लिए है।

राजकोषीय नीति

सरकारी वित्त	**वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.6% था।** **वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात 81.6% था।** **मार्च, 2023 के अंत में राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 27.5% था।** नियंत्रण से बाहर होने वाले कर्ज से बचने के लिए **वित्त वर्ष 2025 तक 60% ऋण-GDP अनुपात (केंद्र सरकार का 40% और राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 20%) था।** राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (GFD), जो महामारी से प्रभावित वर्ष में बढ़कर GDP का 4.1% हो गया था, वित्त वर्ष 2022 में घटकर 2.8% हो गया। निवल बाजार उधारी पर राज्यों की निर्भरता पहले काफी बढ़ गई थी। 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार **GFD घटकर 76%** रह गई है।
राजकोषीय घाटा	महामारी के साल, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 9.2%** के स्तर पर पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कम होकर GDP के **5.6%** के स्तर पर आ गया। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक **राजकोषीय घाटे के स्तर को GDP के 4.5% तक लाना** है। **राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (GFD)**, जो महामारी से प्रभावित वर्ष में बढ़कर GDP का 4.1% हो गया था, वित्त **वर्ष 2022 में घटकर 2.8%** हो गया।
प्रत्यक्ष कराधान	**वित्त वर्ष 2023-24 में कर-GDP अनुपात 11.6%** (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.6% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.0%) था। वित्त वर्ष 2023-24 में **19.58 लाख करोड़ रुपये** का **प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह** हुआ (अनंतिम)। **निगम कर और व्यक्तिगत आयकर** का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष कर उछाल 2.52 रहा था, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक था, लेकिन **2022-23 में यह घटकर 1.18** हो गया।
पूंजीगत व्यय	सरकार ने 2024-25 में **11.11 लाख करोड़ रुपये (2023-24 की तुलना में 11.1% की वृद्धि)** पूंजीगत व्यय का बजट रखा है। **वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2022 के दौरान** कुल **पूंजीगत व्यय 13% की औसत दर** से बढ़ा है। **केंद्र का पूंजीगत व्यय** वित्त वर्ष 2009 में GDP के 1.7% के आस-पास था (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 20), जो बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में GDP का **3.4%** हो गया। वित्त वर्ष 2023 में **कॉर्पोरेट क्षेत्रक द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है,** जो विद्युत, इस्पात, रसायन, ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रकों में भारी निवेश से प्रेरित थी।

बैंकिंग, भुगतान प्रणाली एवं वित्त बाजार

बैंकिंग	▶ **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ऋण प्रदान करने में 15.4% की वृद्धि हुई है (वित्त वर्ष 22-23)।** ▶ दिसंबर, 2022 के अंत में **SCBs का सकल NPA अनुपात 4.5% और निवल NPA 1.2% था।** ▶ सितंबर, 2022 में **SCBs का प्रोविजन कवरेज अनुपात 71.6% रहा।** ▶ SCBs के लिए संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न (RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) मार्च, 2016 से नकारात्मक रहने के बाद **2020 में सकारात्मक हो गया।**
परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन	▶ सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) **2022-23 में घटकर 3.9% पर आ गई।** ▶ क्षेत्रक आधारित हिस्सेदारी के मामले में **अवसंरचना क्षेत्रक सबसे अधिक NPAs के लिए उत्तरदायी है।** ▶ **इसमें PSBs का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है,** अर्थात् NPA का लगभग 9/10वां हिस्सा PSBs का है। ▶ भारत **2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।** ▶ समाधान में लगने वाला औसत समय 324 दिन से बढ़कर 653 दिन हो गया है। गौरतलब है कि समाधान के लिए निर्धारित समय **330 दिन** है।
भुगतान प्रणाली	▶ RBI के अनुसार, **भारत में सभी लेन-देन का लगभग 50% नकद में होता है।** ▶ भारत में मात्रा (वॉल्यूम) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 50% हिस्से पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व** है। ▶ भारत में मूल्य (वैल्यू) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 53% हिस्से पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।** ▶ **2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4** रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)। ▶ सीमा-पार पेमेंट मार्केट की वैल्यू 2023 में 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है और 2030 तक 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
पूंजी बाजार	▶ इक्विटी बाजार में पिछले कुछ दशकों के दौरान **लगातार वृद्धि** दर्ज की गई है। भारत **चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट** है। ▶ **इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)** इश्यू के माध्यम एकत्रित की गई धनराशि भी पिछले एक दशक में पहले के किसी दशक की तुलना में सबसे अधिक रही है।

बाह्य क्षेत्रक

निर्यात क्षेत्रक	▶ **2023-24 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 778.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बराबर था। ▶ **कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% है। {चीन (12%) और USA (9%) }** ▶ भारत का निर्यात इसके **सकल घरेलू उत्पाद के 23% के बराबर है।** ▶ **भारत का सेवा क्षेत्रक इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक है।** ▶ FTAs साझेदारों से भारत में **वस्तुओं के आयात** में लगभग 38% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत का **निर्यात** केवल 14.5% बढ़ा है **{ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)}।**

© Vision IAS

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)	▶ भारत में FDI 2021-22 में 84.83 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ▶ जल्द ही FDI के **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।** ▶ अप्रैल, 2000 से मार्च, 2024 तक भारत के सेवा क्षेत्रक मे 16.13% का उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह हुआ। ▶ **मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में FDI अंतर्वाह के लिए शीर्ष 5 देश बनकर उभरे। ▶ 2023-2024 में, FDI अंतर्वाह 3.5% घटकर 44 बिलियन डॉलर रह गया, जो पाँच साल का निचला स्तर है। ▶ वित्त वर्ष 2022-23 में कुल FDI का 70% कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे तीन राज्यों तक सीमित था।
विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण	▶ **वर्ष 2000 में विकासशील देशों पर वैश्विक सार्वजनिक ऋण 17 ट्रिलियन डॉलर था,** जो बढ़कर **2023 में 97 ट्रिलियन डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच** गया। ▶ वैश्विक सार्वजनिक ऋण में विकासशील देशों की हिस्सेदारी 30% है। ▶ 54 विकासशील देशों को अपने कुल राजस्व का **10% या इससे अधिक हिस्सा ब्याज के भुगतान के लिए व्यय** करना पड़ता है। ▶ सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात का औसत स्तर 2020 में 60.4% के उच्चतम स्तर से घटकर 2023 में 54.7% हो गया। ▶ पिछले साल **भारत का GGD, सकल घरेलू उत्पाद का 80.9%** था।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

कृषि ऋण	▶ कृषि ऋण में मोटे तौर पर प्रत्येक **1 प्रतिशत** की वृद्धि से कृषि GDP में **0.29 प्रतिशत** की वृद्धि होती है। ▶ लघु और सीमांत किसानों के पास खेती योग्य 86% भूमि है, जबकि ऐसे किसानों में से केवल 41% को ही बैंकों द्वारा कवर किया जा सका है। ▶ **वर्तमान में देश भर में 65,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।** देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है।
कृषि का मशीनीकरण	▶ नाबार्ड की एक रिपोर्ट (2018) के अनुसार, यू.एस.ए. (95%), ब्राजील (75%) और चीन (57%) की तुलना में **भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर मात्र 40-45%** है। ▶ भारत का **कृषि उपकरण बाजार वैश्विक बाजार का केवल 7%** है। भारत में कृषि उपकरणों की बिक्री से आए पैसे में **80 प्रतिशत से अधिक ट्रैक्टर** का योगदान है। ▶ **गैर-ट्रैक्टर कृषि मशीनरी** के निर्यात में भारत का **व्यापार अधिशेष (Trade surplus) बहुत कम** है। भारत **निम्न श्रेणी के उपकरणों के निर्यात या इनके आयात** पर निर्भर है।
उर्वरक क्षेत्रक	▶ भारत दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक** देश है। चीन के बाद भारत **उर्वरकों का उपभोग** करने वाला **दूसरा सबसे बड़ा** देश है (2022)। ▶ **भारत में** यूरिया का **सबसे ज्यादा उत्पादन (86%) सबसे ज्यादा खपत (74% शेयर) और सबसे ज्यादा आयात (52%)** किया जाता है। ▶ ऐसी संभावना है कि **भारतीय उर्वरक बाजार** 2022-2027 के दौरान **11.9% के** CAGR से बढ़ेगा।

किसानों को वित्तीय सहायता

- **11 करोड़ से अधिक किसानों** को पीएम किसान योजना के तहत लगभग **2.81 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय लाभ दिया गया है (फरवरी, 2024 तक)।
- **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-2.5% सालाना सब्सिडी** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में होती है।
- कुल कृषि आय का लगभग **20%** भाग **सब्सिडी** के रूप में आता है।
- कृषि में लगे **50.2%** परिवार **किसी-न-किसी तरह के कर्ज** में हैं।
- किसानों द्वारा लिए गए **लगभग 60% ऋण संस्थागत स्रोतों से** थे (NSSO रिपोर्ट)।
- 2023-24 में PMFBY के तहत रिकॉर्ड संख्या में **4 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन** कराया है।

कृषि से जुड़े क्षेत्रक

- 2014-15 से 2021-22 के दौरान पशुधन क्षेत्रक का CAGR **13.36% था।** पशुधन क्षेत्रक 2020-21 में कुल कृषि GVA का **30.1 %** (स्थिर कीमतों पर) था।
- वैश्विक दुग्ध उत्पादन का **25%** उत्पादन भारत में होता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में **5%** का योगदान देता है। साथ ही, यह सीधे **8 करोड़ से अधिक** किसानों को रोजगार भी देता है (2024)।
- भारत के कुल निर्यात में **37%** योगदान बागवानी क्षेत्रक द्वारा किया जाता है (2019)।
- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक, और चौथा सबसे बड़ा सी फ़ूड निर्यातक देश है।
- **पिछले 9 वर्षों में** अंतर्देशीय मछली उत्पादन **दोगुना होकर 131 लाख टन हो गया** है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक

- यह एक **सनराइज सेक्टर** है। इसका **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.26% (**वित्त वर्ष **2014 -** वित्त वर्ष **2022)** है। **इसका योगदान वर्ष** 2021-22 में **देश में कुल GVA का 1.8% था।**
- इस क्षेत्रक में **20.05 लाख कर्मचारी** कार्य कर रहे हैं। यह संख्या **देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रक में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा (12.2%) है।**
- देश भर में स्वीकृत 41 में से **24 मेगा फूड पार्क परिचालन में** हैं।
- **कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 25.6% हो गई।**

कृषि निर्यात

- 2023-24 के दौरान भारत के **कृषि निर्यात और आयात में 8 प्रतिशत की गिरावट** दर्ज की गई।
- 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद से भारत **कृषि उत्पादों का निवल निर्यातक** रहा है।
- 2023 में **वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 2.4%** थी।
- 2021-22 में भारत के **कुल व्यापारिक निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 11.9%** थी।

कृषि अनुसंधान

- कृषि अनुसंधान में निवेश किए गए **प्रत्येक 1 रुपए** से लगभग **13.85 रुपए का लाभ** मिलता है।
- निरंतर प्रौद्योगिकी सहायता से 2014 से 2023 के दौरान अनाज की **औसत उत्पादकता** में 20.2%, दालों में 21.6% और मसालों में 30.4% की **वृद्धि हुई है।**
- 2020-21 में, भारत ने **अपने कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% विस्तार सेवाओं (Extention Services) पर खर्च** किया था।

उद्योग एवं औद्योगिक नीति

औद्योगिक नीति

- सकल घरेलू उत्पाद में **विनिर्माण क्षेत्रक का योगदान लगभग 17%** है। यह **वर्ष 1991 से लगभग स्थिर** बना हुआ है।
- हाल ही में, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों जैसे कि **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार** हुआ है।
- **9 भारतीय कंपनियां 2022 की फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल थीं।**
- सरकार ने **11 औद्योगिक गलियारों** के विकास को मंजूरी दी है। इनमें **32 परियोजनाएं** शामिल हैं, जिन्हें **चार चरणों** में पूरा किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक

- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक **देश की GDP में लगभग 3.4% का योगदान** देता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का घरेलू उत्पादन** वर्ष 2014-15 के 29 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 87 बिलियन डॉलर हो गया है।
- भारत के **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आकार** 2022 में 73.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
- **भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात** 2013-14 से 2022-23 के बीच **लगभग 88% बढ़ा है।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक** देश है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नीदरलैंड और जर्मनी का स्थान है।
- भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक और इसके निर्यात को 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचाना है।

सेवा क्षेत्रक

ई-कॉमर्स क्षेत्रक

- भारत वैश्विक स्तर पर **8वां सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार है।**
- यह एक **सनराइज़ क्षेत्रक** है। भारत के खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10-15% है।
- इस उद्योग ने 2021 में **55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का उत्पादन किया था। इसके **2030** तक **350 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- यह 2020 में **140 मिलियन** खरीदारों के साथ **तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस बन गया।**
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ के कारण मासिक (मुख्य रूप से टियर- II शहरों से) आधार पर **10 मिलियन** इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं।

दूरसंचार क्षेत्रक

- भारत दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्रक** है।
- शहरी-ग्रामीण भारत के संदर्भ में, लगभग 66 करोड़ कनेक्शन शहरी भारत में और 53 करोड़ ग्रामीण भारत में हैं (ग्रामीण टेली-घनत्व 59%)।
- भारत में **वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ग्राहकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या** है।
- यह FDI अन्तर्वाह के मामले में सबसे बड़े क्षेत्रकों में से एक है, जो कुल FDI अन्तर्वाह का लगभग 6% प्राप्त करता है।
- यह क्षेत्र **प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों में योगदान** देता है।

पर्यटन क्षेत्रक

- WEF के **ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024** में 117 देशों में से **भारत को 39वीं रैंक** मिली है।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पर्यटन की स्थिति **वर्ष 2026 से पहले महामारी-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी।**
- 2019-20 में, इस क्षेत्रक ने देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.19 % का योगदान दिया था।
- पर्यटन क्षेत्रक 2019 तक देश के लिए विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा अर्जक क्षेत्र रहा है।
- **ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार,** भारत वेलनेस टूरिज्म में 56 मिलियन यात्राओं के साथ 7वें स्थान पर है।

बीमा क्षेत्रक

- **भारत में हेल्थ प्रोटेक्शन गैप 73% है।**
- **2023 में बीमित किसानों की संख्या 6.1 करोड़ से घटकर 5.2 करोड़ हो गई।**
- **वित्त वर्ष 2021 में कुल बीमा सघनता 91 डॉलर के बराबर था।**
- **वैश्विक स्तर पर भारत 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है।**
- **2023 में बीमित किसानों की संख्या 6.1 करोड़ से घटकर 5.2 करोड़ हो गई।**

भारत में गेमिंग क्षेत्रक

- 568 मिलियन यूज़र्स के साथ, **भारत आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा गेमिंग बाजार** है। वैश्विक स्तर पर **हर पांच ऑनलाइन गेमर्स में से एक भारत से** है।
- भारतीय गेमिंग बाजार के **2028 तक 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद** है।
- **2015** में भारतीय गेमिंग कंपनियों की संख्या **25 थी, जो 2023 में बढ़कर 1400 से अधिक** हो गई है।

अवसंरचना

लॉजिस्टिक क्षेत्रक

- भारत की लॉजिस्टिक लागत **2021-22** में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **7.8-8.9%** के बीच आंकी गई है।
- विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक परसेप्शन इंडेक्स, 2023** में 139 देशों की सूची में **भारत 38वें स्थान** पर है। **2018 में भारत 44वें** स्थान पर था। इस तरह भारत की **रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार** हुआ है।
- केंद्र सरकार ने **35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की स्थापना** की योजना बनाई है। इसके लिए **6.2 बिलियन डॉलर की राशि निवेश** की जाएगी।
- राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य **कुल माल ढुलाई में रेल से ढुलाई की हिस्सेदारी को 27% (2019) से बढ़ाकर 45% (2030) करना** है।

परिवहन

- भारत में **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क** है। यह कुल **66.7 लाख कि.मी.** में फैला हुआ है।
- सड़क परिवहन भारत के कुल **पैसेंजर यातायात का लगभग 87% तथा माल ढुलाई का 60%** से अधिक भाग वहन करता है।
- देश के कुल सड़क नेटवर्क का **2.2%** राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत के कुल यातायात में से **40%** राष्ट्रीय राजमार्गों से किया जाता है।
- भारत, दुनिया में **कुल वाहन संख्या का 1%,** लेकिन सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के 11% के लिए जिम्मेदार है। इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद का 3-5% है।

© Vision IAS

भारतीय रेलवे

- भारतीय रेलवे **यू.एस.ए., रूस और चीन** के बाद विश्व का **चौथा सबसे बड़ा** रेलवे नेटवर्क है।
- भारत में **7,335 स्टेशन हैं और रेल ट्रैक की कुल लंबाई 1.26 लाख कि.मी.** है।
- प्रतिदिन यात्रा करने वाले **यात्रियों की संख्या 24 मिलियन है और प्रतिदिन 204 मिलियन टन माल की ढुलाई** होती है।
- भारत, वैश्विक स्तर पर **यात्री और माल परिवहन में क्रमशः पहले एवं चौथे स्थान** पर है।
- भारतीय रेलवे भारत में एकल **सबसे बड़ा नियोक्ता** है, जो लगभग **1.3 मिलियन** लोगों को रोजगार देता है।

पत्तन क्षेत्रक

- भारतीय पत्तनों पर **टर्नअराउंड समय 94 घंटे (वित्त वर्ष 2013-14) से घटकर 52 घंटे (वित्त वर्ष 2023-24)** हो गया है।
- भारतीय पत्तनों पर कंटेनर यातायात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह **555 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2013-14) से बढ़कर 796 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2023-24)** हो गया है।
- पिछले कुछ वर्षों से महापत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। **पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- भारत के महापत्तनों का ऑपरेटिंग अनुपात 2020-21 के 53 रुपये से घटकर **48 रुपये** हो गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपये की कमाई पर 48 रुपये खर्च किए गए।

नागरिक उड्डयन

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार** बन गया है।
- 2009-2019 के बीच, भारत का **वैश्विक पैसेंजर ट्रैफिक वृद्धि में 5.9% का योगदान** रहा था।
- कुल मिलाकर, विमानन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सालाना **35 बिलियन डॉलर** का योगदान देता है और **7 मिलियन लोगों को रोजगार** प्रदान करता है।
- ICAO की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारकर भारत **48वें स्थान** पर पहुंच गया है।

खनन एवं ऊर्जा

खान एवं खनिज

- भारतीय GVA में खनन क्षेत्रक का योगदान लगभग 2% है।
- भारत खनिजों के मामलों में काफी हद तक आत्मनिर्भर रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल जैसे कि लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं।
- भारत में कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क आदि जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं।
- भारतीय खनन उद्योग में छोटे स्तर पर परिचालन वाली खदानों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।
- खनिज उत्पादन के **मूल्य की दृष्टि से लगभग 97 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन 7 राज्यों में** होता है।
- भारत के **स्पष्ट भू-वैज्ञानिक क्षमता (OGP) क्षेत्र** के तहत अब तक केवल 10% हिस्से की ही खोज की गई है।

कोयला, तेल एवं गैस क्षेत्रक

- भारत की कुल एनर्जी मिक्स के **50%** हिस्से की पूर्ति कोयले से होती है।
- भारत की कुल एनर्जी मिक्स के **28%** हिस्से की पूर्ति तेल से होती है।
- भारत में 2023 में **997 मिलियन टन** कोयले का उत्पादन हुआ।
- भारत प्रतिदिन 4.9 मिलियन बैरल तेल की खपत के साथ **तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश** है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 87.7% हिस्सा आयात से पूरा हुआ।
- समग्र रूप से, भारत की **प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2040** तक लगभग **दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन** क्रूड आयल के बराबर होने की संभावना है।

विद्युत क्षेत्रक

- भारत विश्व में विद्युत का **तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता** देश है।
- **मई, 2024 तक भारत की कुल** स्थापित विद्युत क्षमता **444 गीगावाट** थी, जिसमें 193 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 217 गीगावाट कोयला आधारित विद्युत क्षमता शामिल है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 84 गीगावाट, पवन ऊर्जा की 46 गीगावाट, बायोमास की 10.9 गीगावाट और जलविद्युत की 46.9 गीगावाट है।
- भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत **1,255 किलोवाट प्रति घंटा (kWh)** है, जबकि इसका वैश्विक औसत 3,260 kWh है।
- **2000-2023** के बीच विद्युत क्षेत्रक में **FDI बढ़कर 18.17 अरब डॉलर** तक पहुंच गया।

नवाचार एवं उद्यमशीलता

नवाचार

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से **40वें स्थान पर** है।
- भारत की स्थिति 55 अर्थव्यवस्थाओं में से **42** पर बनी हुई है, जो अपरिवर्तित है।
- **पेटेंट कार्यालय द्वारा 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए गए (मार्च, 2023 से मार्च, 2024 तक)।**
- **दुनिया में रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में 7वां स्थान (WIPO रिपोर्ट 2022)**
- भारत अभी भी नवाचार के मामले में पीछे है। **अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.66% है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.8%, इज़राइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है।**

स्टार्टअप इकोसिस्टम

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम वाला देश है। भारत में **100 से अधिक यूनिकॉर्न सहित 98,000** से अधिक स्टार्ट-अप्स हैं।
- **टेक स्टार्ट-अप** के मामले में भारत में **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है।**
- लगभग **40%** स्टार्ट-अप्स **टियर-II और टियर-III शहरों** से में स्थित हैं।
- कुल मिलाकर स्टार्ट-अप वर्ष-दर-वर्ष **15% की औसत वृद्धि दर** से बढ़ रहे हैं।
- देश में लगभग 47% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम-से-कम एक महिला निदेशक हैं।

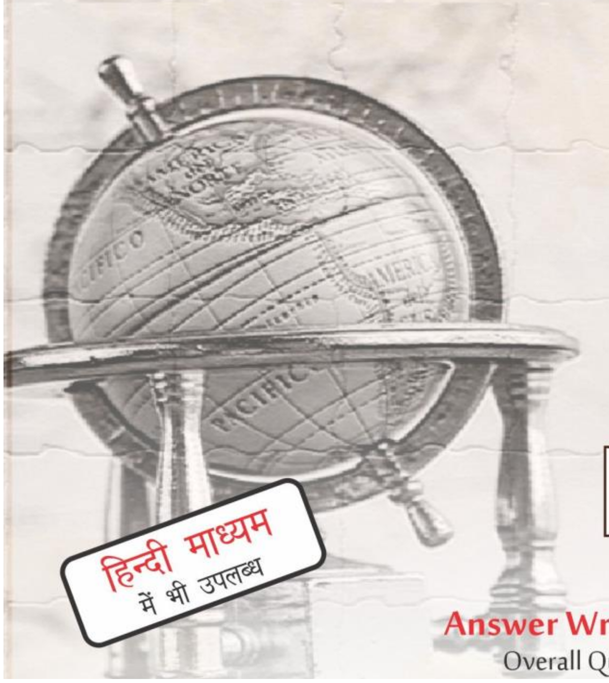

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र
by
ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:
- ☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ☑ Effective Answer Writing
- ☑ Printed Notes
- ☑ Revision Classes
- ☑ All India Test Series Included

Offline Classes @
JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

वीकली फोकस: अर्थव्यवस्था

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	तेल की कीमतें – इसके निर्धारक और प्रभाव	
2.	अवसंरचना का वित्त–पोषण और व्यवसाय मॉडल	
3.	भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कोविड–19	
4.	भारत के श्रम कानूनों में सुधार और उनका संहिताकरण	
5.	भारत में कृषि विपणन	
6.	भारत और मुक्त व्यापार समझौते	
7.	भारत और विश्व व्यापार संगठन	
8.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनाओं का विकास	
9.	महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था: नई मंजिल, नई राह	
10.	गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां – 'संकट' से 'उत्प्रेरक' तक	
11.	कार्य की बदलती प्रकृति	
12.	पोर्ट कनेक्टिविटी: दुनिया की ओर भारत का मार्ग	
13.	1991 के आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष – एक क्रांति से दूसरी क्रांति तक	
14.	भारत में शहरी नियोजन: भारत के भविष्य के शहरों का निर्माण	
15.	कृषि अवलोकन: उत्पादन–केंद्रित से किसान–केंद्रित तक	
16.	कृषि आदान –भाग I मृदा और जल: प्राथमिक कृषि आगतें	
17.	कृषि आदान – भाग II बीज और कीटनाशक: खेतों में उपयोग होने वाले आवश्यक आदान	
18.	कृषि आदान – भाग III कृषि मशीनीकरण और ऋण: संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत आदान	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
19.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार	
20.	इंडिया@75 और इसके आगे	
21.	ग्रामीण औद्योगीकरणः आत्मनिर्भर भारत के लिए आधारभूत सोपान	
22.	फिनटेक क्षेत्रकः वित्तीय क्षेत्रक में प्रौद्योगिकीय क्रांति	
23.	भारत में पूंजी बाजारः संवृद्धि के लिए वित्त जुटाना	
24.	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs): भारत के लिए संभावनाएं और चुनौतियां	
25.	फ्यूचर ऑफ वर्क	
26.	विद्युत क्षेत्रक में सुधारः संधारणीय ऊर्जा और सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में एक सही कदम	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
27.	रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरणः भारतीय मुद्रा का बढ़ता वैश्विक प्रभाव	
28.	भारतः विश्व की फार्मेसी	
29.	भारतीय सांख्यिकी प्रणालीः विकास को बढ़ावा देने के लिए डेटा को बेहतर तरीके से समझना	
30.	भारत में डिजिटल समावेशनः एक कनेक्टेड और सशक्त राष्ट्र का निर्माण	
31.	भारत में निवेश का परिदृश्य	
32.	भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्थाः कल्पनाओं से नवाचार तक	
33.	महानगरों से परेः भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास	
34.	परिवर्तन का दौरः भारत का वस्त्र उद्योग एक आधुनिक भविष्य का निर्माण कर रहा है	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2025 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
18 जुलाई | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

नि:शुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

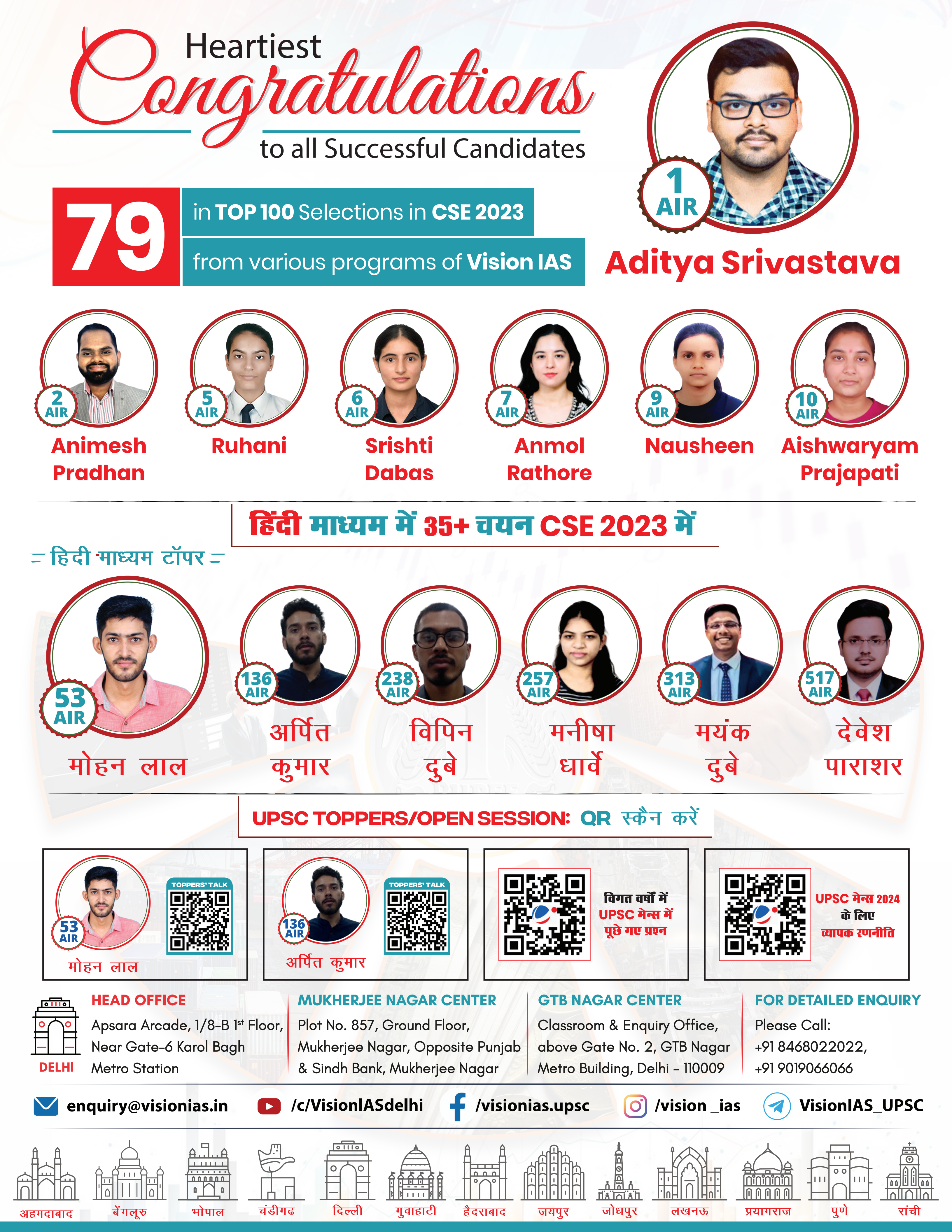
Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79
in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
TOPPERS' TALK
53 AIR मोहन लाल
TOPPERS' TALK
136 AIR अर्पित कुमार
विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न
UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/c/VisionIASdelhi
/visionias.upsc
/vision _ias
VisionIAS_UPSC
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची